# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १० ] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का २१वां दिवस [ संख्या १२



बुधवार, दिनांक १५ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

( श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन )

———

### तारांकित प्रश्नोत्तर

[ पंचायत, सिंचाई, सहकारी, स्वास्थ्य, कृषि, स्वायत्त शासन, वन एवं पशुपालन-विभाग ]

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न।

**प्रश्न संख्या २६२**

**श्री अध्यक्ष** : डॉ० बहादुरसिंह

( अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये )

**प्रश्न संख्या २६३**

श्री रिद्धीचन्द।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

**प्रश्न संख्या २६४**

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री पृथ्वीराज।

### पंचायत समिति नादौती, मुख्यालय बामनवास द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कैम्पों में मदिरा व मांस का प्रयोग

२६५. **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर-मु०) : क्या पंचायत मंत्री निम्निलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या पंचायत समिति नादौती, मुख्यालय बामनवास द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कैम्पों में जो कि तहसील नादौती में मोरां तथा तहसील बामनवास में बाटोदा व स्वेर में किये गये थे, मांस और शराब का प्रयोग किया गया था ?

**पंचायत मंत्री** (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): जी नहीं।

**श्री पृथ्वीराज** : आपने 'नहीं' कैसे कहा ? नादोती, खेर और गडमोरां इन तीनों जगहों पर शराब का प्रयोग किया गया है। मैं इन्क्वायरी के लिये और वहां लोगों द्वारा गवाही दिलाने को तैयार हूँ। सितम्बर के महीने में १४ को जानकारी दी, उसकी जानकारी देने के लिये तैयार हूँ।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : आप अगर चैलेन्ज करते हैं तो मैं इन्क्वायरी करा लूंगा।

**श्री शंकरलाल** ( रायपुर ) : आपने यह किस आधार पर कहा, 'जी नहीं' ? आपने किसके द्वारा इन्क्वायरी करवाई ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या २६६**

डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

**रूपनगढ़ तहसील के सिंचाई के तालाबों की मरम्मत**

२६७. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** ( किशनगढ़ ) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) रूपनगढ़ तहसील में सिंचाई के तालाब सिंचाई विभाग के अधीन कौन कौन से गांव के कितने कितने हैं ?

(ख) इन तालाबों में से कौन कौन से गांव के तालाब मरम्मत तलब हैं।

(ग) इन बेमरम्मत तालाबों को दुरुस्त कराये जाने के लिये क्या सिंचाई विभाग ने एस्टीमेट बनवाये हैं ? अगर हां, तो इन बेमरम्मत तालाबों की दुरुस्ती कब तक करा दी जायेगी ?

**उप मंत्री, सिंचाई** ( श्री दौलतराम सारण ) : (क) रूपनगढ़ तहसील में सिंचाई के तालाब सिंचाई विभाग के अधीन निम्नलिखित हैं :

(१) हनुमान सागर (२) मदन सागर (३) क्षीरसागर; जो क्रमशः रलावता, मुरसुरा और त्योद में स्थित हैं।

(ख) इनमें से किसी तालाब की मरम्मत की जरूरत नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : मैं निवेदन कर रहा हूँ कि तालाबों में मरम्मत की जरूरत है, आप फिर से जांच करवा लीजिये।

**श्री दौलतराम सारण** : मेरी सूचना के अनुसार ऐसा नहीं है।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : आपकी सूचना ठीक नहीं, आप दुबारा फिर जांच करवाने की कृपा करें।

**पंवार रैयत टीनेन्ट कृषि सहकारी समिति व भांगेसर रैयत टीनेन्ट सहकारी समिति, भांगेसर**

२६८. **श्री मूलचन्द डागा** ( पाली ) :

# Page No.3



( श्री मूलचन्द डागा )

क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:---

(क) क्या पाली तहसील के गांव भांगेसर में पंवार रैयत टीनेन्ट कृषि सहकारी समिति, भांगेसर व दूसरी भांगेसर रैयत टीनेन्ट सहकारी समिति, भांगेसर भूमि हीनों की रजिस्टर्ड हो चुकी है ? यदि हां, तो कब व उनके कौन कौन सदस्य हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इन दोनों सोसाइटीज़ के लिये समूचे गांव भांगेसर के ग्रामवासियों ने, निम्बली सरपंच ने, भांगेसर के नम्बरदारों यानी गांव चौधरियों ने रजिस्ट्रार जोधपुर कलेक्टर, पाली के समक्ष लिखित रूप शिकायत की है कि उक्त दोनों सोसाइटीज़ में लोग भूमिहीन नहीं हैं व उनके पास सैकड़ों बीघा भूमि है और वे इस गांव भांगेसर के रहने वाले नहीं हैं? क्या उनका उपरोक्त कथन ठीक है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि रेवेन्यू रेकॉर्ड से भी यह साफ साबित होता है कि उक्त भांगेसर सोसाइटी के सभी लोग या उनके कुटुम्बी भूमिहीन नहीं हैं और उनमें यदि भूमिहीन हैं, तो कौन कौन से सदस्य हैं ?

(घ) क्या यह भी सही है कि उक्त पंवार सोसाइटी के लोग गांव सोहनियां, तहसील पाली में बजरिये रजिस्ट्री जमीन खरीद की है और की है तो कब और क्या उसकी दू कॉपी तहसीलदार के समक्ष गांव वालों ने पेश की है ? क्या सरकार इस प्रकार की जो बोगस व फर्जी कृषि सहकारी समितियां बन गई हैं उनको मन्सूख करेगी ? और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

**सहकारी मन्त्री** (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां, क्रमशः दिनांक ७–६–६० और १०–६–६० को। इनके सदस्यों की सूची परिशिष्ट (क) में दी हुई है।

(ख) जी नहीं। केवल एक श्री टीकाराम चौधरी ने शिकायत की जिसके सम्बन्ध में रेवेन्यु विभाग में कार्यवाही हो रही है। दोनों समितियों के सदस्य उनके कार्य-क्षेत्र के रहने-वाले हैं।

(ग) जब तक रेवेन्यु विभाग द्वारा अन्तिम निर्णय प्राप्त न होगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।

(घ) जब तक रेवेन्यु विभाग का अन्तिम निर्णय प्राप्त न होगा, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि जांच में कोई समिति बोगस पाई जाती है तो उसको अवश्य नियमानुसार समाप्त किया जाता है।

( कृपया परिशिष्ट १ देखिये )

**श्री मूलचन्द डागा** : किस अधिकारी ने कब जांच शुरू की ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : रेवेन्यु डिपार्टमेंट द्वारा चल रही है।

**श्री मूलचन्द डागा** : मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि रेवेन्यु अधिकारी ने मौके पर जाकर जांच कर ली है कि कॉआपरेटिव इन्सपेक्टर और रजिस्ट्रार साथ गये थे और उन्होंने जो रिपोर्ट की है

( श्री मूलचन्द डागा )

उसमें यह बतलाया है कि ये सोसाइटियां बोगस हैं। तहरीरी और जुबानी डॉक्युमेंटस इस बारे में पेश किये गये हैं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : इस प्रकार की सूचना विभाग के पास आई नहीं हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** : मैं आपसे फिर निवेदन करूं कि मैं खुद मौके पर गया था। वहां जांच कर ली गई और निर्णय दे दिया गया तहसीलदार द्वारा आज से आठ महीने पहिले।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जब तक इस प्रश्न का उत्तर आया उनके पास इस प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। जब कि आप कहते हैं तो दुबारा मालूम कर लेंगे और एक्शन जो भी लेने की आवश्यकता हुई वह लिया जायगा।

**श्री मूलचन्द डागा** : श्री टीकाराम चौधरी ने शिकायत कब की ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : २७-७-६० को।

**प्रश्न संख्या २६६**

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरोंसिंह।

( अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये )

**प्रश्न संख्या ३००**

श्री दयाकृष्ण विजय।

( अनुपस्थित )

**प्रश्न संख्या ३०१**

श्री भैरोंसिंह।

( अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये )

## पाली पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत हुए विकास कार्य

३०२. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(क) पाली पंचायत समिति क्षेत्र में २ अक्टूबर, १९५६ से आज तक कौन कौन से विकास काम हुए हैं और उनके लिये कहां कहां कितनी कितनी धनराशि दी गई ?

(ख) उपरोक्त कामों में कौन कौन से काम पूरे हो चुके हैं और कौन कौन से काम अभी तक अधूरे हैं।

**पंचायत मन्त्री** ( श्री हरिभाऊ उपाध्याय ) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सदन की मेज पर रखी गई है। सूची में इस सूचना का भी उल्लेख है।

( कृपया परिशिष्ट २ देखिये )

**प्रश्न संख्या ३०३**

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरोंसिंह।

( अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये )

# Page No.5



**रतनगढ कस्बे के जनाने व मर्दाने अस्पतालों में इन्डोर पेशेन्ट्स के समुचित इलाज की व्यवस्था**

३०४. **श्री किशनाराम** ( रतनगढ़ ) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) रतनगढ़ कस्बे के सरकारी जनाने व मर्दाने अस्पतालों में ऐसे कितने इन्डोर मरीज़ हैं जिनके स्वास्थ्य में लगातार एक माह से औषधि लेने पर भी कोई लाभ नहीं हो रहा है ? कृपया ऐसे मरीजों की सूची सदन की मेज पर रखें जिसमें उनके निवास-स्थान का भी उल्लेख हो।

(ख) क्या यह सत्य है कि रतनगढ के सरकारी अस्पतालों में इन रोगियों का इलाज वहां के सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही एवं लालच के कारण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**स्वास्थ्य मन्त्री** (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) रतनगढ के सरकारी अस्पताल में ४ ऐसे रोगी हैं जो लगातार एक माह के समय से आ रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

आगे प्रश्न नहीं उठता।

**श्री किशनाराम** : क्या वहां टी० बी० के बीमारों को भी भरती करते हैं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : अर्ली स्टेज के बीमारों को भर्ती कर लेते हैं।

**श्री किशनाराम** : ऐसे केसेज़ पीछे लिये भी हैं, क्या आप बता सकते हैं ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मैं एडमिट करने वाला डॉक्टर थोड़े ही हूँ, जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूँ।

**प्रश्न संख्या ३०५**

**श्री अध्यक्ष** : श्री दयाकृष्ण विजय।

( अनुपस्थित )

**काश्तकारों को दी जाने वाली कोरोगेटेड आयरन शीट्स**

३०६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** ( उनियारा ) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान में कृषि के लिये काश्तकारों को कोरोगेटेड आयरन शीट्स और हीना देने का कोई प्रबन्ध है ? अगर हां, तो किस तरह से ?

(ख) क्या यह सही है कि काश्तकार को चद्दरें इत्यादि लेने के लिये डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर जाना पड़ता है ?

(ग) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों द्वारा भी कोई कोटा निर्धारित किया हुआ है ? अगर हां, तो टोंक डिस्ट्रिक्ट में देवली, उनियारा पंचायत समिति के लिये कितना कोटा उपरोक्त चद्दरों का निर्धारित किया गया है ?

(घ) सन् १९५९-६० में कितना कितना

# Page No.6



( रावराजा श्री सरदारसिंह )

कोटा निर्धारित था और उसका किस तरह वितरण किया गया ?

**उप-मन्त्री, कृषि** ( श्री दौलतराम सारण ) : (क) हां। प्रत्येक जिले में जो सामान प्राप्त होता है वह जिला परिषद् द्वारा जिले की पंचायत समितियों को अलॉट किया जाता है तथा पंचायत समितियां अपने हिस्से से सामान को परमिटों द्वारा अपने क्षेत्र के कृषकों को बांटती है।

(ख) जी हां, अधिकांश जिलों में रजिस्टर्ड स्टॉकिस्ट डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर है।

(ग) पंचायत समितियों द्वारा कोई कोटा निर्धारित नहीं किया जाता है। जिला परिषद् द्वारा ही कोटा निर्धारित किया जाता है। सन् १९६०-६१ में अब तक देवली व उनियारा पंचायत समितियों को क्रमशः ८१० व ३७६ चद्दरों का कोटा मिला है।

(घ) सन् १९५९-६० में ६,६३९ चद्दरें प्राप्त हुई थीं जिनका वितरण निम्न प्रकार किया गया था :

टोंक ११३९, मालपुरा ११२९, टोडारायसिंह १०५१, निवाई १०६२, उनियारा १०५५, देवली ११४३,

---

कुल ६६३९ चद्दरें।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : क्या यह सही है कि चद्दरें लेने के लिये सब को डिस्ट्रिक्टस में जाना पड़ता है, उस वक्त के अन्दर काश्तकारों को सात-आठ दिन गुजर जाते हैं ? गत सत्र में माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था। पंचायत समितियों का जो कोटा है वह पंचायत समितियों को भेज दिया जायेगा और पंचायत समिति द्वारा उस क्षेत्र के लिये वितरण किया जायगा।

**श्री दौलतराम सारण** : जिलों की पंचायत समितियों को वितरण का अधिकार दे दिया है। लेकिन कोटा पंचायत समिति केन्द्र पर मिल सके, ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो इसके स्टॉकिस्टस हैं, वह भारत सरकार मन्जूर करती है उसके लिये पहले भी निवेदन किया था कि भारत सरकार से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं। उनके साथ सम्पर्क स्थापित किया है लेकिन इस बात पर निर्णय नहीं किया गया है कि इसके कोटे को प्राप्त करने की व्यवस्था पंचायत समिति के केन्द्र पर ही हो सके।

**डॉ० बहादुरसिंह** ( धौलपुर ) : तहसीलों में ही वह कोटा मिल जाय, इसके बारे में क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

**कृषि मन्त्री** (श्री नाथूराम मिर्धा): स्टॉकिस्ट मुकर्रर करने का सवाल सप्लाई डिपार्टमेन्ट की तरफ से मुकर्रर होना, इन-कन्सलटेशन विथ दी कन्ट्रोलर ऑफ आयरन एन्ड स्टील होता है। आगे से यह वितरण ठीक ढंग से और नज़दीक ही लोगों को मिल सके, ऐसी योजना चल रही है। आयरन एन्ड स्टील का कोटा है उसका ठीक ढंग से वितरण किया जा सके, इस बारे में योजना विचाराधीन है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : क्या यह सही है कि कृषि के लिये जो कोटा निर्धारित होता है कृषि विभाग के अलावा डिस्ट्रिक्टस

Page No.7



( रावराजा श्री सरदारसिंह )

के लिये अलहदा होता है, कृषि विभाग द्वारा कृषि कार्यों के लिये वितरण किया जाता है ? उसके लिये सरकार डिस्ट्रिक्ट्स में न ले जाकर पंचायत समितियों को दे दिया जाय जिससे वे वितरण कर सकें। इसमें क्या दिक्कत है ?

**श्री दौलतराम सारण** : पंचायत समितियें इश्यू करती हैं । जब जिले का कोटा आता है तो पंचायतों के सरपंचों की सिफारिश पर करती हैं।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : जो परमिट इश्यू करते हैं, मान लीजिये कोई पंचायत समिति ३ मील पर है, वहां पंचायत समिति के पास जाता है । उसके आठ–आठ रोज गुजर जाते हैं, खेती के काम में बहुत हर्जा होता है। वहां से सरपंच तसदीक करता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स से उसको मिलता है।

**श्री दौलतराम सारण** : अब जो तरीका है वह पहले की अपेक्षा आसान है । जैसा कि मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया, डीलर्स जो हैं उनकी नियुक्ति हमारे अधिकार में नहीं, उनको निश्चित करना भारत सरकार का काम है। पंचायत समितियों को ही कोटा मिल जाय और वहीं से वितरण हो, इस बारे में चेष्टा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आगे शायद हो सकेगा ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : पर मेरा निवेदन करना यह है कि आपको ऐसी सुविधा कर देने में कठिनाई क्या है ? आपकी असमर्थता क्या है ? आपके पॉवर में क्यों नहीं है ?

**श्री दौलतराम सारण** : वह भारत सरकार से सम्बन्धित है, इसलिये वे जब करेंगे तब हम करेंगे ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : तो भारत सरकार से तो कोटा निर्धारित होकर आपके पास आ जाता है ?

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, ऐसा नहीं है । स्टॉकिस्टों को भी स्टील कन्ट्रोलर ही नियुक्त करता है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : मेरी जहां तक जानकारी है, वहां से तो कोटा मुकर्रर हो जाता है और चद्दरें यहां पर आ जाती हैं स्टॉकिस्ट के पास और वितरण का काम....

**श्री अध्यक्ष** : हां, वह तो ठीक है। पर स्टॉकिस्ट जिले में एक ही होता है। अब यह प्रयत्न हो रहा है कि भारत सरकार पंचायत स्तर पर भी स्टॉकिस्ट मुकर्रर करे । इससे आपकी समस्या हल हो जायेगी।

## बाली व देसूरी तहसीलों में निर्मित होने वाले बांध

२०७. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली) : [ श्री मनरूपराम परिहार ( खारची–सु० ) द्वारा पूछा गया ] : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :–

(१) तहसील बाली व देसूरी में किन किन बांधों का निर्माण सरकार द्वारा मन्जूर हो चुका है, किन किन बांधों के टेन्डर लिये

# Page No.8



( श्री मोतीबाबा चौधरी )

गये व मन्जूर हुए ? सूची देने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि देसूरी की सेली की नाल का सर्वे पूरा होकर उसकी टैक्निकल मन्जूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो कब व कितनी धन-राशि की ?

(३) क्या सरकार को विदित है कि बाली जिले की बाली व देसूरी तहसीलों में कई छोटे छोटे बान्ध व रपटें व तालाब टूटे पड़े हैं ? यदि हां, तो सरकार इनकी मरम्मत कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(४) सरकार का सन् १९६०-६१ में किन किन तालाबों की मरम्मत करवाने का और उन पर कितना कितना धन खर्च करने का विचार था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उप-मन्त्री, सिंचाई** ( श्री दौलतराम सारण ) : (१) सूची संलग्न है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां, इनका सर्वे करने के लिये एक सहायक अभियन्ता, जिलाधीश, पाली के आधीन कार्य कर रहे हैं और सर्वे चालू है।

(४) यह कार्य पंचायत समितियों द्वारा किया जावेगा जिसके लिये धन-राशि पंचायत समितियों को दी जाती है।

( कृपया परिशिष्ट ३ देखिये )

## पाली पंचायत समिति द्वारा वितरित तकावी ऋण

३०८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

पाली पंचायत समिति ने कुल कितनी रकम किस किस को अक्टूबर १९५९ के बाद से आज तक तकावी के रूप में वितरित की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**पंचायत मन्त्री** (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

( कृपया परिशिष्ट ४ देखिये )

**श्री मूलचन्द डागा** : न सूची में पूरे नाम हैं और न गांवों के नाम हैं; कुछ भी नहीं है। केवल मूला, धन्ना यह रख दिया गया है।

**श्री उपाध्याय** : दूसरी विस्तृत सूची मेरे पास है। चाहेंगे तो मैं दे दूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : यह प्रश्न तो आप पंचायत समिति से कर सकते थे, जिला परिषद् में कर सकते थे तो ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता था।

## तहसील भूपाल सागर के तालाबों का निर्माण कार्य

३०९. **श्री हरिप्रसाद यादव** ( वल्लभ-नगर-सु० ) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि तहसील भूपाल सागर

# Page No.9



( श्री हरिप्रसाद यादव )

के अन्तर्गत तालाब जेवाणा, पारी, गुलाबपुरा, भाबा, आंजन खेड़ा और उसरोल को पक्का बनाने के लिये किसानों ने कई दफा दरख्वास्तें दीं ? क्या इन तालाबों की सर्वे हुई है ? यदि हां, तो इनका कार्य कब प्रारम्भ किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उप मन्त्री, सिंचाई** ( श्री दौलतराम सारण ) : (क) जी नहीं। सिर्फ गुलाबपुरा तालाब के लिये मांग की गई है।

केवल गुलाबपुरा तालाब की सर्वे हो चुकी है। इसका तखमीना तैयार कर लिया गया है। तखमीना स्वीकार होने पर काम हो सकेगा। अन्य के सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना नहीं दी जा सकती क्योंकि इनका सर्वे हुआ नहीं है।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उनका सर्वे हो चुका है ?

**श्री दौलतराम सारण** : जैसा मैंने उत्तर दिया वह सही है।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : मैंने खुद ने वहां की सर्वे करवाई। ओवरसियर और असिस्टेन्ट इन्जीनियर वहां गये जो अभी चित्तौड़ वर्क कर रहे हैं भगवानदासजी। अच्छी बात। उनका सर्वे हो जाने के बाद भी आश्वासन श्री भीखाभाई की तरफ से दिया गया था कि यह काम शुरु हो जावेगा।

**श्री दौलतराम सारण** : मैं उत्तर दे चुका हूँ।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : क्या यह सही है कि मालाखेड़ा टैंक जो गुलाबपुरा के पास था वहां भी नहीं बनाया गया ?

**श्री दौलतराम सारण** : यह अलग प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : जिन कार्यों का माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं वे समाज कल्याण विभाग के पास भी हो सकते हैं। उनके पास भी सिंचाई के कार्य हैं।

## पाली नगरपालिका के चुनाव

३१०. **श्री मूलचन्द डागा** ( पाली ) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पिछले म्यूनिसिपल बोर्ड, पाली को कब और किस आधार पर भंग किया गया ?

(ख) क्या यह सत्य है कि हाई कोर्ट, जोधपुर ने अपने फैसले में बोर्ड को भंग करते समय सरकार को यह ध्यान दिलाया था कि नये चुनाव शीघ्रातिशीघ्र किये जाने की व्यवस्था की जाय ? यदि हां, तो आज तक नगरपालिका, पाली के चुनाव नहीं किये जाने के क्या कारण हैं व अब पाली म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव कब शुरु होंगे ?

**स्वायत्त शासन मन्त्री** (श्री सम्पतराम): (क) हाई कोर्ट के निर्णय दिनांक २८—७—५८ के द्वारा नगरपालिका, पाली के समस्त सदस्यों की नियुक्ति अवैधानिक घोषित किये जाने पर राज्य सरकार ने अपनी विज्ञप्ति संख्या

# Page No.10



( श्री सम्पतराम )

(डी ६३५.२ एफ १ (२४) एल एस जी (ए) ५६) दिनांक २१—८—५६ द्वारा नगरपालिका को भंग कर प्रशासक की नियुक्ति की थी।

(ख) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १६५६ के अनुसार नगरपालिका के चुनाव हेतु सीटों व वार्डों की संख्या निर्धारित होकर वार्ड विभाजन सम्बन्धी अन्तिम विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और चुनाव की तिथि भी निश्चित की जा चुकी है।

**श्री मूलचन्द डागा** : "इतने—इतने" से क्या मतलब ?

**डॉ० बहादुरसिंह** ( धौलपुर ) : बोर्ड को सुपरसीड करने के कितने दिन बाद यह आज्ञा जारी की गई ?

**श्री अर्जुनदास** ( अजमेर—पश्चिम ) : आप पहले यह पूछिये न कि बोर्ड को सुपरसीड कर दिया गया ?

**श्री अध्यक्ष** : २१—८—५६ को।

**श्री शंकरलाल** ( रायपुर ) : चुनाव की तारीख कौनसी मुकर्रर की गई है।

**श्री सम्पतराम** : मई में कोई तारीख नियत की गई है।

**प्रश्न संख्या ३११**

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामकिशन।

( अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये )

**प्रश्न संख्या ३१२**

श्री रामकरणसिंह।

( अनुपस्थित )

## जाशमा तालाब की पक्की नहर का निर्माण

३१३. **श्री हरिप्रसाद यादव** (वल्लभ-नगर—सु०) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जाशमा तालाब ( भूपालसागर तहसील ) की पक्की नहर बनाने की स्वीकृति हो जाने के बावजूद भी नहर क्यों नहीं निकाली गई ? क्या यह सही है कि जाशमा ग्राम के निवासियों के घरों में पानी आ जाने से कीचड़ हो जाने के कारण मच्छर—मक्खियों से वे पीड़ित हैं ? अब यह कार्य कब तक शुरु हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उप मन्त्री, सिंचाई** ( श्री दौलतराम सारण ) : जाशमा तालाब की नहर को पक्का बनाने की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है और न इस गांव के ग्राम वासियों के घरों में पानी ही जाता है।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां जाटों के मोहल्ले से शुरु होता है वह तालाब, तो एक तो हमारे सिंचाई विभाग ने बना कर पूरे गांव के सामने एक समस्या खड़ी कर दी ; वहां मच्छर—मलेरिया से हमेशा बुखार की हालत बनी रहती है। जाटों के मोहल्ले से नहर खोदी है जो खटीकों के और भीलों के और

( श्री हरिप्रसाद यादव )

यादवों के मोहल्ले में रेंगरों के, बलाइयों व ढोलियों के मोहल्ले में होते हुए अधिकतर किसानों की बस्तियों में होते हुए खड्डा कर दिया है। इस पर औरतें पत्थर रख रख कर रोटियां बनाती हैं। किसानों के सामने इसने एक समस्या बना दी है। इसकी जांच करवा कर नहर को पक्का बनाना आवश्यक है। वहां के एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर और असिस्टेन्ट इन्जीनियर तो कहते हैं कि जल्दी बना देंगे और माननीय मन्त्री महोदय उल्टा जवाब दे रहे हैं, यह ठीक नहीं है। कृपा करके इस बारे में जल्दी कार्यवाही की जावे।

**श्री दौलतराम सारण** : मेरी सूचना के अनुसार इस तालाब को बने कोई आठ साल से अधिक हो गया है, पर अभी तक घरों में पानी जाने की कोई शिकायत आई हो, ऐसा नहीं मालूम, न मक्खी मच्छरों की शिकायत मिली। हां, गांव के पास एक गन्दा नाला जरूर है। इसमें तालाब के रिसने का पानी भी रहता है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** (उणियारा): इस नाले से प्रोटेक्शन के लिये क्या कर रहे हैं ?

**श्री दौलतराम सारण** : यह सिंचाई विभाग का नहीं है। गन्दा नाला है।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : किसानों की ओर से इस बारे में एक केस चल रहा है। इनकी एक एप्लीकेशन श्री भीखा भाई के पास है, चाहे उप मन्त्री के पास न हो। मेरे पास उसकी नकल है। मैं आपके पास पेश कर दूंगा। इन किसानों के विकास के लिये इतने कार्य कर रहे हैं तो मैं माननीय उप-मंत्री से निवेदन करूंगा कि इसकी भी जांच करवा कर दफ्तर से अलग कार्यवाही करा दें।

**श्री दौलतराम सारण**: आपने जानकारी देने की कही है ? मेरे पास तो नहीं है, फिर मैं इसकी जानकारी कर लूंगा।

## भूमि बन्धक बैंक

३१४. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या मन्त्री, सहकारिता विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में किन किन स्थानों पर कब कब भूमि बन्धक बैंकों की स्थापना हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इन बैंकों द्वारा कितने किसानों को जिलेवार कितना ऋण दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि पाली जिला भूमि बंधक बैंक द्वारा अभी तक एक भी काश्तकार को ऋण नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कितने किसानों की दरख्वास्तें कब से विचाराधीन हैं ?

(४) क्या यह सही है कि भूमि बन्धक बैंक द्वारा ऋण दिये जाने की प्रणाली दूषित होने के कारण काश्तकारों को समय पर ऋण नहीं दिया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रणाली में रदोबदल कर इसे आसान बनाने का विचार रखती है ?

**सहकारिता मंत्री** (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) सूची परिशिष्ट (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इसका उत्तर सूची परिशिष्ट (क) में उपलब्ध है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं। ११ आवेदन पत्र सन् १९५९ और १९० सन् १९६० के विचाराधीन हैं।

(४) जी नहीं। भूमि बन्धक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में देरी का मुख्य कारण किसानों के पास भूमि पर अधिकार बतलाने वाले दस्तावेजों का शीघ्रता से उपलब्ध न होना है। इनकी प्रतिलिपियां जब रेवेन्यू विभाग से प्राप्त की जाती हैं तब उसमें समय लग जाता है। राजस्थान में यह कार्य अभी शुरु हुआ है। ज्यों ज्यों इस कार्य को प्रगति होगी लोग पेचीदगियां समझने लग जावेंगे और वैसे वैसे ऋणों के मिलने में देरी कम होती जावेगी। जिन राज्यों में (मद्रास आन्ध्र) यह काम बहुत वर्षों से चल रहा है और काफी प्रगति पर है वहां भी ऋण प्राप्त करने में कम से कम तीन—चार मास का समय लग जाता है; फिर भी भविष्य में ऋण वितरण में देरी न हो पाये इस प्रश्न पर विचार हो रहा है।

( कृपया परिशिष्ट ५ देखिये )

**श्री शंकरलाल** : रेवेन्यू दस्तावेजों के मिलने में देरी के लिए जिम्मेदार कौन हैं? रेवेन्यू विभाग से लाये जाते हैं तो किसान के पास पट्टा होता है वे बता सकते हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : फिर भी पजेशन आज उसका है, क्या पोज़ीशन है;यह देखने के लिए रेकॉर्ड देखने की जरूरत पड़ती है।

**श्री शंकरलाल** : जो सूची प्राप्त हुई है इसके अन्दर बहुत से ऐसे बैंक हैं; जैसे अजमेर और ब्यावर में जो १९२४ और १९२२ में स्थापित हुए हैं, तीस साल से भी ज्यादा अर्से से हैं, पर उन्होंने सिर्फ १३ किसानों को ऋण दिया ? वैसे अजमेर में २४ में स्थापित हुआ और उसने केवल १३ किसानों को ऋण दिया। इसी तरह ब्यावर में २२ में स्थापित हुआ, पर केवल २८ किसानों को ऋण मिला।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : इन दोनों बैंकों का ठीक तौर से मालूम नहीं, पर जहां तक मेरा ख्याल है वहां पर न तो ठीक व्यवस्था थी और न आवश्यक मशीनरी उनके पास थी; इसलिये वे तो डिफंक्ट से पड़े थे। उनको वापिस रिवाइज़ करके दूसरों के मुकाबले में लाने का प्रयास किया जावेगा।

**श्री शंकरलाल** : ऋण वितरण में देरी न हो, इसके लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : इस पर ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स की एक कमेटी बुलाकर बात की है। प्रोसीजर के बारे में ये सारी बातें थी।

## परसराम कुम्हार की सिक्योरिटी की रकम की अदायगी

३१५. **श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर सिटी ) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

# Page No.13



( श्री मुरलीधर व्यास )

(क) क्या दिनांक ३०—१०—५८ को परसुराम वल्द नत्थुराम कौम कुम्हार से गमले बनाने के ठेके के निमित्त ५००) रु० की सिक्योरिटी फॉरेस्ट रेन्ज ऑफिसर हनुमानगढ़ ने ली थी ?

(ख) यदि हां, तो उसके नाम ठेका न होने के बाद उसकी सिक्योरिटी की रकम उसे तुरन्त क्यों नहीं लौटा दी गई ? सिक्योरिटी लौटाने के लिए उसने कितने प्रार्थना-पत्र व रजिस्ट्रियां विभागीय अधिकारियों को दी ? विभागीय अधिकारियों ने ये रुपये अब तक क्यों नहीं लौटाये ?

**वन मन्त्री** (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां।

(ख) विभागीय कार्यवाही के बाद ही रकम लौटाई जा सकती है। तीन प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, रकम १२—१०—६० को लौटा दी गई है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री शंकरलाल।

## रानी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिला पाली

३१६. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) पाली जिले की रानी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को कृषि विभाग व रसद विभाग ने सोसाइटी रजिस्टर्ड होने से आज तक लोहे की चद्दरों व अन्य वस्तुओं के कितने पर्मिट किस किस तारीख को किस किस माल के दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(ख) क्या यह सही है कि जो पर्मिट दिये गये उनका माल उठाकर वहीं पर बेच दिया गया व सोसाइटी के रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया ? यदि हां, तो उपरोक्त कटे पर्मिटों में से कितने का माल मार्केटिंग सोसाइटी में दर्ज है व कितने का नहीं है ?

(ग) क्या यह सही है कि जो माल बेचा गया उसका हिसाब नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ? यदि नहीं, तो किस किस को कितना माल दिया गया ? उसकी सूची सदन को मेज पर रखी जाये ?

**सहकारी मन्त्री** (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) सूची परिशिष्ट (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी नहीं। सब का माल दर्ज है।

(ग) जी नहीं। सूची परिशिष्ट (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

( कृपया परिशिष्ट ६ देखिये )

**श्री अध्यक्ष** : श्री भोगजी भाई।

## बांसवाड़ा रेन्ज द्वारा खान्दू सर्किल में घास की बीड़ की जमीन का आवंटन

३१७. **श्री भोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि रेन्ज बांसवाड़ा,

# Page No.14



( श्री मोगजी भाई )

वन विभाग सदर तहसील बांसवाड़ा ने खान्दू सर्किल में एक पहाड़ी एरिया जंगलात का घास की बीड़ दो हजार बीघा जमीन व्यक्तिगत रूप में खान्दू ठाकुर को अलॉट की है ? यदि हां, तो कब और किसके आदेश से ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जमीन जंगल एरिया में सैकड़ों गांवों के निवासी काश्तकारान अपने लिये घास काटते रहते थे ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त भूमि के अलॉटमेंट के सम्बन्ध में ग्राम जनता व काश्तकारान ने विरोध किया था ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वन मन्त्री** ( श्री सम्पतराम ) : (क) जी नहीं। यह रकबा १०२६।।। बीघा है जो जागीर पॉवर्स एबोलिशन के समय से ही रेवेन्यू रेकॉर्ड में जागीरदार का नाम दर्ज है। कोई अलॉटमेंट नहीं किया गया।

(ख) जी हां ! खान्दू जागीरदार को महसूल देकर।

(ग) सम्बन्धित बीड़ रेवेन्यू रेकर्ड में जागीर पॉवर्स एबोलीशन के समय से ही खुदकाश्त में दर्ज थी। जागीर रिज़म्पशन पर इस भूमि का लगान हर साल तहसील में वसूल किया जाता था। उपरोक्त कारणों की वजह से यह बीड़ ठिकाने के खुदकाश्त में ही रखी गई।

**श्री मोगजी भाई** : क्या यह जंगल का रकबा पहले फोरेस्ट डिपार्टमेंट में ही था ?

**श्री सम्पतराम** : इसका उत्तर मैं दे चुका हूं !

**श्री मोगजी भाई** : जो रकबे की दर्ख्वास्त देकर मांग की और सरकार ने उन को जमीन व्यक्तिगत नाम से अलॉट की, इसके बारे में जवाब दे दें।

**श्री सम्पतराम** : यह रकबा सरकार ने अलॉट नहीं किया है। यह खुद जागीरदार के समय से उसके कब्ज़े में है। वह उनकी खुदकाश्त में थी। जो पहले चराई ली जाती थी वह जागीरदार के द्वारा ली जाती थी और फोरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं। तो अलॉटमेंट का सवाल ही नहीं होता है।

**श्री मोगजी भाई** : तो वहां के लोगों ने ऐसी शिकायतें की थीं कि यह रकबा फोरेस्ट डिपार्टमेंट का है जागीरदार का नहीं है, उसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

**श्री सम्पतराम** : कार्यवाही करने का सवाल पैदा नहीं होता जब कि सरकार यह मानती है कि यह जागीरदार की जमीन थी और वही चराई वगैरह वसूल किया करता था।

**श्री मोगजी भाई** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ऐसा है कि वह जमीन जागीरदार की नहीं थी बल्कि जंगल का एरिया था। उसमें जिन अधिकारियों ने उस जागीरदार को जमीन दी है उसमें इस प्रकार की फर्जी कार्यवाही की है कि उस जमीन का

# Page No.15



( श्री मोगजी भाई )

चार साल का लगान पटवारी के रेकॉर्ड में दर्ज करवा कर और चार साल का दर्ज करवा कर एक साथ लगान वसूल कर लिया और पटवारी ने उस रेकॉर्ड में बताकर दो हजार बीघा जमीन जागीरदार को अलॉट की है। यह उसकी खुद की जमीन नहीं है और वह जंगल की जमीन है। उससे काफी इमारती लकड़ी निकलती है और करीब ३० हजार रुपये की उसको आमदनी होती है। आज भी वह ठेका देकर घास कटवाता है और बिक्री करता है। तो यही प्रश्न था कि रेकॉर्ड में देखकर उसका जवाब दिया जाता तो सन्तोष होता। यह आज भी जमीन वैसे ही पड़ी हुई है, क्या इसकी जांच करवाई जायेगी ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिप्रसाद यादव।

**श्री मोगजी भाई** : अध्यक्ष महोदय, क्या इसकी जांच करवाई जायेगी ?

( कोई उत्तर नहीं दिया गया )

## भूपालसागर की पक्की नहरों का निर्माण

३१८. **श्री हरिप्रसाद यादव** (वल्लभनगर–सु०) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

भूपालसागर तालाब की पांच नहरों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पक्की बनाने का प्रावधान था, उन्हें अब तक नहीं बनाने का क्या कारण है ? अब ये नहरें कब तक बना दी जायेंगी ?

**सिंचाई उप-मन्त्री** (श्री दौलतराम) : जी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। परन्तु जहां इन पांच नहरों में पानी फिरता है वहां वहां से पक्का करने का इरादा है।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : क्या यह सही है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भूपालसागर योजना में पांच नहरों को पक्का बनाने का प्रावधान था ?

**सिंचाई मन्त्री** ( श्री भीखाभाई ) : जहां तक इनको पक्की बनाने का सवाल है वहां पर पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान नहीं रखा जाता, लेकिन एक्सटेन्शन एन्ड इम्प्रूवमैन्ट के लिए रुपया खर्च किया जाता है। माननीय सदस्य को सुन कर प्रसन्नता होगी कि उन्होंने जिन पांच पक्की नहरों के करने के लिए कहा है उसमें से ३ नहरों को स्वीकृति हो गई है; २, ३ और ४ की और इनमें १३॥ हजार, ११ हजार और तीसरी में ८७०० रुपये की मन्जूरी हो चुकी है और काम जल्दी ही शुरु किया जायेगा।

## दिनांक २४ फरवरी, १६६१ का स्थगित प्रश्न

### प्रश्न संख्या ४०

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित प्रश्न संख्या ४०, श्री रामकिशन।

( अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये )

डॉ० बहादुरसिंह।

# Page No.16



**कृषि विभाग द्वारा खाद पहुंचने का गलत स्थान अंकित करने से हुई हानि**

२६२. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि कांडला बन्दरगाह से विशेष मालगाड़ी विजयनगर स्टेशन वेस्टर्न रेल्वे खाद (फर्टीलाइज़र) की आई थी ? यदि हां, कब, किस तिथि को रवाना की गई थी और जिस तिथि को विजयनगर आई ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि यह खाद विशेष मालगाड़ी विजयनगर (जिला श्री गंगानगर) एन० रेल्वे के वास्ते भेजी गई थी ?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि कृषि विभाग के स्थान गलत लिखने के कारण इस विशेष मालगाड़ी का वारफेअर और डेमरेज तीस हजार रुपया क्रेडिट मीमो माह अप्रेल, १९६० को रेल्वे को देना पड़ा ?

(घ) गलत पता लिखने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है, जिसके कारण विभाग को तीस हजार की हानि उठानी पड़ी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(ङ) रेल्वे की बिल्टी किस अधिकारी को विजयनगर में किस तिथि को प्राप्त हुई ?

(च) उक्त रेल्वे बिल्टी से आया हुआ माल किस तिथि को छुड़वाया गया तथा विजयनगर एन० रेल्वे को किस तिथि को भेजा गया तथा उक्त अपराध में किस किस अधिकारी के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उप-मन्त्री कृषि** (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां। कांडला बन्दरगाह से मालगाड़ी दिनांक २२-३-६०, २३-३-६० एवं २४-३-६० को रवाना की गई थीं। ये गाड़ियां विजयनगर स्टेशन किस तिथि को पहुंचीं, ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता है, मगर विकास अधिकारी मसूदा ने उनके वहां पहुँचने की सूचना इस कार्यालय को ७-४-६० को भेजी।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं, कृषि विभाग ने स्थान सही लिखा था, मगर गल्ती कांडला वालों की हुई जिन्होंने विजयनगर एन० आर० को बजाय विजयनगर डब्ल्यू० आर० को माल भेज दिया। वारफेअर व डेमरेज और ज्यादा न बढ़े, इसलिए अप्रैल में छुड़ा लिया गया।

(घ) गलत पता लिखने की जिम्मेदारी कृषि विभाग के किसी अधिकारी की नहीं थी। इस उत्तर से आगे का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) रेल्वे की बिल्टियां जयपुर कार्यालय में कांडला से दिनांक ६-४-६० व ७-४-६० को आई, उन्हें उसी दिन विकास अधिकारी रायसिंहनगर को दिया गया।

(च) दिनांक १५-४-६० को माल क्रेडिट नोट के जरिये छुड़वाया गया और उसी दिन विजयनगर एन० आर० को भेजा गया। यह पहले ही कहा जा चुका है कि कृषि विभाग के किसी भी अधिकारी की

( श्री दौलतराम सारण )

गल्ती से यह नहीं हुआ ? अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उटता ।

**डॉ० बहादुरसिंह** : जिस समय माल-गाड़ी बुक की गई उस समय फॉर्म भरा जाता है, उस समय क्या लिखा गया था ?

**श्री दौलतराम सारण** : मुझे तो निश्चित सूचना नहीं है ।

**श्री भैरोंसिंह** : विजयनगर से गंगानगर भेजने में जो ट्रान्सपोर्ट के चार्जेज़ आये वे राजस्थान सरकार ने भोगे या रेलवे डिपार्टमेंट ने ?

**श्री दौलतराम सारण** : अभी तो राजस्थान सरकार ने ही भोगे हैं ।

**श्री भैरोंसिंह** : जब कि गल्ती रेल्वे डिपार्टमेन्ट की थी तो राजस्थान सरकार ने ट्रान्सपोर्ट के चार्जेज़ को कैसे भुगता ?

**श्री दौलतराम सारण** : उस सम्बन्ध में बातचीत चल रही है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से और निर्णय अभी नहीं हुआ है । आशा की जानी चाहिए कि जल्दी निर्णय हो सकेगा ।

**श्री भैरोंसिंह** : ७-४-६० और १५-४-६० जो एक्चुअल डिलीवरी की तारीख है । इस बीच में रेल्वे डिपार्टमेन्ट से इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गई कि जो भी यह गल्ती हुई है वह रेल्वे डिपार्टमेंट की गल्ती की वजह से हुई और दूसरी जगह माल भेजने का इन्तजाम रेल्वे डिपार्टमेन्ट को ही करना चाहिए ?

**कृषि मन्त्री** ( श्री नाथूराम मिर्धा ) : रेल्वे से लिखा-पढ़ी जारी है और उसको लिखा गया है कि यह सब कुछ आपकी गल्ती से हुआ है । उनके सामने क्लेम भी पुट-अप कर दिया है ।

**श्री भैरोंसिंह** : जब कि रेल्वे की गल्ती से विजयनगर एन० आर० के स्थान पर विजयनगर डब्ल्यू० आर० माल पहुँच गया तो फिर राजस्थान सरकार को डिलीवरी लेने की क्या आवश्यकता थी ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : उनको री-डाइरेक्ट करना था । इस स्टेशन के लिए माल नहीं था । माल विजयनगर एन० आर० के लिए था तो उन्होंने वापिस बुक कर दिया ।

**श्री भैरोंसिंह** : उन्होंने डिलीवरी क्यों ली, जब कि विजयनगर एन० आर० को बुक कराने की जिम्मेदारी रेल्वे डिपार्टमेंट की थी तो आपने डिलीवरी क्यों ली ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : अल्टीमेटली डिलीवरी तो वहीं ली । उनको कहा गया कि इसकी बिल्टी बना दी जाय और विजयनगर, गंगानगर को भेज दीजिए, तो वहां चला गया । रेल्वे विभाग को क्लेम किया है इसके लिए ।

**श्री भैरोंसिंह** : पर आपने विजयनगर में डिलीवरी क्यों ली, राजस्थान सरकार ने ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जैसा कि मैंने आपको बतलाया नोर्दन रेल्वे के विजयनगर के बजाय वैस्टर्न रेल्वे के विजयनगर को बुक कर दिया और माल वहां पहुँच गया ।

Page No.18



( श्री नाथूराम मिर्धा )

बी० डी० ओ० ने इत्तला दी कि माल वहां पर पड़ा हुआ है। तब उनसे कहा गया कि माल नोर्दन रेल्वे के विजयनगर को भेजना है। डेमरेज लगता इसलिये वापिस बुक कराया गया। डेमरेज के बारे में रेल्वे से बात-चीत कर रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या डेमरेज के चार्जेज़ भी, आपको डेमरेज के चार्जेज़ भी देने पड़े ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मुझे इस बारे में ठीक पता नहीं है, लेकिन लगभग ३० हजार का क्रेडिट नोट देना पड़ा।

**श्री भैरोंसिंह** : यदि वैस्टर्न रेल्वे के विजयनगर में डिलीवरी लेकर दूसरे विजयनगर के लिये बुक नहीं कराते तो दूसरे विजयनगर रेल्वे को माल भेजना पड़ता ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : इस स्टेशन पर माल लाया हुआ पड़ा था, इसलिये पड़ा रहता तब तक डेमरेज लगता ?

**श्री भैरोंसिंह** : डेमरेज कैसे लगता ? कोई चीज़ जयपुर को भेजनी है, उसके बजाय यदि जोधपुर भेज देते हैं तो क्या वहां पर डेमरेज देना पड़ेगा ?

**श्री अध्यक्ष** : इसमें विवाद खड़ा हो गया और विवाद तय होने के बाद डिलीवरी वहां पर नहीं लेते तो माल पड़ा खराब होता।

**श्री भैरोंसिंह** : माल पड़ा खराब होता, यह दूसरी बात है; लेकिन गंगानगर के विजयनगर के बजाय अजमेर के विजयनगर में भेज दे तो गल्ती रेल्वे की है।

**श्री अध्यक्ष** : इसके लिये तो क्लेम किया गया है।

डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर) : गंगानगर के विजयनगर का नाम श्री विजयनगर है, अगर ठीक तरह से एड्रेस लिखते तो यह गल्ती नहीं होती।

**श्री अध्यक्ष** : एन० आर० या डब्ल्यू० आर० लिख देते तो भी पहुँच गया होता।

### गंगापुर अस्पताल का नवनिर्मित भवन

२६३. **श्री रिद्धीचन्द** ( गंगापुर ) [श्री पृथ्वीराज (गंगापुर—सु.) द्वारा पूछा गया]: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार को विदित है कि गंगापुर होस्पिटल की नव निर्मित बिल्डिंग जिसमें ऑपरेशन रूम तथा किचन स्टोर जो जनवरी—फरवरी, १९६० के आसपास बन कर तैयार हुआ है वह टूट गए हैं ? क्या यह भी सही है कि पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा अब उसका प्लास्टर हटाया जा रहा है ? नव निर्मित बिल्डिंग को किसकी आज्ञा से काम में लिया गया और अब किसकी आज्ञा से पी० डब्ल्यु० डी० के सुपुर्द किया गया ?

**स्वास्थ्य मंत्री** (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : गंगापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ऑपरेशन रूम, डॉक्टर्स रूम, किचन व स्टोर रूम बनाये थे। तैयार होने पर पी० डब्ल्यु० डी०

Page No.19



( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता )

द्वारा उसका चार्ज संभलाया गया था। लेकिन बरसात अधिक होने से इसमें दरार पड़ गई थी। इसको खाली करवा कर मरम्मत की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है।

## किशनगढ़ तहसील के सिंचाई विभाग के अधीनस्थ तालाबों की मरम्मत

२६४. श्री **पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) किशनगढ़ तहसील में सिंचाई के तालाब सिंचाई विभाग के अधीन कौन कौन से गांव में कितने कितने हैं ?

(ख) इन तालाबों में से कौन कौन से गांवों के तालाब मरम्मत तलब हैं और क्या इनके मरम्मत के लिये एस्टीमेट बनवाये गये हैं ? यदि हां, तो किस किस गांव के कौन कौन से तालाब के बनवाये हैं और ये कब तक दुरुस्त करा दिये जावेंगे ?

**उप–मंत्री, सिंचाई** (श्री दौलतराम सारण) : (क) सूची संलग्न है।

(ख) निम्नलिखित गांवों के तालाब मरम्मत तलब हैं :—

| नाम तालाब | नाम गांव |
|---|---|
| (१) जलयपन | किशनगढ़ |
| (२) खैरावाला | खैरा |
| (३) गोवर्धन सागर | बरणा |
| (४) लाम्बा | खर गांव |
| (५) मदनसागर | डिडवाड़ा |
| (६) जुबली सागर | मुडोती |
| (७) जय सागर | डिडवाडा |

उपरोक्त तालाबों में से जलयमन, खैरा-वाला व जयसागर के तखमीने स्वीकृत कर दिये गये हैं, बाकी के तालाबों के मरम्मत के तखमीने बनाये जा रहे हैं। आशा है, काम सन् १९६१–६२ में पूरा कर दिया जायेगा।

( कृपया परिशिष्ट ७ देखिये )

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : इन कामों में बहुत सुस्ती की जाती है और तालाब बहुत समय तक दुरुस्त नहीं होते हैं, इससे कृषि की पैदावार कम होती है, इसलिये इनकी मरम्मत जल्दी कर दी जानी चाहिये। मुझे तो यही कहना है।

## सर्व साधारण को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना

२६६. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) [ श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) द्वारा पूछा गया ] : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) जयपुर शहर में इस समय कुल कितनी सरकारी डिस्पेन्सरीज़ हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। क्या जयपुर शहर की आबादी को देखते हुए ये पर्याप्त हैं ?

(ख) डिस्पेन्सरी खोलने के सम्बन्ध में क्या कोई नियम निर्धारित हैं ? यदि हां,

# Page No.20



( डॉ० चन्द्रकला )

तो कृपया प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(ग) क्या यह सच है कि जयपुर शहर के कई बड़ी आबादी वाले क्षेत्र ऐसे हैं जहां चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है ?

(घ) क्या सरकार की ओर से डिस्पेन्सरी खोलने की ऐसी योजना बनाई जायगी जिससे सर्व साधारण को चिकित्सा की सुविधा प्राप्त हो सके।

**स्वास्थ्य मंत्री** (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जयपुर शहर में इस समय सात निम्नलिखित डिस्पेन्सरियां हैं। आबादी को देखते हुए ये पर्याप्त नहीं हैं :

१. मैयो डिस्पेन्सरी

२. मोती कटला डिस्पेन्सरी

३. सिरह ड्योढ़ी डिस्पेन्सरी

४. पुरानी बस्ती डिस्पेन्सरी

५. सरदार पटेल डिस्पेन्सरी

६. गांधीनगर डिस्पेन्सरी

७. आदर्श नगर डिस्पेन्सरी

८. तीन शिशु कल्याण केन्द्र भी चलाये जा रहे हैं।

(ख) अर्बन एरिया में डिस्पेन्सरी खोलने के लिये कोई स्थाई नियम ( हार्ड और फास्ट रूल्स ) नहीं बने हुए हैं। रूरल एरिया में सामान्यतः उन स्थानों में डिस्पेन्सरियां खोली जाती हैं, जहां की आबादी ३००० या उससे अधिक होती है तथा ५ मील के आयताकार में चिकित्सा सम्बन्धी राजकीय सुविधा प्राप्त नहीं होती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : क्या डिस्पेन्सरी खोलने के लिये कोई निश्चित नीति है ? कितनी आबादी पर या कितने हैड्स पर खोली जाती है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : प्राइमरी हैल्थ सेन्टर हर एक केन्द्र में होने चाहिये, जहां की ३,००० की आबादी हो तथा ५ मील के आयाताकार में चिकित्सा सम्बन्धी राजकीय सुविधा प्राप्त नहीं हो।

**डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : केन्द्रीय नीति के अनुसार जहां पर डाक्टरों की कमी हो वहां आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने चाहिये क्या ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : यह अलग सवाल है।

**श्री शंकरलाल** ( रायपुर ) : गांवों के लिये तो यह बताया, लेकिन शहरों के लिये क्या नीति है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : शहरों में औषधालय हैं, कमी होगी तो और खोल दी जायेंगी।

**श्री हरिप्रसाद यादव** (वल्लभनगर-मु०) : गांवों में हैल्थ सेन्टर खुले हैं, वहां लेडी डॉक्टर नहीं हैं, कम्पाउन्डर्स नहीं हैं। क्या वहां पर इन्हें जल्दी भेजने की व्यवस्था की जायगी ? कानोड में नहीं है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : जरूर की जायगी।

## ग्राम पंचायत रिंगस के भूतपूर्व सरपंच तथा उप-सरपंच के विरुद्ध हुई शिकायतों पर कार्यवाही

२६६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम रिंगस, जिला सीकर के श्री घनश्याम उपाध्याय ने ग्राम पंचायत रींगस के भूतपूर्व सरपंच तथा उप—सरपंच के विरुद्ध अनियमित कार्यवाहियां करने, गबन अथवा धन के दुरूपयोग आदि की शिकायत मार्च सन् १६६० में लिखित रूप से संचालक, पंचायत विभाग को पेश की थी ?

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों पर विभाग द्वारा कब कब क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**पंचायत मन्त्री** (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) इनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को इनके द्वारा स्वीकार न करने के कारण दिनांक २६—५—६० को कलेक्टर, सीकर को इस मामले की विस्तृत जांच कराने हेतु लिखा गया, परन्तु अब तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अब दिनांक ६—१—६१ को पुनः लिखा गया है कि वे जांच रिपोर्ट शीघ्र भेज दें।

(ग) कलेक्टर से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि कलेक्टर ने जांच की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की है ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई है। जो बताया उससे ज्यादा जानकारी नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : सरकार के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, खास कर मन्त्रियों के सामने। उस रिपोर्ट को परसू करने के लिये सरकार के सेक्रेटेरियट में क्या व्यवस्था है ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : रिमाइन्डर करते हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या सरकार ठीक समझती है कि जिनकी तरफ से रिपोर्ट दी गई थी उसकी जांच नहीं की गई, कलेक्टर ने किसी प्रकार की कार्यवाही की शुरुआत नहीं की है ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : दो कारण होते हैं। एक तो कलेक्टर के पास काम ज्यादा रहता है, इसलिये देर हो जाती है। दूसरे, यह

# Page No.22



( श्री हरिभाऊ उपाध्याय )

मालूम होता है कि पंचायत के चुनाव बीच में आ गये थे इसलिये भी देरी हुई।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर ) : सरकार के पास जब परिस्थिति ऐसी हो कि कलेक्टर के पास ज्यादा काम है और वह इन्क्वायरी नहीं कर सकता तो क्या सरकार दूसरी मशीनरी कायम नहीं कर सकती जिससे कि पब्लिक की शिकायतों के बारे में तुरन्त कार्यवाही की जा सके ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : नीचे के, एस. डी. ओ वगैरह को अधिकार दिया है।

**श्री भैरोंसिंह** : एस. डी. ओ. वगैरह को अधिकार दिये हैं तो इसमें देरी क्यों हुई ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : देरी शायद चुनाव की वजह से हुई।

**श्री भैरोंसिंह** : 'शायद' का सवाल नहीं है। पब्लिक कम्पलेन्ट करती है कि एम्बेज़लमेंट हो रहा है। अनियमितताएं हो रही हैं, फिर भी मन्त्री महोदय जांच नहीं करा सकें तो इसके लिये रेस्पोन्सिबिलिटी किसकी है ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : एस. डी. ओ. को अधिकार दिये हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री दयाकृष्ण विजय।

( अनुपस्थित )

## उदयपुर डिविज़न में दिये गये मछलियों के ठेके

३०१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) उदयपुर डिविज़न में किस किस जगह का किस किस व्यक्ति को कब से कितने कितने में मछलियों का ठेका दिया हुआ है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या वे ठेके ओपन बिड से दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों और फिर किस प्रकार से दिये गये ?

(ग) इन ठेकों से पहले के दो ठेकों की प्रत्येक की कितनी कितनी रकम थी ? कृपया उसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। ये पहले के ठेके किन किन के नाम पर थे ?

**पशु-पालन मंत्री** (श्री नाथूराम मिर्धा): उदयपुर डिविजन में ३० जून, सन् १६६१ तक के लिए आम नीलाम द्वारा २६ जलाशयों का ४२,५८२) रु. में ठेका दिया गया है। तालिका संलग्न है।

(ख) जी हां, केवल जयसमन्द लेक को छोड़ कर क्योंकि इसका ठेका सन् १६५३ से लेकर १६६३ तक के लिये सालाना ३,०००) रु० से दिया गया है। शेष जलाशय राजस्थान में खुली बोली द्वारा नीलाम किये जाते हैं तथा अधिक से अधिक बोली वाले व्यक्ति को नियमानुसार लाइसेन्स

( श्री नाथूराम मिर्धा )

दिया जाता है :

(ग) सन् १६५८—५६ व सन् १६५६-६० के ठेकों की सूची साथ में संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि जयसमंद का ठेका दिया गया है ५३ से ६३ तक का, दो बार में दिया गया है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जी हां।

**श्री भैरोंसिंह** : दूसरी बार कब दिया था ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : दूसरी बार इसलिए दिया था कि पहले जो ठेका ग्रान्ट हुआ था उसमें यह ऑप्शन था कि पहले ५ साल की अवधि समाप्त होते ही ६ महीनों के भीतर २ दुबारा लिखित ऑप्शन देने का उस ठेकेदार को अधिकार होगा और उसने ऑप्शन दिया, इसलिए उसको दुबारा और ५ साल के लिए ठेका दिया गया।

**श्री भैरोंसिंह** : रिन्युअल का ऑप्शन देने का अधिकार कैसे दिया गया ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : एग्रीमेंट में लिखी हुई शर्तों के अनुसार यह अधिकार दिया गया।

**श्री भैरोंसिंह** : एग्रीमेंट में उसको ऑप्शन देने पर प्रायोरिटी देने का सवाल था क्या ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : प्रायोरिटी का ही सवाल नहीं था। ५३ में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें शर्त थी कि यदि दुबारा ५ साल के लिए लेना चाहेगा और ६ महीने में ऑप्शन देगा तो उसको दुबारा दिया जायगा।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि सन् ५३ में और ५८ में कॉन्ट्रेक्ट इसलिये रिन्यू किया गया कि जयसमन्द पर सरकार का अधिकार न होकर हिज़ हाइनेस, उदयपुर का अधिकार है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह अलग प्रश्न है। इसके बारे में मैं सदन में कह चुका हूँ। अगर जयसमन्द के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो अलग से प्रश्न पूछें।

**श्री भैरोंसिंह** : मैंने अलग से पूछा है कि ओपन बिड से क्यों नहीं दिया, इसके आप कारण बतायें ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं इसके बारे में आगे कई दफा इस सदन में जिक्र कर चुका हूँ। आप पहले पूछ चुके हैं, उसके बारे में बार बार पूछेंगे तब भी वही जवाब मिलेगा।

**श्री भैरोंसिंह** : मैंने कभी नहीं पूछा है और न उत्तर सुना है। किसी दूसरे माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कहा होगा।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैंने पहले कहा है....

**श्री अर्जुनदास** (अजमेर—पश्चिम) : हम दुबारा सुनना चाहते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : उसका ऑप्शन था, वह उसने एक्सरसाइज़ कर लिया।

**श्री भैरोंसिंह** : ऑप्शन क्यों था? कान्ट्रैक्टर को ऑप्शन कभी नहीं दिया जाता कि वे कहें कि रिन्युअल दिया जाय। तो राजस्थान में यह पहली किस्म का ठेका है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह मेरा दिया हुआ नहीं है, कॉन्ट्रेक्ट १९५३ का था। उसके एग्रीमेंट में यह बात लिखी हुई थी दुबारा पांच साल में इस ठेके को इन शर्तों पर लेना, चाहे पांच साल खत्म होने के पहले छः महीने के अन्दर वह ऑप्शन एक्ससाइज़ करना चाहे, तो इन्हीं शर्तों पर ठेका लेने का अधिकार है। अब वह इन्ही शर्तों पर ठेका लेने को तैयार है तो बाध्य होकर सरकार को देना पड़ा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरोंसिंह।

### नायला हाउस के पीछे के प्लॉट का आवंटन

३०३. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि नायला हाउस के पीछे का प्लॉट गंगवाल पार्क के नाम पर अलॉट किया हुआ है? यदि हां, तो कब किसके द्वारा अलॉट किया गया है तथा यह कितने स्क्वायर गज है?

(ख) यह भूमि किनको, किसके आवेदन-पत्र पर क्यों और किस प्रकार से अलॉट की गई है?

(ग) क्या यह सही है कि इस प्लॉट में मकान बनाने के लिये लोन दिया गया है? यदि हां, तो किसको कब कितना और किस प्रकार से?

(घ) क्या यह सही है कि लोन दिये जाने से पूर्व आवश्यक नियमों की पूर्ति नहीं करवाई गई? यदि हां, तो क्यों?

**स्वायत शासन मन्त्री** (श्री सम्पतराम): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां, निम्नलिखित दो व्यक्तियों को ऋण दिया गया है:—

१. डॉ० बी० एस० मित्तल रु० ६,०००) ता० २–६–५६ को।

२. लेडी डॉ० ब्रह्म कौशिक रु० ८,०००) ता० २०–५–५६ को।

(घ) जी नहीं।

**श्री भैरोंसिंह** : ये प्लॉट किस ऑथोरिटी ने अलॉट किये थे, जिन पर आपने लोन दिया है, वे प्लॉट किस ऑथोरिटी ने अलॉट किये थे?

**श्री सम्पतराम** : इसका जवाब दे चुका हूँ।

**श्री भैरोंसिंह** : मैंने सुना नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : अलॉट किन्हीं ने नहीं किये, ये उन्हीं के प्लॉट हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : उनके नहीं हैं....

# Page No.25



**श्री सम्पतराम** : आपने 'क' भाग में पूछा है कि नायला हाउस के पीछे का प्लॉट गंगवाल पार्क के नाम से अलॉट किया हुआ है ? मैंने कहा, 'जी नहीं'।

**श्री भैरोंसिंह** : ये प्लॉट किनके हैं, जिन्हें अलॉट किये हैं ?

**श्री सम्पतराम** : ये हमारे प्लॉट नहीं हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या सरकार ने जांच की थी कि ये प्लॉट इनके हैं या नहीं ?

**श्री सम्पतराम** : 'किसके प्लॉट' होने का मतलब यह नहीं है कि गवर्नमेंट अलॉट करे, यू० आई० बी० अलॉट करे या म्युनिसिपैलिटी अलॉट करे। प्लॉट प्राइवेट भी हो सकते हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : मेरा सवाल यह है कि जिन प्लॉट्स पर लोन दिया हाउस कन्स्ट्रक्शन के बारे में, ये यू० आई० बी० या आपके द्वारा अलॉट नहीं किये गये हैं ?

**श्री सम्पतराम** : इसका जवाब मैं अपने तरीके से दे चुका हूँ।

**श्री भैरोंसिंह** : अपने तरीके से क्या ? जिन्हें लोन दिया गया, वे प्लॉट उनके थे या नहीं ? यह साधारण सा प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न स्पष्ट है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के प्लॉट्स थे जो इन दो व्यक्तियों को अलॉट किये गये हैं।

**श्री सम्पतराम** : मैं इस प्रश्न के 'क' भाग में उत्तर दे चुका हूँ, माननीय सदस्य उसे पढ़ते नहीं। प्रश्न है, क्या यह सही है कि नायला हाउस के पीछे का प्लॉट गंगवाल पार्क के नाम से अलॉट किया हुआ है ? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा अलॉट किया गया है तथा यह कितने स्क्वयार गज है ? मैंने उत्तर में कहा, 'जी नहीं'।

**श्री भैरोंसिंह** : मेरा दूसरा प्रश्न है, आप पढ़ लीजिये। पहला मैंने नहीं पढ़ा, आप दूसरा पढ़ लीजिये। प्रश्न है, यह भूमि किनको किसके आवेदन-पत्र पर क्यों और किस प्रकार से अलॉट की गई ? मैंने....

**श्री सम्पतराम** : इसका उत्तर दे दिया कि प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री भैरोंसिंह** : प्रश्न पैदा होता है क्योंकि दो आदमियों को हाउस कन्स्ट्रक्शन के लिए लोन दिया। इसलिए प्रश्न पैदा होता है।

**श्री सम्पतराम** : यह जरूरी नहीं कि यू० आई० बी० या म्युनिसिपैलिटी के द्वारा दिये गये प्लॉट पर ही लोन दिया जाय।

**श्री भैरोंसिंह** : वह ठीक है, लेकिन क्या यह जांच की गई कि जब लोन दिया गया तो यह उनकी जमीन थी या नहीं ?

**श्री सम्पतराम** : उनकी जमीन प्राइवेट थी, यह पता नहीं। लेकिन म्युनिसिपैलिटी या यू० आई० बी० ने प्लॉट अलॉट नहीं किये।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है म्युनिसिपैलिटी ने दो व्यक्तियों को प्लॉट कि अलॉट न

( श्री भैरोंसिंह )

करके एक संस्था को अलॉट किये थे और उसमें दो व्यक्तियों ने मकान बनाये हैं ?

**श्री सम्पतराम** : यह जानकारी नहीं है। अलग से प्रश्न पूछे तो जबाब दे सकता हूँ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

**श्री रामकिशन** (नोहर) : प्रश्न संख्या ४०।

**श्री अध्यक्ष** : ३११ है पहले।

### जनता कोऑपरेटिव चिमनी भट्टा रामगढ़ व जसाना

३११. **श्री रामकिशन** (नोहर) : क्या मंत्री, सहकारिता विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील नोहर की जनता कोऑपरेटिव चिमनी भट्टा, रामगढ़ व जनता कोऑपरेटिव भट्टा, जसाना को पिछले वर्ष व इस वर्ष कितना कितना कोयला परमिट से दिया गया और कितना कर्जा सरकार की ओर से दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

**मन्त्री सहकारिता** (श्री नाथूराम मिर्धा): जनता कोऑपरेटिव चिमनी भट्टा, रामगढ़-पिछले साल १३ गाड़ी का, इस साल २ गाड़ी का, लोन कुछ नहीं। जनता कोऑपरेटिव भट्टा, जसाना--पिछली साल ४ गाड़ी, इस साल कोई नहीं, लोन कोई नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

### २४-२-६१ का स्थगित प्रश्न

### पंचायत मोटेर, तहसील नोहर द्वारा विभाग में बजट पेश नहीं किया जाना

४०. **श्री रामकिशन** (नोहर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या तहसील नोहर की पंचायत मोटेर ने सन् ५५ से लेकर अब तक कोई बजट विभाग में पेश किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**पंचायत मन्त्री** ( श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : जी नहीं।

पंचायतों के ऐसे बजट जो २०००) रु० तक के होते थे उनको तहसील पंचायतों द्वारा स्वीकृत किया जाता था। बाद में तहसील पंचायतों को २०००) रु० के बजाय ३०००) रु० तक के ग्राम पंचायतों के बजट स्वीकार करने के अधिकार हो गये। विभाग में उक्त राशि से अधिक राशि के बजट स्वीकृति हेतु आते थे।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

**Page No.27**



( ११. ५८ म० पू० )

**माध्यमिक शिक्षा के गणित का पर्चा आउट होने सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य**

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** ( मुख्य मन्त्री ) : अध्यक्ष महोदय, कल एक स्थगन प्रस्ताव आया था, उसके बारे में मैं एक वक्तव्य सदन के समक्ष रखता हूं....

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़): आज और आ गया बताया।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : उसका मुझे पता नहीं।

It came to the notice of the authorities of the Board of Secondary Education on the morning of 13th March, 1961 that the High School Examination question paper on Elementary Mathematics had leaked out. The Board authorities also found reason to believe that one more paper of Compulsory English of the High School examination scheduled to be held on the morning of the 16th March had also leaked out. Therefore, in the interest of purity of examination, the Board cancelled the examination in Elementary Mathematics held on the 13th morning and informed all the examination centres not to distribute the English compulsory paper also on the 16th morning.

2. The Board has arranged for holding the examination in these 2 papers at the end of the normal examination programme i. e. of Elementary Mathematics on 31st March and of Compulsory English on 1st April so that candidates might be able to appear in these papers without being subjected to inconvenience by having to come for second time.

3. The source of leakage is under investigation of the Board in collaboration with the senior Police Officers.

**श्री भैरोंसिंह** ( श्रीमाधोपुर ) : Whether some arrests have been made ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैंने आपसे निवेदन किया कि the source of leakage is under investigation of the Board in collaboration with the Senior Police Officers and it is still under investigation.

**श्री अध्यक्ष** : बजट पर सामान्य वाद-विवाद।

**श्री रामकिशोर व्यास** ( गृह मन्त्री ): अध्यक्ष महोदय....

( १२. ०० )

**प्राकलन समिति के दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन**

**श्री भोलानाथ** : ( सभापति, प्राकलन समिति ) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राकलन

( श्री भोलानाथ )

समिति के दो प्रतिवेदन, जो कृषि एवं राजस्व विभागों से सम्बन्धित हैं, १६६०–६१ के सत्तरहवें तथा अट्टारहवें प्रतिवेदनों को उपस्थापित करता हूं ।

## राजस्थान भिक्षा–वृत्ति निवारण विधेयक, १६५८

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपास्थापन)

**श्री रामकिशोर व्यास** ( गृह मंत्री ) : माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान भिक्षा वृत्ति निवारण विधेयक, १६५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

( १२. ०१ म० प० )

## आय–व्ययक, १६६१–६२ पर अग्रेतर सामान्य वाद–विवाद

**श्री अध्यक्ष** : बजट पर सामान्य वाद-विवाद ।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बजट पर बहस का आखिरी दिन है । और भी कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं, इसलिये समय निर्धारित कर दिया जायगा तो ठीक रहेगा । इसलिये मेरा सुझाव है कि १०–१५ मिनट तक ही माननीय सदस्य अपने भाषण सीमित रखेंगे तो ठीक रहेगा ।

**श्री अर्जनदास** ( अजमेर–पश्चिम ) : Narurally we must speak.

**एक माननीय सदस्य** : आधा घंटा रखें ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री श्रीभानसिंह ।

**श्री श्रीभानसिंह** ( बयाना ) : ( पूर्व क्रम से ) Mr. Speaker, Sir, I was saying yesterday that the present Budget presented by the Hon'ble Fiance Minister is a bold and courageous attempt in order to give the Third Five Year Plan a good start. But some Hon'ble members and especially the Hon'ble Leader of the Jan Sangh has criticised this budget as a budget of a Bankrupt State because it relies mainly on the floating loans of about four hundred lacs. He has further criticised the Budget as a budget which does not give any relief to the poor man, because it imposes taxation to the tune of about 135 lacs. I must say that sentimentally this criticism can be justified, but if we see this budget in the context of the development and the planning of the State, I beg to differ and tell him point blank that atleast people of this State and the Finance Minister and this party does not share his views of economic stagnation which may be politically beneficial to his own party. This Budget must be seen in the context of the Planning. Rajasthan State has completed very successfully the two Five Year Plans and the First plan of this State was merely a consolidating and a rehabilitating plan. Planning in Rajasthan

# Page No.29



( श्री श्रीमानसिंह )

actually began with the Second Plan and, therefore, the Third Plan has to take a very bold step forward in the economic and social development of the State. But I again refer to the Hon'ble Leader of the Jan Sangh that he criticised the Planning. After all in the decade of planning all the hopes cannot be fulfilled. If we take the economic history of other nations, probably Britain took 100 years to develop its economy and the standard of its people to the present stage and about 75 years were taken by U. S. A. and similarly the economic standard achieved by the U. S. S. R. through totalatarian method which cannot be imposed in this country. Thus, all the States in planning or in achieving higher standard of living had taken about 75 to 100 years. Thus, in a decade of planning if we accept a millionaire to come in Rajasthan, it is a very wrong exception.

However, as I said, the third Plan has to take a very bold step and a very big step forward, and in order to take that big step forward the State needs resources-resources either through taxation, or borrowings or through enhancement of 'non-tax' revenue. But when the State levies taxes the Hon'ble member of the Jan Sangha criticises the taxation policy. He wants the production of the State to increase, he wants the employment to increase, but he does not want the resources of the State to increase.

We cannot achieve a higher standard of living without taxation, without borrowing and without increasing the non-tax revenue. This budget has levied certain taxes-both direct and indirect. Taxation has been levied to the tune of 135 lakhs and I see no objection-and no Hon'ble member can see any objection-to the enhancement of motor car taxes. Those people who can afford to have cars worth Rs. 10,000 can certainly afford to pay the new additional levy of 2.50 per seat. Similarly, there is entertainment tax which might hit the Hon'ble member sitting on my right very hard but certainly entertainment is a luxury, and if he wants to have that luxury he will have to pay the requisite tax.

Then there is the increase in the rates of sales tax. Sales tax is an indirect tax and it will burden the people who purchase those commodities. But there is a significant point in the sales tax, and that is the exemption from sabs tax to those articles which are consumed by the poor people. When we look to the increase in the rates of sales tax, we should not forget these exemptions. Thus I can say with confidence that this taxation does not hit the poor people and our Finance Minister does deserve praise because on the one hand he has observed the policies of tax structure and on the other hand he has not burdened the poor people. The tax on motor vehicles, the entertainment tax and

# Page No.30



( श्री श्रीमानसिंह )

sales tax-all these things burden those people whose shoulders are strong. So, if the Finance Minister had not levied these taxes the State could not make progress.

The per-capita income in this State is very low and in order to reach the All-India level our investment potential has to be doubled or trebled otherwise the per capita income cannot increase. And if we want to reach the All-India level of per-capita income we have got to have more taxation. We are to have a policy of taxation with two aims. On the one hand it should generate savings and on the other hand it should plough back those savings as investments in the economy. These are the two aims for which the taxation policy of the State must be evolved. It is only then that we can increae the per-capita income.

By the imposition of sales tax, our taxation policy restricts the consumption at present, calls for sacrifice at present, in order to have a better standard of living in the future. We know that by increasing sales tax, the consumption has been restricted and it will be reflected in increased savings in the state, and through taxation these savings would be ploughed back to public exchequer and invested the public economy so that our per capita income in the third Five Year Plan will reach the All-India level. I am, however, still not satisfied with the level of investment and I am doubtful whether this investment will bring us to All-India level of per capita income. I am one of those who would like to have the Plan to the tune of Rs. 400 Crores so that we can achieve the All-India level of per-capita income.

One Hon'ble member said that our people are overburdened with taxes as compared to other countries. If we take the other countries they have 20 to 30 percent, of the per capita incame as taxes. In Japan it is 25 per cent. of national income and in China it is 12 percent. There is in owr country only 7 per cent. of the national income is taken as taxes and invested in the economy.

On the one hand we have the problem of increasing population which is increasing annually at about 2 per cent and on the other hand our investment is shorter. If we want to maintain the same standard of living with the present increase in population we have to invest about 12 percent of the national income in the economy annually. Then the country can live from hand to mouth, i. e. the present standard of living, and if we want to increase that standard of living we will hweto invest more. So it cannot be said that we are heavily taxed or comparatively more burdened than other countries.

( श्री श्रीमानसिंह )

The Plan is a very bold and courageous attempt. It frankly tells the people that without present sacrifices there cannot be a better future. I was surprised that some Hon'ble members accused this budget as 'electioneering budge'. It is certainly not an electioneering budget. The Finance Minister has frankly told the people of the State that if they want to have a better future, then sacrifices are necessery in the present. Therefore, increased resources and increased taxation is the nacessity of the times. It must be put up with.

It must be put up with, otherwise there could have been no taxation this year. If we wanted to politically exploit or what should I say play political fraud on the people of the State, the Finance Minister would not have levied any taxation, but he has come out boldly with 135 lacs taxation policy with this minimum start, and, in future, there may be more taxation, and, therefore, it is not an electioneering budget, but, on the contrary, it is a frank admission of the facts which face the State's economy, and, therefore, it is, as I said, a bold and courageous budget. It is not an electioneering budget. Similarly, on the one hand while he has shown to the people that the need of the hour is more investment and more contribution to the State Exchequer, he has not hesitated in cutting down the administrative expenses. When the general criticism is that the people are willing to contribute, but you reduce your administrative expenses, he has also taken measures of administrative economy.

The only sorry feature, regrettable feature is that mostly Class IV servants have been reduced, and with this view, if we look at the Budget, I can say that the higher responsibility is of the officers who are responsible for sending the proposals of their departments. They have saved themselves, and the economy cut falls on the necks of the poor people, who, unfortunately, with the already existing un-employment in the State, if those Class IV servants are retrenched, will again join the ranks of un-employed. To provide them employment, therefore, somehow or other I feel that these Class IV servants must be provided jobs, and, if he has to strive for the economy, I don't know what was the reason that in the Secretariat the Secretaries, Deputy Secretaries and Assistant Secretaries get the Special Allowance? They work from 11 to 5 which all the other officers in the department anywhere in every corner of Rajasthan do. They also work from 11 to 5. The unfortnate feature in the Secretariat is that they don't work from 11 to 5 but from 1 to 4 and at 4 they are seen in the clubs. Therefore, there is no justification for paying this Secretariat allowance. Similarly, the

Page No.32



( श्री श्रीमानसिंह )

Heads of Departments, they also work for the same hours as their subordinates work from 11 to 5. Class IV servants present themselves from 10 to 5. The Heads of Departments are also getting allowance of 250/—or 150/—If we want the real economy this allowance should be stopped. From this the retrenched Class IV servants are very easily provided jobs and there can be no un-employment. There should be no grievance to higher officers who are already drawing heavy salaries.

Sir, there is also an attempt to give the budget a welfare colour by making provision for mid-day meals and widows pension. However, it is a good attempt and an attempt in the right direction, but I share the views of those Hon'ble members who criticised this step, because it is good to provide mid-day meals, but it is bound to introduce certain complexes in the students through these provisions. If we continue this distinction of rich and poor, certainly it will generate in those who do not take meals in the schools a superiority complex and those who take meals in the schools an inferiority complex that they belong to the poor people, their parents are poor and they cannot provide meals and they take it in the schools. If provision of the compulsion mid-day meals is made, make it for all those who go to the School, otherwise we cannot bring the equality amongst the school boys. While you preach this distinction, this complex at the primary education, in higher education or in University education no amount of socialism, no amount of our preaching equality or anything will remove this complex. Therefore, compulsory mid-day meals should be made compulsory for the rich and poor alike.

I welcome the poor widows, pension provision but I do hope that in the course of time this provision will stop and they will be provided more work.

( समय-समाप्ति-सूचक घण्टी )

Just finishing it, Sir.

I once again say that on the whole if we look to the Budget, it is really a good budget, and the Finance Minister deserves our praise. If there are a few lapses in it, there are frank admission because infallibility is denied to mortals.

**श्री महेन्द्रसिंह पंवार** (अजमेर-पूर्व) : श्रीमान्, इससे पहले कि मैं बजट के कुछ खास मुद्दों की चर्चा करूं, समय की कमी होने के कारण बहुत थोड़ा थोड़ा ही विषयों पर कहूँगा। एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि बजट का सबसे बड़ा गुण होता है, उसके आंकड़ों की सच्चाई का नज़दीक से नज़दीक होना, हमारे अंदाज

# Page No.33



(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

में कभी कमी न हो। अगर हमारे इस अन्दाज में बहुत बड़ी कमी रह जाती है तो बजट का कुछ मूल्य नहीं रह जाता है और उन आंकड़ों को लेकर अपनी नीति को, कौलों को बदलना गलत कार्यवाही सिद्ध होती है। मैंने प्रस्तुत वर्ष के बजट के आंकड़े देखे हैं वे दोहराये हुए आंकड़े भी हैं। वैसे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन कुछ मुद्दों में इतना बड़ा फर्क पाते हैं कि मानो हमने यह अन्दाज बिना सोचे-समझे लगाया हो।

इस सम्बन्ध में एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। लेकिन एक-दो आंकड़ों को छोड़ कर एक्सप्लेनेशन तसल्ली बख्श नहीं दिया गया है। मैं इन आंकड़ों को बताना चाहता हूँ। मैं रेवेन्यु के आंकड़ों को नहीं लेता, लेकिन कुछ खर्च के आंकड़ों में जो योजनाबद्ध खर्चा होता है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

एक्साइज़ ड्यूटी पर हम खर्च करते हैं। उसमें १६.६ पर्सेन्ट का फर्क आया है और वहां और भी इससे ज्यादा बढ़ा है।

इसके अलावा सुपरन्युएशन एलाउन्सेज़ एन्ड पेन्शन्स हैं, जिसका अन्दाजा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। अगर आपका एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ठीक तरह से काम करता है तो यह अन्दाजा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। तो इसमें बहुत कम फर्क आना चाहिये, लेकिन यहां ३५.६ पर्सेन्ट का फर्क आया है।

इसी प्रकार कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट में योजनाबद्ध खर्चा करते हैं उसमें रिवाइज्ड बजट एस्टीमेट में ३९ प्रतिशत का फर्क है।

कुछ आंकड़ों में ऐसे एक-दो हैं जिनमें एक्सट्राऑर्डिनरी फर्क है जिसमें Capital outlay on rural water supply schemes outside revenue account: 26%. Capital Account on other schemes outside the revenue account में २१२.६ पर्सेन्ट का फर्क आता है। क्या बजट बनाते वक्त आंकड़ों का अन्दाजा नहीं होता है? २१२.६ का फर्क होता है, दुगुने से ज्यादा का फर्क है।

लोन्स के आंकड़ों में भी बहुत फर्क है। लोकल एन्ड प्राइवेट पार्टीज़ में २३.३ का है और Famine Relief में बिल्कुल अन्दाजा नहीं लगा सके, ५.१० पर्सेन्ट का है। इस तरह से आंकड़ों में फर्क है। मैं समझता हूँ कि बजट बनाने की विधि में सुधार करना चाहिये। अन्दाज में इस तरह का इतना बड़ा फर्क है, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है।

श्रीमन्, इस बात को लेकर बहुत टिप्पणी की गई कि बजट घाटे का बजट है। यह १० वर्षों से घाटे का बजट चला आ रहा है।

मैं समझता हूं कि इसमें कुछ स्वाभाविक बातें हैं। कायदा तो यह है कि बेलेन्स्ड बजट होना चाहिये और कम से कम उस बजट से इंगित यह तो मिलना ही चाहिये कि तरक्की के लिए घाटे का बजट बनाते हैं और आगे जाकर किस प्रकार से उस बजट को बचत का बजट बनाया जा सकता है। इंगित

( श्री महेन्द्रसिंह पंवार )

जरूर होना चाहिये, श्रीमान् । सप्लीमेंटरी मेमोरेन्डम इसके साथ दिया नहीं गया है । हो सकता है कि आगे जाकर सप्लीमेन्टरी मेमोरेन्डम में वे चीजें आवेंगी । वैसे तो चाहिये तो यह था कि वे भी बजट के साथ ही आनी चाहिये थीं । बजट की नीति में वह सन्निहित है । घाटे का बजट होना कोई बड़ी बात नहीं है । मैं तो इस सिलसिले में यह कहूंगा, श्रीमान्, यदि विशेष रूप से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट के कार्य करने हैं, त्वरित तरक्की करनी है तो उसके लिए घाटे का बजट बनाना चाहिये। क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है, श्रीमन्, कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरक्की के कामों के लिए वह बजट पब्लिक बॉरोइंग्स के आधार पर करना चाहिये, टैक्सेज़ के आधार पर नहीं । उसके कारण मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं और वे ये हैं कि हमारी सरकार के सामने दो कार्य–क्रम हैं । एक तो नोर्मल गवर्नमेंटल एक्टीविटीज़ हैं । विशेष तरक्की की योजनायें चलती हैं और उनके पूरी हो जाने के बाद भी नोर्मल गवर्नमेंटल एक्टीविटीज़ चलेंगी । इसलिए विशेष तरक्की को जो योजनायें हैं वे हमारी नोर्मल गवर्नमेंटल एक्टीविटीज़ में नहीं आनी चाहिये। वह तो एक प्रकार से केपिटल एक्सपेन्डीचर है । विशेष तरक्की के काम इस प्रकार से चलेंगे कि उनकी जो बढ़ी हुई आमदनी होगी उनसे पब्लिक डेट का घाटा पूरा हो जायगा, चाहे आप उसको दो वर्ष में कर दें, दस वर्ष में या ७० वर्ष में । तो इस प्रकार से उन विशेष कार्यों के लिए आमदनी प्राप्त करने के लिए सरकार ने उसका जो स्थायी कर का ढांचा है उसको बदल डाला है । यदि सरकार अपने परमानेन्ट टैक्स स्ट्रक्चर को बदल देती है, अपने टैक्स स्ट्रक्चर को ऐसा बना देती है कि जो नोर्मल गवर्नमेंटल एक्टीविटीज़ हैं वे ही विशेष योजनाओं के लिये हो जाती हैं और जो नोर्मल गवर्नमेंटल एक्टीविटीज़ में गिनी जाती हैं, इसलिए नोर्मल गवर्नमेंटल एक्टीविटीज़ में पैसे मत बढ़ाइये और जो आवश्यक योजनायें हैं उनको करिये । डिप्लीट कीजिये, नहीं तो एक बड़े अजीब कॉम्प्लीकेशन्स होंगे और उनको पैदा करने से एक अनसर्टेन्टी हो जाती है, कॉम्प्लीकेसीज़ हो जाती हैं । यह नहीं मालूम हो सकता है कि क्या असर पड़ता है काम्युनिटी डेवलपमेंट पर ? उनका इन्डस्ट्रीज़ पर क्या असर पड़ेगा ? नोर्मल गवर्नमेंटल टैक्स को बिना छेड़े ही तरक्की के काम होने चाहिये और ऐसे होने चाहिये कि तरक्की के कामों से बढ़ी हुई आमदनी होगी, उससे पब्लिक डेट खत्म हो जावेगा, नोर्मल टैक्स से नहीं होगा । इस बात की ताईद करते हुए पिछले साल जो अधिक टैक्सेज़ बढ़ाये हैं मैं उनको जस्टीफाई नहीं करता हूं । माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट के भाषण के दौरान में कहा कि कई जगह कमी की, उसके बावजूद भी डेफिसिट रहता है । प्लानिंग के जो विशेष कार्य करने हैं वे इससे कैसे किये जा सकते हैं और उसको कैसे जस्टिफाइड कहा जा सकता है । वे तो आपको पब्लिक बॉरोइंग्स से करने चाहिये । इसके साथ ही साथ नोर्मल गवर्नमेंटल एक्सपेन्डीचर में और कमी करने के लिए इकोनॉमी इन्ट्रोड्यूस करिये । प्लान एक्सपेन्डीचर से इसको नहीं तोलना चाहिये और न ही समझना चाहिये उसको, मैं ऐसा समझता हूं ।

टैक्सेज़ के आंकड़े बताये गये । गत वर्ष

( श्री महेन्द्रसिंह पंवार )

में ६५ लाख के नये टैक्सेज़ लगाये गये थे और बजट भाषण में वित्त मंत्रीजी ने बताया कि १०५ लाख के नये टैक्सेज लगाने जा रहे हैं। अभी इसके बावजूद मैंने एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम में पढ़ा जो आपने दिया था, नोर्मल नॉन प्लॉन गवर्नमेंटल एक्टीविटीज़ के अकाउन्ट में लैंड रेवेन्यु रिसोर्सेज़ ६६.५५ लाख सरप्लस आते हैं। जो रकम प्लॉन की तरफ युटिलाइज़ की गई और कमी पड़ी वह दूसरे तरीकों से एड (aid) वगैरह से मुहैया की गई और इस बजट में नोर्मल नोन प्लॉन गवर्नमेंट एक्टीविटीज़ में सरप्लस रहा वह ३६४ लाख रखा, यानि ६६.५५ लाख से घट कर ३६४ लाख पर आ गये, यद्यपि १०५ लाख के नये कर लगाये हैं। यह इस बात को इंगित करता है, श्रीमान्, कि नोन प्लॉन और नोन गवर्नमेंटल एक्सपेन्डीचर को इस कदर बढ़ा देते हैं कि १०५ लाख के टैक्सेज़ लगाने के बाद भी सरप्लस बनाना चाहिये था वह घट कर ३६४ लाख रह गया। इस प्रकार से नोन प्लान, नोन गवर्नमेंटल एक्सपेन्डीचर बढ़ता जाता है तो किसी भी प्रकार से एडीशनल टैक्सेज़ लगाने का मैं जस्टिफिकेशन नहीं मानता। सन् ५२ के अनुपात में, मैंने फीगर्स केल्कुलेट किये हैं, श्रीमान्, कि २॥ गुना अधिक टैक्स बढ़ा है। सन् ५२ के अनुपात में २॥ गुना अधिक टैक्स ले रहे हैं। पर्मानेन्ट टैक्स स्ट्रक्चर ही इतना बढ़ा दिया है तो फिर यह पर्याप्त होना चाहिये कि आगे टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य कहते हैं कि the people must bear the burden. लेकिन आप उनको किस तरीके से वर्डन करते हैं? नेशनल डेवलपमेंट में बोरोइंग्स में बर्डन बियर करना, वे सेविंग्स करते हैं, उसको नेशनल इकोनॉमी में देते हैं। उनका वालेन्टियर भी कॉन्ट्रीकयुशन होता है, श्रमदान कितना लेते हैं, तखमीना लगायें? आपको मालूम होगा कि कितना लेते हैं? यह आंकड़ों में नहीं आता है। फेमिन कन्डीशन्स में हम लेते हैं, उनको लोअर वेजेज़ देते हैं। वे काम करके कितना नेशनल रिसोर्सेज़ को कॉन्ट्रिब्यूट कर रहे हैं, वह बजट में नहीं आता है। बाहर कितना काम करते हैं वह भी नहीं आता है। इसलिए मैं टैक्स स्ट्रक्चर में हेरफेर की गुन्जाइश नहीं मानता और वह नहीं मानते हुए गवर्नमेंटल एक्सपेन्डीचर का जहां तक ताल्लुक है, वह मैंने बजट स्टडी में से लिया है कि करीब करीब सन् ५२ से दुगुना है। इसी प्रकार २॥ गुना टैक्सेज़ हैं और नोन डेवलपमेंटल एक्सपेन्डीचर भी करीब करीब दुगुना हो गया है।

श्रीमान्, इसी सिलसिले में फुलेरा से आये माननीय सदस्य ने जिस बात पर जोर दिया था और मैं उस बात पर बहुत जोर देता हूं। यदि नोन डेवलपमेंटल एक्सपेन्डीचर बढ़ जाता है जिसके लिए सरकार को दोष नहीं देता हूं। स्वाभाविक चीज़ है। उसको कोई समझ सकता है। शायद उसका इलाज नहीं कर सकते। दोष की कोई बात नहीं है। जीव-विज्ञान का यह एक सर्वप्रिय सिद्धान्त है कि प्रत्येक जन्तु में अपनी आत्म–भावना होती है। वह अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश करता है। छोटे से छोटा जन्तु भी अपनी आत्मा को बचाने के लिए, आपने देखा होगा कि डंक मारने की कोशिश करता है। यह एक ईश्वरीय प्रदत्त गुण हैं। यह

# Page No.36



( श्री महेन्द्रसिंह पंवार )

गुण मनुष्यों में भी है। इसलिए महकमों में भी वह वृत्ति आती है। महकमा एक कॉम्प्लीकेटेड चीज़ है। पार्किन्सन लॉ का एक सिद्धान्त है। वह तो एक व्यक्ति तक सीमित रहता है लेकिन महकमा वर्ग का एक गुट हो जाता है। बाल-बच्चे होते हैं, कुटुम्ब होता है। एक आदमी जब रिटायरमेंट पर आता है तो वह कोशिश करता है कि कहीं न कहीं उसको फिर से लगा दिया जाय, उसका एक्सटेन्शन हो जाय। वह अपने मिलने वाले और अपने से अपनत्व रखने वाले अफसरों के पास जाता है, मुझे एक्सटेन्शन दीजिये अथवा मेरे बच्चे को आप कहीं रखवा लीजिये। यह एक आत्म भावना की चीजे है। यह एक निराली चीज है। महकमे स्वभाव से बढ़ते रहते हैं। इस दोष पर विशेष ध्यान रख कर इस ढांचे को काबू में नहीं रखेंगे तो चाहे कितने ही मार्ग हों और चाहे आपकी कमी की कितनी ही मान्यतायें हों ये महकमे तो बढ़ते चले जावेंगे। यह एक स्वाभाविक गुण है। इसको रोकने के लिये बहुत परिश्रम और जागरूकता की आवश्यकता है; उसको नहीं बरतेंगे तो इसका दूसरा इलाज नहीं होगा।

श्रीमन्, एक खास बात मैंने बजट के आंकड़ों में देखी, वह यह देखी कि आमदनी के सीगे में हमने लैंड रेवेन्यु जहां सन् १९५१-५२ में ३१७ लाख के फीगर्स थे वे अब जाकर ८८५ हैं यानी इसमें हमने तिगुनी आमदनी बढ़ा ली है। लेकिन उस अनुपात में शहर के जो टैक्सेज़ हैं उनको देखते हैं तो इतनी अधिक बढ़ोत्तरी नहीं लगेगी। गांव की आमदनी इस अनुपात में कम हुई है। इसका सुबूत है कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स कम होता चला गया, यानी एग्रीकल्चरल की आमदनी घटी है। सन् १९५१-५२ में ४७३ लाख था वह अब ४०१ रह गई है।

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : वह तो समाप्त हो गया।

**श्री महेन्द्रसिंह पंवार** : उससे कोई असर नहीं पड़ता। फीगर्स जो अवेलेबल हैं उनके अनुसार उसकी रेट कम होने से नहीं हुई, बल्कि टैक्सेबल इन्कम में कमी हो जाने से हुई है। गांव पर जिस लेवल तक हम इन्कम टैक्स लगा सकते वे लगाये और जितने अर्से तक लगाया उसके फीगर्स मौजूद हैं। श्रीमन्, मैं समझता हूँ, यह एक बड़ा अच्छा उसूल है। हमारे इस बजटिंग के साथ साथ हम जहां पर-केपिटा टैक्स के आंकड़े देते हैं वहां हमें पर-केपिटा जो कुछ भी इन्कम है वह भी बतानी चाहिये। हमने जो यहां पर टैक्स लगाये हैं और जिससे पर-केपिटा टैक्स आता है वह कई स्टेट्स की अपेक्षा ज्यादा है और कई प्रान्तों से कम भी है, ज्यादा है तो भी ठीक है। मगर सही तरीका जो बजटिंग का होना चाहिये वह यह होना चाहिये कि जहां हम टैक्स पर-केपिटा जो पड़ता है वह बताते हैं वहां उसके साथ साथ आमदनी के आंकड़े भी लिख डालें। हमारा इन्कम का स्ट्रक्चर जो आया है वह भी हम जहां बताते हैं, वहां पर-केपिटा इन्कम इन्डस्ट्रीज़ लेबर का और अन्य अन्य उद्योग धन्धों का क्या है जहां हम प्राइसेज़ का एपेन्डिक्स में उल्लेख करते हैं। वहां यदि आमदनी का भी उल्लेख अपेन्डिक्स में कर देते हैं तो सही स्थिति का अन्दाज लगाया जा सकता है क्योंकि आधुनिक

( श्री महेन्द्रसिंह पंवार )

बजट विज्ञान में यह होना आवश्यक है। इससे यह पता चल सकता है कि हमारे राज्य की इन्कम जो है वहां पर-केपिटा क्या आमदनी है, कितना उसका खर्चा है और इसी पर आज के बजटिंग विज्ञान में राज्य की और देश की बहबूदी निर्भर करती है। हमारे राज्य के लोगों की क्या आमदनी है, उसको कितना घर खर्च के लिये छोड़ रहे हैं और उसके लिये राजनैतिक आजादी के लिये, पोलिटिकल वर्क्स के लिये हमें कितना छोड़ देना है, यदि इन सब बातों का बजट में समावेश होता है तभी सही मायने में जनतान्त्रिक बजटिंग माना जायगा।

जनतन्त्र को अगर हम सफल बनाना चाहते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जनता की जेब से इतना कुछ न ले लें ताकि उनके पास राजनैतिक कार्यों के लिये किसी प्रकार के रिसोर्सेज़ ही न रहें। अपनी पार्टी के लिये मोटर गाड़ियों का खर्चा, चुनाव लड़ने के वास्ते पैसा और दूसरे दूसरे प्रकार के भिन्न भिन्न राजनैतिक और सामाजिक कार्य हैं उनके लिये कुछ न छोड़ें तो जनतन्त्र सफल नहीं हो सकता। वैसी हालत में जनतन्त्र केवल आडम्बर रह जाता है, केवल गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट रह जाती है और दूसरे सिर्फ उनके नीचे गुलाम रह जाते हैं; आजाद लोगों का समाज कायम नहीं रह सकता। इसलिये आमदनी के आंकड़ों का भी अन्दाजा होना चाहिये। अगर हम बजट में इस प्रकार की चीजों का समावेश कर पाते हैं तो बजट एक सुन्दर चीज हो सकती है।

(समय-शांति-सूचक घंटी)

समय अधिक नहीं है, मैं कुछ नीतियों के बारे में भी कहना चाहता था। कट मोशन्स के वक्त समय मिला तो अर्ज करूंगा।

**श्री घासीराम यादव** (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम कोई टैक्स लगाते हैं तो हमें उसके बारे में जस्टिफिकेशन देना होगा, जनता को यह बताना होगा कि हम किसलिये टैक्स बढ़ा रहे हैं और उसका किस प्रकार से उपयोग होता है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि टैक्सेज़ जो हम लगाते हैं उसका उपयोग कैसे करें। एक मैं आपके सामने छोटी सी मिसाल पेश करना चाहता हूँ। हमने कुछ रूट्स को नेशनलाइज़ किया और उन पर हमने अपनी सरकारी बसें चालू कीं। इसी तरह से अलवर और जयपुर के बीच हमारी सरकारी बसेज़ चलती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वे बसें खाली जाती हैं। एक महीना हो गया इस तरह के हालात चलते हुए क्योंकि इसमें एक रुपया किराया ज्यादा है। सवारियां इसलिये उसमें बैठती हैं कि वे सोचती हैं कि सरकारी बस है, सरकार के पास हमारा पैसा जायगा, लेकिन हम देखते हैं कि बसेज़ बिल्कुल खाली जाती हैं। यह सब आप लोगों के सामने हो रहा है, क्या इसका पता आपको नहीं है? आपने जब कम्पीटिशन में बस चलाना शुरू किया है तो आपको यह देखना चाहिये था कि प्राइवेट बसेज़ के मुकाबले हम एक रुपया ज्यादा किराया रखेंगे तो कौन हमारी बसेज़ में बैठेगा? आपको जिन अधिकारियों ने यह राय दी है क्या उसके लिये आपने सोचा है? हमारे माननीय मंत्री महोदय के मकान के पास से बसेज़ जाती हैं फिर भी मंत्री महोदय को पता नहीं चलता। यह बहुत छोटी सी बात है। यह मेरे ध्यान

( श्री घासीराम यादव )

में आ गई, मैंने निवेदन कर दिया । इस प्रकार की सैकड़ों बातें होती हैं। उन सब पर आपका ध्यान क्यों नहीं जाता ? आज अलवर और जयपुर के बीच जो सरकारी बसें चलती हैं उनमें लोग इसलिये नहीं बैठते कि उसमें एक रुपया टिकट ज्यादा है । आखिर इस प्रकार एक रुपया ज्यादा टिकट की रेट रखने की राय किसने और किस आधार पर दी जब कि हम कम्पीटिशन पर बसें चला रहे हैं ? मैं ट्रान्सपोर्ट मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस तरफ ध्यान दें और अपने महकमे को ठीक प्रकार से चलायें तो वाजिब रुपया आ सकता है । मुझे यह भी अभी विश्वास नहीं कि मैं जब ये बातें सरकार के ध्यान में ला रहा हूँ उस पर भी वे उसे ठीक करेंगे या नहीं। मैं तो यहां तक कह सकता हूँ कि इन बसेज़ में काम करने वाले क्लीनर, ड्राइवर आदि का भी खर्चा इन बसेज़ के किराये से नहीं निकल सकता, यह इसलिये कि आपने एक रुपया बढ़ा कर किराया रखा है। इसीलिये आपकी बसेज़ खाली जाती और आती हैं, यह तरीका ठीक नहीं।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जितना रुपया हमारे पास जनता से आता है क्या उसको हम सही ढंग से खर्च करते हैं या नहीं ? पंचवर्षीय योजना में हम करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। कई जगह बिजली आ गई, नहरें आ गई, लेकिन कई स्थान ऐसे भी हैं जहां कुछ भी कार्य नहीं होता । मैं आपके सामने अलवर जिले की मिसाल पेश करूं । वहां की माली हालत बढ़ाने के लिये किसी प्रकार का न माइनर इर्रिगेशन का काम किया गया और न मेजर इर्रिगेशन का ही काम किया गया है और न वहां बिजली ही मिल पाई है।

**एक माननीय सदस्य** : दो मिनिस्टर बढ़ गये।

**श्री घासीराम यादव** : आज वहां के लोग यह कहते हैं कि पंचवर्षीय योजना में जो इतना रुपया लगता है उससे काम आखिर कहां होता है ? हमारे से टेक्स तो ले लेते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया जाता। इसलिये जहां तक इस प्रकार से रुपयों का डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल है वह सब जगहों के लिये इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिये । अलवर में ट्यूब वैल खुद सकते हैं । एक स्कीम भी वहां के लिये मन्जूर हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में; लेकिन वह अभी तक शुरू नहीं की गई है । वहां बिजली नहीं आयेगी, नहर नहीं आयेगी, इन्डस्ट्रीज़ में काम नहीं हो रहा है; इस तरह से पंचवर्षीय योजना का कोई काम नहीं हो रहा है। तो आखिर कहां काम हो रहा है ? आज हमारे इलाके के पास पंजाब लगा हुआ है । वहां गांवों में हम देखते हैं कि बिजली प्राप्त है, लेकिन हमें वह सुलभ नहीं है। जब टैक्स लगाने का सवाल आता है तो वह सब पर लगता है । तो मेरा यह निवेदन है कि उसका वितरण भी समान रूप से होना चाहिये। सरकार में जो भी रुपया आता है वह इसलिये आता है कि उससे लोगों को राहत मिले; जैसे मान लीजिये कहीं अकाल पड़ गया। वहां हम लैन्ड रेवेन्यु को माफ कर देते हैं । हमारे इलाके में जब से मुसलमान पाकिस्तान को चले गये उस समय उनकी

( श्री घासीराम यादव )

जमीन खाली पड़ी हुई है। उस पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट का इतना ही हक है जितना कि पहले बिस्वेदार का हुआ करता था।

इसके बाद हमारी सरकार कहती रहती हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट यह नहीं चाहती। मैं निवेदन करूं कि लेण्ड हमारा सब्जेक्ट है, संविधान ने हमें अधिकार दिये हैं। फिर सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी अगर अनुचित बात कहे तो क्यों मानें? हमने बिस्वेदारी, जमींदारी को एबोलिश कर दिया। फिर इस विभाग को भी हक है क्या इस जमीन पर? आपको भूमि कानूनों के अनुसार जो सही है वह करना चाहिये। जो टीनेन्ट्स हैं उनको जमीनें दे देनी चाहिये। सीधा मामला है, समझने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर मालूम नहीं क्यों इसे कॉम्प्लीकेटेड बना रखा है। १३ साल से कोई हिसाब नहीं। काफी कीमतें वसूल करते हैं। यह कभी सोशियल इक्विटी से मेल नहीं खाता। मैं चाहता हूँ, इस पर सरकार ध्यान दे, और जगह लोगों को जो वहां काम करते थे उनको खातेदार बना दिया तो यहां क्या है? ५५ में ऑर्डिनरी टीनेन्ट खातेदार बन गया। तो इन मुसलमानी जमीनों पर जिनमें भी बहुत बड़े बड़े बिस्वेदार थे टीनेन्ट्स को वे अधिकार आप क्यों नहीं दे देते? और लोग खातेदार हो गये तो इनको क्यों नहीं वे अधिकार आप देते? पर इनकी आप सुनते नहीं। अगर औरों के लिये कानून बना तो कानून इनके लिये भी है। फिर सरकार रुपया वसूल करती है, यह भी गलत बात है।

तीसरी बात पंचायत समितियों के बारे में कहूँ। ये बनीं। इसके बारे में बहुत उत्साह है। पर मैं महसूस नहीं कर सका हूँ कि यह बहुत अच्छी बात है या क्या है, इसका निर्णय नहीं कर सका हूँ। पर जब बना दी और इलेक्टेड प्रधान हो गये तो उनको पॉवर दीजिये। पर ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आपने उनके सारे पॉवर्स छीन लिये। बी० डी० ओ० चाहे जो करता है। ट्रान्सफर करेगा वह बी० डी० ओ० करेगा। उस प्रधान का कोई लेना–देना नहीं। फिर उसको क्यों रखा। आप उसकी एफीशियेन्सी में विश्वास नहीं रखते तो क्यों रखते हैं फिर उनको और अगर रखते हैं तो ट्रू राइट्स दीजिये।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि उन प्रधानों के साथ अच्छा सुलूक नहीं बरता जाता। मंडावर अलवर में है। वहां पंचायत समिति के प्रधान चुने हुए आये। गजट आ गया। बारह महीने बाद कोऑप्शन का चुनाव हुआ। फिर गजट में आया। २ अक्टूबर को टर्म पूरी होती थी। २ अक्टूबर को गजट में आ गया, पर इसके बाद २५ दिन तक कलेक्टर और बी० डी० ओ० ने उसे काम नहीं करने दिया। कलेक्टर ने मीटिंग की पंचायत समिति की और यह कहा कि गजट साफ नहीं है, मैं गवर्नमेंट को रेफर करूंगा तब इनको काम करने दूंगा, तब तक नहीं, तब तक पंचायत समिति बन्द रहेगी। बन्द रही। बी० डी० ओ० चला गया ताला लगा कर। एक ऐसी नई बात हुई। ये सब बातें डॉक्युमेन्ट्स में साबित हैं। चीफ मिनिस्टर साहब को इसकी शिकायत पेश हुई। उन्होंने उसे कमिश्नर साहब को जांच के लिये भेज दिया। हम किसी अफसर की

( श्री बालीराम यादव )

शिकायत नहीं करना चाहते, फिर उसमें भी कलेक्टर की शिकायत; क्योंकि हमें यह तो विश्वास था कि इसका एक्शन कुछ होगा नहीं, पर जांच तो इन्डिपेन्डेन्ट रूप से कराई जावेगी ; पर वह इन्क्वायरी भी नहीं होती है । कमिश्नर अपनी ही सर्विस के आदमी की क्या शिकायत करेगा ? उसके क्या खिलाफ लिखेगा, वह तो बराबर यही लिखेगा और यही लिखा कि कलेक्टर और बी० डी० ओ० की कोई गलती नहीं, गलती प्रधान की है जिसने कि शिकायत की । बी०डी० ओ० और कलेक्टर ने, यह तथ्य है कि रजिस्टर छीने, दस्तखत नहीं करने दिये । पंचायत समिति को बन्द कर दिया । १४ पंचायत समितियां हैं १३ में बन्द नहीं किया । टर्म उनकी बढ़ा दी गई । इसमें भी गजट साफ था । चीफ सेक्रेटरी ने फिर टेलीग्राम भेजा, तब जाकर चार्ज दिया । अब इतनी बड़ी शिकायत, जिसमें डॉक्युमेन्टरी प्रूफ । मिनिट बुक में लिखा है । लोगों से कहा कि गजट साफ नहीं है, तुम काम करना बन्द रखो । चाहे महीना हो, दो महीना हो तब तक पंचायत समिति बन्द रहेगी । इसकी इन्क्वायरी ठीक ढंग से नहीं होती । आप एक्शन न लें, भले ही न लें, पर यह तो मानें कि उन्होंने गलती की । कमिश्नर कब कहेगा कि उसने गलती की । जहां इस तरह से ह्युमिलियेट किया जाता हो तो उसकी पूरी तरह से जांच कराई जानी चाहिये ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री अर्जनदास ।

**श्री अर्जनदास** ( अजमेर-पश्चिम ) : Mr. Speaker, Sir, every year in the month of March we find that the Hon'ble Finance Minister comes out with his big hands in the pockets of the public and every time they tell us that plan is to be executed anyhow and we have got to make prcvision in the Budget for the plan expenditure. Bat what I find, good days have been lost. Plan, plan, plan is being talked out, but nothing substantial has really come out. The whole money is being wasted on the administration, and even the Hon'ble friend himself admitted that the administrative expenditure could be curtailed by big amount and he promised to do here-after. But the question is why didn't he do before ? Why did he waste so many years on the expenditure of administration when it was not needed? In fact, the whole idea is that the general moral should be increased and the faith of the people in the administration should be allowed to increase. But what we find today is that no body has got faith in the administration and one of the biggest reasons for it is that our Ministers are trying to interfere too much in the administration asking the various Heads of the epartments to do this or to do that. When some of the administrative heads do such works our Hon'ble Ministers come out on the floor of the House trying to protect them by any means every day.

In the beginning I spoke about the Administrator of Ajmer Municipal

( श्री अर्जनदास )

Council Thereafter the, Hon'ble Minister in-charge of the Local Self-Government Department read out the report in my absence that he had received from Ajmer, and, I believe, the Hon'ble Minister himself could not have believed in the truth thereof. Here on the floor of the House I should assert and challenge each word of the statement made by the Hon'ble Minister in connection with the atrocities of the Administrator, Ajmer Municipal Council. Each statement of the Administrator is absolutely false and can never be justified on the floor of the House as depicting the real picture. I can challenge here. Even an enquiry be held, if even the Hon'ble Minister himself holds an enquiry, I have no objection, that if any of his statements happen to be true, I am prepared to resign from the membership of this House. I have seen those things personally and I can say that all the statements made by him are false. He said that only 12 cabins have been removed. This is false. Not 12, but number of, dozens of cabins have been removed. This is No. 1

2. He says those cabins were encroachements. Absolutely false. They were leased out cabins or licenced cabins.

3. He says that they were encroachments. Again it would be absolutely false. None of those cabins, or at least 95% of those cabins could not be encroachments. There might be one, two or three. I am not to protect those which are encorachments. I am talking out about leased out cabins.

4. He says, these cabins have been removed. Once again false. They have not been removed but demolished altogether so that their wood cannot be used over again. The Administrator had absolutely no business to demolish them.

5. No notice in writing was given to them, to any of them. The Hon'ble Minister said that by loud speaker it was proclaimed that cabins would be removed. The Administrator might have done it. How it is possible with the lessees or licensees. No law is there by which you can remove any lessee from your premises, by which law you can remove his cabin or even demolish his cabin altogether?

(6) The Hon'ble Minister also said, he has spoken about the cabins at Madar Gate, that latrines have been removed and cabins placed therein. Probably he was trying to play with the sentiments of the public. But I will give the correct picture. The Collector at Ajmer before the present Colloctor had seen the site and after seeing the site he said that some of the thelewalas who

( श्री अर्जनदास )

have been keeping the vegetables for the last 10 years should join two thelewalas together and should be given one cabin over the Nalla, and those poor fellows had to keep their own guttercovers and keep their cabins there. Two Thelewalas were given one cabin. Of course, one of the cabins was given in a place where there was a latrine, but that does not make any difference. Let us not play with the sentiments of the people here. The then Collector of Ajmer allowed these cabins himself after personally verifying them. The Collector of Ajmer saw the site and suggested that the nullah over there should be covered up, and the thelewalas standing in front of it should be asked to keep their cabins over the nullah with a view to improve the site. These cabins have also been removed or demolished altogether.

I would submit that we are not to be guided by the whims of a particular officer. Various officers have come and various officers have gone. They have tried to improve the city, but that does not mean that overnight a whimsical man comes and says, "I don't like this, remove it altogether." The Hon'ble Minister himself went to the extent of saying that the cabins at Madar Gate will have to be removed from there. Far from it. The Government of India have spent Crores of rupees on the rehabilitation of displaced persons. The cabins there were of the local people as well as of the displaced persons, but mostly they were of the displaced persons, because they could not get business premises they set up these cabins. The Commissioner of Ajmer, after seeing the site had allowed them these cabins at particular places and before you remove them you must give them pucca markets at some other place. So I beg to differ with the Hon'ble Minister. I will request him to come and accompany me to Ajmer and see for himself if there is any shortage of space, for which reason alone they may remove the cabins. But I know he is not going to accompany me. I may also tell him that these cabins have been put by people who themselves do not like them. They would like to be put in pucca accommodation, but until they are given any such accommodation they must continue with their cabins. Surely, the Government themselves would not like the poor displaced persons to be out of business altogether. You will not like them to feel that a second Pakistan is being created for them and they are going to be displaced once again for the second time in a period of one decade.

Therefore, I would request the Hon. Minister to accompany me to Ajmer and hold an enquiry and see if the statement given by the Admini-

( श्री अर्जनदास )

strator of the Municipal Council is correct or not. It is not for the Hon. Minister to defend an officer even though he may be in the wrong.

The Administrator of Ajmer Municipal Council sanctions the use of loudspeakers every day, but when the Jana Sangha leaders of Ajmer and I requested him for permission to use the loudspeaker, our applications, which were given in writing, were refused. We were, therefore, forced to hold our meeting without a loudspeaker. The Administrator of the Municipal Council happens to be the Collector as well and he thinks that he can do whatever he likes.

I will also like to bring to the notice of the Hon. Minister for Finance that on two occasions we have been told that Rs. 5/-, increase in D.A., shall be given to Class IV servants all over Rajasthan. But I am told now that the IV class servants of erstwhile Ajmer State have not been given this allowance at all. As far as my memory tells me, the announcement made on the floor of the House was for all the class IV servants of Rajasthan. It did not say that class IV servants of erstwhile Ajmer State are excluded. It appeared in the newspapers that for other Government servants, besides class IV, the Government have sanctioned a sum of Rs. 5/-rise since 1958, but this increment has also been denied to the erstwhile Ajmer Government servants. What is the reason behind it ? I hope the Hon. Finance Minister will rectify this mistake.

I also take this opportunity to state that the old cases of pensions of displaced persons are pending since much before 1954 and till today these cases are not being finalised. Why the poor persons are not being paid their pensions ? Does the Government expect that they can live on water and air ? When they are entitled to pension they must be paid it immediately and cash down. Do you expect them to die before they get their pensions ? I expect the Hon. Minister will look into this and give a direction to his officers that these payments should be made at an early date.

So far as budget expenditure is concerned, I have one thing to submit. When we have done away with the intermediaries between the tillers of the soil and the landlords, why cannot we do away with the intermediaries in the Departments of the Government as well ? For example, the Director of Local Bodies, the Director of Medical & Health Services. what are they doing ? I believe, they are just post peons sending dak from one post to another, doing nothing substantial either for the administration or for the public. They are only rehabilitating themse-

( श्री अर्जुनदास )

Ives. If they cannot be provided elsewhere, they must be provided there. They are more of a hinderance in the administration than an asset to it. So do away with these intermediaries as well. Instead of increasing the taxes decrease your expenditure.

With these words I find my 15 minutes over and before your honour asks me to sit down, I resume my seat.

**श्री मोतीलाल (डीडवाना)** : माननीय अध्यक्ष, मैं सबसे पहले हमारी सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने वास्तव में उत्साहवर्धक प्रगतिवादी तरीके से काम करते हुए जो बजट १० साल बाद राजस्थान में, दसवें वर्ष का कहूँ तो ठीक रहेगा, पेश किया है। इसे देखते हुए जाहिर होता है कि इस सरकार द्वारा राजस्थान में प्रगति हुई है और आगे और जो प्रगति होगी उसकी ओर इंगित किया है। बजट भाषण के प्रथम पेज को ही देखने से पता चलता है कि पिछले दस वर्षों में राजस्थान ने कितना काम किया है और जिस प्रगति के साथ किया है उसको देखते हुए इतना कह सकते हैं कि समाजवादी ढांचे का निर्माण करने की स्थिति में हम हैं। यह ढांचा आगे बढ़ेगा, यह इसमें इंगित है। हमारे आर्थिक ढांचे को सुदृढ करने के बाद भारतवर्ष में हमारा यह प्रथम स्टेट है जो समाजवाद की नींव को मजबूत बनाने में सफल हुआ है। जिस प्रकार से हमने विकेन्द्रीकरण के काम में पहल की और उसको मजबूत बनाया उसी प्रकार से समाजवादी स्टेट का निर्माण सर्व प्रथम राजस्थान में होगा, ऐसा भी इंगित है। मैं तो इन सब बातों के लिए सरकार को धन्यवाद दूंगा क्योंकि उसने जो शान्ति व्यवस्था, न्याय और विकास के कार्य किये हैं वे सराहनीय हैं। यदि हम पिछले इतिहास को देखते हैं तो विरोधी पार्टी वाले विरोध के लिए भले ही कुछ कह सकते हैं लेकिन उनको भी यह कहने में आपत्ति नहीं होगी कि राजस्थान की प्रगति हुई, विकास हुआ है और इन्सान को इन्सानियत की कीमत मिली है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति कितना ही विरोधी या प्रतिक्रियावादी क्यों न हो, उसको मानना पड़ेगा कि हम कितने प्रगति के पथ पर चल रहे हैं।

पिछले चुनाव के बाद राजस्थान में कितनी स्कूलें खुली हैं, कितने कॉलेजेज़ खुले हैं, कितने होस्पिटल्स खुले हैं और इन सब को देख कर जनता की क्या भावनाएं हैं, इन सब की ओर देखने से पता चल जायगा कि वास्तव में हमने कितनी प्रगति की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारे लिए कितनी धन-राशि की व्यवस्था की गई थी? यह सब को याद होगा कि ८५ करोड़ की योजना बनाई गई थी, लेकिन दूसरी योजना उससे बढ़ कर १०५ करोड़ की बनाई गई थी और अब तो तीसरी योजना २३६ करोड़ की बनी है। तो हम तीनों ही तरह से, आर्थिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से बढ़ रहे हैं। स्पष्ट देखते हैं कि समाज में तीन चीजें मूल रूप से चाहिये और उन तीनों में हम एक ही तरह से प्रगति करते जा रहे हैं। शासन व्यवस्था में संपूर्ण रूप से प्रगति कर रहे हैं और पंचायत राज्य की नींव हम डाल ही चुके हैं और पंच भी बना दिये हैं। इसके बाद आर्थिक और सामाजिक

( श्री मोतीलाल )

विकास का नम्बर आता है। आर्थिक दृष्टि से जो काम हमने किये हैं उनको देखते हुए खुशी होगी। मैं आज ही न्यूज़ पेपर पढ़ रहा था तो जयपुर में एजुकेशन की जो प्रगति हुई है ८-१० साल में उसके आंकड़े बताये हैं और यह बताया है कि जयपुर में एजुकेशन का पर्सेन्टेज ४२ प्रतिशत हो गया है। यदि हम हिसाब लगावें तो सन् ५१ में राजस्थान में ८ पर्सेन्ट लोग शिक्षित थे और ६१ में २४ पर्सेन्ट पहुँच चुके हैं और जयपुर में तो यह संख्या ४२ पर्सेन्ट तक पहुँच चुकी है। इससे हम कह सकते हैं कि किसी भी सरकार ने १० साल में इतनी प्रगति और इतना विकास नहीं किया होगा। सारी दुनिया को देखें तो वास्तव में किसी ने भी १० साल में इतनी प्रगति नहीं की होगी और वह भी उस हालत में जब कि पहले स्टेट का कोई ढांचा नहीं था, २०-२२ रजवाड़ों को तोड़ कर नये राजस्थान का निर्माण किया गया था और इनके इन्टीग्रेशन के बाद नया राजस्थान बनाया गया था। आशा है, इसी तरह से प्रगति करते हुए आने वाले ५ सालों में समाजवादी ढांचे को और भी आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा।

मैं बजट के प्रथम दो पेजेज़ पर सरकार द्वारा दिये स्टेटमेंट की ताईद करता हुआ उसको धन्यवाद दूंगा। इसमें लिखा है:

"It is a significant co-incidence that the last budget to be passed by this Assembly will set the pattern of economic and social development for the next five years. This great responsibility has to be discharged with only one object in view, namely, the good of the people of this State."

यही हमारा ध्येय है और इसी ध्येय से जनतन्त्र कायम किया गया है और इसी दृष्टिकोण से महात्मा गांधी और बड़े बड़े नेता लोगों ने काम किया था, जनता में आमूलचूल परिवर्तन सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से करने की ओर कदम उठाया था। आज हमें वास्तव में खुशी है कि हम इस स्थिति तक पहुँच गये हैं। १० साल बाद हम जनता का राज्य, जनता के लिए और जनता के द्वारा निर्माण करने की स्थिति में पहुँच गये हैं।

खुशी की बात है कि पिछले १० सालों में हमने बड़े बड़े काम किये हैं। आम तौर से राजस्थान के ८० प्रतिशत लोग काश्तकार हैं। मैं इस तरह से कहूँ तो अधिक ठीक रहेगा। वास्तव में कृषि ऐसा धन है जिसका संबन्ध उत्पादन से खास है। ५ प्रकार के धन बताये जाते हैं और ये हैं; खान, कृषि धन, पशु धन, इन्डस्ट्री और फोरेस्ट। पांचों मदों को देखें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि पर काम करने वाले लोग हैं। जिस तरह का फ्युडेलिज़म हमारे यहां था, जागीरदार जमींदारी और बिस्वेदारी यहां पर थी उससे हम लोगों को मुक्त कर चुके हैं। मैं हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पुराने जोधपुर स्टेट में तो जागीरदारों के पास सिर्फ रेवेन्यु अधिकार ही नहीं थे बल्कि सिविल और क्रिमिनल अधिकार भी उनके हाथ में थे। उस समय लोगों को कितनी तकलीफ उनके हाथों पानी पड़ती थी, इसका बयान करना कठिन है। लेकिन आज किसानों और स्टेट के बीच में कोई नहीं है। मध्यवर्ती जागीरदार, जमींदार और बिस्वेदार थे उनका

( श्री मोतीलाल )

उन्मूलन करके आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और अन्य दृष्टिकोणों से उनको मुक्त किया जाकर इन्सानियत के दृष्टिकोण में रखा है ।

दूसरा पहलू है आर्थिक दृष्टिकोण का, यानी खर्चे का । इस ओर भी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है । डिवीजनल कमिश्नर्स को हटाने का ही निश्चय नहीं किया गया है, बल्कि एसटीमेट्स कमेटी और पब्लिक अकाउन्टस कमेटी के द्वारा सिफारिश करने के बाद सरकार ने सबसे पहले माना है कि यह खर्चा फिजूल है और इसको कम करने के लिये इंगित किया है और कम करने का तरीका बताया है । यह इस प्रकार का राजस्थान में सबसे पहले कदम होगा । राजस्थान सरकार ने इसको महसूस करके इस ओर कदम उठाया है । आने वाले ५ सालों में जो इन्टरमीजियेरी अधिकारी हैं, जो फिजूल हैं या काम के नहीं हैं, एक्स्ट्रावेगेन्ट कहें तो भी अनुचित नहीं होगा ; उनको हटाने का कदम उठाया है, इसलिये मैं सरकार को बधाई दूंगा ।

इस हाउस की दो कमेटीज़ हैं, एस्टीमेट्स और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटीज़ की सिफारिशों की भी कद्र रेस्पोन्सिबिलिटी के साथ की है । उन्होंने जो कुछ कमियें इसमें रखी हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करता हुआ निवेदन करूंगा कि कुछ और भी अधिकारी हमारे यहां बेकार हैं, उनको भी हटाने का निर्णय लिया जाना चाहिये । जैसे कमिश्नर्स को नहीं रखने का निश्चय किया गया है, उसी तरह से कुछ पोस्ट्स और हैं जैसे डी. आई.-जी. पुलिस । बीकानेर में ३ डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर एक डी. आई. जी. है, वही डी. आई. जी. कोटा--उदयपुर के ६ एस. पीज़ को कंट्रोल करता है, जोधपुर का डी. आई. जी. ७ एस. पीज़ को कंट्रोल करता है और अजमेर का डी. आई. जी. ६, १० को कंट्रोल करता है; इसलिये जब एक व्यक्ति १४ लाख की पोपुलेशन के लिये है तो ये पोस्टें सुपरफ्लुयुअस मालूम होती है ? जिस तरह से कमिश्नर की जरूरत नहीं है उसी तरह से इनकी जरूरत नहीं है ।

दूसरी ओर पुलिस ट्रेनिंग के लिये और इन्टेलिजेन्स ब्रान्च को इक्विप करने के लिये जरूरी है वह नहीं किया जाता । हर थाने में टेलीफोन की व्यवस्था करिये । इस तरह के कम खर्चे में बहुत से काम कर सकते हैं । बड़े बड़े जो हाथी हैं उनको कम करेंगे तो और भी ज्यादा सुविधाएं मिल सकेंगी । इनको रखना आर्थिक दृष्टिकोण से न्यायसंगत नहीं है । बीकानेर में ३ जिलों पर और १४ लाख पोपुलेशन पर बैठा रहे और दूसरी ओर जोधपुर में ७–८ जिलों पर और ७० लाख की पोपुलेशन पर बैठा रहे तो यह न्यायसंगत नहीं होगा । एक तरफ १४ लाख के लिये खर्चा उतना ही होता है और दूसरी तरफ ८० लाख के लिये भी उतना ही खर्चा लगता है ।

दूसरी बात मैं कहूँगा, हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स और सेक्रेटरीज़ के बारे में माननीय अध्यक्ष, सरकार एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर चुकी है । यह मान्यता एडमिनिस्ट्रेशन और शासन के दृष्टिकोण से है कि क्या हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी अलग अलग रहने चाहिए । यह

( श्री मोतीलाल )

मान्यता बहुत से देशों में है और इस देश के अच्छे विचारों के लोगों में यह मान्यता है और इस बात के एक्सपेरिमेंट के लिए सरकार ने कदम उठाया है। उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के चुनाव से यह स्पष्ट हो चुका है कि सात हजार पंचायतों को कंट्रोल किया जाय, उसके लिए पंचायत ऑफिसर और डाइरेक्टर की अलग अलग जरूरत है क्या? दूसरी म्युनिसिपैलटियों के लिए दूसरा डाइरेक्टर है। तो जब सात हजार ग्राम पंचायतों को, २३६ पंचायत समितियों और २६ जिला परिषदों को बिना मुकदमे के कंट्रोल किया जा सकता है और अच्छे ढंग से कंट्रोल किया जा सकता है और अच्छे ढंग से चल सकती हैं, जिसके लिए हमारे चीफ सेक्रेटरी को 'पदम श्री' मिल सकता है, तो फिर इन ऑफिसरों की क्या जरूरत है। अगर हम जन-संख्या को देखें तो पचास लाख की जन संख्या गांव पंचायतों की है और एक सौ पचास की जन-संख्या पर म्युनिसिपैलिटीज़ हैं। उसके बाद २३६ पंचायत समितियां हैं। ये सब इतना बड़ा काम करती हैं, इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो सेक्रेटरी और हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट हैं, इनको रखने के पीछे एफिशियेन्ट वर्क के बारे में प्रश्न सामने आता है। हमें ये शिकायतें मिलती हैं और सरकार के ध्यान में शिकायतें आती हैं। जनता के ध्यान में भी शिकायतें आती हैं कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी के बीच फाइलें चलती हैं, उनमें महीनों लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बताऊं कि एक बजट पास हो जाता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन छः से नौ महीने तक पड़ी रहती है। ग्रान्ट इन-ऐड के केसेज़ बारह महीने तक पड़े रहते हैं। निवेदन करना चाहता हूँ कि ३१ मार्च को जितने बिल ट्रेजरी में जाते हैं उनको देखने से यह जाहिर होता है कि एक्चुअली हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी के दो पद होने से कितनी मुश्किल होती है। मैं यह नहीं कहता कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी में से एक पद तुरन्त तोड़ देना चाहिए, लेकिन यह जरूर कहता हूँ कि उन महकमों में जिनका प्रोडक्शन से सम्बन्ध नहीं है, उनमें कई दृष्टिकोण से सेक्रेटरी से ही काम चल सकता है। साथ ही साथ एक पद और है, वह डिप्टी सेक्रेटरी का। माननीय अध्यक्ष, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इन दोनों में इन्टरमीजियरी हैं। यह नहीं हो सकता कि इन दोनों के बीच में डिप्टी सेक्रेटरी की जरूरत हो, इसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन या शासन मान्य नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ, डिप्टी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। सिम्पली वह इसलिए रखा जाता है कि एक फाइल सेक्रेटरी के पास भेजनी है वह डिप्टी सेक्रेटरी के पास होती हुई जाय। हम देखते हैं कि डिप्टी सेक्रेटरी उस नोट को डिटो करता है, जो नीचे से आता है। आप यह कह सकते हैं कि जूनियर कलक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तब तो मैं मान सकता हूँ कि जूनियर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं सेक्रेटरी बनने के लिए। यह एक ट्रेनिंग देने की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट बिल्कुल अनुचित है और इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस पोस्ट को आप खत्म कर सकते हैं और इस प्रकार बहुत बड़ा खर्चा बचा सकते हैं।

इसके बाद एक और पद है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता

( श्री मोतीलाल )

हूँ, वह है बी. डी. ओ. । मेरे ख्याल से यू. पी. का बी. डी. ओ. है, उसकी ग्रेड है उसको तहसीलदार की ग्रेड के बराबर रखा है लेकिन हमारे यहां आर. ए. एस. ग्रेड में लिये जा रहे हैं । मैं इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं करता हूँ । मैं समझता हूँ, यह काम तहसीलदार ग्रेड का आदमी कर सकता है । जब रेवेन्यु डिपार्टमेंट का काम ब्लॉक और कलेक्टरी में तहसीलदार की ग्रेड का आदमी कर सकता है तो बी. डी. ओ का काम क्यों नहीं कर सकता ? हो सकता है फाइनेन्शियल सेंक्शन के दृष्टिकोण से इसकी आवश्यकता हो । लेकिन मैं समझता हूँ कि हम कानून में संशोधन कर सकते हैं कि बी. डी. ओ. का काम तहसीलदार ग्रेड का आदमी कर सकता है । हम देखते हैं कि तहसीलदार बी. डी. ओ. बन जाय तो उसको ऊंचा ग्रेड मिल जाता है । इसी तरह से कोई फ्रेश हैंड अपोइन्ट होता है उसको भी वह ग्रेड मिल जाता है और ऐसे पद पर काम कर सकता है और फाइनेन्स का काम कर सकता है । मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है और बी. डी. ओ. की पोस्ट पर तहसीलदार की ग्रेड का आदमी रख कर काम कराया जा सकता है । इसके साथ ही एक जिम्मेदारी जो चुनी हुई समिति पर है, बी. डी. ओ. पर नहीं है । जो जिम्मेदारी कानून में दी है उसको हम प्रधान और इलेक्टेड बॉडी को दे चुके हैं । हम यह कर सकते हैं कि जो इन्सपेक्शन और देख रेख का काम है वह कलेक्टर कर सकता है । इस तरह जो २३२ आर. ए. एस. वहां ले जाकर रखते हैं उससे ज्यादा खर्चा बढ़ता है । उसके बारे में कोई दूसरा कदम उठा सकते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं सिर्फ दो बातें कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा । मैं अर्ज करूंगा कि जो हम टैक्स लगायें और टैक्स के अलावा जो हम योजना के अन्दर काम कर रहे हैं उसमें हमें एक नया रूप लाना चाहिए । उसकी हमने इस बजट में कमी देखी है, इसलिए मैं सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगा । वह है कि राजस्थान के अन्दर आठ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनके अन्दर अकाल पड़ता रहता है, वह आज से नहीं, पीढ़ियों से है और वह बाई नेचर है। वहां जब तक आप नहर नहीं बनायेंगे, बिजली नहीं पहुंचायेंगे, तब तक अकाल पड़ेगे, वह नेचुरल कैलेमिटी है । जैसलमेर, बाडमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू—इन जिलों में अकाल पड़ना नेचुरल बात है । इसके बारे में मैं देखता हूँ कि दो लाख, चार लाख बजट में रख देने से कोई परमानेन्ट व्यवस्था नहीं होती है । जब कभी अकाल पड़े तो उसको रोकने के लिए, या रिलीफ वर्क देने के लिए या वहां के लोगों को काम देने के लिए । मैं नहीं कहता कि वहां पर सब्सिडी या ग्रान्ट नहीं दी। लेकिन परमानेन्ट रिलीफ वर्क खोलने के लिए, इन्डस्ट्री या स्माल स्केल इन्डस्ट्री इन्ट्रोड्यूज की जाय ।

( समय--समाप्ति--सूचक घंटी )

जिससे जब उन इलाकों में वर्षा नहीं हो, उस वक्त इन कामों पर और छोटी इन्डस्ट्रीज़ पर निर्भर रह सकें और भूखों नहीं मरें ।

अब मैं एक बात और अर्ज करूंगा, वह यह है कि जो खर्चा कर रहे हैं विकास के

# Page No.49



( श्री मोतीलाल )

अन्दर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, वह है

(बंटी)

एक सेन्टेन्स और है माननीय अध्यक्ष....

**श्री अध्यक्ष** : श्री मुरलीधर व्यास।

**श्रीमती गंगादेवी डाटा** (रामगढ़) : मुझे टाइम मिलना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : सब को मिलेगा।

**श्रीमती गंगादेवी डाटा** : कल से कोशिश कर रही हूँ लेकिन बोलने का टाइम नहीं मिला।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मुरलीधर व्यास।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने १९६१-६२ का बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उस पर दो दिनों से लगातार चर्चा चल रही है। खास करके हमारे राजस्थान की जो वित्तीय स्थिति है और किस प्रकार से आज एक दिवालिया स्थिति में है और किस प्रकार हम कर्जदार हो चुके हैं, हमने किस प्रकार से आगे विकास के साधनों में क्या उन्नति की है, इन सब चीजों पर चर्चा हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी ने कहा कि हमारी सरकार कोई कुंजड़े की दूकान नहीं है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हिसाब-किताब के मामले में तुलना करने-यह कुंजड़े की दूकान नहीं है, के साथ यह कम से कम जरूर बताना चाहिए कि इसके हिसाब-किताब के सही तथ्य क्या हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान बनने के पहले राजस्थान की क्या स्थिति थी, राजस्थान के पास क्या कुछ था। मर्जर होने के पहले राजाओं ने लोगों के हित के अन्दर इतना खर्च किया और खर्च करने के बाद भी आज सरकार पर डेढ़ अरब के आस-पास कर्जा हुआ है। इसके साथ साथ हमने इतना करने पर क्या प्राप्त किया, इसकी तुलना में थोड़ा बहुत सोच-विचार करने की कोशिश करूंगा। जब दूसरी सरकारें थीं छोटी छोटी रियासतों को, जब अंग्रेजों का जमाना था, क्या उस जमाने में और इस दस साल के जमाने की तुलना करते हुए कुछ तरक्की हुई है या नहीं? मैं कहना चाहता हूँ कि बीकानेर स्टेट मर्जर होने के समय पांच करोड़ रुपया हमारी राज्य सरकार के पास आया और उस बीकानेर स्टेट ने गंग नहर को वहां लाकर बनाया और दूसरे काम भी किये। इसके साथ ही इतना रुपया भी दिया। तो दस साल के पहले इतना विकास का काम किया और रुपया भी दिया, उसके बाद कौन से कार्य किये और कितना रुपया लगाया है कि जो पहले १५ करोड़ रुपया था उसको खर्च करने के बाद डेढ़ अरब के कर्जदार हो गये। आज इस कर्ज के कारण चार करोड़ रुपया ब्याज देते हैं। इस तरह की हालत में आने के बाद जो काम के लिए खर्च किया, उससे हम क्या प्राप्त करते हैं इसका आप अनुमान लगायें और फिर कहें कि इतने टन उत्पादन बढ़ा दिया। तो इस सम्बन्ध में दूसरी दलील देता हूँ कि जितना उत्पादन आपके शासन-काल में बढ़ा उसी तरह जो पहले का प्रशासन था उसमें बढ़ा कि नहीं? उसमें भी बढ़ा है। यह तो

( श्री मुरलीधर व्यास )

निरन्तर बढ़ता रहता है, बढ़ता आ रहा है। यह बात ठीक है कि पैसा लगाया, आपने योजनाएं बनाईं पर मैं तो कहूँगा कि इतना पैसा लगाया, पर हमने उसके एवज में कुछ भी गेन नहीं किया है, हमने अपना खर्चा इन पर इतना बढ़ा दिया कि हमको अपना बैलेंस सम्हालना बड़ा मुश्किल हो गया, खर्चा चलाना मुश्किल हो गया और खर्च में कमी करके अपने बैलेंस को सम्हालना पड़ा। आज का बजट है उसमें परिवर्तन इसी तरह आया है, यह कहा कि कमिश्नरियों को तोड़ दिया और कई पोस्ट्स को तोड़ दिया, पर यह नहीं बताया कि किस कारण से ऐसा किया है। वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्रीय सरकार पैसा देती है तो केन्द्रीय वित्त आयोग ने देखा कि हमारा पैसा लग रहा है उसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इसके ऊपर प्रकाश डालने के बाद हमारी सरकार इस सिद्धान्त पर आई है। हमारे यहां की पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट है उसमें से मैं चार लाइन्स पढ़ कर सुनाता हूँ :

"वित्त जांच समिति के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार वित्त आयोग ने कहा है कि यदि राजस्व बजट को संतुलित रखना है तो ऐसा करना योजना की अवधि के पिछले दिनों कदाचित असम्भव होगा जब तक प्रशासनिक व्यय में अधिकतम नियन्त्रण रखने के अतिरिक्त विकास सम्बन्धी व्यय पर भी नियन्त्रण नहीं रखा जावे और उसे प्राप्य साधनों के अनुरूप नहीं रखा जावे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो राजस्व बजट पर अत्यधिक भार पड़ेगा और चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो जावेगी।"

( छठा प्रतिवेदन १९५९-६० )

यह वित्त कमिशन ने देखने के बाद रखा है कि हमारा सब बजट अनबैलेंस्ड चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि वस्तु-स्थिति हमारे विकासों की असंतुलित रही है। तो इस नये बजट के अन्तर्गत आपने नये परिवर्तन किये हैं उसका कारण यह है कि आपने अपना खर्चा बहुत बढ़ा लिया है और ऊपर से हिदायत हुई है। इतना कर्जा ले लिया है तो आपने दो-तीन बातों का नया टैक्स लगाया। हर साल आप टैक्स लगाते आये हैं और इस साल भी लगाया है। छंटनी की बात भी आई है, विभाग हटाने की बात भी आई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां एक विभाग हटाने की, खर्चे को कम करने की बात कही गई है तो पहले इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। विकेन्द्री-करण के बाद यह बात होनी चाहिये। जब आप असंतुलित तरीकों से, मनमाने तरीकों से खर्चा बढ़ाते रहे तो आपको कहते रहे हैं कि आपका खर्चा बढ़ रहा है, पर जब जब भी आपको कहा गया आपने ध्यान नहीं दिया। आपने छंटनी का कहा है, इसका असर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर होगा। २५ लाख की बचत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचा-रियों की कमी से बताई है तो आपको और ५,००० कर्मचारियों को हटाना पड़ेगा, उनकी छंटनी करनी होगी। आपने वास्तव में इस प्रकार खर्चे में कमी करने का निश्चय किया है उससे खर्चे में वास्तव में कमी होगी या नहीं, इकोनॉमी होगी या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता; पर जब हम बेकारी का समाधान करने की बात करते हैं तो इस प्रकार की जाने-वाली छंटनी से जो बेकारी फैलेगी उसके

( श्री मुरलीधर व्यास )

लिये जिम्मेदार कौन होगा ? यह आप नई समस्या पैदा कर रहे हैं । ये पांच हजार व्यक्ति किस प्रकार से अपनी जिन्दगी चलायेंगे ? तो मैं समझता हूं कि योजना के साथ योजना जोड़ी जाय, जिन कर्मचारियों को हटायेंगे, उन लोगों को किस तरह काम में लगाया जायगा ? तो मैं यह निवेदन करूंगा कि औद्योगिक विकास की ओर ध्यान अधिक देना होगा । आज होता यह है कि सरकार से कर्जा लेकर कोटा ले लेते हैं, पर उत्पादन नहीं करते । ये परिस्थितियां कोऑपरेटिव्ज़ में, इसमें, उसमें सब जगह हो गई हैं । इसको चैक करेंगे तो बेकारी की समस्या हल होगी और पैसा खर्च होगा उसका भी लाभ मिलेगा ।

कल खादी के बारे में प्रश्न आया । मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, पर इतना अर्ज कर देना चाहता हूँ कि कई जगह लोगों ने सब्सिडी ली । शाहपुरा में सब्सिडी ली गई, रूई खरीदी गई । पूणी बनेगी, सूत कतेगा, कपड़ा बनेगा, इस नाम पर लाखों की सब्सिडी ले ली और रूई खरीद कर सीधी बेच दी गई और बीच का कुछ भी काम नहीं हुआ; न पूणी बनी, न सूत कता और न कपड़ा बुना गया । रूई खरीद कर बेच दी गई, तो इस चीज को रोकना पड़ेगा । जिस चीज़ को पैदा करते हैं उसको सरकार को खरीदना पड़ेगा, सरकार खरीदती भी है पर इसमें कई गलत बातें होती हैं । म्युनिसिपैलिटीज़ के लिये ऑर्डर्स हैं कि खादी खरीदें पर वे खादी नहीं खरीदते । मैं जयपुर की नगरपालिका का उदाहरण दूं । खादी के अधिकारियों ने कहा कि खादी नहीं लेते । मिनिस्टर के पास गये और उनको कहा कि यह तुम्हारा ऑर्डर है । मैं ऑर्डर के नम्बर बता दूं । ऑर्डर नं० ६८३६ है २५ जुलाई, ६० का; लोकल सैल्फ का ऑर्डर है कि नगरपालिकाओं को खादी खरीदना चाहिये । पर नगरपालिका ने खादी नहीं खरीदी, मिनिस्टर ने बार बार कहा पर नहीं खरीदी; इसलिये नहीं खरीदी कि यहां एक दूकान हमारे होम मिनिस्टर साहब की है, कपड़े का डीलिंग करते हैं, वहां से कपड़ा खरीद लिया, खादी नहीं खरीदी । मिनिस्टर के ऑर्डर की यह हालत होती है तो कौन चैक अप करेगा ? समय पर मिनिस्टर महोदय को सूचना भी दे दी गई थी कि इस तरह नगरपालिका खादी नहीं खरीद कर कपड़ा खरीदेगी और आपको चुप बैठना पड़ेगा ।

अजमेर से आने वाले सम्माननीय सदस्य, श्री महेन्द्रसिंहजी ने कहा कि टैक्सेज़ की क्या नीति होनी चाहिये, वह नीति बहुत सुन्दर है । टैक्सेज़ में लोग बीच में ही टैक्सेज़ की आमदनी को खा जाते हैं । कल सवाल आया था कि सिनेमा का एन्टर्टेनमेंट टैक्स है, पुलिस अधिकारी ने टैक्स नहीं दिया और यों ही सिनेमा में चला गया तो जवाब दिया गया कि उसको सजा दी जायगी । एन्टर्टेनमेंट टैक्स और मोटर यात्रा टैक्स से जितनी आमदनी होनी चाहिये उतनी नहीं होती है, क्योंकि इसमें चोरी बहुत होती है । सिनेमा टैक्स में कितनी चोरी होती है ? मेरे पास जो तथ्य हैं उनमें से कुछ सदन के सामने रखना चाहता हूँ । एक तो टिकट हैं, उन पर ८ पैसे के टिकट लगाने चाहिये, पर सिनेमा अधिकारी एक पैसे, दो पैसे के टिकट लगाते हैं क्योंकि इसको कोई देखता नहीं । प्रेम प्रकाश के मैं कई टिकट दे

( श्री मुरलीधर व्यास )

सकता हूँ जिन पर ८ पैसे की जगह एक पैसे के, दो पैसे के टिकट लगाये गये हैं और यह लगातार चलता रहा है। ८ पैसे की जगह एक पैसा या दो पैसा का टिकट लगाया जाय, ख्याल कीजिये कितना नुकसान होता है। यदि एन्टी करप्शन को देकर जांच कराने के लिये कोई तैयार हों तो इस तरह के मैं हजारों टिकट दे सकता हूं। एक अधिकारी गया, बिना टिकट के। उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। यह जवाब दिया गया। मैं हस्ताक्षर सहित बताऊं कि किस तरह एस. पी. कस्टोडियन, टैक्स अधिकारी बिना टैक्स दिये जाते हैं होम मिनिस्टर भी जाते हैं बिना टिकट सिनेमा देखने। मेरे पास स्लिपें मौजूद हैं, जिनमें लिखा है: "Allow six persons, Home Minister, "Allow six persons,S.P." ये सही हैं, इनको देख लें, इसके लिए ऐसे एक हजार कागज पेश करता हूँ कि बिना एन्टरटेनमेंट टैक्स दिये जाते हैं। म्युनिसिपैलिटी के भी अधिकारी हैं। जब इस प्रकार की स्थितियां हों, नीचे से लेकर ऊपर तक मिल जाते हों और मुफ्त जाते हों तो चैकिंग कौन करेगा और टैक्स का पैसा कम क्यों नहीं आयेगा? तो इन टैक्सेज़ से बहुत कम पैसा इन कारणों से भी आता है।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर यह बात गलत हो तो आप इनको खुद की टेबल पर रख लें और जांच करा लें कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना टिकट के जाते हैं और इससे टैक्स का कितना नुकसान हुआ है।

तीसरी बात, जो मैं बजट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ वह यह है, ठीक बात है, कि हमारे बजट में बहुत सी नई बातें आई हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बजट जो भी होता है कम से कम वह पक्षपातपूर्ण नहीं हो। जहां पर ज्यादा खर्चा करने की जरूरत हो वहां पर ज्यादा खर्चा करना चाहिये और जिन स्थानों पर कम खर्चा करने की जरूरत हो वहां कम। हमारे खर्च करने का दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि जहां की स्थिति खराब है वहां ज्यादा खर्चा करना चाहिये। मैरिट पर काम होता है, वह भी नहीं। अभी कृषि युनिवर्सिटी खोलने का प्रश्न आया तो यह कहा जाता है कि वह उदयपुर में खोली जावेगी। अगर आपको कृषि विश्वविद्यालय खोलना है तो आप उसको सूरतगढ़ में क्यों नहीं खोलते?

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** (दूदू): वह शहर में खुलना चाहिये।

**श्री मुरलीधर व्यास**: वहां पर आपको अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। वहां पर दूसरा फार्म भी खुल रहा है। इसके लिये आधुनिक तरीकों की सभी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होंगी और आपका कम खर्च भी होगा। मगर यह ठीक बात है कि हमारा क्षेत्र है इसलिये वहां पर नहीं खोला जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**मुरलीधर व्यास**: मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि दो मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: आपने काफी समय ले लिया है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरा कटौती का प्रस्ताव था उस पर........

**श्री अध्यक्ष** : कटौती के प्रस्तावों का समय नहीं आया है। आप समाप्त करें।

(श्री बी. एन. जोशी, श्री अर्जनदास आदि के बोलने के लिए खड़े होने पर)

**श्री अध्यक्ष** : श्री बी. एन. जोशी।

**श्री बी. एन. जोशी** (बांदीकुई) : Mr. Speaker, Sir, I rise to make certain observations on the annual budget of the State of Rajasthan presented by the Hon'ble Finance Minister in the House on 9th. At the outset, Sir, I would like to congratulate the Hon'ble Finance Minister on what I consider to be his first realistic budget presented in this House.

I am aware, Sir, that speakers after speakers have stood up to criticise with great force and vehemence the proposals for additional taxation that have been incorporated in the ensuing year's budget. Yet, Sir, it is precisely for these proposals of additional taxation, that I congratulate the Hon'ble Finance Minister.

**श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : हिन्दी में बोलिये।

**श्री बिशम्भरनाथ जोशी** : All right.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Attraction of the galleries has appealed to you.

**श्री बिशम्भरनाथ जोशी** : No, no. It is only to respect the wishes of the Hon'ble members.

**श्री किशनाराम** : माननीय सदस्य यदि हिन्दी में बोलते तो सभी समझ सकते।

**श्री बिशम्भरनाथ जोशी** : मैं, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसका स्वागत करता हूँ।

**एक माननीय सदस्य** : आप जल्दी डर जाते हैं।

**श्री किशनाराम** : अंग्रेजी में जो बोलता है उसकी हिन्दुस्तान में ज्यादा इज्जत नहीं है।

**श्री बिशम्भरनाथ जोशी** : मैं एक बात कहना चाहता हूँ।

**श्री अध्यक्ष** : जिस भाषा में माननीय सदस्य बोलना चाहें बोल सकते हैं।

**श्री बिशम्भरनाथ जोशी** : तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगले वर्ष में जो टैक्सेज का प्रोपोज़ल है उसमें राजस्थान की जनता पर अधिक कर लगेंगे, इसके लिये वित्त मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूँ। मैं यह कहूँगा कि यह सही नुकसान है। माननीय सदस्य यह भी कहते हैं कि इतना बड़ा धन कैसे हमारे ऊपर कर्जे के रूप में हो गया है? जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उससे १२७ करोड़ ९१ लाख का राजस्थान की सरकार पर पब्लिक लोन्स और ओवर

# Page No.54



( श्री विशम्भरनाथ जोशी )

ड्राफ्ट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट का सब मिला कर कर्जा आता है। मैं यह कहूँगा कि एक ओर माननीय सदस्य आपत्ति करते हैं कि इतना बड़ा कर्जा लगाये और हम उस पर कुछ कहें नहीं। हमारी भावी संतान को आपको कर्जे से बचाना चाहिये ! मगर इसके साथ साथ यह भी मांग की जाती है कि हमारे यहां पर सड़कों का प्रबन्ध होना चाहिये, स्कूलों और कारखानों के खुलने का प्रबन्ध होना चाहिये और जो कुछ भी आज की फैसिलिटी और एमेनिटीज़, सुख और सुविधाएं और साधनों का समावेश होना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों का यह कहना कोई उत्तरदायित्वपूर्ण तरीका नहीं है। एक तरफ हम इस बात की मांग करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे और सुख और सुविधा के साधन सरकार उपलब्ध करें, मगर साथ में यह नहीं कहते कि सरकार आखिर पैसे कहां से लावेगी ? इसके लिए टैक्स लगाना ही होगा। यह शिशुओं की तरह से बातें करने का तरीका है। ये बातें इस बात को जाहिर करती हैं कि अगर इस प्रकार की कोई भी बात कहता है तो यह पोलिटिक्ल मोटिव (मेटायर) नहीं हो, उनके सोचने का तरीका बहुत ही infantile का सा है और वह बहुत ही गलत है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार के पास इसके अलावा कोई आल्टरनेटिव नहीं रहता कि वह पब्लिक को विश्वास में ले और वर्तमान जेनरेशन से मांग करे कि हर एक व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार हमारी योजनाबद्ध प्रगति के हित के लिये कुछ न कुछ त्याग करने को तैयार है।

एक बात यह कही गई कि गरीब लोगों पर इन करों का भार पड़ेगा। इस बात से कोई इन्कार नहीं किया जा सकता कि गरीब लोगों पर भी भार पड़ेगा। उन लोगों पर अवश्य भार पड़ेगा। इस देश में आप जिन लोगों को गरीब कहते हैं उनकी तादाद मैं कहूँगा कि ८५ प्रतिशत है। हम इस योजनाबद्ध देश की प्रगति सारी आबादी के ८५ प्रतिशत लोगों को अछूता नहीं छोड़ सकते। इस बात से कोई, मैं समझता हूँ कि समझदार आदमी इन्कार नहीं कर सकता।

अब प्रश्न यह रहता है कि क्या कम आमदनी जिन लोगों की है उनको टैक्सों से मुक्त किया जावे, उनको टच नहीं किया जावे ? यदि उनको टच नहीं किया जाता है तो देश में ८ या १० प्रतिशत लोग ही ऐसे होंगे जिनकी इन्कम ठीक है। उनके आधार पर करोड़ों और अरबों रुपयों की योजनायें चलती रहें, मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी इसको नहीं सोच सकता कि यह उचित होगा। यह नैतिकता के नाते भी अनुचित होगा। मैं यह कहूँगा कि यह बात उनके सम्मान के उपयुक्त बात नहीं है कि उनसे कोई इस कार्य के लिए सहयोग न लिया जावे और उनको यह महसूस कराया जावे कि उनका योगदान राजस्थान के हित में, राजस्थान की उन्नति में नहीं लिया जाएगा और हिन्दुस्तान के कुछ इने-गिने और मालदार और राजा-महाराजाओं को इसका श्रेय मिले। हम इस बात को जनतन्त्र में भारत और राजस्थान के लोगों को महसूस नहीं होने देना चाहते। हिन्दुस्तान के गरीबों को इस बात का विश्वास होना चाहिये कि वे भी राजस्थान की समृद्धि

( श्री विशम्भरनाथ जोशी )

के लिए अपनी स्थिति के अनुसार बराबर की हैसियत से त्याग और कुर्बानी करने को तैयार हैं और त्याग और कुर्बानी दे रहे हैं। जब तक यह भावना लोगों में नहीं आवेगी तब तक उनमें अपने अधिकारों की कॉन्शियसनैस नहीं आवेगी और अपने नागरिक कर्त्तव्यों को पूरा नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैं यह कहूँगा कि जब तक गरीबों के दिल में यह नहीं आ जावे कि हम देश के नागरिक हैं और हमारे भी इस देश को आगे बढ़ाने में कुछ कर्त्तव्य हैं और हम प्रजातन्त्र की रीढ़ की हड्डी हैं और हमें आगे बढ़ना है। इसलिये आज नये टैक्स हैं वे देश की प्रगति के लिये होने चाहिये। अब यह कहा जाता है कि देश के रहने वाले लोगों की स्थिति के मुताबिक ये टैक्स लगने चाहिये जिससे कि उनमें वजन को सहने की क्षमता हो, जितना भार सहन कर सकें उसके अनुसार ही वजन डालना चाहिये। आप कहते हैं कि इन ८५ प्रतिशत लोगों की ताकत है उनको अछूता छोड़ दिया जाना चाहिये, मैं समझता हूँ कि कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात को नहीं कहेगा। प्रजातन्त्र में उनको यह महसूस नहीं होना चाहिये कि वे राष्ट्र हित के कार्य में सहयोग नहीं दे रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी ने यह जो घाटे का बजट पेश किया है और नैतिक साहस दिखाया है उसके लिये उनकी सराहना करूंगा और वह भी ऐसे समय में जब कि इलेक्शन आने वाला है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और यह सोचते हैं कि सन् ६२ के आम चुनाव हमारे सामने आने वाले हैं, लोगों से हमको वोट लेना है और अपने लोगों को ही इलेक्शन में वापिस लाना है तो यह ठीक नहीं हो सकता है कि ऐसा करने से कांग्रेस को अधिक वोट मिल जाते। इसका नतीजा यह भी होता कि एक तरफ कर्जे से दबते चले जा रहे हैं और अमेरिका और दूसरे देशों से कर्जा पहाड़ के समान हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, वर्तमान स्थिति में हम लोगों से त्याग की अपील न करें, उनको विश्वास में न लें, देश की स्थिति को उनके सामने न रखें, आमदनी के साधनों को कम करके और दूसरे तरीकों से जनता को ओर से राष्ट्र के कार्यों के लिए जो धन मिल सकता है और जो लोग अपने कर्त्तव्यों को निभाना चाहते हैं उनको मौका न देकर यदि आवश्यकता से अधिक और क्षमता से अधिक वजन छोड़ दिया जाय तो उस स्थिति में एक अभिशाप होगा और इतिहास में कलंकित होना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि वित्त मंत्री महोदय ने अगले वर्ष के आम चुनावों की कोई चिन्ता किये बगैर कुछ टैक्सेज में वृद्धि कर जनता का जो आह्वान किया है राष्ट्र के निर्माण के कार्यों के लिए और उन्होंने जो एक राजनैतिक साहस का परिचय दिया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद और मुबारिकबाद देना चाहता हूँ।

मुझे बजट में स्पेशल फीचर्स के सिलसिले में थोड़ा अर्ज करना है। एक बात कहना चाहता हूँ। फाइनेन्स सेक्रेटेरियेट का केल्कुलेशन कुछ भी हुआ हो, किन्तु वह ऐसा नहीं है कि उसके लिए मुबारिकबाद दी जा सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह आशा करते थे कि फ्रेश टैक्सेज़ से हमको ६ करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। रिवाइज्ड एस्टीमेट थे कि शायद हमारी १२ करोड़ की आमदनी हो

( श्री विशम्भरनाथ जोशी )

जावेगी और हमारे आंकड़े यह बताते हैं कि १३।। करोड़ की आमदनी हुई। जो टैक्सेज ६ करोड़ के आंके जाते थे वे १३ करोड़ के बैठे। डिपार्टमेन्टल विशेषज्ञ हैं वे भी आखिर इन्सान हैं, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है कि १०-१५ पर्सेन्ट इधर उधर हो जाए, लेकिन ६ करोड़ के बजाय १३।। करोड़ हुए, डेढ़ गुना फर्क बढे, यह विभाग की कमजोरी का ही सूचक है। जनता सेक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, लेकिन विभाग की इस कमजोरी के कारण जनता पर बिला जरूरत अधिक भार पड़ जाता है जिससे उसको दिक्कत होती है। एक्सपर्ट्स से ऐसी आशा नहीं की जा सकती थी कि इस प्रकार से केल्कुलेशन्स करेंगे। भविष्य में ऐसा नहीं होगा, यह आशा करके चलना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में ऐसी आशा करते थे कि राजस्थान करीब २७ करोड़ रुपया अपने साधनों से जुटा पायेगा, लेकिन यह हम देखते हैं कि ४१ करोड़ जुटाये गये। बेनिफिट भी हमको कोई नहीं हुआ। होना यह चाहिये था कि काम की साइज़ को इन्क्रीज़ करना चाहिये था, १०५ करोड़ के बाद भी ९६ करोड़ कर पाये और ७० करोड़ भारत सरकार की ओर से हमको मिलने का वायदा था उसके बजाय हमको मिला ६० करोड़ ही। अपने साधनों से हमने अधिक जुटाया, उससे हमको नुकसान हुआ है और भारत सरकार से जो ७० करोड़ मिलने वाले थे उनके बजाय हमको ६० करोड़ ही मिले।

( घंटी )

**श्री अध्यक्ष** : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, सन् ६१-६२ का जो बजट वित्त मंत्री महोदय ने दिनांक ६ मार्च को प्रस्तुत किया उस पर वाद-विवाद का यह तीसरा दिन है। बजट के सम्बन्ध में सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। समयाभाव के कारण मैं जितनी बातें इस समय रखना चाहता था उतनी बातें नहीं रख सकूंगा, लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक बात निश्चित है कि गत आम चुनावों के बाद यह पांचवां बजट है और यह समझता हूँ कि इन पिछले चार बजटों में जब कभी भी घाटा रहा है जो बजट प्रस्तुत किये गये थे उनमें इस प्रकार के अनुमान रखे गये थे कि उस घाटे की पूर्ति किस प्रकार से की जावेगी। यह पहला बजट है जिसमें ३२७ लाख का घाटा दिखाया गया है और १३५ लाख के टैक्सेज़ और २८ लाख की इकोनोमी इस १६३ लाख के बावजूद भी १६४ लाख का क्या होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं है। मैं यह समझता हूँ कि यह डेफिसिट फाइनेंस अनकवर्ड रहा है, यह राजस्थान में तो कम से कम पहली बार रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इसको देखने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि राज्य सरकार बधाई की पात्र नहीं। चांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे और वित्त मंत्री-जी को वे बधाई देंगे इस बात के लिए कि उन्होंने बड़े साहस के साथ टैक्सेज़ के प्रोपोज़ल्स दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो ३२७ लाख का घाटा है उसमें

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

से १६३ तो टैक्सेज़ और बचत से हो जावेंगे, बाकी १६४ लाख का क्या करेंगे ? मैं वित्त मंत्रीजी से भी पूछना चाहता हूँ कि तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में ३२ करोड़ के एडीशनल टैक्सेज़ लगाने का प्रावधान करना है और उसके हिसाब से ६ करोड़ के टैक्स प्रति वर्ष होने चाहिये । ६ करोड़ कैसे इकट्ठा करेंगे ? दिखता यह है कि एक साल के बाद सन् ६२ के आम चुनाव हो जावेंगे, उसके बाद राज्य सरकार को जितने टैक्सेज़ में कमी रहेगी उनको एक साथ कैसे वसूल करेंगे; जैसे कोई आदमी बेर के पेड़ से बेर झाड़ता है ।

आज अगर हिम्मत होती तो वित्त मंत्री महोदय सदन में घोषणा करते कि जितने टैक्सेज़ लगाने हैं ये लगावेंगे, हिम्मत होती तो वे उनको सदन के सामने लाते । लेकिन हिम्मत नहीं है क्योंकि अगले साल चुनाव आ रहे हैं । इसलिये यह बजट प्रस्तुत किया गया है, अध्यक्ष महोदय, वह अगले चुनावों को ध्यान में रख कर किया गया है । जितने प्रोपोज़ल्स टैक्सेज़ लगाने के थे उनके हिसाब से उन्होंने लगाये । इकोनोमी की खर्चे में उनके कहने के अनुसार, इकोनोमी की, मितव्ययता की, सेविंग्स की बातें कही गई । मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि वे अगले आम चुनावों को ध्यान में रख कर की गई हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रावधान और तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रावधान की ओर संकेत किया गया है और कांग्रेस की ओर से जितने माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने टैक्सेज़ का समर्थन किया है ।

अध्यक्ष महोदय, टैक्सेज़ जरूरी हैं । इस प्लान्ड इकोनोमी के युग में, विकास के आज के युग में टैक्सेज़ की आवश्यकता है, लेकिन राजस्थान में पर-केपिटा टैक्स रेवेन्यु जो वसूल होती है वह अनेक प्रान्तों से ज्यादा है । आज हमारे यहां पर टैक्सेज़ से रेवेन्यु बढ़ती जा रही है । जो टैक्स-रेवेन्यु बढ़ता जा रहा है वह बढ़ना चाहिये क्या ? यह एक प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह खड़ा होता है कि टैक्स देने के बारे में विरोध खड़ा होता है और विरोधी पक्ष वाले माननीय सदस्य इसका विरोध इसलिए करते हैं कि यदि डेवलपमेंट के कार्यों के लिए आपको

( १. ४८ म० प० )

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

लोन लेना पड़े तो लोन लेना चाहिये, डिपार्टमेंट्स में सेविंग्स और इकोनोमी की आवश्यकता हो वहां करनी चाहिये और जो अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं उनमें कमी की जा सकती है और करनी चाहिये । सवाल यह खड़ा होता है कि टैक्सेज़ लगाने जा रहे हैं और ज्यादा कर लगाते हैं विकास के नाम पर गरीब जनता पर, विकास के नाम से ऋण बढ़ा रहे हैं जनता के ऊपर । सरकार अपनी आमदनी करों से इकट्ठी कर रही है । अभी सदन में वाद-विवाद हुआ उस ओर वह संकेत करता है कि गरीब जनता पर टैक्सेज़ का भार बढ़ता जा रहा है । उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है और एक प्रकार से जनता के साथ अन्याय और खिलवाड़ हो रहा है । वाद-विवाद में भाग लेते हुए, उपाध्यक्ष

# Page No.58



( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

महोदय, अपनी ओर जन संघ के नेता और श्री माधोपुर से आये माननीय सदस्य ने और नसीराबाद से आये माननीय सदस्य एवं राजस्थान प्रोविन्शियल कांग्रेस के भूतपूर्व सचिव ने किस प्रकार से जनता के पैसे का अपव्यय होता है, उसके विषय में सदन के सामने वास्तविक बातों की प्रतियां रखीं और अन्य कई आधारों पर कई बातें रखी जाय और विश्वास के साथ रखी जाय तो मैं ऐसा समझता हूँ कि राज्य के सारे साधनों को वित्त मंत्री महोदय के हाथों जो सौंपा है और, उपाध्यक्ष महोदय, कल जो तालिका रखी वह किस प्रकार की थी ? हम टैक्सेज़ तो एक तरफ ले जाते हैं और दूसरी तरफ किस प्रकार से रिलेक्सेशन करते हैं, कई वर्ग विशेष के लोगों को इस प्रकार का आश्वासन दिया जाता है वित्त मन्त्री महोदय की तरफ से कि आप यदि एक आना गांठ के हिसाब से चन्दा देते हैं तो आपके कर में रिलेक्सेशन कर दिया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ जिस समय माननीय सदस्य ने यह बात कही थी उस समय वित्त मन्त्री महोदय का यह साहस नहीं हो सका कि यदि वे इसको गलत समझते तो उसी समय वे इसको करेक्ट करते, लेकिन यह साहस नहीं हुआ और होता भी कैसे जब कि उन्होंने इस प्रकार का सौदा किया ? राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय पर इस प्रकार के आरोप लगाये जाय और टैक्सेज़ में एक वर्ग विशेष को इसलिये रिलेक्सेशन दें कि जिससे एक संस्था को चन्दा मिल सके, उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई सीधी–सादी बात नहीं, बहुत गम्भीर बात है और जहां तक मेरी जानकारी है जिस दिन से टैक्सेज़ में रिलेक्सेशन हुआ उसी दिन उन के व्यवसायियों की तरफ से एक पांच हजार का चैक लिया गया। अगर मैं गलत कहता हूँ तो वे इन्कार कर दें।

मैं समझता हूं इस प्रकार से सारी व्यवस्था चलती रही तो मैं कह सकता हूं कि वित्त मन्त्री वे रहें, लेकिन जो हमारी प्लान्ड इकोनोमी का छोटा बच्चा जिसका पालन–पोषण का भार हम उनको दे रहे हैं वह बच्चा उनके हाथों रह कर कहीं निकम्मा न रह जाय। इस तरह से पूत के पांव पालने में ही दीख गये। अगर वह निकम्मा हुआ तो मैं तो यही कहूंगा कि इस पर हमें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। जहां उन्होंने इसको लड़का कहा है मैं इसको लड़की मान कर चलता हूं क्योंकि प्लान्ड इकोनॉमी फेमीनाइन जेन्डर है, इसलिये इसको लड़के के बजाय लड़की कहा जाना चाहिये। जब लड़की के पालन–पोषण का भार किसी पर होता है तो उसके लिये बच्चे की अपेक्षा उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। उन्होंने अपने इस बच्चे की कल्पना करते हुए यह भी कहा कि वह अब तक १० साल का हुआ है जो हाई स्कूल की कक्षा तक पहुंच पाया है। लेकिन यह आप ध्यान रखिये कि वह बच्चा हाई स्कूल के आगे टी०-डी० सी० में नहीं जायगा; क्योंकि जिनके हाथ में इसका संरक्षण का भार दिया है जिनको दूध पिलाने और पालन पोषण का भार हमने दिया है उनके लिये यहां सदन में कई चार्जेज़ लगाये गये हैं और उपाध्यक्ष महोदय, वे इस बात के लिये पर्याप्त प्रमाण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसी हालत में जहां हमने अपनी प्लान्ड इकोनोमी के बच्चे के पालन–पोषण का भार

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे रखा है जिसके हाथ इस प्रकार के कारनामों में लिप्त हैं वैसी हालत में होना यह चाहिये कि इस प्लान्ड इकोनोमी में बच्चे के पालन–पोषण का भार उनसे हटा कर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाय ; दूसरा गार्जियन इसके लिये मुकर्रर करना चाहिये ताकि यह प्लान्ड इकोनोमी का छोटा सा बच्चा सही हाथों में डेवलप हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो भी बातें कल कही गई, उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता; लेकिन वित्त मंत्री महोदय से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस समय वे खादी बोर्ड के चेयरमैन थे उस समय वहां से उन्होंने ५० हजार रुपये का कर्जा लिया अजमेर–मेरवाड़ा ग्राम सेवा मण्डल का भवन बनाने के लिये, लेकिन उस पैसे से आपने रामगंज रोड पर एक बंगला खरीदा है, जिसकी रजिस्ट्री कर दी गई बालकिशन गर्ग के नाम से; क्या यह सही नहीं है : रुपया आप लेते हैं एक मण्डल का भवन बनाने के लिये, यह मानी हुई बात है कि वह स्टेच्युटरी बोर्ड है, लेकिन आपने अपने चेयरमैन काल में जो रुपया भवन बनाने के लिये लिया उसके हिसाब में घोटाला किया और फिर जाकर रजिस्ट्री करते हैं व्यक्तिगत नाम से ?

उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में अब मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ वित्त मन्त्री महोदय की ऐसी हालत में लीगल पोज़ीशन और कॉन्स्टीट्यूशनल पोज़ीशन निवेदन करना चाहता हूं । आपके ऊपर बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते, अजमेर ग्राम सेवा–मण्डल के चेयरमैन होने के कारण वहां से टेन्डर्स इन्वाइट किये जाते हैं और वे अपनी तरफ से टेन्डर भी देते हैं और माल सप्लाई करते हैं । रिप्रेज़ेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत क्या यह पर्याप्त कारण नहीं कि आप इससे राजस्थान सरकार के अन्तर्गत कॉन्ट्रैक्ट में एन्टर होते हैं और अजमेर ग्राम सेवा मण्डल के द्वारा टेन्डर्स देकर माल सप्लाई करते हैं ? इस कारण, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निश्चित मत है कि रिप्रेज़ेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत आप यहां बैठ नहीं सकते, इस जगह पर रह नहीं सकते । यह एक डिसक्वालिफिकेशन है, इसलिये आप यहां रह नहीं सकते, आपको रहना नहीं चाहिये, यह मैं समझता हूं । यह ऐसा प्रश्न है जिस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये ।

आप चाहें तो इस सम्बन्ध में रिप्रेज़ेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की पुस्तक मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं । जिस संस्था के वे चेयरमैन हैं उसके लिये यह कहा जा सकता है कि वह स्टेच्युटरी बोर्ड है और आप उसके चेयरमैन हैं । वैसी हालत में मैं यह समझता हूं कि रिप्रेज़ेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट को, जिसको बनाया है; इस सम्बन्ध में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया वहां पर एक पार्टी, जिसमें पार्टनरशिप थी, एक कॉन्ट्रैक्ट में एन्टर हो गये । उसमें यह फैसला दिया गया कि जो भी पार्टी चाहे वह पार्टनरशिप में हो किसी भी गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एन्टर होती है तो इस एक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत वह डिसक्वालिफिकेशन मानी जायगी । आप तो इस मंडल के चेयरमैन हैं, पार्टनर नहीं । आपके हाथ के नीचे सब कुछ काम होता है ।

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

आपने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ कई मामलों में सप्लाई में कॉन्ट्रेक्ट किया है। वैसी हालत में इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था के आधार पर आप डिसक्वालिफाइड हैं यहां की मेम्बरशिप के लिये। वैसी हालत में यह मामला इतना गम्भीर है, साधारण या मामूली नहीं, छोटे राज्य कर्मचारी का मामला नहीं। एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट एक हैडकॉन्स्टेबल के खिलाफ मामला तैयार कर सकता है, तुरन्त कॉग्नीज़ेन्स ले लेता है और वह सस्पेन्ड हो जाता है। जयपुर की अदालत में आठ आने की रिश्वत का मामला चल रहा है जिसकी पैरवी के लिये २५० रुपये माहवार का पैरोकार रहता है। लेकिन जो इस प्रकार के मामले जहां बड़े बड़े गबन होते हैं, अपने पद का जो मिसयूज़ करते हैं, गवर्नमेन्ट फन्ड्स का मिसयूज़ करते हैं उनको आप अपनी सरकार में रखते हैं। आज हम देखते हैं कि जहां एन्टीकरप्शन दफ्तर बना हुआ है, जिसका किराया सात सौ रुपया दिया जाता है उसमें सेक्रेटरी रहते हैं और जो राज्य सरकार से ४६ रुपया प्रति माह हाउस रेन्ट के नाम से लेते हैं। इसी तरह से खादी बोर्ड के सेक्रेटरी हैं वे हाउस रेन्ट उठाते हैं और रहते हैं बोर्ड के कार्यालय के ऊपर ही।

**श्री उपाध्यक्ष** : Hon'ble member please. I treat this portion of the debate as of personal nature and I wish the Hon'ble member confines himself to the scope of the discussion.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : एन्टीकरप्शन विभाग के पास यह रिपोर्ट है, लेकिन वह इस पर गौर नहीं कर रहा है। वह विभाग के उन्हीं लोगों के लिये है जो छोटे कर्मचारी हैं। इस बारे में एन्टीकरप्शन विभाग यदि जांच करना चाहे तो पर्याप्त मैटर उसको इन स्थानों से मिल सकता है। खादी बोर्ड से अजमेर–मेरवाड़ा ग्राम सेवा मंडल के रेकॉर्ड से जांच की जा सकती है और उनको तुरन्त अपने कब्जे में लिया जाना चाहिये और फिर जाब्ता तौर पर कार्यवाही की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार इकोनोमी की बातें करती है, लेकिन इकोनोमी करना चाहती है किस प्रकार से? बजट में बताया गया है कि बन्दोबस्त और भू–एकीकरण विभाग को मिला दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर इससे बचत कितनी होगी? पचास हजार की। क्या आखिर यह कोई खास बचत है? हमें इस प्रकार बचतों के बारे में पॉलीसीज़ तय करनी होंगी।

हमारे यहां पर माइन्स डिपार्टमेन्ट है, जिसके द्वारा पत्थरों और पहाड़ों का ठेका दिया जाता है, लेकिन उसके बारे में राजस्थान सरकार एक नीति निर्धारित नहीं कर पाती। मोनोपोली का सिस्टम रखना नहीं चाहते। आपको कहते हैं कि मोनोपोली तोड़ दी जाय, लेकिन आप तोड़ेंगे नहीं। भरतपुर में एक पत्थर की खान है जिसका झूमरमल स्वरूपमल को कॉन्ट्रेक्ट दिया था। राजस्थान सरकार के माइन्स डिपार्टमेंट ने लाइसेन्स को रिन्यू नहीं किया। राजस्थान में कई सहकारी समितियां हैं जो उसको लेना चाहती हैं, लेकिन उनको दिया नहीं गया और उसी

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

पार्टी के लिये सिफारिश कर दी जाती है। पहले की सिफारिश मौजूद है कि उसका लाइसेन्स रिन्यू नहीं किया जाय, लेकिन बहुत जल्दी ही उस सिफारिश को बदल कर एक लाख रुपये में उसको ठेका दे दिया जाता है। उसी ठेके के लिये सहकारी समितियां चार लाख रुपया देने को तैयार हैं, लेकिन वे इस तरह से तीन लाख सहकारी समितियों से लेना नहीं चाहते क्योंकि लेते हैं तो वह स्टेट ट्रेज़री में जाता है। दूसरी तरफ एक लाख रुपया दिया जाकर जो ठेका दिया गया है उसमें से तीन लाख रुपये चुनाव फंड, कांग्रेसी चुनाव फंड में जमा होंगे। मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो बातें हैं उन पर विचार करना चाहिये। हो सकता है, इसकी चिन्ता हमारे वित्त मंत्री महोदय को न हो और उनको हो भी कैसे? वे तो साठ वर्ष के हो चुके, लेकिन जो जवान हैं, जिनके ऊपर इसका भार आने वाला है उनको तो इस प्रकार से जो स्टेट की गाढ़ी कमाई की चिन्ता होनी चाहिये। इस प्रकार से जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जिसका दुरुपयोग होता है उस दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जायगा और न किया जाना चाहिये।

५ मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को अगर छंटनी करनी है तो बड़े अधिकारियों की करे। सेक्रेटरीज़, डिप्टी सेक्रेटरीज़, असिस्टेन्ट सेक्रेटरीज़, डाइरेक्टर्स, डिप्टी डाइरेक्टर्स इत्यादि की करे।

एक बात और कहूँ। हमने आज ए०-जी० ऑफिस से अधिकारी ले रखे हैं डेपुटेशन पर, जिनको डेपुटेशन अलाउन्स सरकार को और देना पड़ता है। ए० जी० ऑफिस के एक यू० डी० सी० को आज इसी तरह चम्बल प्रोजेक्ट में ४७०) रु० मासिक मिलता है जब कि उसी के बराबर काम करने वाले राजस्थान के सर्वेन्ट को २७०) रु० मिलते हैं। यह क्या एनोमोली है? डेपुटेशन पर आया हुआ आदमी अकाउन्टस का यू० डी० सी० है। जिस काम को अकाउन्टस ऑफिसर करता है विभिन्न दफ्तरों में उसको हम ५०) रु० एक्स्ट्रा देते हैं। पेमिन का काम पहले राजस्थान का ही अकाउन्टस ऑफिसर करता था और उसको २७०) रु० मिलते थे और वह काम कर रहा था, पर आज ए० जी० ऑफिस से १,३००) रु० का आदमी लाकर बैठा दिया। आप अपने राजस्थान सरकार के जितने भी अकाउन्टस के लोग हैं उनकी स्थिति पर विचार करें। अगर आप यह डेपुटेशन की बात बन्द करते हैं तो आपके यहां के अकाउन्टस के ऑफिसरों को लोगों को प्रोमोशन के चान्सेज़ मिलेंगे, यह एक फायदा। दूसरा फायदा इससे यह भी होगा कि आपको वेतन के रूप में भी अधिक नहीं देना पड़ेगा, बल्कि बचत होगी। आप इससे दो लाख की करीब बचत कर सकेंगे।

अन्त में मैं कह सकता हूँ कि यह आपका चुनाव का बजट है, इसीलिये यह कर भार १.३५ लाख का है। पर इलेक्शन के बाद में आप भारी भारी कर लगाने वाले हैं। इसलिये यह सही बजट नहीं कहा जा सकता। सरकार जन-हित के कार्य करने में असफल रही है। हर विभाग में आज उसके घोटाला है, कोई महकमा ऐसा नहीं जहां भ्रष्टाचार और घोटालों का बोलबाला न हो और इसलिये मैं समझता हूँ कि जैसा निकम्मा बजट यह प्रस्तुत

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

हुआ है वैसा निकम्मा बजट आज तक कभी प्रस्तुत नहीं हुआ। इस हालत में वित्त मन्त्री कतई धन्यवाद के पात्र नहीं हैं। मैं कहूँगा कि वे जल्दी से जल्दी वहां से निकल कर यहां आकर बैठें। इसी में उनका भला है, नहीं तो भूतपूर्व मन्त्री फिर आ गये हैं, वे आपको जबर्दस्ती हटा कर वहां बैठेंगे। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

**श्रीमती सुमित्रा देवी** ( पिलानी ) : राजस्थान का ६१-६२ का जो बजट वित्त मन्त्री महोदय ने विधान सभा में प्रस्तुत किया है वह एक घाटे का बजट है। कल्याणकारी राज्य के लिये घाटे का बजट होना एक लक्षण है। इस परम्परा का निर्वाह करते हुए बजट जैसे शुष्क विषय को भी हमारे साहित्यिक वित्त मन्त्री महोदय ने साहित्यिक उपमाएं देकर सरस एवं दिलचस्प बना दिया है, इसके लिये वित्त मन्त्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं मानती हूँ कि पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करने के लिये और प्रान्त के निर्माण और लाभ के लिये पैसा इकट्ठा करना होगा और यह पैसा हम जनता पर कर लगा कर ही इकट्ठा कर सकते हैं। परन्तु जो कर हम जनता पर लगाते हैं उसके लिये देखना यह होगा कि वह कर देने की क्षमता रखने वालों पर लगाया गया है या नहीं? इस पृष्ठभूमि में हम देखते हैं तो जो कर लगाये गये हैं उनमें कुछ ऐसे भी कर हैं जो क्षमता वालों पर न लगाया जाकर जन-साधारण पर, जिनकी क्षमता नहीं है, उन पर भी लगा दिये हैं। जन-साधारण पर उनकी शक्ति से अधिक कर भार डालना समाजवादी समाज की स्थापना के हमारे नारे के भी प्रतिकूल है। इसका मतलब यह होता है कि हमारी कथनी और करनी में अन्तर है। समाजवाद के अनिवार्य मूल तत्वों को जब महत्व नहीं दिया जाता तो नतीजा यह निकलता है कि इतने वर्षों के प्रयत्नों में भी सफलता नहीं मिली है, जिसके फलस्वरूप बेकारी बढ़ी है। निजी क्षेत्र में जरूर लोगों का मुनाफा बढ़ा है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं और बेकारी बढ़ी है, खाद्य समस्या भी विद्यमान है। इन सबके बावजूद भी तीसरी योजना में सहकारी खेती और अन्न के राजकीय व्यापार को गम्भीरता से नहीं लिया गया। कहने का मतलब यह है कि समाजवादी मूल नीति का अभाव है।

आज असमानता बढ़ रही है और समाज विरोधी तत्व समाजवादी लोकतन्त्र के प्रयास को असफल करने के लिये समाजवाद के ही विरोध में प्रयोग कर रहे हैं। इससे समाजवाद के विरुद्ध जनता की भावना में प्रतिक्रिया और विरोधी भावना उत्पन्न होगी। अतः यह निवेदन है कि समाजवाद के अनुकूल ही नीति अपनाई जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार पर यह आक्षेप लगाया है कि बजट में जो प्रावधान किया जाता है वह किसी कांग्रेसी संगठन को फीड करने के लिये या किसी कांग्रेसी एम० एल० ए० को फीड करने के लिये किया जाता है, परन्तु मैं यह मानती हूँ कि यह बात बिल्कुल निराधार और तथ्यहीन है। मैं कह सकती हूँ कि जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आती हूँ उसी क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है, जिसकी आबादी ५०० की है और उस गांव में इस वर्ष के बजट में

( श्रीमती सुमित्रा देवी )

एक लाख रुपया मन्जूर हुआ है। वह गांव पिछले आम चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ था और इस वक्त पंचायत के चुनावों में भी वहां का सरपंच कांग्रेस के खिलाफ था। अत: मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं किया जाता। पर बड़े दुःख और अफसोस के साथ मैं यह अवश्य कहना चाहूँगी कि जो पैसा हम कर के द्वारा गरीब जनता की गाढ़ी कमाई से इकट्ठा करते हैं उस पैसे का सदुपयोग अवश्य होना चाहिये, पर वह नहीं होता। मैं बताऊं सदन की जानकारी के लिये कि ६० हजार रुपया एजुकेशन की एक हायर सेकन्डरी स्कूल की बिल्डिंग के लिये मन्जूर हुआ। सदन कहीं मेरी मंशा और भावना को ऐसा गलत न समझ ले कि मैं नहीं चाहती कि इस तरह से रुपया शिक्षा संस्था के भवन के लिये मन्जूर न हो। वह लड़कियों की संस्था है। मैं चाहती हूँ कि हमारे राजस्थान में स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहन मिले और खास तौर से हमारा जो जिला है वहां की लड़कियां शिक्षा में औरों से पीछे न रहें। इसलिये उनको हर प्रकार की सुविधाएं मिलें, यह मैं दिल से चाहती हूँ। परन्तु मैं बड़े अफसोस के साथ यह भी कहना चाहती हूँ कि जिस स्कूल के लिये साठ हजार का प्रावधान किया गया है उसी स्कूल को मिलिटरी फण्ड से १५ हजार रुपया मिल चुका है, पिछली पंचायत समिति से भी पांच हजार रुपया मिल चुका है और पहले के जिला बोर्ड से भी पांच हजार रुपया मिल चुका है।

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : स्कूल का नाम क्या है ?

**श्रीमती सुमित्रा देवी** : आंडावता गर्ल्स हायर सैकन्डरी स्कूल। इस गांव की आबादी सिर्फ पांच सौ है।

**श्री श्रीभानसिंह** : जी नहीं, यह शीशरामजी की कॉन्स्टीट्यूएन्सी की मालूम पड़ती है ?

**श्रीमती सुमित्रा देवी**: यह मेरी कॉन्स्टीटयूएन्सी में है। माननीय सदस्य जरा ध्यान से सुना करें। तो जिसको बीस-पच्चीस हजार रुपये पहले मिल चुके उसको साठ हजार और मिलना इस बात का द्योतक है कि वह स्कूल कभी पूरा नहीं होने वाला है, द्रौपदी के चीर की तरह उसका अन्त होने वाला नहीं है। बजट में इन रुपयों का प्रावधान रखने से पहले कम से कम यह तो जानकारी कर ली होती कि पहले कहां कहां से कब कब कितना कितना रुपया उस स्कूल को मिल चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय, खैर, मुझे तो सन्तोष है कि वित्त मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में एक बात कही है कि सारे बजट को एक ही लक्ष्य सामने रख कर बनाया गया है और वह लक्ष्य है राजस्थान की प्यारी जनता का सर्वोपरि हित। इस दृष्टि से मुझे सन्तोष है कि वित्त मन्त्री ने जो कुछ किया है वह ठीक ही किया है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात सदन में बहुत सुनने को आती है, कट मोशन्स भी आते हैं, पिछली बार भी कहा गया था, इस बार भी उसी बात का कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया, वह है डॉक्टरों का अभाव और खास तौर से लेडी डॉक्टरों

( श्रीमती सुमित्रा देवी )

का अभाव । इसको पूरा करने के लिये एक माननीय सदस्य ने मैडिकल कॉलेज में केवल लड़कियों के लिये ही प्रावधान करने का सुझाव भी दिया है। बड़ी खुशी की बात है कि बजट में माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने एक तीसरा मैडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। परन्तु तीसरा मैडिकल कॉलेज खुल जाने भर से डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टरों की कमी की पूर्ति नहीं होगी और इसलिये नहीं होगी कि यहां पर डॉक्टरों की ये स्केल कम है। मैट्रिक के बाद जो लड़के या लड़की मेडिकल में जाते हैं उनको साढ़े सात साल का कोर्स पूरा करना होता है और यह शिक्षा एक्सपेन्सिव भी है जब कि इसके मुकाबले में एम. ए. छ साल में और कम खर्चे में किया जा सकता है और एम. ए. अगर अच्छे डिविज़न में कर लेते हैं तो लेक्चरार का चांस मिल सकता है जिसकी पे स्केल ढाई सौ से स्टार्ट होती है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टरों की कमी का कारण यह है कि उनका वेतन क्रम कम है। इनकी कमी मैडिकल कॉलेजों की स्थापना से नहीं मिटेगी ; यह तब मिटेगी जब आप उनका पे स्केल रिवाइज़ करेंगे।

कुछ लोग कह सकते हैं और कुछ लोगों का यह तर्क हो सकता है कि डॉक्टर्स की पे कम होने का यह कारण है कि उनको प्राइवेट प्रेक्टिस करने का मौका मिलता है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूँगी कि जिन डॉक्टरों को प्राइवेट प्रेक्टिस करने का मौका मिलता है तो आखिर उनको रेम्युनरेशन कोई यों ही नहीं मिल जाता, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा लेबर करनी पड़ती है। यदि राजस्थान को अपने प्रान्त के अन्दर डॉक्टर और लेडी डाक्टरों के अभाव को पूरा करना है तो वह मेडिकल कॉलेज के खुल जाने से पूरा नहीं होने वाला है, बल्कि राजस्थान में इस अभाव की पूर्ति होगी डॉक्टरों के पे स्केल में रिवीज़न करने से। आप आज पे स्केल को ऊंचा कर दीजिए, फिर देखिये कि बाहर से आपके प्रान्त में कितने डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स आ जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ एक सुझाव माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट के अन्दर मितव्ययता का दिया है और उसमें उन्होंने ब्लॉक के पंचायत प्रसार अधिकारी और समाज शिक्षा अधिकारी हैं उनकी भी पोस्टस को एबोलिश करने का सुझाव दिया है। अब मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि एक तरफ तो हम लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के प्रयोग को सफल बनाने की बात कर रहे हैं और पंचायतों को ज्यादा अधिकार और उनके नीचे की संगठित इकाइयां कायम करने की बात कह रहे हैं वहां दूसरी तरफ पंचायत प्रसार अधिकारियों के पद को समाप्त करने की बात करते हैं। मेरे विचार में यह वाजिब नहीं लगता है। मुझे इसलिए वाजिब नहीं लगता कि पंचायतों में कई सरपंच इस प्रकार के आये हैं जो कि पढ़े–लिखे नहीं हैं। और कानून के ज्ञाता ही ऐसे लोगों का मार्ग–दर्शन करने के लिए ब्लॉक्स में, पंचायत प्रसार अधिकारियों का होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि वे बन जाने में किसी प्रकार की भूल करें और कर सकते हैं जिसके लिए मार्ग–दर्शन के लिए प्रसार अधिकारियों का होना जरूरी

( श्रीमती सुमित्रा देवी )

है। हां, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अधिकारी लोग हैं, मैं दृढ़ता के साथ कह सकती हूँ कि उनको रखने में कोई सेन्स नहीं है क्योंकि जो सरपंच हैं उनके मार्ग-दर्शन के लिए तहसील लेवल पर ही प्रसार अधिकारियों का होना जरूरी है। इसलिए मुझे इनके पद को समाप्त किया जाना अखरता है, क्योंकि किसी सरपंच से अनजाने में गल्ती हो जायेगी तो हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय, जो कि पंचायात विभाग के भी मंत्री हैं उनको सस्पेन्ड करने में देर नहीं लगायेंगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ब्लॉक में और भी बहुत से एक्सटेन्शन ऑफिसर्स हैं, जिनके पदों का इतनी सार्वजनिक महत्व नहीं है उनको समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन पंचायत प्रसार अधिकारी को तो पंचायतों के मार्ग-दर्शन के लिए रखना ही चाहिये था।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात अन्त में मैं यह जरूर कहना चाहती हूँ कि माननीय राजस्व मंत्री से पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था कि झुंझुनू जिले का बन्दोबस्त हुए १९-२० साल हो गये हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : यह कट मोशन में ले लिया जायेगा।

**श्रीमती सुमित्रा देवी** : यह एक ही मिनट की बात है। माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने पिछली बार भी आश्वासन दिया था कि एक साल के अन्दर अन्दर वहां का सैटलमेन्ट कर दिया जायेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः मैं उन्हें पुनः याद दिला देती हूँ कि इस वर्ष में तो माननीय मंत्री महोदय अवश्य ही बंदोबस्त कराने की व्यवस्था कर दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री बृजसुन्दर शर्मा।
It is his maiden speech.

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

**श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे मेम्बर्स हैं कि जिनको मौका नहीं दिया गया और कांग्रेस दल के ही लोगों को दिया गया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह दल के आधार पर नहीं है। श्री बृजसुन्दर शर्मा का पहला भाषण है और सदन सुनना चाहता है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ४ वर्ष बाद यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आज इस सदन में अपने विचार हमारी वित्त व्यवस्था और बजट के बारे में रख सकूं। इस बात पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राजस्थान दिन प्रति दिन प्रगति करता हुआ चला जा रहा है। सन् १९५०-५१ में मुझे इस राज्य का बजट बनाने का सौभाग्य प्राप्त था और उस समय जो बजट बनाया गया था उसमें मुझे मालूम है कि राजस्थान की अर्थ व्यवस्था कैसी थी। राजस्थान की कितनी आय थी और कितना खर्चा था और यदि आज हम १९५०-५१ की अर्थ व्यवस्था का १९६१-६२ की अर्थ व्यवस्था से मुकाबिला करें तो मालूम होगा कि जो हमारे माननीय सदस्य

( श्री बृजसुन्दर शर्मा )

उस तरफ बैठे हुये हैं उनको अपने आप इस बात का पता लग सकेगा कि कितनी प्रगति हमने की है । हमारी आमदनी जहां १९५०–५१ में केवल १६ करोड़ थी वह आज १९६१–६२ में ४८ करोड़ आमदनी है और ४८ करोड़ के करीब का ही खर्चा हम करते हैं । यह उससे तिगुनी आमदनी और खर्चा है जो कि रेवेन्यु अकाउन्ट में हम करते हैं । केपिटल अकाउन्ट में भी इसी प्रकार की आमदनी और इतना ही खर्चा हमने किया है । उन गई सालों में जिस तरह से हमने इस राजस्थान का निर्माण किया है उससे हमारे माननीय सदस्य परिचित हैं । फिर यह कहना कि आगे आने वाली अर्थ-व्यवस्था में कितना खर्चा हमने किया है और किस तरह से इस कर्जे के भार को चुकायेंगे, किस तरह से आगे टैक्सेशन के प्रपोज़ल्स आयेंगे, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस बात को समझें कि जो कुछ हमने पहले खर्च किया है क्या उससे जो आमदनी होगी उसको हम बिल्कुल भुला देते हैं । उसी अनुपात से हमारी आमदनी बढ़ेगी; जो नये नये प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किये थे और जो खत्म हो चुके हैं और जिनसे आमदनी आगे आने वाले सालों में होने वाली है ।

तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि राजस्थान की जो अर्थ-व्यवस्था है वह किसी प्रकार से भी कर्जे की अर्थ-व्यवस्था नहीं रहेगी, बल्कि वह अर्थ-व्यवस्था हमारी लाभदायक अर्थ-व्यवस्था होने वाली है और आगे जाकर हमें टैक्स का भार ज्यादा नहीं उठाना होगा । हमारा इस बात का कर्त्तव्य है कि जो टैक्सेशन की व्यवस्था आज हमारे यहां पर है उसको ठीक कर पायें । यह कहना कि हम विकास तो करें पर विकास करने के लिये कर्जे की जरूरत होती है और फिर हम यह ठीक समझें कि किसी प्रकार उसका इन्तजाम न हो तो मैं समझता हूँ कि यह हमारी गल्ती होगी । यदि हमें खर्चा ज्यादा करना है तो आमदनी की भी व्यवस्था उसी प्रकार से करनी होगी । जिस प्रकार से खर्च करना चाहते हैं और आगे आने वाले समय में जो आमदनी हमारी होने वाली है उसी से हम अपनी व्यवस्था को ऐसा बना लेंगे और उसका ऐसा निर्माण कर लेंगे कि आगे ज्यादा टैक्सों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ।

एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि जो कर्ज का बोझा है वह किस तरह से उतरेगा, वह उचित नहीं है । मैं समझता हूँ कि सब को ऐसा मानना चाहिये कि ज्यादा टैक्स की व्यवस्था हमें नहीं करनी होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि जिनके ऊपर ध्यान दिया जाना बहुत ही आवश्यक है, जिनको गलत हैड्स में लगाया है । मसलन लैण्ड रेवेन्यु के हैड में सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट में ३ लाख रुपये लगा रखे हैं । मैं समझता हूँ कि यह केपिटल इन्कम में जाना चाहिये । यह रेवेन्यु के अन्दर नहीं आ सकता क्योंकि गवर्नमेंन्ट एसेट से रेकरिंग इन्कम नहीं है । उससे जो आमदनी होगी वह केपिटल के अन्दर जानी चाहिये, ऐसी मेरी मान्यता है । ऐसी ही दो–तीन चीजें मैंने और देखी हैं और वह पुराने तरीके से वैसे ही चली आती हैं । जैसे फिशरीज़ के रेन्ट से जो आमदनी

( श्री बृजसुन्दर शर्मा )

है उसको लेण्ड रेवेन्यु में ज़ीरो दिखा रखा है और फ़िशरीज़ की आमदनी एग्रीकल्चर के अन्दर और ज्यादा अधिक दिखाई गई है इसलिए उसको डिलीट किया जाना जरूरी है।

मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे सिंचाई विभाग के छोटे छोटे तालाब जिनसे ढाई हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है उन्हें रेवेन्यु के अधीन कर दिया जाने का प्रावधान रखा है। मैं समझता हूँ, यह बहुत पहले किया जाना चाहिये था क्योंकि इससे विशेष खर्चे की बचत होती और आमदनी में विशेष सुविधा होती। अभी जो छोटे छोटे तालाब हैं उनकी वसूली में गड़बड़ी है, आमदनी ठीक तरह से वसूल नहीं होती है और यदि वसूली होती भी है तो ठीक तरह से नहीं आती है और वसूली का खर्चा भी अधिक बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से इर्रिगेशन चार्जेज़ की वसूली का भी अब तक कोई फिक्स्ड इन्तजाम नहीं है जिसके लिए भी प्रावधान करना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर एक और सुझाव देना चाहूँगा और वह यह कि इर्रिगेशन के लिए जो छोटे छोटे टैंक्स हैं जिनसे करीब पांच–सात सौ या हजार एकड़ में सिचाई होती है उनकी सिंचाई वाटर रेट की अपेक्षा चाही लगान के समय वसूली पटवारियों के द्वारा कर ली जाय तो ज्यादा सहूलियत होगी, बनिस्पत वाटर रेट लगा कर वसूली की जाय। इससे खर्चा भी कम लगेगा और वसूली भी अधिक होगी। पुराने समय में भी ऐसी ही व्यवस्था थी। छोटे तालाब की सिंचाई दर छोटे काश्तकारों से वसूल की जाती है। चाही के साथ वसूल करने से किसानों को भी सुभीता होगा और ज्यादा आमदनी होने की भी मैं संभावना समझता हूँ।

मुझे माननीय उपाध्यक्ष, जंगलात के विषय में इस सदन के सम्मुख आज अपने विचार रखने हैं और मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विभाग से जहां आमदनी इतनी नहीं बढ़ी है वहां लोगों की तकलीफें ज्यादा बढ़ी हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। आज किसानों को उनके काम के लिए लकड़ी नहीं मिलती है। उनके सामने लकड़ी को समस्या है, जो उनको नहीं मिलती है। यहां तक नजर आता है कि वे बड़े परेशान हैं और दर दर भटकते फिरते हैं। अपने घरों में भोजन पकाने के लिए, उनके पास लकड़ी की व्यवस्था नहीं है। जंगलात की आमदनी जिस अनुपात से बढ़ी है उससे ज्यादा तकलीफें लोगों को बढ़ी हैं। मुझे यह निवेदन करना है कि यदि हमें फोरेस्ट डिपार्टमेंट में जो चोरियां होती हैं उनको रोकने की यदि व्यवस्था करनी है तो किसानों के लिये लकड़ी की व्यवस्था पहले करनी होगी क्योंकि किसानों को जलाने के लिए लकड़ी चाहिये यदि उनको वैसे लकड़ी नहीं मिलती है तो चोरी से लाते हैं। इससे आमदनी जाती है और जंगल भी खराब होता है और ठीक व्यवस्था नहीं होती। मुझे याद है कि थोड़े दिन पहले मैंने खुद ने फोरेस्ट गार्ड्स को जलाने की लकड़ी काट कर लाते देखा है। मैंने उनसे पूछा कि इस तरह से लड़की काट कर क्यों लाते हो तो वे कहते हैं कि क्या करें जलाने को लकड़ी मिलती नहीं है। जब फोरेस्ट गार्ड्स खुद काट कर लकड़ी लाते हैं तो जनता का तो क्या हाल होगा? मैदानी इलाके में तो काश्तकार रहते हैं उनको हक था

( श्री बृजसुन्दर शर्मा )

कि वे अपने काम के लिये लकड़ी काट कर जंगल से ला सकते थे और सूखी लकड़ी गाड़ी पर लाने की व्यवस्था थी, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप यह समझते हैं कि १० या १५ मील दूर रहने वाले काश्तकार जिनके अपने घर के पास में लकड़ी नहीं मिलती क्या वे अपने सिर पर रख कर लकड़ी लायेंगे ? जो नहरी इलाका है उसमें कुछ दिन बाद यह गड़बड़ी नहीं होगी ? जहां नहर आने वाली है वहां पर किसान कपास पैदा करने लग जायेंगे तब वे कपास की लकड़ी को रोटी पकाने के काम में ले सकेंगे। उनके लिये तो साल दो साल में व्यवस्था हो जायगी। लेकिन जहां कपास नहीं हो सकता वहां रोटी पकाने के लिये लकड़ी का इन्तजाम हम को करना पड़ेगा। मुझे बूंदी के बारे में मालूम है कि ३ साल पहले बूंदी शहर के ऊपर कितना घना जंगल था, वहां सब पेड़ कट चुके हैं, हालांकि वह जंगल ठेके पर नहीं दिया गया था। आज भी आप कहां जाकर देख सकते हैं कि काफी पेड़ काटे जा चुके हैं। मैं समझता हूँ, यह व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, चाहे हमें रेवेन्यु का लोस उठाना पड़े ....

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : फोरेस्ट में आपने ही तो परंपराएं डाली थीं।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : मैंने जो परम्पराएं डाली थीं वे कागज पर हैं, लेकिन एक्शन में नहीं आईं इसलिए ध्यान अकर्षित किया जा रहा है।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : आपकी परम्पराओं का ही परिणाम है।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : यह सदन जानता है कि उन परम्पराओं को मानने से कितना फायदा था और न मानने से कितना नुकसान है।

दूसरी चीज जो मैं सदन के समक्ष लाना चाहता हूँ वह यह है कि नॉन टैक्सेज़ रेवेन्यु में विशेष वृद्धि नहीं हो रही है, टैक्स्ड रेवेन्यु में वृद्धि हुई है, नॉन टैक्सेशन की वृद्धि का कोई पर्सेन्टेज नहीं होगा जिसमें वृद्धि हुई हो। हमने अपने मिनरल्स के जरिये या स्टेट सेक्टर या स्टेट अण्डर्टेकिंग्ज़ के जरिये नॉन टेक्सिंग रेवेन्यु को बढ़ाया हो। इस मामले में हम अब भी उसी स्टेज पर हैं। टैक्स्ड रेवेन्यु पर ज्यादा जोर न देकर नॉन टैक्सिंग रेवेन्यु पर ज्यादा जोर देना चाहिये।

मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमने बसेज़ खरीदीं। वे बहुत समय तक पड़ी रहीं, रिट्स फाइल हुई, रूल्स बनाने में गड़बड़ी हुई। हजारों रुपयों का नुकसान हमको भुगतना पड़ा है। यह पॉलिसी निर्धारित की कि हम नेश्नैलाइजेशन करना चाहते हैं लेकिन इसमें कामयाबी नहीं हुई। मुकदमे चल रहे हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : This point has been stressed by many of the members.

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : I will finish within 5 minutes.

यह आवश्यक है कि इस ओर ध्यान दें। इस विषय में मेरा यह सुझाव है कि जहां स्टेट अण्डर्टेकिंग्ज़ के मेनेजमेन्ट का ताल्लुक है वहां ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स की

( श्री बृजसुन्दर शर्मा )

एक कमेटी बनाई जाय जो डाइरेक्टर्स का काम करे और उनका एफिशियेन्टली कंट्रोल हो और सर्वोच्च कंट्रोल हो इस सदन का, जो इसके बजट को पूरी तरह से देखे, डिफिकल्टीज़ को देखे और उसके बाद स्टेट अण्डर्टेकिंग्ज़ का सारा इन्तजाम डाइरेक्टर्स की हैसियत से देते। ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स की कमेटी बने जो बाकायदा कॉमर्शियल अण्डर्टेकिंग्ज के रुप में सामने आवे। इसके डिटेल्स में तो मैं उस समय जाना चाहूँगा जब सदन के सम्मुख कट मोशन्स के रूप में डिस्कशन किया जायगा।

मैं एक विषय की ओर आपका ध्यान और दिलाना चाहूँगा। हम इन्डस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, हैंड लूम और कॉटेज इन्डस्ट्री की बात करते हैं, हैन्डीक्राफ्ट्स की बात करते हैं। वहां एक और बात की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिये। शहर और गांवों में रहने वाली जो गरीब जनता है उसको धंधा दिलाने के लिये आखिर हम क्या काम करते हैं? कई ऐसे लोग हैं जो बेकार पड़े रहते हैं। उनको कोई ऐसा जरिया मिलना चाहिये जिससे वे घर बैठे अपने यहां काम करके जीविकोपार्जन कर सकें।

ओपनिंग ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स के बारे में जो प्रणाली है, एजुकेशनल इन्सटिट्यूशन्स जैसे हाईस्कूल्स, कॉलेजेज़ आदि उस जगह ज्यादा खोलते हैं जहां की जनता या तो श्रमदान करके बिल्डिंग बना दे या पैसा देने को तैयार हो जाया। इस तरह की नीति से उन लोगों को नुकसान होता है जो पैसा नहीं दे सकते या जिनके यहां सेठ वगैरह नहीं हैं वे बिल्डिंग नहीं बना सकते। इसलिये वे इन संस्थाओं से वंचित रह जाते हैं और उनके यहां ये इन्स्टिट्यूशन्स खुल नहीं पाते। इसलिये उनकी जरूरतों की ओर भी ध्यान रहना चाहिये। जहां ज्यादा जरूरत हो वहां ज्यादा इन्स्टिट्यूशन्स खुलने चाहिये।

लिटिकेशन के बारे में निवेदन करूंगा कि जितने मुकदमे चलते हैं, उनमें गवर्नमेन्ट के खिलाफ बहुत हैं। गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने यह पॉलिसी बनाई थी कि जहां गवर्नमेन्ट के खिलाफ मुकदमे हों वहां आपस में तय करने चाहिये। राजस्थान सरकार के खिलाफ सैकड़ों, हजारों की तादाद में मुकदमें चल रहे हैं। मैं कहूँगा कि राज्य सरकार को आर्बिट्रेशन के जरिये या और कोई कमेटी बना कर इस खर्चे के मद को कम करना चाहिये ताकि लोगों को खर्चा नहीं करना पड़े और राज्य सरकार को भी नहीं करना पड़े। और यह मद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के मद में है इसको वहां से हटा कर स्टेट मद में रखना चाहिये। तो सदन को पता लगेगा कि वास्तव में गवर्नमेंट की तरफ से लिटिगेशन पर कितना खर्चा होता है, फीस के रूप में, और किसी रूप में।

इतना ही सदन का समय लेकर माननीय वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री अनूपसिंह।

**श्री अनूपसिंह** ( बालोतरा ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तीसरा दिन है जब हम बजट के ऊपर वादविवाद कर रहे हैं।

( श्री अनूपसिंह )

मैं यह अर्ज करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री-जी ने अपने नौ-वर्षीय बालक को....

**एक माननीय सदस्य** : १० वर्षीय।

**श्री अनूपसिंह** : १० वर्षीय बालक को फक्र के साथ इस आशा और उम्मीद के साथ 'हमारे सामने रखा कि यह बच्चा बड़ा हो गया है, हाई स्कूल स्टेज पर आ गया है, यह बच्चा बड़ा चपल है, सुन्दर है और होनहार भी है, बड़े बड़े अलंकार लगा कर....

**श्री उपाध्यक्ष** : अलंकार नहीं लगाते,, उम्र नहीं बताते तो भाषणों का कुछ अंश कम हो जाता।

**श्री अनूपसिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर यह देखें कि यह बच्चा किस जाल में फंसा हुआ है। मैं समझता हूँ, यह आंकड़ों का जाल है, जिसमें यह बच्चा फंसा हुआ है। जब बच्चे को देखें कि यह कितना पीछे है तो ऐसा मालूम होता है कि वाकई इसको रेक्ट्स है, केलशियम और न जाने किस चीज की इसमें कमी है, जिसको माननीय वित्त मंत्रीजी दूर नहीं कर सकते। जब यह देखते हैं कि यह बच्चा है इसको स्वस्थ करने के लिए वित्त मंत्री जी ने जो प्रावधान रखे हैं, जिस तरह का खाका बजट के द्वारा सदन के सामने रखा है, उसको देखते हुए मालूम होता है कि वास्तव में जो बजटिंग टेक्ट्स होने चाहिए और जिसे कि बड़े इकोनोमिस्टस मानते हैं; budgetting is an art of estimation. मैं समझता हूँ कि वह आर्ट ऑफ एस्टीमेशन इसमें नजर नहीं आता। जहां एस्टीमेट ज्यादा करते हैं वहां फैल हो जाती है सरकार, शोर्ट फॉल हो जाते हैं। जहां समझते हैं कि ज्यादा वसूली कर पायेंगे, वहां पर उतनी वसूली नहीं कर पाते जितना एस्टीमेट करते हैं, वह पूरा नहीं होता। वह आर्ट हमारी सरकार में नहीं आ सका। मैं समझता हूँ कि कोई वित्त को समझने वाला है वह यह मानेगा कि बजट उसे मान सकते हैं, जहां राइट टाइप ऑफ एस्टीमेशन हुआ है, राइट टाइप ऑफ खर्चा हुआ है या राइट टाइप ऑफ वसूली हुई है। मैं इसके साथ साथ आंकड़े पेश करते हुए इस बात को साबित करना चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, जहां १२ करोड़ का अन्दाज करते हैं कि १२ करोड़ की वसूली कर पायेंगे वहां साढ़े तेरह करोड़ वसूल कर पाते हैं। जहां समझते हैं कि १२ करोड़ का लोन लेना है वहां हम १५ करोड़ का लोन ले लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रकार की घटत-बढ़त हो जाती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जैसा कहा गया है कि २३६ करोड़ रुपया हमको चाहिए, उसमें से २०९ राजस्व प्राप्ति से जमा होगा। साथ ही साथ यह मान लिया गया कि राजस्व प्राप्ति से जमा हुआ रुपया राजस्व प्राप्ति पर ही खर्च हो जायगा, उसके बाद बचेगा कुछ नहीं। फिर यह कहने का बहाना हो गया कि जब हमारे पास बचेगा, ही कुछ नहीं तो प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए और कर लगाने पड़ेंगे और कर वसूल करने पड़ेंगे। मैं अर्ज करूंगा कि इस तरह के आंकड़े रखे गये हैं जिनके द्वारा मालूम होता है कि हम चाहते कुछ हैं और होता कुछ है। एस्टीमेट लगाते हैं २४५ लाख का और हम बैटरमेंट लेवी सेल ऑफ लैंड से वसूल करते हैं, वह करते हैं १२७ लाख

( श्री अनूपसिंह )

यानी शोर्ट फॉल हुआ ११८ लाख का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये वेरियेशन्स हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक पर्सेन्टेज हो सकता है वेरियेशन्स का, वेराई कर सकते हैं; लेकिन हम १२७ लाख पाते हैं और ११८ लाख गुमा देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास एस्टीमेशन का वह आर्ट नहीं था जो आर्ट ऑफ एस्टीमेशन साउन्ड बजटिंग का बल होना चाहिए। अब इसी तरह मैं अर्ज करूंगा कि यही हाल टैक्सेज़ के अन्दर हो रहा है। बहुत बड़े इकोनोमिस्ट हैं लास्की। उनके शब्द मैं अर्ज करूंगा। उन्होंने कहा है :—

"Every tax is an evil but more so if it is not collected. If it goes uncollected, it is a greater evil.

तो आप अगर कोई टैक्स वसूल करना चाहते हैं, तो ठीक है, उसे वसूल कर लीजिये। इसका मतलब यह हुआ कि जो वसूली करना चाहते हैं और उस वसूली को करने के लिए जो मशीनरी कायम होती है वह टैक्स वसूल नहीं कर पाती। इस तरह जो बर्डन वाकई डालना चाहते हैं पीपुल्स के ऊपर, जनता के ऊपर, वह नहीं डाल सकते और जो टैक्स वसूल करने की मशीनरी है वह कायम रहती है, और जो बर्डन है वह कायम रहता है। इस तरह जो मन्शा है वह पूरी नहीं होती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि कोई ऐसा वैलफेयर स्टेट नहीं होगा जो बिना टैक्स के काम चला सकता हो। पर साथ ही साथ मैं अर्ज करूंगा कि टैक्स वे लगाने चाहिए जिनको कि वाकई जनता समझ ले कि यह टैक्स देना हमारा फर्ज है और कहे कि आप टैक्स ले जाइये। किस टैक्स को ले जाइये? उसके साथ साथ बताया है कि वही टैक्स ठीक होता है जिससे फायदा हो। आप अभी इस स्थिति में होने चाहिए कि दस वर्ष में जो टैक्स वसूल किया है उसके नतीजे का मूल्यांकन करके उससे जो फायदा उठाया है वह बतायें। पर आप यह नहीं बता सकते। तो आप यह समझ लीजिये कि आज जनता समझती है कि टैक्स देने का अधिकार है, लेकिन किसी न किसी दिन देना मंजूर नहीं करेगी। मैं पैरा ३१ अर्ज करूंगा, उसमें यह कहा गया है :—

"In an expanding economy the amount of public debt is bound to increase every year. There is thus, no reason to be perturbed over the figure of public debt."

आज पब्लिक डेट से परटर्बड नहीं होगी तो फिर होगी किस दिन? आपको टैक्स वसूल करके कहना पड़ेगा कि पब्लिक ने हमको इतना कन्ट्रीब्यूट किया है, इतना सहयोग दिया है, उसका नतीजा है कि टैक्स देना मंजूर करती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि टैक्स देना मंजूर इसलिए करती है कि वह आपके राज्य और आपके एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर नहीं निकल सकती इसलिए पेट काटकर, मुश्किल में पड़ कर जनता आपको टैक्स देती है। लेकिन अब उसका पेट, मैं समझता हूँ जिसे बैल्ट कसना कहना चाहिए, बैल्ट कसते कसते इतना हैरान हो गया है कि आगे कसने की जगह नजर नहीं आती। यह देना चाहिए, इसलिए देना पड़ रहा है वर्ना कोई नहीं देना

( श्री अनूपसिंह )

चाहता। माननीय वित्त मन्त्रीजी को मालूम नहीं है कि आप दूसरों की पॉकेट को काटना चाहते हैं लेकिन आपकी पोकेट में पिक पोकेटियर्स लग रहे हैं। उनको दूर नहीं करते तो हमेशा आपकी पोकेट खाली की खाली रहेगी। आप यह चाहते हैं कि दूसरों की जेब में से छीन लें, लेकिन आप यह नहीं चाहते कि अपनी पोकेट को भी लें जिससे जो आपकी जेब में है वह बाहर नहीं निकले।

मैं निवेदन करूंगा कि जैसा आपने कहा कि टैक्स हैं उन्हें जनता देने के लिए तैयार होगी, लेकिन उसे साथ ही साथ यह भी बतायें कि यह उनका नतीजा है। मैं अर्ज करूंगा कि टैक्स इसलिए मांग रहे हैं कि जो करप्ट डिपार्टमेंट्स हैं वे चलें। अगर आप कहें कि मेरे यहां कोई करप्ट डिपार्टमेंट नहीं है तो आप किसी एक का नाम बता दीजिये, उसके बाद जितने सुबूत हम पेश कर सकते हैं करेंगे। ऐसा कौनसा डिपार्टमेंट है जिसमें करप्शन नहीं है और इसके साथ ही जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है वह डेवलपमेंट खर्चे से कम नहीं है ? मैं समझता हूँ कि राजस्थान का पर-केपिटा टैक्स के हिसाब से सातवां-आठवां नम्बर है। उसको देखते हुए और किस तरह टैक्स दे सकते हैं, यह और बढ़ सके, मैं समझता हूँ, यह नामुमकिन चीज है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पर-केपिटा टैक्स से रेवेन्यु सबसे ज्यादा आसाम में है, उससे कम राजस्थान में है और जितनी स्टेट्स हैं वे हमसे पीछे हैं। यह भी कहा गया कि हमने टोटल टैक्स कितना किया है। मैं अर्ज करूंगा कि राजस्थान टोटल टैक्स में छठे-सातवें नम्बर पर है। यह बताऊंगा कि एक्साइज़ ड्युटी के हिसाब से राजस्थान कहां है, तो पंजाब नम्बर एक पर है और राजस्थान दूसरे नम्बर पर है। फिर आप किस तरह के टैक्स और लगाना चाहते हैं ? आपने हर तरह के टैक्सेज़, रेवेन्यु, एक्साइज़, सेल्स टैक्स, जनरल टैक्स जनता के ऊपर लगा रखे हैं, तो आपके पास कोई सुबूत, कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि आप टैक्स की बात करें। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी तरफ से जो कहने वाले हैं वे कहते हैं कि जनता का सरकार के ऊपर विश्वास है, इसलिए जनता आज भी टैक्स देने को तैयार है। जनता टैक्स क्यों देने को तैयार है, क्यों नहीं, वह तो १९६२ में मालूम पड़ जायगा। जब तक आप बैठे हैं, आपको परवाह न हो, लेकिन जो आपके पीछे आयेंगे उनके लिए मुसीबत है। वे कैसे वसूल करते हैं, कैसे वसूल नहीं करते हैं, यह आपको मालूम नहीं। आप जो पैसा लेते हैं उसको कौन चुकायेगा ? आप समझते हैं कि आज आप यहां पर हैं, कल नहीं होंगे, इसलिए चुकाने वाला चुकायेगा। जब तक आप हैं तब तक मजा ले लें। जब चले जायेंगे तो चुकाने की फिक्र नहीं होगी। मैं नहीं मानता कि टैक्स हमारे लिए जरूरी नहीं हैं। मैं मानता हूँ कि टैक्स जरूरी हैं, लेकिन किन के लिए जरूरी है; उन महकमों के लिए जो आपने मुकर्रर कर रखे हैं ? आज पुलिस महकमे में ऊपर से नीचे तक करप्शन है, पब्लिक रिलेशन्स में आज ऊपर से नीचे तक करप्शन है। आज पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर्स में कमी करने की कोशिश कर रहे हैं, कटौती करना चाहते हैं, लेकिन क्या उन लोगों को आप घर भेज देंगे ? कभी

( श्री अनूपसिंह )

आपने देखा है कि पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर्स ने जनता से कब रिलेशन पैदा किया, जिनकी तनख्वाह वे खाते हैं ? आपकी योजनाओं को, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के अन्दर विश्वास पैदा करने के लिए, आंकड़े जनता के सामने रखने के लिए, सिनेमा दिखाने के लिए, सम्पर्क बनाने के लिए उन्होंने क्या किया ? वे पब्लिक रिलेशन का मतलब ही नहीं समझते । आज के आपके अफसर हैं वे पब्लिक रिलेशन में समझते नहीं । उनको पता नहीं कि पब्लिक रिलेशन क्या चीज़ है और वित्त मंत्री कहते हैं कि हमें इसके लिए टैक्स दो, पुलिस के लिए टैक्स दो, ऐसे विभागों के लिए टैक्स दो जिनका कोई काम नहीं । गाइड्स ब्यूरो है बीकानेर में, उसमें ७००-८०० सेम्पल लिये, पर उनमें से १५ प्रतिशत भी एप्रीएब्ल नहीं हैं । उनके यहां सामान लिया जाता है । साइकोलोजिकल ट्रीटमेंट करके देखते हैं कि किस लड़के को कहां लिया जाय। वहां फर्नीचर रखने को जगह नहीं, जो पार्सलें आती हैं वे खोली तक नहीं जाती । वहां लड़कों के रहने की जगह नहीं है, उनके खाने पीने की जगह नहीं और जो मास्टर वहां रखे गये हैं वे अपने काम को समझते तक नहीं हैं । अच्छी साइकोलोजिकल लेबोरेटरी से टेस्ट करवायें तो आपको पता चले कि किस तरह टैस्ट होते हैं । हमें यहां तक पता नहीं चलता कि अमुक व्यापार अमुक लड़के के लिए ठीक रहेगा, अमुख व्यापार अमुक लड़के के लिये और अमुक काम अमुक लड़के के लिये ।

वित्त मंत्री केवल टैक्स लेना ही जानते हैं, टैक्स से वसूल किये हुये पैसे का उपयोग करना नहीं जानते । राजस्थान की जनता आज इतनी बूद्धू या ना समझ नहीं है। यह अच्छी तरह से जानती है और उसका नतीजा भी आपके सामने आ जायगा ।

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : इतना कॉन्फीडेन्स है ?

**श्री अनूपसिंह** : कॉन्फीडेन्स तो है ही।

गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स हैं वे मेच्योर्ड होने से सिक्योरिटी विथड्रा कर रहे हैं, कुछ लोन ले लिया है और कहा है, it is no liability on the people. ये अगर पीपुल पर लाएबल नहीं हैं तो किस पर हैं ? लोगों से लोन लेते हैं तो आपको बताना होगा कि बैंक में इतनी हमारी सिक्योरिटी है, हम फाइनेन्शियली साउन्ड पोज़िशन में हैं । जिस तरह लोन्स ले रहे हैं किसी तरह नहीं माना जा सकता कि पीपल्स की लाएबिलिटी नहीं है । अगर रिज़र्व बैंक में आपके फंड्स नहीं हैं, सिक्योरिटी नहीं है तो आप लोन लेने के किसी तरह मुश्तहक नहीं हैं, आपको कोई हक नहीं है लोन लेने का ।

माननीय उपाध्यक्ष, उसके बाद मैं यह अर्ज करूंगा कि ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एग्रीक्ल्चर। एग्रीकल्चर में कहा है कि इतना खर्चा किया है और इतना प्रोडक्शन बढ़ा है । पर आपके दिये हुए फीगर्स से यह सिद्ध नहीं होता । आपने जितना आउट ले किया हैं उसके अनुसार रिज़ल्ट नहीं है । इसमें आपका ५५-५६ में ३.६७ का खर्चा था, अब ६१-६२ में ४.३० है और ६०-६१ में ४. १६ लिया है । तो बढ़ोत्तरी आउटले में

( श्री अनूपसिंह )

की गई है या आपके नतीजे भी उसी प्रोपोर्शन में हैं! आपका प्रोडक्शन क्या वाकई में उसी प्रोपोर्शन में है? माननीय उपाध्यक्ष, जिस प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन खर्च किया है, उस प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन होता है तो आपके अचीवमेंट्स ठीक कहे जा सकते हैं, पर आपके अचीवमेंट्स चार पोइन्ट कम हैं और खर्चा ४ पोइन्ट ऊंचा है।

मैरिट स्कोलरशिप्स निकाली हैं। उनसे बढ़ावा हो सकता है, फायदा मिल सकता है पर पार्टी पोलिटिक्स का डर है। स्केल्स हैं, पर उन पर आप कायम नहीं रह सकते, पार्टी पोलिटिक्स का विषैला वातावरण आ जाता है।

आप मासिक गुजारा विडोज़ को देंगे, पर पार्टी पोलिटिक्स का विष है उसको पचा कर, उससे आगे निकल कर जायेंगे तो लाभप्रद हो सकता है। इसका नतीजा थोड़े दिनों बाद में सदन में भी आगे आ जायगा।

इकोनोमिक कट्स के बारे में बताया कि इतने लगा दिये हैं, तो मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या आप उन ऑफिसर्स को और फोर्थ क्लास के सर्वेन्ट्स को घर भेज देंगे? क्या एक्सचेकर पर उनका कोई असर नहीं रहेगा, क्या आप उनको घर बैठा देंगे? आप उनको कहीं न कहीं दूसरी जगह लगायेंगे। हो सकता है कि अभी जिस जगह हैं काम नहीं कर रहे हैं और अब जिस जगह लगायेंगे वहां उन्हें काम करना पड़ेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : Please conclude your speech.

**श्री अनूपसिंह** : तो मैं कहूँगा कि आपकी यह कटौती की जो बात है वह बिल्कुल मुगालता है। यह कोई असल कट नहीं कि जिसका एक्सचेकर पर असर हो।

माननीय उपाध्यक्ष, एक बात और अर्ज़ करूंगा........

**श्री उपाध्यक्ष** : The Hon'ble member will please look to the convenience of the House.

**श्री अनूपसिंह** : There are very various problems.

**श्री उपाध्यक्ष** : But I am bound with the time which the House has fixed.

**श्री अनूपसिंह** : एक बहुत बड़ी प्रोब्लम, ड्रिंकिंग वाटर की है....

**श्री उपाध्यक्ष** : I am sorry, you have already taken 17 minutes and I cannot exceed the time.

**श्री अनूपसिंह** : आपके निर्णय को मानता हूँ। जागीर डिपार्टमेंट् वगैरह में कट्स हैं। उनमें किसी तरह का तथ्य नहीं है।

( अनेक माननीय सदस्यों द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर )

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य बैठ जायं, मैं आपकी सुविधा का ख्याल रखते हुए चान्स दे दूंगा।

श्री हरिप्रसाद यादव।

**श्रीमती गंगादेवी डाटा** ( रामगढ़ ) : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे अभी तक चान्स नहीं दिया ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप खड़ी नहीं होंगी तब भी अब की बार आपका ख्याल रखूंगा ।

**श्री हरिप्रसाद यादव** (वल्लभनगर-सु.): माननीय उपाध्यक्ष, सन् १९६१-६२ का बजट हमारे माननीय वित्त मन्त्रीजी ने इस सदन में प्रस्तुत किया । बजट पर पूर्व वक्ताओं ने बहस की । उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे राजस्थान राज्य में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण बालकपन में है । वित्त मन्त्री साहित्यकार हैं, साहित्यकारी की झलक बताई । मैं निवेदन करूं कि इस २३६ करोड़ की पंच-साला योजना के निर्माण कार्यों में जो हैड्स वित्त मंत्री महोदय ने कायम किये हैं वे सराहनीय तो हैं, पर पूज्य राष्ट्रपिता की नीति, अगर हमारे वित्त मन्त्री अपने आपको गांधीवादी जो कहते हैं, गांधीवादी होने के नाते, इस सदन के कई हरिजन और आदिवासी सदस्य हैं; लेकिन आदिवासियों और हरिजनों के नाम पर जो रकम खर्च की जाती है जैसे दूसरे हैड में जो रकमें दिखाई देती हैं उसकी तुलना में कुछ नहीं कह सकते । मैं यह निवेदन करूंगा कि एक तरफ सवर्ण और दूसरी तरफ हरिजन आदिवासी हैं । हम हमारी राय प्रकट कर रहे हैं और बढ़ते हुए शोषण की प्रगति को देख कर हम इस तरफ टकटकी लगा कर देख रहे थे कि हमारे वित्त मन्त्री जिनके हमेशा रचनात्मक दृष्टिकोण रहा है उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, शासन-सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट में कुछ धन हमारी योजना को पूरा करने में रखेंगे । परन्तु मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान और माननीय वित्त मन्त्रीजी का ध्यान भी इस ओर दिलाऊं कि एक ओर आगे बढ़े हुए भाई हैं और दूसरी ओर पीछे रहे हुए हमारे साथी हैं । अगर हम उनका सुधार करना चाहते हैं और सामाजिक सुधार करना चाहते हैं तो सामाजिक परिवर्तन करना होगा ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप किस पर बोल रहे हैं, आप बजट पर बोल रहे हैं ?

**श्री हरिप्रसाद यादव** : माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि समाज कल्याण के विषय में हमारे माननीय वित्त मन्त्री ने कम ध्यान दिया है ।

जैसा कि हमारे यहां शिक्षा की तरफ कदम उठाया गया है वह सराहनीय है । हमारे यहां राजस्थान में प्राइमरी स्कूलों से हाई स्कूलें खुलीं । उसमें सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा का अवसर मिला है और फ्री शिक्षा का अवसर मिला है । उसके लिये राज्य के मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ ।

वैसे मैं आपको निवेदन करूंगा कि जहां तक राजस्थान के राजस्व मन्त्री का प्रश्न है, हमारी विधान सभा में चुन कर आने के पश्चात् उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी बनाई और उसने भूमि वितरण का काम किया । इससे गरीब लोगों को भूमि वितरित की गई । इसके लिये मैं राजस्व मन्त्री और राज्य के अधिकारियों को धन्यवाद दूं कि इससे लोगों को खाने-पीने की चीज़ मिली ।

( श्री हरिप्रसाद यादव )

इसलिये मैं राजस्व विभाग को भी धन्यवाद देता हूँ ।

अब दूसरी ओर सिंचाई विभाग आता है । हमारे देश में जहां सिंचाई की योजना हुई वहां एक फसलें थीं, वहां २ फसलें करने का प्रश्न हमारी राज्य सरकार के सामने था । हमारे यहां तालाब और नहरों द्वारा जो प्रगति हुई उसके लिये मैं सिंचाई मंत्री को, जो आदि-वासी भी हैं, श्री भीखाभाई, उनको भी थोड़ा धन्यवाद दूं । मगर यह कहूँगा कि बांध बनाये उनमें सिंचाई विभाग के इंजीनियरों ने लाखों रुपयों का अधिक पेमेन्ट कर दिया ।

एक तरफ हम बजट देखते हैं तो इसमें लाखों और करोड़ों की धन–राशि दिखाई देती है, मगर वह पूरी इस मद पर खर्च नहीं होती ।

अब मैं आपके सिंचाई विभाग के अधिकारियों का ध्यान आपके द्वारा इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ और उनको सूचना देता हूँ कि वे अभी भी, समय रह गया है अपनी कार्य–कुशलता को बतावें और हमारे देश के लाखों रुपये बेकार ठेकेदारों को पेमेन्ट दिया जा रहा है उसमें सुधार करें ।

( समय–समाप्ति–सूचक घंटी )

**श्री उपाध्यक्ष** : अब बैठ जाइये ।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : अब मैं आपका ध्यान चलने–फिरने की जो समस्या है, सार्व-जनिक निर्माण विभाग की तरफ दिलाता हूँ । इसमें हमारे राजस्थान में काफी सड़कें प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनीं और तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जहां के हमारे राजा साहब हैं उनसे मैं आशा करूं कि जिस जगह से आता हूँ, भोपाल सागर जहां शुगर मिल है । उसमें....

**श्री उपाध्यक्ष** : यह कटौती प्रस्तावों के वक्त कहें । यह क्षेत्रय भावना यहां प्रकट न करें ।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : मेरे यहां सुगर मिल है । उससे लाखों रुपयों का....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मन्त्री आपके प्रश्न को समझ गये हैं ।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : इसलिये मैं पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर को....

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** ( उद्योग मन्त्री ) : मैं यह जानना चाहूँगा कि भोपाल सागर की वे क्या बात कहना चाहते हैं ?

**श्री हरिप्रसाद यादव** : मैं आपकी ओर भी आता हूँ । जो भी राजस्थान में शुगर मिल है उसमें जो गन्ना लाने वाले किसान हैं उस एरिया के लिये भारत सरकार ने हमारे रोड के लिये लाखों रुपया दिया । इसलिये तो हमारे राजस्थान की सड़क का निर्माण भली-भांति हो सका है । अब मैं थोड़ी देर में श्री रिखबचन्द धारीवाल पर आता हूँ ।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैंने आपको ऊपर आने के लिये नहीं कहा ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य आपकी

( श्री उपाध्यक्ष )

भाषा अच्छी होनी चाहिये और संसदीय होनी चाहिये ।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : माननीय समाज कल्याण मन्त्री जो जवाब देने वाले थे वे अभी दे देते । वे इसके लिये उत्सुक हैं । अब मैं समाज कल्याण विभाग के गांधीवादी नेता श्री हरिभाऊ उपाध्याय, जो हमारे वित्त मन्त्री हैं और पहले समाज कल्याण मन्त्री थे और अब फाइनेन्स मिनिस्टर हैं, हरिजन और आदिवासियों का सुधार किया है, इसलिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर ! ऑर्डर !! आप बैठ जाइये ।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : मुझे अभी कुछ कहना है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please ! please resume your seat.

**श्री हरिप्रसाद यादव** : उपाध्यक्ष महोदय,

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please ! Order !!

(विराम)

श्री मुक्तिलाल मोदी ।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** (बैराठ) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सन् ६१-६२ का बजट पेश हुआ है और इस बजट में राजस्थान सरकार ने और दूसरे महकमों के बारे में बताया....

**श्री हरिप्रसाद यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं देता है ।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : इसमें तो राजस्थान सरकार ने जरूर उन्नति की है । परन्तु इस बजट के अन्दर राजस्थान सरकार ने फोर्थ क्लास कर्मचारियों को कम करने का प्रोविज़न रखा है कि उनको कम किया जावे । अगर उनको कम नहीं किया जाता तो अच्छा होता ।

**श्री उपाध्यक्ष** : केवल १० मिनट ही हैं । माननीय सदस्य धीरे धीरे बोल रहे हैं, बाद में मुझे दिक्कत होगी ।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : १० मिनट ही लूंगा । ११ वां मिनट नहीं लूंगा ।

राजस्थान कई वर्षों से पिछड़ा हुआ था । राजा-महाराजाओं और जागीरदारों के समय में पिछड़ा था । अब राजस्थान शिक्षा के स्तर में ऊपर उठ रहा है । इसलिये राजस्थान में उस समय जो अशिक्षित लोग थे वे फोर्थ क्लास कर्मचारी बन कर अपना गुजारा करते हैं । इसलिये अगर ज्यादा पढ़े, लिखे या बड़े लोगों पर इस प्रकार का टैक्स लगाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता बनिस्बत इसके कि वे फोर्थ क्लास के लिये इसका समावेश करते ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस विषय पर कई माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है ।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : अच्छा साहब। मैं दूसरी बातों पर कहता हूँ।

क्योंकि राजस्थान सरकार को यह चाहिये था कि हर आदमी को ७५ रुपये माहवार मिल सके, चाहे वह लेबर क्लास का हो या कोई बागवान का काम करने वाला हो, कोई भी काम करने वाला हो उसको ७५) रु. माहवार मिलते तब तो राजस्थान सरकार की सारे हिन्दुस्तान में आवाज होती कि राजस्थान सरकार ने ७५) से कम वेतन का कोई आदमी नौकरी में नहीं रखा है, चाहे वह फैक्ट्री में काम करता हो, चाहे किसी के यहां काम करता हो; तब तो राजस्थान सरकार की उन्नति होती।

**श्री उपाध्यक्ष** : विदेशों में क्या परम्परा है, वह आप कहें ?

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : विदेशों में, उपाध्यक्ष महोदय, फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स भी होते हैं, कई अनपढ़ लोग भी हैं। कुछ दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो हाथ और पैरों से काम नहीं कर सकते जितना खर्चा उसके परिवार का होता है उसको सरकार देती है और उस खर्चे में कमी रहती है तो सरकार ने ऐसे रूल्स बना दिये हैं कि उनके बच्चों को पढ़ाने-लिखाने, उनके रहन-सहन और उनके बच्चों की तरक्की आदि के काम सरकार मुफ्त में करती है।

**श्री उपाध्यक्ष** : पाकिस्तान का अनुभव है ? क्या पाकिस्तान की कह रहे हैं ?

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : रूस आदि की बात कह रहा हूँ।

यदि अपन लोग यहां पर समाजवाद लाना चाहते हैं तो जब तक नीचे वाले लोगों को ऊपर नहीं उठावेंगे तो समाजवाद नहीं आवेगा, और कैसे आवेगा ? आप कल्याण-कारी राज्य करना चाहते हैं। एक आदमी को दो हजार रुपया तनख्वाह मिलती है; ठीक है, लेकिन दूसरे लोग हैं जिनको ५०) रु० मिलते हैं तो दूसरे काम उनके फ्री होने चाहिये। दूसरी चीजें, मेडिकल, किताबों आदि का खर्चा सरकार को देना चाहिये जिससे कि उनका उतना स्तर ऊंचा न उठा सके, लेकिन रुपये में चार आना तो बराबर पर हो। इतना राजस्थान सरकार को कम से कम करना चाहिये।

दूसरा, राजस्थान सरकार में हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट है वह राजस्थान में एक ही तरह की चराई लागू करेगा लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक सरकार ने नहीं निकाली है। क्या कारण है, यह समझ में नहीं आता। दो-तीन वर्ष हो गये। तहसील और गांवों में रहने वाले लोग बड़े परेशान हैं। जागीरदारों और राजाओं के जमाने में चराई कई जगह ज्यादा थी, कहीं पर कम और कहीं पर बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब तक यह तय नहीं की है। इसलिए राजस्थान सरकार को चाहिये कि वह जल्दी से जल्दी रिपोर्ट को निकाले जिससे कि जनता का भला हो।

( समय–समाप्ति–सूचक घंटी )

दस मिनट हो गये तो बैठ जाऊं !

**श्री उपाध्यक्ष** : दो मिनट और बोल लीजिये। जरूरी बात कहनी हो वह कह दें।

Page No.79



**श्री मुक्तिलाल मोदी** : राजस्थान सरकार अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड....

**श्री उपाध्यक्ष** : राजस्थान सरकार अर्बन इम्प्रूवमेंट कहां है ?

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : राजस्थान सरकार का इम्प्रूवमेंट का महकमा है। कई जिलों में तो यह लागू है और कइयों में नहीं है। जिले परेशान हैं। सरकार और जनता नहीं समझ पाती। अन्धाधुन्ध मकान बन रहे हैं, नक्शे माफिक मकान नहीं बन रहे हैं, कन्स्ट्रक्शन हो रहे हैं; फिर बाद में तुड़ाना पड़ेगा। राजस्थान सरकार को चाहिये कि जो भी कानून असेम्बली में पास हो जाय तो तीन महीने के अन्दर वह प्रजा पर लागू हो जाना चाहिये। डेढ़–डेढ़, दो-दो वर्ष तक कानून लागू नहीं होते, फिर एसेम्बली में बैठ कर यहां एम. एल. एज़. लोग क्यों अपना समय लगाते हैं ? इतना खर्चा क्यों करते हैं ? इसलिए तीन महीने के अन्दर कानून लागू कर दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अधिक उपस्थित नहीं रहे, नहीं तो होते।

( विराम )

श्री किशनाराम।

**श्रीमती गंगादेवी डाटा** ( रामगढ़ ) : फिर तो हमें समय ही नहीं मिलेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अशान्त न हों।

**श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्रीजी ने ६१–६२ का बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में १६४ लाख का घाटा दिखाया है। जनता पर अधिक कर भी लगाये हैं। मैं तो उनको कर ही नहीं मान कर चलता। वह तो जनता पर कुर्की का वारन्ट है। जनता तो इच्छा करके देना नहीं चाहती क्योंकि करों के रुपयों का दुरुपयोग होता है। थोड़ा अर्ज कर दूं करों के दुरुपयोग के बारे में। मैं सीकर जा रहा था १२ तारीख को, वैसे हमेशा आता-जाता हूँ। खास तौर पर इसलिए कहना चाहता हूँ कि सरकार के अधिकारी और मोटर वाले क्या करते हैं, यह बताना चाहता हूँ। मैं मोटर वालों के लिए बोलना तो नहीं चाहता था क्योंकि धन्धा मोटरों का मैं भी करता हूँ, लेकिन जहां नाजायज़ काम होता है तो बोलना चाहिये ही।

जयपुर-सीकर जो बस चलती है तो १२ तारीख को ५० टिकटों के कर की चोरी कंडक्टर ने की। बस चली तो एक–दो एम. एल. एज़. भी उसमें थे, सरकारी अधिकारी भी थे। वे तो फ्री चलते ही हैं। उनके लिए क्या कह सकते हैं ? कन्डक्टर को कहा कि पचास सवारी लेते हो तो टैक्स तो सरकार में जमा कराओ, टिकट क्यों नहीं देते हो ? तो वह कहता है कि जेल मेरे को होगी तुम्हारे को थोड़े होगी, मेरी हैसियत से करता हूँ। सीकर से जयपुर आने वाले वाली बस में पचास टिकटों की चोरी होती है टैक्स की, तो फिर राजस्थान में कितनी बसें होंगी जहां कि इस प्रकार से टैक्स की चोरी होती है, आप अन्दाज लगायें। गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बढ़ाये हैं। आबकारी, एक्साइज, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट इसके पीछे लगा दिया है। उनकी क्या जरूरत है ? टैक्स तो जनता पर लगाते हैं, लेकिन वह पैसा उतना गवर्नमेंट के पास नहीं आता। मेरे ख्याल से तो आधा भी नहीं आता है। जब गवर्नमेंट के पास पूरा

# Page No.80



( श्री किशनाराम )

टैक्स नहीं आता है तो उसको शंका हो जाती है कि और भी टैक्स लगना चाहिये । इसलिए वित्त मन्त्रीजी ने यह वारन्ट निकाल दिया है और जनता को अनिवार्य रूप से यह देना पड़ेगा । वित्त मन्त्रीजी को तो चाहिये कि ये टैक्सेज़ जो वसूल नहीं होते हैं तो उनकी इन्क्वायरी करें, चोरी क्यों होती है, उसकी इन्क्वायरी करें और बोर्ड बैठायें । उनको जनता की कमेटियां बैठानी चाहिये जिससे कि वे लोग उनको चैक कर सकें । लेकिन चैक करने वाला है सरकारी अमला । अमला इकट्ठा कर लिया है । एक जगह नहीं सैंकड़ों जगह इस प्रकार चोरी होती है । मजिस्ट्रेट जैसे आदमी फ्री आते जाते हैं । १५-२० पैसे पैसेन्जर टैक्स के लगते हैं वे भी वे नहीं देते और टी. ए०, डी. ए. बना लेते हैं । जब टैक्स का फायदा जनता को नहीं होता है, इस प्रकार कुर्की करके क्यों वारन्ट निकालते हैं जनता पर ? यह तो सरकारी अधिकारियों पर होना चाहिये और उनसे वसूल होना चाहिये ।

खेती के बारें में कहना चाहता हूँ । माल मन्त्रीजी मौजूद नहीं हैं । मेरा खेती से ही ज्यादा सम्बन्ध रहा है । खेती के बारे में बड़ा लम्बा-चौड़ा प्रोविज़न दिया है । इतना अनाज उस साल था और इतना बढ़ जायगा, आगे और इतना बढ़ जायगा; इतना तो बढ़ गया । कहां बढ़ा है ? कागजों में या असेम्बली में बढ़ा है अनाज ? पार्टी का दौरा मन्त्री महोदय गांवों में करते हैं और पार्टी के कितने आदमी हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : विषय पर आइये । उचित नहीं मालूम पड़ता । बजट के सिद्धान्तों पर बोलिये ।

**श्री किशनाराम** : माल मन्त्रीजी के लिए कह रहा था, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ ।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर ? ऑर्डर !! मैं आपका परम्पराओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस आसन की ओर इस प्रकार संकेत नहीं करना चाहिये ।

**श्री किशनाराम** : मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने पिछली बार भी एक स्थगन–प्रस्ताव इस सैशन में रखा था जिसमें कहा था कि राजस्थान में कई स्थानों पर और खास कर चूरू जिले में बहुत कम वर्षा हुई है और पाकिस्तान की तरफ से टिड्डी दलों का हमला हुआ है, इसलिये वहां पर अकाल पड़ गया । इस पर कृषि मन्त्री महोदय ने जबाब दिया कि राजस्थान में पाकिस्तान की तरफ से टिड्डी दल का हमला हुआ है, लेकिन उसमें नुकसान नहीं हुआ है । साफ हकीकत जो होती है वे कहते नहीं । राजस्थान सरकार को रिपोर्ट होती है, हमारे बीकानेर डिवीज़न के काफी गांव अकाल-ग्रस्त हुए हैं । हमने जब राजस्व मन्त्री महोदय से कहा कि वहां जाकर देखें, लेकिन वहां चल कर देखने की तकलीफ कौन करता है ? यहां बैठे बैठे किसी तहसील के दस गांव अकाल–ग्रस्त घोषित कर दिये, किसी के पांच: इस तरह से जहां पचासों गांव अकाल से ग्रस्त हैं उनको घोषित नहीं किया गया । आपको एक कलेक्टर के कहने पर, तहसीलदार के कहने पर विश्वास हो जाता है लेकिन जनता के प्रतिनिधि जो कहते हैं उनको आप गलत समझ कर चलते हैं । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि २० फरवरी को जिला परिषद की एक मीटिंग होती है····

**श्री उपाध्यक्ष** : मुझे बड़ा दुख है कि मैंने कई बार सदन के सम्मुख यह प्रस्तुत किया है कि बजट पर बोलते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये। आप व्यक्तिगत शिकायतों की चर्चा करते हैं उसके लिये तो आपके सामने जब कट मोशन्स आयेंगे उस वक्त ये सब बातें पेश कर सकते हैं, इस समय इन बातों का कहना उपयुक्त नहीं है।

**श्री किशनाराम** : मैं तो वे ही बातें कह रहा हूँ जो वहां हुई हैं, आप इसको भी व्यक्तिगत बताते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको ऐसी बातें कहने के लिये अवसर है। जिस समय कटौती के प्रस्ताव लिये जायं उस समय आप इनको रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि पहले जितने भी सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं वे सिद्धान्त की बातें हैं, उनमें व्यक्तिगत मिसालें नहीं दी गई हैं।

**श्री किशनाराम** : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे अपनी बात नहीं कहने देते हैं तो मेरे बोलने से क्या मतलब है, मैं बैठ जाता हूँ। मैं नहीं बोलना चाहता।

**श्रीमती गंगादेवी डाटा** (रामगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सन् १९६१-६२ का बजट हमारे सामने आया है इस बजट में जो रूपरेखा है उसको देखते हुए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यह बजट हमें किस ओर ले जा रहा है। इस बजट में नोन डेवलपमेंन्ट एक्सपेन्डीचर और डेवलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर है ; उसका अनुपात ६० और ४० के बीच का आता है। हमारा लोक कल्याणकारी और समाजवादी राज्य बनाने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को देखते हुए और इस बजट को देखते हुए हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या यह बजट सचमुच ही हमें समाजवाद की ओर ले जा रहा है। इसमें जो नोन डेवलपमेंट के लिये एक्सपेन्डीचर है वह ४० प्रतिशत है। इस चालीस प्रतिशत के अन्दर हमारी सरकार के बड़े बड़े कर्मचारी जिसमें आर० ए० एस० और आई० ए० एस० ऑफिसर्स हैं उन सब का वेतन भी इसमें सम्मिलित है। यह जो इस प्रकार का अंग्रेजी शासन का ढांचा हमें मिला है वही ढांचा अभी तक चला आ रहा है, इसी पर हम चलते आ रहे हैं। मैं नहीं समझ सकी कि नोन डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर है, जो इसका खर्चा है दोनों की तुलना की जाय और देखा जाय कि क्या यह हमारे उद्देश्य की पूर्ति करता है और यह भी जितनी बड़ी रकम हम खर्च कर रहे हैं क्या उससे जनता का विकास होता है ? इस सब में जो स्टाफ का खर्चा है क्या वह प्रगतिशील है ? शिक्षा पर जो खर्च २५ प्रतिशत के करीब पड़ता है इसे हम जरूर कुछ बातों में आगे ले जा सके हैं देश को और प्रान्तों का जो बजट है शिक्षा का उससे शायद हमारे प्रान्त की शिक्षा का बजट आगे है और होना भी चाहिये क्योंकि यह जो प्रान्त है शिक्षा के लिहाज़ से बहुत पिछड़ा हुआ है और पिछड़ा हुआ कहलाता भी है।

दूसरा इस बजट में मैंने देखा है, मेडिकल और पब्लिक हैल्थ के लिये जो आंकड़े दिये गये हैं वे ११ और १२ प्रतिशत के बीच में हैं और पुलिस पर ९–१० के आस पास पड़ता है। अगर दोनों की तुलना की जाय तो मैं समझती हूँ कि जो हमारे स्वास्थ्य पर खर्चा है वह बहुत कम है क्योंकि स्वास्थ्य एक

( श्रीमती गंगादेवी डाटा )

ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ही सारे शरीर का ढांचा निर्भर करता है; जैसा कि हमारे यहां कहावत है, "पहला सुख निरोगी काया"। यह सब जो खर्चा होता है और जो स्वास्थ्य के लिये मद रखी गई है मैं समझती हूँ वह हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता। जहां हम इस उद्देश्य की पूर्ति की कल्पना करते हैं उसमें हमारा यह बजट कितना फिट बैटता है। पुलिस पर जो खर्चा रखा है वह खर्चा आज के युग के अन्दर, आज के समय के अन्दर, मैं समझती हूँ, उपयुक्त नहीं है। पहले जो यह कहा जाता था कि राजस्थान में डाकुओं की समस्या काफी है इसलिये पुलिस की संख्या ज्यादा रखनी पड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ अब हम देखते हैं और अखबारों में पढ़ते हैं जिसमें हमें इस प्रकार के आंकड़े देखने को मिलते हैं कि डाकुओं से कई इलाके मुक्त कर दिये गये हैं। तो फिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी रकम हम पुलिस पर खर्च कर रहे हैं ? इस रकम को हम विकास कार्यों में क्यों नहीं लगाते ? इस ओर वित्तमंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये। मैं उम्मीद करती हूं कि इस पर कुछ विचार किया जायगा।

इसके अलावा एक बात यह भी है कि हमारे यहां स्टाफ का खर्चा बहुत बढ़ रहा है। उसके लिये बहुत बड़ी रकम रखी गई है। उस रकम में सब चीजें आती हैं तनख्वाहें भी आती हैं। इसके अलावा यह भी रखा गया है कि जो गरीब मां–बाप के बच्चे हैं जिनके मा-बाप या गार्जियन्स इस लायक नहीं कि वे अपने बच्चों की पुस्तकों का भी खर्चा उठा सकें उनको पुस्तकें फ्री दी जायंगी। मैं समझती हूं, इसमें गरीब मां-बाप का माप–दंड क्या होगा कि कौन गरीब हैं और कौन पुस्तकों का खर्चा उठा नहीं सकता इसके लिये यही होगा कि एम० एल० ए० का सार्टिफिकेट लाना होगा, किसी मजिस्ट्रेट का सार्टिफिकेट लाना होगा। ऐसी हालत में क्या होगा कि वे लोग जो अपना चुनाव क्षेत्र बनाना चाहेंगे, जो अपना एरिया निश्चय करना चाहते हैं वे इन कामों में मदद देंगे। इस तरह से मैं समझती हूं कि जो एक उद्देश्य गरीबों को मदद देने के लिहाज़ से रखा गया है यह कामयाब होगा या नहीं, यह देखने की बात है।

तीसरी बात है लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के बारे में जिसे २ अक्टूबर, १९५९ को हमने चालू किया था उसका दूसरा चुनाव अभी अभी हुआ है, जो दिक्कतें और परेशानियां इन चुनावों में देखने में आयीं और जो रुपयों का दुरुपयोग हुआ है उस तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मुझ से पूर्व भी कई वक्ताओं ने इस सम्बन्ध में अपने अपने विचार रखे थे। एक बात मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगी कि जो कोआॅप्शन के बाद का समय दिया गया है ५-६ दिन का, जो टाइम है उस समय में पता नहीं पड़ता कि पंचायतों के पंच और सरपंच किस तरह से कहां ले जाये जाते हैं ? उनका एक प्रकार से हरण कर लिया जाता है। हम तो स्त्रियों का हरण सुनते थे, लेकिन आजकल पंचों और सरपंचों का भी हरण होना शुरू हो गया है....

**श्री उपाध्यक्ष** : उनमें पुरुष और स्त्रियां दोनों ही हैं।

**श्रीमती गंगादेवी डाटा** : हमें इसमें देखना यह होगा कि इस पंचायत राज्य का

( श्रीमती गंगादेवी डाटा )

जो हमारा विचार है जनता के अन्दर जो जन-मानस पैदा करने जा रहे हैं, क्या हम उस ओर सही दिशा में बढ़ रहे हैं, यह देखने की बात है। इसमें खामियां है, हमें उस पर भी नजर रखनी चाहिये। जिन पंचों को, सरपंचों को गायब किया जाता है उनका उनके घरवालों तक को पता नही रहता। गाड़ियां में बैठाकर पांच पांच सौ मील पर उनको ले जाया जाता है और वहां कस्टडी में रखा गया है। तो इसलिए कोआॅप्शन के बीच का समय है वह खत्म होना चाहिये और इस पर मेरा सुझाव यह है कि जहां पंचों और सरपंचों की पेटी रखी जाती है उसी तरह से प्रधान की भी पेटी रख देनी चाहिये। इससे यह होगा कि प्रधान भी सीधा ही चुन कर आ जायेगा। यह सब जो होता है वह इसलिए होता है कि जो ३०-३५ पंच या सरपंच होते हैं उनसे वोट लेने के लिये होता है और उस पर हजारों रुपये....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समझती हूँ, मुझे दो दिन के बाद तो समय मिला। और समय मुझे मिलना चाहिये; पांच मिनट और दे दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : दो मिनट ले लीजिये।

**श्रीमती गंगादेवी डाटा** : पांच मिनट तो दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : पीछे देखिये आप अपनी तरफ, कितने और बोलने के लिए इन्तजार में हैं।

**श्रीमती गंगादेवी डाटा** : बात में ही टाइम जा रहा है, उपाध्यक्ष महोदय....

**श्री उपाध्यक्ष** : Yes, yes.

**श्रीमती गंगा देवी डाटा** : तो मैं यह कहने जा रही थी कि इस तरह से हरएक जिले में हुआ है।

दूसरी बात यह है कि जो पहले सरपंच-पंच लोग थे वे इस कोशिश में लगे कि किसी तरह इस बार भी चुनाव में जीता जाय और इसके लिए एक एक पंच ने पांच पांच हजार रुपया खर्च किया है और....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्या, इस विषय पर काफी प्रकाश यहां मिल चुका है।

**श्रीमती गंगादेवी डाटा** : यह इसी से सम्बन्धित है। सरपंचों द्वारा डेवलपमेन्ट पर काफी रुपया खर्च होता है। यह रुपया सरपंच के व्यक्तिगत कामों में व्यापार में काम में आता है, आप चाहें तो इसकी जांच कर लें। यही वजह है कि दुबारा आने की वह कोशिश करता है क्योंकि उसको डर रहता है कि अगर दुबारा नहीं आया तो जो रुपया मैंने ले रखा है वह मांगा जावेगा, वापिस वसूल किया जावेगा। तो इसलिए इस बारे में मेरा सुझाव है कि जो सरपंच दुबारा खड़ा हो तो उससे लिखित में क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिये कि उसकी तरफ सरकार का या डेवलपमेंट का कोई रुपया बकाया नहीं है।

चौथी बात यह भी रखना चाहती हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आखिरी बात कह दीजिये आप ?

**श्रीमती गंगादेवी डाटा** : राजस्थान कॉलेज जो खोला गया है, वह बिल्कुल नया आइडिया था। इसके पीछे हमारे भी और शायद शिक्षा मन्त्री के और सभी के दिमाग में यह था कि यहां से जो शिक्षित होकर लड़के निकलेंगे वे देश के डेवलपमेंट के काम में, हर तरह के इन्जीनियरिंग के काम में और दूसरे कामों में सहायक होंगे। इसी के कारण लेक्चरार्स वगैरह भी हमने दूसरी जगहों से ऊंचे वेतन पर रखे। पर जो रिज़ल्ट वहां का देखने में आ रहा है उससे सन्तोष नहीं होता। बहुत बढ़िया न सही, बढ़िया भी होता तो कुछ सन्तोष होता। कहना चाहती हूँ कि यह सफेद हाथी का बोझा सरकार ने अपने पर लाद लिया है। मैं चाहती हूँ कि पैसे का अच्छा सदुपयोग हो नहीं, तो यह बजट हमें किस ओर ले जावेगा और इसका क्या मकसद है, यह मैं नहीं जानती। तो मैं समझती हूँ कि वित्त मन्त्री महोदय इस पर प्रकाश डालेंगे।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, हम आज अपने राज्य के ६१–६२ के आय-व्ययक पर विचार कर रहे हैं। जनता बजट में इसलिये रुचि लेती है कि वह चाहती है कि हमारे बजट के द्वारा हमको कुछ प्रकार की सुविधाएं मिलें। पहली यह कि जो प्रशासन है उसका संचालन सुचारु रूप से हो, दूसरा जनता को सुख और सुविधा मिले, तीसरा जनता का जीवन-स्तर ऊंचा उठे, चौथा शिक्षित और अशिक्षित बेकारों को धन्धा मिले और पांचवां यह कि अपने राज्य का सर्वांगीण विकास हो। मैं समझता हूँ कि किसी भी बजट के अच्छे या बुरे, असफल या सफल होने की ये हैं पांच चीजें आधार भूत कसौटी

हम अपने इस बजट को इस दृष्टि से देखते हैं तो मैं निराशाजनक तो नहीं कह सकता, पर विशेष सन्तोषजनक भी नहीं मानता हूँ।

जहां तक हमारे प्रशासन का सम्बन्ध है, जिस चीज़ को हम एफीशियेन्सी और कुशलता कहते हैं, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि हम अपने इस प्रशासन में वह कुशलता या एफीशियेन्सी नहीं ला पाये हैं। हमारे जो महकमे हैं उनमें आज स्टाफ बढ़ता है, बड़े बड़े वेतन पाने वाले अधिकारी बढ़ते हैं लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कार्यक्षमता उनकी दिन–दिन कम होती जा रही है। यह कहा जा सकता है कि विकास का युग है यह, इसलिये विकास के विभाग में तो कम से कम वृद्धि होनी ही चाहिये। मैं इससे सहमत हूँ कि विकास विभाग में अवश्य वृद्धि हो, लेकिन उस वृद्धि के साथ साथ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कहीं उसका अपव्यय तो नहीं हो रहा है। तो इसके विस्तार में तो मैं नहीं जाना चाहता, इतना समय नहीं है, पर वित्त मन्त्री महोदय को मैं बतला सकता हूँ कि वे अपने तमाम विभागों में इस बात को देखना चाहें तो स्वयं देख सकते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई के द्वारा इकट्ठे किये गये करों से जो राज्य का कोष बनता है उस कोष का जितना सदुपयोग होना चाहिये, जनता जितनी उम्मीद करती है कि उसका वास्तव में सही उपयोग होना चाहिये तो वह नहीं होता, आपके लिये यह जानना बहुत आश्यक है।

इस बजट के सम्बन्ध में हमने कुछ मितव्ययता की नीति अपनाई है। इसमें

( श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी )

कमिश्नरों के जो पद कम किये गये हैं, यह ठीक है, हमारी नीति के अनुकूल है; लेकिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमी करना हमारी आज की और पुरानी समय की नीति के भी प्रतिकूल है। मैं समझता हूँ कि शायद हमारे नेताओं के उस समय के जो उद्‌गार थे जिस समय कि यहां ब्रिटिश शासन था, उन उद्‌गारों के भी हम विपरीत जाते हैं। उस युग के नेता आज भी भूले नहीं होंगे जब कि विदेशी शासन काल में हमारी कांग्रेस के सदस्य जो केन्द्रीय असेम्बली में जाते थे और राज्य की कौंसिलों में जाते थे सबसे ज्यादा इस बात की आलोचना करते थे कि उस काल में भी अल्प वेतनभोगी सेवकों की कमी की जाती थी और उनकी जगह बड़े बड़े तनख्वाह वाले अधिकारी रखे जाते थे। दस, बीस, चालीस, पचास रुपये मासिक पाने वाले कर्मचारियों को कम करके उनकी जगह डेढ़–दो हजार के अधिकारी रक्खे जाते थे और इसी वजह से हम उसको टोप हैवी 'एड-मिनिस्ट्रेशन कहा करते थे।

(३. २८. म० प०)

( श्री रामप्रसाद लड्‌ढा, सभापति, पदासीन )

पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि वही नीति आज भी हमारा वित्त विभाग अपना रहा है।

**श्री दिलीपसिंह** (बारां) : उन आई० सी० एस० से तो आज ग्रेड कम है।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : आज जिनके हाथ में आय-व्ययक बजट बनाने का काम है, यह तो मानना पड़ेगा कि वे आज इस बात को पसन्द नहीं करते। पर मैं यह मानकर चलता हूँ कि अगर हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और लिपिक वर्ग के हाथ में इसका बनाना होता तो शायद इसका स्वरूप दूसरा ही होता। शायद वे सचिवालय में बड़े बड़े अधिकारियों को और विभागाध्यक्षों में कमी करते। उनके हाथ में होता तो इस कटौती करने का असर और जगह पर पड़ता, वे छोटे छोटे कर्मचारियों को कम करके बेरोजगारी नहीं बढ़ाते। तो मैं बतला रहा था कि प्रशासन पर जितना खर्चा बढ़ता जाता है उतने परिमाण में कार्य-कुशलता नहीं पाई जाती। आज उस प्रशासन में लाल फीताशाही भी उसी रूप में मौजूद है। आज विलम्ब उतना ही होता है जितना पहले। इसलिये कहता हूँ कि हमारा बजट इस दृष्टि से विशेष सन्तोषजनक नहीं है।

दूसरा, मैंने बतलाया कि कर-दाताओं की सुख-सुविधा का जहां तक सम्बन्ध है वह हम समझते हैं कि जनता को अभी इस मामले में पूरा सन्तोष नहीं है। आज कितनी ही प्रकार की सुविधायें हैं जहां तक जीवन-स्तर का सम्बन्ध है कहा जा सकता है कि आज हर एक को आय बहुत बढ़ गई है। सरकारी कर्मचारियों की आय बढ़ गई। कह सकते हैं कि किसानों की भी आय बढ़ गई, मजदूरों की बढ़ गई लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि जिस अनुपात से लोगों की आय बढ़ी है उससे कहीं विशेष अधिक अनुपात में व्यय भी बढ़ता चला जा रहा है। जीवन-स्तर में इतना ही नहीं है कि आय बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ व्यय भी बढ़ता जा रहा है।

# Page No.86



( श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी )

व्यय भी उन वस्तुओं पर ज्यादा बढ़ता जा रहा है जो कि हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं। इसलिये उससे जितना सन्तोष होना चाहिये उस आमदनी और आय से उतना आज नहीं मिल रहा है। जहां तक शिक्षित और अशिक्षित बेकारी का सम्बन्ध है इसको कहने में मुझे संकोच नहीं कि उसको हम विशेष रूप से नहीं मिटा पाये हैं।

हमारे पास कोई निश्चित आंकड़े नहीं जिनसे कि हम बता सकें कि हम अपने राज्य में कितने लोगों को धन्धे दे सके हैं। शिक्षितों के लिए हमारी सरकार कह सकती है कि उनको नौकरियां मिली हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि नौकरियों की संख्या सीमित है। राज्य सरकार ने कौन कौन से ऐसे उद्योग धंधे गृह उद्योग, कुटीर उद्योग-ऐसे कौन से उद्योग चलाये हैं जिनमें शिक्षित और अशिक्षितों को लगाया है। अगर इस चीज़ को हम बजट में देखें तो इस बजट में मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला कि हमने इतने उद्योग-धंधे शिक्षित और अशिक्षितों को रोजी देने के लिये खोले हैं। इसको हम राज्य का सर्वांगीण विकास कहते हैं। यद्यपि इस सम्बन्ध में बहुत से विकास कार्यों का उल्लेख होता है और यह भी मैं मानता हूँ कि विकास हो रहा है, लेकिन मैं इस विकास को सर्वांगीण विकास नहीं मानता हूँ। इससे लोग यह अनुभव करें कि हमारे यहां विकास हो रहा है तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि सर्वांगीण विकास हुआ है। सर्वांगीण का अर्थ होता है सब जगह एकसा विकास होना लेकिन आप अलग अलग जिलों की स्थिति को देखिये कि एक जिले में खर्चा कितना होता है और दूसरे में कितना होता है। मैं कहता हूँ कि हमारे यहां की २५-२६ जिलों की स्थिति देखी जाये तो हम यह बात पायेंगे कि एक जिले से दूसरे जिले का वही अनुपात है जितना कि छोटे और बड़े कर्मचारियों की तनख्वाह में है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि बजट में जो सन्तुलन होना चाहिये सबके विकास के लिए, वह नहीं है। अब बजट के अन्दर जैसा कि इसको घाटे का बजट बता कर कुछ कर लगाये गये हैं और कुछ कमी की गई है उसके बारे में थोड़ा सा कहूँगा। करों का जहां तक सम्बन्ध है मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की पहले नीति यह रही है कि करों का भार उन लोगों पर पड़े जो कि उसे सहन कर सकें, जो साधन-सम्पन्न हों उन पर ज्यादा कर हों और जो छोटे आदमी हैं, कम आय वाले हैं उन पर कम भार हो। लेकिन कई कर ऐसे लगे हैं जैसे मोटरों में चलने वाले लोगों पर कर लगाया है, मैं नहीं समझता कि जो सर्विसेज़ की गाड़ियां होती हैं उनमें बड़े बड़े लोग नहीं बैठते हैं, बड़े लोगों के पास कार हो सकती है अगर कारों के ऊपर टैक्स लगाया है तो मैं समझता नहीं कि उसको बेजा बताया जाये लेकिन साधारण लोग जो यात्रा करते हैं उनके ऊपर जो कर लगाया है मैं समझता हूँ कि यह साधारण जनता के ऊपर भार आकर पड़ता है। इस कर को दूसरी जगह लगाया जा सकता था। कितने ही माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कह चुके हैं, लेकिन मैं फिर अपनी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ कि ऐसे कर लगाने चाहिये जिनको कि हम नैतिक स्तर को ऊंचा करने में सहायक कह सकते हैं। यदि ऐसी चीजों पर हम टैक्स लगाते, जैसे शराब पर और ज्यादा

( श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी )

कर लगा सकते थे जिससे कि लोग उसको पीना बन्द करें, गांजा भांग आदि जैसी नशीली चीजों पर ज्यादा कर लगा सकते थे। कहने का मतलब यह है कि प्रोहीबिटिव टैक्स हमारे हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो साधारण जनता की उपयोगी चीजें हैं उन पर क्यों इतना टैक्स लगाया गया है, समझ में नहीं आता। अनाज के ऊपर टैक्स लगाया है। मैं समझता हूँ कि शायद हम व्यवहार में जाकर देखेंगे कि चाहे हम राज्य से बाहर जाने वाले अनाज पर लगायें लेकिन उसमें भी कितना करप्शन हो सकता है, यह आपको व्यवहार बतायेगा। इसके साथ ही साथ जो स्टाफ में कमी की गई है मैं उसमें विशेष नहीं जाऊंगा समय की कमी के कारण, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो कुछ आप अपने विभागों में कमी करने जा रहे हैं इसको भी यदि हम किसी वैज्ञानिक आधार पर करते तो यह चीज़ कहीं ज्यादा उपयोगी रहती। मैं अब भी सुझाव देता हूँ कि बजाय इसके कि हम थोड़े से आदमी, चाहे वित्त के विशेषज्ञ हों वे करें लेकिन यह ज्यादा अच्छा होता कि इस तरह की कमेटी बनाई जाये, इकोनोमी कमेटी बनाई जाये........

**श्री मोतीलाल** (डीडवाना) : पहले बनी थी।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : पहले बनी होगी।

उस इकोनॉमी कमेटी में चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं, फाइनेन्स सेक्रेटरी हो सकते हैं और हमारी यूनीवर्सिटी के हैड ऑफ दी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हो सकते हैं और जन प्रतिनिधि, यानी एम. एल. एज़. में से दो सदस्य उसमें हो सकते हैं। इस प्रकार वह ५ सदस्यों की कमेटी हो सकती है। कमिश्नर आपने कम किये, वह ठीक है....

**श्री मोतीलाल** : ऐस्टीमेट्स कमेटी बनी है।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : रेलवे डिपार्टमेंट में और दूसरे डिपार्टमेंट्स में ऐसी कमेटी बनाई जाती है। बल्कि वह तो इन्डीवीजुअल मेम्बर्स को भी जो कि इकोनॉमी के सुझाव दे उनको इनाम देती है। अगर इस तरह की चीजें करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम सचमुच वैज्ञानिक रूप से कमी कर सकेंगे। एक वर्ग जो कि निम्न श्रेणी का वर्ग है उसको आपने ज्यादा-कम कर दिया है और जो ऊपर का वर्ग है उसको आपने अछूता छोड़ा है। मैं समझता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन्हें वित्त मन्त्री महोदय स्वीकार करेंगे।

**श्री सभापति** : श्री मूलचन्द डागा।

( मुख्य मन्त्री बोलने हेतु खड़े हुए )

**श्री सभापति** : Mr. Daga, please sit down.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** ( मुख्य मंत्री ) : Let him finish. I would request him to finish as soon as possible.

**श्री सभापति** : Yes, continue.

**श्री मूलचन्द डागा** : तो मैं एक-दो मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

**श्री सभापति** : You may finish your speech within 5 or 7 minutes.

**श्री मूलचन्द डागा** ( पाली ) : सभापति महोदय, मैं अपनी बातों को बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा। मैं यह चाहता था कि यह मेक-अप का जमाना है इसलिए यह मेक-अप बजट है। मगर बच्चा सुन्दर हैं या नहीं, उनकी भावना वे जानें, लेकिन चार्मीज़ लगाने से या बनारसी पान खाने से होठों को लाल कर लें और कहने लगें कि हमारा बच्चा ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि आप अपने बजट को मेक-अप बजट कह सकते हैं, रूप-सज्जा बजट। समाज के अन्दर एक नया वर्ग पैदा हो रहा है और सामाजिक तत्व पैदा हो रहे हैं, उसका मूल कारण यह है कि हमारा बजट ही ऐसा है।

हम मान चुके हैं और हमारा प्लानिंग कमीशन यह मान चुका है कि हिन्दुस्तान में अगर कोई चीज़ है और विकास का कोई प्रगतिशील कार्य है तो वह है कृषि। कृषि में विकास तब हो सकता है जबकि भूमि सुधार के जो हमने निर्णय लिये हैं उनको मूल रूप दिया जाये। लेकिन मैं कहता हूं कि आज भी गांवों में जाकर देख लिया जाये, भूमि-सुधारों को वह रूप नहीं दिया गया है। अगर आज कोई कहे और सदन से पूछे कि सीलिंग के बाद कितनी जमीन एक्वायर करके पचास पर्सेन्ट गरीब और दलित जाति के लोगों को बांट दी उसका उत्तर हमको श्री रामचन्द्र जी और भैरवलाल कालाबादल जी ने अपने भाषण में दिया है और इस कारण समाज में एक सामाजिक तत्व पैदा हुआ और हम उसके नेतृत्व में चल रहे हैं। जो गरीब और पिछड़े हुए हैं, जिनकी आर्थिक हालत दयनीय और सोचनीय है और उस हालत में अगर हम सोचें तो उन लोगों की जो हालत है और जो असामाजिक तत्व पंचायतों में आये हैं जिनके पास हजारों बीघा और सैकड़ों बीघा जमीन है और जो अपनी हालत को मजबूत कर चुके हैं और वह वर्ग इस गरीब वर्ग पर और भूमिहीन किसान को अपने नेतृत्व में चलाता है। मैं यह बताना चाहता था कि ब्रिटेन और दूसरे देशों में जहां कि एक कर्मचारी और दूसरे कर्मचारी में ज्यादा से ज्यादा अन्तर १० पर्सेन्ट का हो सकता है, तनख्वाह में ज्यादा से ज्यादा १० गुना अन्तर हो सकता है लेकिन हमारे यहां पर ५० गुना भी अन्तर है। एक की २५,०० की तनख्वाह हो सकती है और दूसरे को ५० भी हो सकती है।

हम इस ओर संकेत करना चाहते हैं कि हम लोग बहुत आगे विकास की ओर बढ़ रहे हैं, शक नहीं। लेकिन हमें यह बात भी सोचनी होगी कि हमारी ग्रामीण जनता जो बहुत बड़ी संख्या में है, ८० पर्सेन्ट लोग गांवों में रहते हैं, उनकी हालत में किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। मैं यह कहना उचित समझूंगा कि मैं इन बातों को ध्यान में रख कर विकास योजना की ओर देख रहा था, देख रहा था कि विकास का ४० प्रतिशत खर्चा प्रशासनिक काम पर होता है। कुक्कुट अधिकारी मुकर्रर कर देते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। क्या कारण है इस तरह के अधिकारी रखने का ? हमने इस तरह के अधिकारियों की सूची बनाई है। संसद के सदस्यों ने निर्णय लिया था, भारतीय संसद के सदस्यों की एक समिति ने बैठ कर निर्णय लिया था कि काम बढ़ाने के अनुपात से

(श्री मूलचन्द डागा)

कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। काम बढ़ाने के साथ साथ अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिये। प्रशासनिक विभाग पर यह भावना बढ़ती जा रही है कि स्टाफ अधिक से अधिक बढ़ाया जाय, इस चीज़ को ज्यादा बर्दाश्त किया नहीं जा सकता।

दुनिया में इस बात की दौड़ लग रही है कि उपयोगी और विलास की वस्तुओं में हिस्सा हमारा भी रहना चाहिये। समाज के जो छोटे तत्व हैं वे भी आगे बढ़ना चाहते हैं। उपयोगी या आराम की वस्तुओं को लेना चाहते हैं, लेकिन आपने एक प्रणाली स्थापित की है जो कर प्रणाली के नाम से है। कर प्रणाली की आपने व्यवस्था इसलिये की है कि पैसे के बोझ के कारण शायद लोग इन चीजों का उपयोग कम कर सकें, लेकिन दुख की बात है कि करों का बोझ लाद देने पर भी भोग विलास की वस्तुओं को उपयोग में लाने की इच्छा सभी रखते हैं। इसलिये आपका जो ध्येय था, जो मकसद था उसको पूरा नहीं कर पाये।

**श्री सभापति** (श्री रामप्रसाद लड्ढा): जल्दी समाप्त करें।

**श्री मूलचन्द डागा**: एक दो-मिनट में ही कहना चाहता हूं। चार बजे तक का समय रखा था, अभी चार बजे नहीं हैं।

**श्री सभापति**: आप जल्दी ही एक मिनट में समाप्त कर दीजिये।

**श्री मूलचन्द डागा**: मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कुछ बजट रखा है उसको यदि कोई पढ़े तो समझ नहीं सकता कि इस प्रकार का बजट है। मुझे टाइम देते तो मैं बताता। आपके लिये यह एक तरह की परीक्षा है। आपने एक अल्प बचत योजना जारी की १२ करोड़ रुपयों की। लेकिन आपके आंकड़ों के अनुसार जो अल्प बचत हुई वह है ५ करोड़ ८१ लाख। यह आपकी परीक्षा थी, लोगों की श्रद्धा आप में कितनी पहुँच चुकी है। क्या हम इसमें असफल हुए हैं? इसका उत्तर देने का अभी समय नहीं है इसलिये मैं यहीं समाप्त करता हूं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री): माननीय चेयरमैन महोदय, इस वर्ष के बजट पर इस सदन में जो परसों से चर्चाएं हो रही हैं उनके पूरे विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कुछ खास बातें जो यहां बहस के दौरान में सामने आईं, उन पर सदन के समक्ष अपने विचार जाहिर करना चाहूंगा।

(३.४५ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

सब से पहले तो यह कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति की कि जो टैक्स का वजन लगाया जा रहा है वह उचित नहीं है। माननीय चेयरमैन महोदय, इस सदन के अन्दर जिस वक्त हम तृतीय पंचवर्षीय योजना पर विचार कर रहे थे उस समय मेरा ख्याल है कि सभी माननीय सदस्य एक राय थे कि राजस्थान में जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का खाका है वह एक अच्छा एम्फेसिस हमारे अन्दर होना चाहिये और जो

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

२३६ करोड़ का आखिर में जाकर निर्णय हुआ, कुछ माननीय सदस्य तो यहां तक कहने में रहे कि हमको कम मिला। लेकिन मैं यह भी मान कर चलता हूं कि जो माननीय सदस्य इस सदन में बैठते हैं वे इस बात को भी जानते हैं कि देश में दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है और तीसरी चालू होने वाली है, इसलिये वे अच्छी तरह से जानते हैं कि योजना बनाना और बनाने के बाद, उसके बाद आने वाली जिम्मेदारी प्रत्येक प्रदेश पर क्या होती है। यह हर एक मानेगा कि हमारे सामने दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो यह हो सकता है कि हम हमारे यहां पर विकास कर लगावें और दूसरी तरह के साधन कर्जे (लोन) से और स्माल से विंग्ज़ स्कीम से बढ़ावें। दूसरा तरीका यह है कि हम इन सब में न जावें और हम जितना धन हमारे पास है उसी के आधार पर योजना बना कर चलें। ऐसा मालूम होता है कि शायद कुछ माननीय सदस्यों के इस प्रकार के विचार हैं जिससे मुझे ऐसा लगा कि जन संघ के जो नेता हैं, शायद उनका इस प्रकार का ख्याल है कि टैक्स में वृद्धि करते हैं, कर्जा बढ़ाते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं, और प्लॉन कैसे बड़ा हो, इस बारे में सुझाव नहीं देते हैं। कुछ छोटे-मोटे सुझाव दिये कि कैसे साधन बढ़ें, लेकिन वे और दृष्टि से थे, बनिस्पत साधन बढ़ाने के ख्याल के। इसलिये मैं माननीय सदस्यों को बहुत नम्रतापूर्वक और गम्भीरता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह पार्टीज़ का प्रश्न नहीं है, राजस्थान के विकास का प्रश्न है और हम सबको गम्भीरतापूर्वक सोच कर चलना होगा कि राजस्थान के भविष्य की क्या तस्वीर देखना चाहते हैं। दो पार्टीज़ के रूप में सोचना गलत है। यदि हम चाहते हैं कि राजस्थान तेजी से आगे बढ़े तो स्वाभाविक परिणाम यह है कि हमें वित्तीय साधनों को बढ़ाना होगा और यदि यह मानते हैं कि वित्तीय साधनों को बढ़ाना है तब कर प्रस्ताव सामने आने ही थे। मैं आशा करके चलता हूं कि एक पक्ष समर्थन करे और दूसरा राजनैतिक दृष्टि से विरोध करे, यह उचित नहीं हो सकता।

जो टैक्स इस साल लगाये गये उसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखा है कि जो सम्भव इकोनोमी हो सकती है उस बारे में न सिर्फ हमने मोटे तौर से कह कर समाप्त कर दिया हो लेकिन इस बार कुछ निश्चित बातें यहां कह दी हैं जिससे यह मालूम होता है कि क्या क्या स्टेप्स लेना चाहते हैं, किस तरह से इकोनोमी की जायगी, जिसका कई माननीय सदस्यों ने स्वागत किया है। आम तौर से स्वागत किया है, इसकी खुशी है। लेकिन जो बजट रखा गया उसे ज्यादातर माननीय सदस्यों ने व्यवहारिक बजट है इस रूप में साबित किया और मैं यह समझता हूँ मतलब कि इस आर्थिक वर्ष में १९६२ में आम चुनाव आने वाले हैं, यह बात हम जो इस तरफ बैठे हैं उनको भी मालूम है और जो विरोधी पक्ष में बैठे हैं उनको भी मालूम है। लेकिन मैं इस तरह से मानता हूँ कि राजस्थान के विकास की जिम्मेदारी पूरी करनी है तो हमें ईमानदारी से करनी चाहिये और सरकार ने परिचय दिया है कि अपने रिसोर्सेज़ को पूरा करना होगा। इसलिये चुनाव का साल होते हुए भी १३५ लाख के हमने कर लगाये हैं।

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

जनता समझे कि अधिक भार नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन भार आयेगा। दूसरी ओर इकोनोमी भी करेंगे; रिसोर्सेज़, साधन होते हैं उनको भी करेंगे।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान का आम स्टैन्डर्ड आफ लिविंग जो ऊंचा उठाया है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हम चाहते हैं वह और ज्यादा ऊंचा उठे क्योंकि आज लोग चाहते हैं; सड़कें ज्यादा हों, स्कूल्स ज्यादा हों, अस्पताल ज्यादा हों, तालाब ज्यादा हों, बिजली ज्यादा हो। इन सब चीजों को एक तरफ हम चाहते हैं, तो उसके लिए दूसरा जरिया नहीं है। मैं नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम राजस्थान के मानस को, जो राजस्थान पिछड़ा हुआ रह गया पहले दूसरों के मुकाबले में, उसको सही मायने में आगे बढ़ाने के लिए तैयार करना है, जिससे फिर उलझन में पड़ कर पिछड़ न जायं; तो कम से कम कुछ मुद्दों पर सभी पार्टीज़ को सोच कर चलना चाहिए। विकास के प्रश्न, जिसकी मुख्य आवश्यकता हो गई है, के अन्दर हम कम से कम राजनैतिक एक्स्प्लोइटेशन न करें और दूसरी विचार धारायें हो सकती हैं जिनके द्वारा हम इलेक्टोरेट के पास जायं। कोई पार्टी यह कहना चाहे कि हम कोई टैक्स नहीं लगायेंगे और राजस्थान का विकास कर देंगे, मैं समझता हूँ कि निगेटिव एप्रोच हो सकता है, पोज़ीटिव एप्रोच नहीं हो सकता। हमें पोज़ी-टिव एटीट्यूड लेकर चलना पड़ेगा कि किस तरह देश को, राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहिए और हमने उस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया। इकोनोमी के लिए मैं निवेदन करूंगा कि काफी सोच-विचार कर उन प्रश्नों को यहां रखा गया।

माननीय उपाध्यक्षजी, जो बजट यहां प्रस्तुत किया गया और जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट के अन्दर बतलाया और इस सदन की जानकारी में और सबकी जानकारी में वह है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जितनी तेजी के साथ हमने विकास करने का प्रयत्न किया, उससे इस वर्ष में एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई है, वह यह परिस्थिति है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के काम की वजह से ६ करोड़ ९९ लाख का कमिटेड एक्सपेन्डीचर रेवेन्यू साइड के अन्दर इस साल के बजट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो आम तौर पर प्लान एक्सपेन्डीचर था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में, जब ६ करोड़ ९९ लाख का कमिटेड एक्सपेन्डीचर के तौर पर बजट में रिफ्लेक्शन है तो हम आसानी से सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कार्य और जिम्मेदारी मिल जाती है। एक तरफ तो कमिटेड एक्सपेन्डीचर के तौर पर पूरा करना, साथ ही सोर्सेज़ को पूरा करने के लिए इसके अन्दर बढ़ा सकें, तो फिर कमिटेड एक्सपेन्डीचर को पूरा करने के बाद बजट स्पीच में कहा गया कि ३६४ लाख रेवेन्यू साइड में सरप्लस हो गया, जो पंचवर्षीय प्लान में युटिलाइज किया गया। अब ३६४ लाख युटिलाइजेशन के बाद सेंटर से और जो मिलेगा और जो रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर और रिसीट साइड पर मिलेगा, उसमें जो गेप रह जाता है उसे कवर करने के लिए इस सदन के सामने एक प्रश्न उपस्थित होता है। उस दृष्टि से इस सवाल को हल करने

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

के लिए प्रयत्न किया गया लेकिन स्वाभाविक बात है, जब टैक्स के लिए तथा और प्रश्नों पर विचार करें तो जैसा इसके सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने, मैं निवेदन करूं कि किसी भी प्रदेश के लिए, आप पार्टी की दृष्टि को छोड़ दीजिये, इस बात की चर्चा की कि दिवालियापन हो रहा है, बैंकरप्ट्सी आ रही है, मैं समझता हूँ यह प्रदेश के लिए अच्छी बात मालूम नहीं होती है। अगर सही मायने में ऐसा हो रहा है तो उस मामले पर सदन को गम्भीरता से सोच-विचार करना चाहिए। जो हम यहां काम कर रहे हैं, वह अनहोनी बात कर रहे हैं कि राजस्थान प्रदेश दिवाले की ओर जा रहा है तथा और और प्रदेश और देश जो राष्ट्र और प्रदेश की तरक्की के रास्ते अपनाते हैं वे भिन्न होते हैं। यह सदन के सोचने के लिए एक गम्भीर प्रश्न बन जाता है, यह सही नहीं है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने को बैंकरप्ट कह कर अपनी प्रतिष्ठा को गिराना है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी कहीं राजस्थान की बैंकरप्ट्सी की चर्चा करता है, तो आप और हम अलग अलग नहीं रहते। इसलिए मुझे ये शब्द उचित नहीं लगे और मैं आपको, कुछ सदस्य तो स्थिति को जानते हैं, निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उपस्थित किया था कि हमारे यहां पर एक अरब के ऊपर इतना कर्जा हो गया है, आखिर इस सबका क्या परिणाम होगा? तो कुछ सदस्य, जो पी. ए. सी. और दूसरी कमेटी के मेम्बर हैं वे इस बात को जानते हैं कि जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, राजस्थान में जितनी लाएबिलिटीज़ हैं, उसके मुकाबले में जो असेट्स क्रियेट हुए हैं वे ज्यादा हैं। वह चीज समय समय पर आपके समक्ष आती रहती है। फिर भी मैं आपके सामने उसकी जानकारी रख देना उचित समझता हूँ, इस लिहाज से कि यह भ्रम नहीं रहना चाहिए कि राजस्थान के अन्दर आज हमारी कुल लाएबिलिटीज़ के लिए कहा जाता है, जितनी बड़ी हैं, वे ज्यादा हो गई हैं, इस प्रकार की फीलिंग नहीं हो। आज जो असेट्स हमने क्रियेट किये हैं केपिटल साइड में, इर्रिगेशन वर्क्स के अन्दर, दूसरे पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा रोड्स, बिल्डिंग, और और चीजें बना कर, जिनके विस्तार के आंकड़े सदन के सदस्य चाहें तो आसानी से मिल सकते हैं, उन सबको जोड़ा जाय तो हमारे असेट्स का, तो १ अरब ७६ करोड़ रुपये के करीब हमारे असेट्स बनते हैं और लाएबिलिटीज़ साइड के अन्दर निवेदन करूं कि १४ करोड़ के करीब असेट्स एसेस होती है, जब कि असेट्स जोड़ने से एक अरब ७६ करोड़ के बनते हैं। मतलब कहने का यह है कि इस वक्त जो खर्चा कर चुके हैं, उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान की असेट्स १४ करोड़ ६५ लाख के करीब ज्यादा हैं। इसलिए कोई चिन्ता की बात नहीं है, क्योंकि जो असेट्स क्रियेट कर रखे हैं, मैंने निवेदन किया, इर्रिगेशन, पॉवर, बिल्डिंग, रोड्स वगैरह के असेट्स क्रियेट किये हैं, दूसरे लोन वगैरह दिये हैं, तो इस प्रकार की फीलिंग को कहीं गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी आर्थिक दृष्टि से, वित्तीय दृष्टि से इस प्रकार की फीलिंग की गुंजाइश नहीं है। कहीं पर भी आर्थिक दृष्टि से, वित्तीय दृष्टि से हम कमजोर हों, इसको हम अपने दिमाग से साफ तौर पर

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

हटा कर चलें, इसको मैं आवश्यक समझता हूँ, इसको आपके सामने रखा।

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक ओर बड़े बड़े असेट्स धीरे धीरे खड़े होते जा रहे हैं, दूसरी ओर जागीरदारों को जो कम्पेन्सेशन पे करना पड़ेगा, वह बोन्ड्स के जरिये पे किया जाय, इन्स्टालमेंट के जरिये पे किया जाय, जो पे कर रहे हैं, वह सवा दो करोड़, ढाई करोड़ के आस पास पे करना होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी नहीं तो धीरे धीरे यह कम होता जा रहा है, और चौथी पंचवर्षीय योजना में हमें रिलीफ मिलेगा। तो जिस फ्यूचर जेनरेशन की दृष्टि से कहा जाता है कि स्टेट को दिवालिया बना कर दिया जायगा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि १९७५–७६ के अन्दर, यह कोई बड़ा पीरियड नहीं है, फ्यूचर जेनरेशन की दृष्टि से तीस चालीस उनको देने का बाकी रहता है। फिर यह सारा का सारा एण्ड होने वाला है, फिर यह सारा अमाउन्ट उनके काम आ जायगा। इस तरह रेकरिंग नेचर की भी इन्कम उनको मिल सकती है, इसको क्रियेट करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। आज की जो जेनरेशन है, जो आप और हम इस सदन में बैठे हुए हैं, उनके सामने प्रश्न है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। जागीरदारों को पे किया जाने वाला कम्पेन्सेशन है, चम्बल बांध बना है, उसका इन्वेस्टमेंट है, राजस्थान केनाल है, इस पर १०–११ करोड़ रुपया खर्च होगा, इस तरह तृतीय पंचवर्षीय योजना में करोड़ों रुपया खर्च करेंगे। ऐसी स्थिति में फ्यूचर जेनरेशन की चर्चा की जाती है और कहा जाता है कि राजस्थान को दिवालिया बना देंगे, ऐसा है नहीं।

मैं कहना चाहता हूं कि यह राजस्थान वह बनने वाला है कि आज जिस जमीन की एक रुपया कीमत नहीं हो सकती उस एक बीघा जमीन की कीमत पांच सौ और हजार रुपये राजस्थान में मिलेगी। इसलिए आज जो हैं, आज की जनता है उस पर सेक्रिफाइस करने की जिम्मेदारी आई है। तो हम आज जो सेक्रिफाइस करते हैं तो वह फ्यूचर जेनरेशन के लिए है। यह नहीं कि आज कर रहे हैं वह फ्यूचर जेनरेशन के लिए लाएबिलिटी बनी रहेगी। बल्कि सही बात तो यह है कि आज की जेनरेशन फ्यूचर जेनरेशन के लिए सेक्रिफाइस कर रही है इसलिए नेशन बिल्डिंग के लिए जो राज्य काम करेगा, उसमें स्टेट को खर्च करना होगा और उसको जरूर करना पड़ेगा। यह जरूर है कि आज सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हम लोगों पर जिम्मेदारी आई है। इस जिम्मेदारी से हम कुछ झिझक कर यह कहें कि हम इन चीजों का निर्माण नहीं करें, हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए; तो यह उचित नहीं हो सकता। इसलिए उन चीजों की ओर कदम उठाया गया है और आपके सामने रखा गया है। मैंने निवेदन किया कि राज्य की वित्तीय स्थिति कतई डांवाडोल नहीं है और न चिन्ता करने लायक कोई बात है।

दूसरी बात जो सदन के समक्ष रखी गई है वह यह है कि हमारे राजस्थान के अन्दर टैक्स

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

काफी बढ़ते हुए चले जाते हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा कि आसाम के बाद दूसरा नम्बर राजस्थान का है टैक्स के हिसाब से । मैं निवेदन करूं कि पर केपिटा टैक्सेशन के लिहाज़ से देखें, हमारे यहां बजट स्टडी के पेपर्स आजकल सर्क्युलेट होते हैं, उसमें देखेंगे कि आज पर केपिटा के लिहाज़ से राजस्थान हिन्दुस्तान में आठवें नम्बर पर आता है । आज यह पर-केपिटा टैक्सेशन, जो पिछले सालों की स्टडीज़ पर बेस्ड है, उसको देखें तो जो पर-केपिटा इन्कम इंडिया में होगी, मैं समझता हूं आठवें नम्बर के नीचे राजस्थान आये, उस कम्पेरिज़न के अन्दर, ऐसी कल्पना करने का कोई कारण नहीं है ।

तो आज पर-केपिटा टैक्सेशन राजस्थान में ज्यादा हो गया हो, दूसरी जगहों में कम हो, ऐसा मानने का प्रश्न नहीं । जो आज एड्वान्स्ड स्टेट्स हैं; बॉम्बे, महाराष्ट्र, बंगाल, किसी हद तक मैसूर, पंजाब में, उनमें पर केपिटा टैक्सेशन ज्यादा है । उनकी प्रोस्पेरिटी ज्यादा है । साइकिल के लिये इन्वेस्ट करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते तो पीछे गिरते हैं । आपका रास्ता क्या आगे बढ़ने का है या पीछे हटने का ? मैं समझता हूं, आगे बढ़ने का रास्ता हमें तय करना होगा ताकि आगे बढ़ते जायं और दूसरे प्रोविंसेज़ को कैच अप करते जायं ।

इस सम्बन्ध में पार्किन्सन्स लॉ का जिक्र करते हुए फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक्सपेन्डीचर में बहुत कमी करने की आवश्यकता है । मैं उनसे सहमत हूं और मुझे खुशी है उपाध्यक्ष महोदय, कि इकोनोमी का सरकार ने कदम लिया है, उसका सदन ने स्वागत किया है । जो डेफिसिट बैंकिंग रहा है उसके लिये कहा है कि लीकेजेज़ को रोक कर, जो इकोनोमी और हो सकती है, उसको रख कर पूरा करें । वह दृष्टिकोण हमारे सामने है, पर इस दृष्टिकोण को उसी हद तक सामने रख कर चलना चाहते हैं कि एफिशियेन्सी पर असर नहीं हो, साथ ही ऐसा कदम न उठा लें कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रश्न खड़ा हो । जैसा कि इस सदन में एक तरफ इकोनोमी की बात कही जाती है, दूसरी तरफ ज्यादा एक्सपेन्डीचर की बात कही जाती है । साथ ही कहा जाता है कि बड़ी प्लान बने, पर टैक्स नहीं लगने चाहिये, यह कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों बातों का । फिर जैसा कि बजट भाषण में कहा है कि जिन विभागों के बारे में कटौती का प्रस्ताव रखा है, उससे कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रोब्लम पैदा नहीं हो, इस तरह के कदम उठाये जा रहे हैं कि कहां कहां नये प्लान हो रहे हैं, वहां इनको लगाया जा सके, हम पहले से ही इस बात की कोशिश कर रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य ने अनएम्प्लोयमेंट के बारे में, खादी बोर्ड की या न मालूम और किसी किताब के जरिये मेरी इस बात का प्रतिवाद करने का प्रयास किया कि मैंने कहा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर एडीशनल लेबर फोर्स था वह करीब करीब राजस्थान में एब्जोर्ब हो जायगा, इसका मतलब कि बैक लॉग हैं, सब एब्जोर्ब हो जायेंगे ; यही नहीं, अन्डर एम्प्लॉयमेंट हैं वे सारे कवर अप हो जायेंगे, यह मैंने नहीं कहा । मैंने जो कहा था अपनी इच्छा से

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नहीं कहा था, प्लानिंग कमीशन से टीम मुकर्रर हुई थी, उसने एग्ज़ामिन किया, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर मैंने वह बात आपके समक्ष रखी थी। यह बात ठीक है कि गांवों में हजारों आदमी ऐसे हैं कि जिनके पास आधा काम है, हजारों ऐसे हैं जिनके पास सीज़नल काम है, कई खाली हैं, अनएम्प्लोयड हैं; तो मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि यहां अनएम्प्लोयमेंट है ही नहीं। मैंने कहा कि एडीशनल लेबर फोर्स हुआ वह राजस्थान में एब्जोर्ब कर दिया, जहां और दूसरी जगहों में बैंक लॉग में एडीशन हुआ है यह सारे इन्डिया के प्रोस्पेक्टिव में बड़ा भारी एचीवमेंट हुआ है। हमने राजस्थान में कवर अप करने का प्रयास किया है, इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि हम आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य, बार बार न मालूम क्यों भ्रम है उनको, एन० डी० सी० का रेफरेंस देते हैं कि इतने करोड़ वहां काटा गया। मैं कहता हूँ एन० डी० सी० में इन बातों पर बहस नहीं हुआ करती, वहां तो बड़ी बड़ी पोलिसीज़ तय हुआ करती हैं, बड़े बड़े पोइन्ट्स तय होते हैं, एक करोड़ का टैक्स इकट्ठा करोगे या तुम्हारी क्या प्लान होगी, स्टेट्स की प्लान्स वहां डिस्कस नहीं होतीं। यह सब डिस्कशन प्लानिंग कमीशन में हुआ करता है, एन० डी० सी० में पोलिसीज़ तय हुआ करती हैं। तो इस आधार पर उनका कहना कि इतना करोड़ रुपया सरप्लस हुआ, मुझे तो याद नहीं आता कि वादा करके आये। १.३५ लाख का टैक्सेशन है तो दूसरी तरफ ८३ लाख की इकोनोमी है। जो हमारा एक्सपेन्डीचर होता है उसमें रिसोर्सेज़ एड करने का कदम उठाया है, तो कमी आने का सवाल ही नहीं।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने विशेष तौर पर कहा कि इस गैप को क्यों छोड़ा गया, यह कमजोरी दिखाई गई है। मैं अर्ज करूं कि न इसमें कमजोरी का प्रश्न है और न इसको अनकवर्ड रखा गया है, ऐसा सवाल है। दर असल जैसा कि बजट में कहा है इस बीच के दौरान में एफर्ट्स किये जाय, एरियर्स को वसूल कर सकें, लीकेजेज़ को रोक सकें और आगे जाकर और रिसोर्सेज़ बढ़ा सकें; जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर अर्ज करूं ४ करोड़ का लोन लेते हैं तो करीब साढ़े चार करोड़ तक गवर्नमेंट के हो जाते हैं। इसी तरह से स्माल सेविंग्स के एफर्ट्स हैं, जिनका आपने रखा हैं, पर यह सब निश्चित रूप से हो जायगा, इसलिये नहीं कहा।

साथ ही उपाध्यक्षजी, यह बात सदन में आई कि हमने टैक्सेज़ लगाये हैं, उनसे गरीबों पर काफी वजन पड़ गया। कहा गया, डीज़ल पर टैक्स लगाने से जो मोटर से जाते हैं, उन पर काफी वजन पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक डीज़ल पर टैक्स का प्रश्न है, हाई पॉवर और लाइट डीजल के भेद को समझ कर हमें चलना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है वह लाइट डीज़ल पर लगाया है, हाई पॉवर डीज़ल पर टैक्स नहीं लगाया है। बसेज़ ट्रान्सपोर्ट के काम में आता है वह हाई पॉवर डीज़ल काम में आता

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है, जिसके बारे में राजस्थान में टैक्स लगाने का कहा है। मैंने हिसाब लगाने की कोशिश की। इस टैक्स से व्यापार उद्योग पर काफी असर पड़ सकता है, ऐसा माननीय सदस्यों ने कहा तो मैंने सोचा कि इस पर पूरा विचार करना चाहिये। जांच की गई तो एक माइल पर पोइन्ट ४ नये पैसे असर पड़ता है, इस टैक्स के इन्सीडेंस का पोइन्ट ४ नये पैसे असर पड़ता है; चाहे पैसेन्जर बस हो चाहे कैसी भी है, कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। लास्ट डीज़ल पर टैक्स बढ़ाया है, उसका थोड़ा असर पड़ता है। तो जो इन्कम है वह आपके समक्ष है, वह आपको बताई-गई। यह बात आई कि पैसेन्जर टैक्स बढ़ने से लोगों पर असर पड़ता है। तो मैं यह अर्ज करूं कि ढाई पर्सेन्ट बढ़ाया गया है, कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता।

सेल्स टैक्स में पंजाब में आम तौर से ५ पर्सेन्ट किया है, हमने राजस्थान में ४ पर्सेन्ट की केटेगरी में जो कोमोडिटीज़ आती हैं जैसे वेजिटेबल आदि उन्हीं पर बढ़ाया है और दूसरी कोमोडिटीज़ पर और तरह से बढ़ाया है। तो इन टैक्सेज़ को लेकर कई क्षेत्रों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोयले और लकड़ी पर भी टैक्स लगाया है। जो चीजें ४ पर्सेन्ट की केटेगरी में आती हैं उन पर बढ़ाया है, उनमें से कई केटेगरीज़ निकल जाती हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया है।

मैं इन कैटेगरीज़ में भी, जो रात-दिन मामूली आदमी के काम में आने वाली चीजें हैं जैसे कैरोसीन, गुड़ वगैरह रोजमर्रा मामूली आदमी के काम में आने वाली चीजों को एग्ज़ेम्प्ट करने के लिये प्रयत्न किया है जिससे कि उन पर किसी प्रकार का भार आकर नहीं पड़े। इसलिये इस बात को ध्यान में रखते हुए टैक्सेज़ लगाये गये हैं कि आम लोगों पर कम से कम वजन पड़े और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार यहां मोटर आदि पर टैक्स लगाने पर गरीबों पर असर की बात कही कि लोग बहुत गरीब हैं, उन पर और भी ज्यादा बोझ होगा, मैं कहूँगा कि उनके सामने तो बसेज़ से कहीं दूसरी जगह जाने का मौका शायद ही कभी होता है। वे कह सकते हैं कि गुड़ की उनको जरूरत होती है, कपड़े को जरूरत होती है, कैरोसीन की जरूरत होती है, फूड ग्रेन्स की जरूरत होती है। कपड़े, कैरोसीन, गुड़ आदि जो यहां के रहने वालों की जरूरी रात दिन काम आने वाली चीजें हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। फूड स्टफ की ही बात नहीं है, लेकिन जिन चीजों का रात-दिन प्रयोग होता है और खर्चे पर जिससे ज्यादा वजन पड़ता है उनसे उनको बचाने का बजट में यत्न किया गया है और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि उन पर किसी प्रकार का वजन न आये। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इसको एप्रिशियेट करेंगे।

अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बहस के दौरान में कहा गया कि बजट के आंकड़े गलत हैं उसके सम्बन्ध में कहूँगा। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप जितना बजट रखते हैं और टैक्सेज़ लगाते हैं, उसके बाद उतना खर्चा तो कर नहीं पाते, तो फिर आप टैक्स क्यों लगाते हैं; आप, जितना खर्चा हो उससे ज्यादा टैक्स क्यों लगाते हैं? उन्होंने इस सम्बन्ध में फीगर्स दिये। मैं यह कहूँगा कि उन्होंने जो फीगर्स

Page No.97



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

दिये, शुरू शुरू में यह बात नहीं है कि केपिटल एकाउन्ट में ५७-५८ में कुछ कम खर्चा हुआ। इसकी वजह यह थी कि केपिटल एकाउन्ट में भाखरा और चम्बल का कोमन वर्क रहा जिससे उनके एकाउन्ट्स क्लियर होने में काफी समय लगा और इसका एकाउन्ट समय पर नहीं आया। इसलिये उसकी क्लिअर पिक्चर हमारे सामने, जब तक हिसाब न आए नहीं आती और चूंकि हिसाब बाद में आया तो इस प्रकार से कमी का रिफ्लेक्शन पहले सालों पर हुआ। शुरू के वर्ष में ३ या ४ करोड़ का गेप मालूम होता है।

उसके बाद आप ५८-५९, ५९-६० में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि १६ करोड़ ६५ लाख रुपया रखा गया था उसके अगेन्स्ट में खर्चा हुआ १६ करोड़ ५६ लाख रु० का। तो मैं समझता हूँ कि एस्टीमेंट और खर्चे के आंकड़ों में ज्यादा फर्क नहीं रहा। इसी प्रकार १९६०-६१ के आंकड़े में आपको निवेदन करूं तो वे २७ करोड़ २२ लाख जिसमें ११ करोड़ २० लाख राजस्थान नहर का था, राजस्थान नहर के लिए पहले ११ करोड़ २० लाख का एलॉटमेंट था लेकिन बाद में ७ करोड़ का एलॉटमेंट किया गया। यह ४ करोड़ सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कम कर दिये और इसके कम करने से तो २३ करोड़ २२ लाख रह जाता है। इसके बजाय खर्चा २४ करोड़ २२ लाख का रहा।

इसी प्रकार के जो शुरू में काम हुए हैं उनके एकाउन्ट्स का ठीक समय पर एडजस्टमेंट नहीं होने से यह दिखाई पड़ा है। जैसे हमने किसी साल का बजट बनाया उसमें हमने उन रुपयों को भी रखा जिसके लिये पर्चेजेज़ करनी थीं; जैसे थर्मल प्लान आने वाला था। उसका रुपया, बजट जिस समय बनाया उसमें रखा गया। लेकिन उस साल उसका पेमेन्ट नहीं हो सका क्योंकि सामान उस वर्ष नहीं आ सका। इसलिये उस वर्ष में यह रकम खर्च करने का सवाल नहीं था। ऑफटर ऑल यह केपिटल एक्सपेन्डिचर है, इसलिये एक साल नहीं खर्च होता तो दूसरे साल में खर्च हो जाता है। आप देखेंगे कि टोटल प्लान १०५ करोड़ में से ९५ या ९६ करोड़ का खर्चा हुआ। मैं यह कहूँगा कि जब किसी चीज़ के लिये बजट में खर्चा रखा जाता है और वह चीज नहीं आ सकती और खर्चा नहीं होता है तो उसकी वजह से गेप रहती है और जब वह चीज पहुंच जाती है तो वह गेप दूसरे साल में क्लिअर हो जाती है। इसलिये यह सवाल नहीं आता कि आपके सामने कोई गलत फीगर्स रखे हों।

श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि खर्च ज्यादा करते हैं और पहले बजट में कम खर्च दिखाये जाते हैं और फिर सप्लीमेंट्री ग्रान्ट की मांग करते हैं। मैं यह कहूँगा कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पहले कम खर्च रखा जाय और बाद में अगर जरूरत हो तो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट ले लें। माननीय सदस्य भी उस कमेटी के एक जिम्मेदार सदस्य हैं। मैं नहीं समझ सकता कि खर्चा बढ़ने से सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट से लिया जाए तो इससे ऐतराज क्यों होना चाहिये ?

अब यह कहा गया कि बजट बनाने का तरीका फॉल्टी है और वेरियेशन ठीक नहीं

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

है। मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे यहां खर्चा होता है और उसके एप्रोप्रिएशन एकाउन्ट्स हैं, यदि उनका दूसरे देशों से मुकाबला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वस्तु स्थिति क्या है। हमारे एप्रोप्रिएशन एकाउन्ट्स के मुकाबले में :—

| | |
|---|---|
| उडीसा में | १५.२९ |
| बिहार में | माइनस .४६ |
| मध्यप्रदेश में | ५.१ |
| मैसूर में | ६.५ |
| गाल में | ४.६ |
| बम्बई में | .५८ |
| पंजाब में | १८.५२ |

यह मैंने सारे जगह के वेरियेशन की पोज़िशन बताई है। आप देखेंगे कि इतने पर्सेन्ट वैरियेशन के फिगर्स हो जाते हैं जब कि यह कहा जाता है कि दूसरी स्टेटों में वेरियेशन फिगर्स का एक्युरेट होता है। मैं कहूँगा कि हमारे यहां कम से कम वेरियेशन है। इसलिये इन फिगर्स को देखते हुए जो हमारे सामने आये हैं, यह साबित होता है कि बजट बनाने का तरीका फॉल्टी नहीं है, बल्कि ठीक है। वेरियेशन्स मिनिमम हुए हैं, यह मैंने निवेदन किया है।

दूसरी बात सदन के समक्ष कर्ज के बारे में कही जाती है कि हमारे राजस्थान पर १२३ करोड़ का कर्जा है, यह बहुत ज्यादा है। मैं आपके सामने दूसरी स्टेटों में जो कर्ज की स्थिति है उससे माननीय सदस्यों को अवगत करा दूं तो इस सम्बन्ध में जो भ्रम है वह दूर हो जायेगा और बार बार यह कहा जाता है उसके लिये भी गलत बात कहने का प्रयत्न नहीं होगा। आंकड़े मैं आपके समक्ष अरब और करोड़ में ही रख रहा हूँ :—

| | |
|---|---|
| राजस्थान | १ अरब ७२ करोड़ |
| मद्रास | २ अरब ७७ करोड़ |
| वैस्ट बंगाल | २ अरब ४५ करोड़ |
| पंजाब | २ अरब ६६ करोड़ |
| मैसूर | २ अरब ३९ करोड़ |
| मध्य प्रदेश | १ अरब ४७ करोड़ |
| उत्तर प्रदेश | ३ अरब ७८ करोड़ |

इस तरह से आपको इस तालिका को देखने से मालूम होगा कि राजस्थान पर कर्जा है वह दूसरी स्टेटों के मुकाबले में बहुत कम है। दूसरी स्टेटों की तालिका आपके समक्ष रखने के बाद मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में किसी बात की गलतफहमी नहीं रहनी चाहिये। राजस्थान कर्ज के मामले में दूसरे नम्बर पर आता है।

दूसरी बात यह है कि सदन को इस बात की खुशी होनी चाहिये कि कोई एडीशनल टैक्सेशन का भार ४.६० लाख साल के आखिर में हुआ वह राजस्थान में १९५१-५२ में रेवेन्यू के एक्चुअल्स से १५ करोड़ ५३ लाख आये। इसमें राजस्थान के १ करोड़

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

३५ लाख को और जोड दें तो ४८ करोड़ का हमारी रेवेन्यू इन्कम है। जनरल इम्प्रूवमेंट होता है उससे इन्कम में बढ़ोतरी बढ़ती चली आ रही है, मगर लैन्ड रेवेन्यू का हिस्सा जो काफी है वह बढ़ नहीं सकता। बाकी इन्कम में बढ़ोत्तरी होती चली आ रही है।

दूसरी बात यह कही जाती है कि डाइरेक्ट टैक्सेशन की तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि डाइरेक्ट टैक्सेशन का जरिया सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास है। राजस्थान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, जिसके जरिये उस इन्कम को ज्यादा बढ़ाने में प्रयत्न कर सकें। हम अपनी नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू और दूसरे जरिये से इन्कम बढ़ाने में निरन्तर कोशिश में लगे हैं और माननीय सदस्यों के सामने बजट में आंकड़े आये हैं और सदन में चर्चा भी आई थी। मैं निवेदन करूं कि माइनिंग को ही लें। सन् ५६-५७ में ५३ लाख की रेवेन्यू थी जब कि ६०-६१ में ८५ लाख की रेवेन्यू पहुँची है। जिन जिन जगहों पर रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता है बढ़ाने का प्रयत्न किया है।

उसके बाद माननीय, उपाध्यक्षजी, यहां पर इस बात पर जोर दिया गया कि राजस्थान में द्वितीय योजना में बातें करने के लिए बहुत कहा करते थे, इन्डस्ट्रियल रिसोर्सेज़ यहां पर नहीं बढ़े हैं, रॉ मेटीरियल बाहर जाता है और विकास होना चाहिये राजस्थान का, वह नहीं हो पाता है। तो मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जो स्थिति है, जिसमें कोई इन्डस्ट्रियलाइजेशन करने जाय तो सबसे पहले जरूरी होता है बिजली प्रचुर मात्रा में हो और यदि बिजली प्रचुर मात्रा में नहीं होती है तो प्रचुर मात्रा में इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन नहीं कर सकते। अनफोर्चुनेटली राजस्थान में पोज़िशन यह थी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो उस समय १५,३९० किलोवाट फर्म था पॉवर अवेलेबल, सौभाग्य से तीसरी पंचवर्षीय योजना में एन्टर कर रहे हैं जहां ५० हजार किलोवाट पॉवर क़ रते थे वहां नेट एडीशन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में, ६०-६१ में ६९,३१५ किलोवाट पैदा किया है। ६० तक भाखरा में होइस्ट चेम्बर में नुकसान होने से देर लगी और वहां से भी एडीशनल पॉवर मिलने वाली है। इसी प्रकार गांधी सागर से भी एडीशनल पॉवर हमको मिलने वाली है; मैंन फोर्स है, उसमें देर लगी है।

आज राजस्थान की जो पोज़िशन है, हर चीज़ को पूरा करने के लिए कोशिश की जाती है। माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रगति नहीं होती है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूँ कि दिन -ब- दिन प्रगति होती जाती है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय जो प्रगति की बात थी और बजट स्पीच में जो बात कही गई है तो उसमें दिन -ब- दिन प्रगति हुई है और होती जाती है और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि खेतड़ी के बारे में उसको उस सेक्टर में रखा गया है कि जिसके लिये फॉरिन एक्सचेंज नहीं थी, पड़ा हुआ था, भारत सरकार भी लगी रही। सदन के सब ही माननीय सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी कि खेतड़ी के लिए पांच करोड़ का

# Page No.100



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

फॉरिन एक्सचेन्ज़ अवेलेबल कर दिया गया है और वह फाइनेलाइज़ होगा। यह ऐसी बात नहीं कि खेतड़ी का काम हाथ में लिया जावेगा तो ताम्बा निकल आवेगा। ऐसे कामों में वर्षों लग जाते हैं। डिपोज़िट्स को देखना होता है, उसमें दिक्कतें आती हैं, उसका पता चलता है तो फिर फॉरिन एक्सचेन्ज की दिक्कतें आती हैं। तो वह समय लगता है।

पलाना के लिए चर्चा चलती है कि लिग्नाइट क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले उसके डिपोज़िट्स का सवाल आता है। यदि वह प्रूव्ड है तो फिर उसके लिए रिंग्स चाहिये, उसके लिए फॉरिन एक्सचेन्ज का सवाल आता है। जब फॉरिन एक्सचेन्ज का सवाल हल होता है, कोशिश चलती रहती है तब कहीं जाकर यह हल होता है, फिर उसके बाद रिंग्स मिलने में मुश्किलें आती हैं। रिंग्स मिलें तो वर्क कन्स्ट्रक्टेड किया जा सके।

आज राजस्थान में जैसा माननीय सदस्यों को पता है कि केलिसम में, सीमेन्ट में से ज्यादा ज्यादा प्रगति करते चले जा रहे हैं और मैं निश्चि-रूप से कह सकता हूँ, जैसा श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा, गन्ना पड़ा हुआ है, उठता नहीं है, उनको चिन्ता है तो हमको भी उसकी चिन्ता है। मुझे इस बात की खुशी है कि उनको चिन्ता है। हमें भी चिन्ता है कि शुगर फैक्टरी बढ़े और गन्ना उठ सके। एक वक्त था जब राजस्थान में शुगर फैक्टरी लगाने के लिए कोई नहीं आना चाहते थे। आज स्थिति यह है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चार शुगर फैक्टरीज़ लले, उनके लिए दख्वास्तें सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ी हैं। लोग कीन हैं तब ही तो दख्वास्तें पड़ी हैं। जहां राजस्थान में कोई इन्डस्ट्रीज़ लगाने के लिए तैयार नहीं होता था वहां राजस्थान में ३५-४० करोड़ की इन्डस्ट्रीज़ लगी हैं। दूसरी योजना से पहले चीजें हो सकें और मैं समझता हूं कि ७५ करोड़ का इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट सेक्टर में हो जाय, ऐसी आशा लेकर चलना चाहते हैं। तो यह निगोशियेशन्स एक साल या दो साल का परिणाम नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना से आधी से भी कम रकम रखी गई और आधे से भी कम काम हो सकते थे जब कि दौड़-धूप और लगातार इस सरकार की कोशिशों से प्राइवेट सेक्टर में और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ में और खेती के कामों में पैसा लगा है और तीसरी योजना में आशा लेकर चलते हैं और खुशी है कि तीसरी योजना के अन्दर राजस्थान में काफी इन्डस्ट्रीज़ लगेंगी। तीसरी योजना से पहले और पहली और दूसरी योजना के अन्दर रेलवे के लिए राजस्थान में बहुत कम इन्वेस्ट-मेंट हुआ है। तीसरी योजना में यह आशा लेकर चलते हैं कि रेलवे लाइन में, जो नई बनने वाली हैं उनमें अधिक पैसा राजस्थान में लगेगा और हिम्मतनगर रेलवे लाइन जो बनने वाली है उसमें कम से कम ७-८ करोड़ रुपया राजस्थान के हिस्से में लगेगा और दूसरी जगह खर्च होंगे वे अलग हैं। राजस्थान में प्राइवेट सैक्टर में और पब्लिक सैक्टर में प्रगति हो और आगे से आगे हो, इस सब के लिये वातावरण बनाने के लिये मुझे क्षमा करें, जिस सरकार के लिये बार बार बातें कहने के लिये खड़े होकर कोशिश करते हैं, मैं नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सरकार

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

ने कोशिश की है, कमजोरियां हो सकती हैं, गलतियां भी की हों, मैं दावा नहीं करता, फिर भी आगे बढ़ने के लिये निश्चित रूप से दृढ़ता के साथ कदम उठाया और जो कदम उठाये गये हैं उनसे भविष्य में राजस्थान का निर्माण होने वाला है। इसमें मुझे किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। भूमिका पहले बनानी पड़ती है, कोई भी हो, किसी को भी बनानी पड़ती है पहले भूमिका। पेट्रोलियम के लिये मैं निवेदन करूंगा कि एक दिन में रिंग्स नहीं लगते हैं। मैं उसके लिये पांच साल से पीछे पड़ा हुआ हूँ। जैसलमेर में उसके लिये जल्दी से जल्दी कार्यवाही करनी चाहिये। किसी सेक्टर में हम अपनी ओर से विभिन्नता नहीं करते। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, हर क्षेत्र में इस प्रकार का प्रयत्न किया है और करेंगे, जिससे राजस्थान आगे बढ़ेगा और मुझे निश्चित रूप से यह विश्वास है कि राजस्थान आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक-शुबह की बात नहीं है।

जो बीच में इन्डस्ट्रियल और मिनरल प्रोडक्शन के आंकड़े पढ़े गये हैं उनके लिये इस समय न कह कर जब उन सेक्टर्स में डिमान्ड पर बहस होगी तो जो कुछ कहना होगा मैं आप से कहूंगा।

सदन का अधिक समय न लेते हुये, केवल क्योंकि वित्त मन्त्रीजी को ही बजट की बहस का बाकायदा जवाब देना है, मैं, अभी जो कुछ बातें आपके समक्ष रख रहा हूँ वे केवल कुछ पोइन्ट्स बहस के दौरान में उठाये गये हैं, उनके लिये बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा।

प्रोहिबिशन के बारे में काफी चर्चा हुई श्री जेरों के साथ और कुछ माननीय सदस्यों ने तो बहुत तेजी के साथ विचार व्यक्त किये थे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की नीति प्रोहिबिशन के विरुद्ध नहीं है। हम चाहते हैं, कि कर सकें लेकिन उसको करने के लिये धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। कुछ कदम पहले उठाये थे और कुछ कदम और उठाते चलेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति और विकास के कामों पर उसका असर न हो और उसको कर सकें करें।

जुडिशियल और एक्ज़ीक्युटिव के सेपरेशन के लिए कहा गया। सिद्धान्त रूप से सरकार इसकी स्वीकृति दे चुकी है। इस वर्ष भी कदम उठाये जावेंगे और इस दिशा में जाने के बारे में सरकार की नीति है।

माननीय उपाध्यक्षजी, एक माननीय सदस्य ने यह पूछा कि रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज क्या होता है, क्या क्षेत्रीय भावना उभाड़ने का प्रश्न है? मैं निवेदन करूं कि रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज के लिए भारत सरकार खर्चा सब करती है और उस प्लान में राजस्थान सरकार को खर्चा नहीं करना पड़ता है। और वे इन्जीनियरिंग कॉलेज उसी प्रदेश के लिये नहीं होते, उस प्रदेश के केवल ५०, ६० प्रतिशत छात्र उसमें रहते हैं, बाकी स्थान दूसरी स्टेट्स के छात्रों के लिये ओपन होते हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : ऐसा प्रश्न एक्स लॉ मिनिस्टर ने उठाया होगा?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : एक माननीय सदस्य ने कहा, लेडी डॉक्टर्स की बहुत कमी है इसलिये जो नया मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है उसमें लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में भर्ती किया जाय। मैं ऐसा समझता हूँ, सभी कॉलेज़ेज में ज्यादा भर्ती हो सकती हैं, केवल एक कॉलेज को लेडी कॉलेज बना दिया जाय तो जो व्यवस्था इस समय है उसमें वह ठीक नहीं रहेगा।

पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की व्यवस्था के बारे में भी एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस भाषण में कुछ नहीं कहा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में भारत सरकार की जो परिभाषा है वही हमारे लिये भी लागू होती है। अल्टीमेटली प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर डिसाइड करवाना होता है, लोन्स वगैरह की बातें जब तय होती हैं प्लानिंग कमीशन की और भारत सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उसके अनुसार प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर अलग अलग हों, इसका प्रश्न नहीं। हम तो यह चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में जितना विकास हो सके उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी ज्यादा-से ज्यादा विकास हो सके। इसका हमें स्वागत करना चाहिये जिससे हमारा प्रान्त आगे बढ़ सके और यहां का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। हम लोग इस बात को दिमाग में रखकर नहीं चल सकते कि प्राइवेट सेक्टर को तरजीह न देकर पब्लिक सेक्टर को तरजीह दें। दोनों सेक्टर्स में जितना भी विकास हो हमें करना चाहिये। राजस्थान इसमें रिजिड व्यू नहीं लेकर चलना चाहता।

विजयनगर टैक्सटाइल मिल्स के बारे में भी विजयनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। उनके साथ पूरी सहानुभूति रखते हुए भी मैं समझता हूँ तीसरी योजना में जब और स्पिन्डल्स राजस्थान को मिलेंगे उस समय यदि कोई पार्टी उन स्पिन्डल्स का यूज़ करने को तैयार हो जाय तो विजयनगर को प्रिफरेन्स दिया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, इकोनोमी जो करने जा रहे हैं उसके लिये उन्होंने कहा कि यह तो पोलिटिकल आधार पर इकोनोमी की जा रही है क्योंकि इस मौके पर चुनाव सामने हैं इसलिये सरकारी कर्मचारी जो भी इस चुनाव में सरकारी पक्ष का समर्थन करेंगे उनको निकाला नहीं जायगा। मैं समझता हूँ, यह उनकी अजीब व्यवस्था मालूम हुई, यह उनकी अनोखी सूझ-बूझ है, यह उन्हीं को मुबारिक हो। इकोनोमी को एप्रीशियेट किया जाना चाहिये लेकिन होता उसका क्या है कि यदि इकोनोमी करने की सोचते हैं, उसको पोलिटि-कल एंगल से किया हुआ मानते हैं। क्या किया जाय, सही एंगल कौनसा हो सकता है; एक तरफ तो हम तैयारी कर रहे हैं मिड डे मील्स देने की, दूसरी तरफ इस प्रकार की बातें की जाती हैं कि इससे छात्रों में एक प्रकार से भेदभाव बढ़ेगा। एक हद तक मैं इस बात से सहमत हूँ जो एक तरह से आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उनको मिड डे मील्स दिया जाय और दूसरी तरफ इसके साथ एक फैक्टर के बीच में और कम्पेरिज़न आता है जिनकी तन्दुरुस्ती बहुत कमजोर है जिनको कुछ न कुछ वहां पौष्टिक पदार्थ के मिलने से अगर वे ठीक बन सकते हैं तो राष्ट्र-हित

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

की दृष्टि से हम ऐसा प्रयत्न करें या छोड़ दें, यह हमें विचार करना होगा। यह प्रेक्टिकल प्रोब्लम हमारे सामने है। कम्पलसरी करते हैं, सब को भाग दिया जायगा या तो दूसरों का जो स्टेन्डर्ड है उस स्टेन्डर्ड तक हम लाने की बातें करते हैं, एक्सपेन्डीचर ज्यादा होगा और उसके लिये अगर गार्जियन्स से चार्जेज़ लेते हैं तो वह भी उनके लिये भारी होगा, हर एक आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसलिये इसको बहुत से आदमी पसन्द करें या न करें, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि दूसरी जगहों पर भी, खास तौर से मद्रास में इस योजना पर अमल किया जा रहा है, काफी बड़े पैमाने पर इस योजना पर अमल किया जाता है, जो जो भी वहां गये हैं और जिन्होंने भी इसे देखा है काफी एप्रीशियेट किया है। मिड डे मील्स देने का मतलब यह नहीं कि उनको पूरा भोजन दिया जायगा, बल्कि उनको कुछ न्युट्रीशन मिल सके। इसी ओर प्रयत्न करने का और इसी दिशा के अन्दर कदम उठाया गया है।

बैटरमेन्ट लेवी के लिये भी हमारे श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। पता नहीं राजस्थान को वित्तीय स्थिति के बारे में माननीय सदस्य को चिन्ता है या नहीं, वे तो यही चाहते हैं कि जो भी आर्थिक साधन हों उनको भी बन्द कर दिया जाय या उसमें कमी की जाय। वे केवल एक ही दृष्टि से विचार करते हैं। कभी तो वे टैक्स विरोधी बातें करेंगे, कभी बैटरमेन्ट लेवी का विरोध करेंगे और कभी और किसी बात का विरोध करेंगे, उनके सामने केवल एक ही आधार रहता है और वह आधार पोलिटीकल आधार है। वे इससे चाहते हैं कि इससे हमदर्दी मिल जायगी। यह बात नहीं होती, गलत तरीके से किसी बात को कहने पर हमदर्दी मिलती नहीं है।

बेटरमेन्ट लेवी के लिये मैं निवेदन करूं। राजस्थान नहर की योजना जिससे ३५-४० लाख एकड़ की सिंचाई की कल्पना करके चलते हैं और इस योजना पर करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपया खर्च करने की योजना है, पोंग डेम आदि को भी यदि हम इसमें शामिल ले लेते हैं और सारा राजस्थान इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें तो उसके बाद जिस जमीन की कीमत दो रुपया ही नहीं है उस जमीन की कीमत इन योजनाओं की पूर्ति के बाद पांच सौ और हजार रुपया प्रति बीघा प्राप्त कर सकते हैं। आज जिस योजना पर डेढ़ सौ करोड़ रुपया खर्च पड़ता है और उसके बाद उस जमीन की कीमत इतनी अधिक बढ़ जाती है उस पर हम कुछ लेते हैं तो उसके लिये कहा जाता है, यह तो राजनैतिक आधार पर लिया जाने वाला टैक्स है। अगर हम इन सब चीजों को कम कर देते हैं तो आपको और ज्यादा टैक्स देने के लिये तैयार रहना होगा। यह हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान में ऐसी जमीन काफी है और खाली जमीन काफी होने के कारण ही इस प्रकार की स्कीम्स हाथ में ली जाती हैं। अगर आप यही चाहते हैं कि हम बेटरमेंट लेवी न लगावें तो राज्य के बजट में जो डेफीसिट है उस डेफीसिट को पूरा करने के लिये तैयार होइये और जब टैक्स लगाया जाता है तो उसका भी आप विरोध करते हैं। जहां तक इस बेटरमेंट लेवी का ताल्लुक है वह एक

# Page No.104



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

साथ तो वसूल की नहीं जाती है, इन्स्टाल-मेन्ट्स के रूप में वसूल की जाती है, जब कि जमीन की कीमत तत्काल ही बढ़ जाती है; एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, उसमें से वह चुका सकता है। जिस जमीन पर दो मन बाजरा होता है अगर वहां दस मन पैदा होने लग जाय तो उस एक मन अनाज की कीमत में वह अपनी बेटरमेंट लेवी चुका सकता है। उस पर भी आप विरोध करते हैं तो आखिर स्टेट की दृष्टि से आप क्या सोचते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आखिर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें यह देख कर चलना है कि राजस्थान की स्थिति को ठीक रखने के लिये हमें क्या क्या करना होगा और क्या नहीं।

अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि स्टेट की इकोनोमिक पिक्चर भी हमारे सामने आनी चाहिये। मैं समझता हूँ, यह तीसरी बार बजट पेश करने का मौका आया है। इस बजट के साथ हमने बजट स्टडी के रूप में कुछ देने का प्रयत्न किया है, लेकिन इसके साथ साथ और भी स्टेटिस्टिक्स, जैसा कि कुछ साहबान ने कहा हम देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से मैं सहमत हूँ और हम इसको आइन्दा ज्यादा से ज्यादा बढ़ा कर आपके सामने रखने के लिये प्रयत्नशील हैं।

यह भी शिकायत की गई कि टैक्सेशन के बारे में स्टडी की जानी चाहिये, यह शायद फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था; हमारा टैक्सेशन का स्ट्रक्चर भी इसके साथ होना चाहिये। मैं भी इससे सहमत हूँ कि इसकी स्टडी की जानी चाहिये गवर्नमेंट की तरफ से कि किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार किया जा सकता है। उस ओर कदम उठाया जाय और कितना उठाया जाय, इस बारे में हम सजग हैं। इतनी ही बातें बजट के सम्बन्ध में कह कर मैं समाप्त करता हूँ।

इसके साथ साथ मैं एक दुःखद जिम्मेदारी भी पूरी करना चाहूँगा। सदन में शुरू से ही एक गलत परम्परा चलती आ रही है कि बहस के दौरान में वित्त मन्त्री महोदय पर एक तो श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने और आज मैं उपस्थित नहीं था उस समय भी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ही निम्न स्तर से वित्त मन्त्री महोदय पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया जिससे....

**श्री भैरोंसिंह** ( श्रीमाधोपुर ) : I take strong exception to this word, Sir.

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जिस "निम्न स्तर" शब्द का प्रयोग किया है उसे वापिस लेने के लिये कहा जाय। एक तो आप इन्क्वायरी नहीं कराते और जब कोई उस तरफ आपका ध्यान दिलाता है तो आप उनके कार्यों को "निम्न स्तर" का बताते हैं। मैं समझता हूँ, मुख्य मन्त्री महोदय की तरफ से "निम्न स्तर" शब्द का प्रयोग किया जाना अनुचित और अन-पार्लियामेन्टरी है। अतः उन्हें कहा जाय कि वे अपने शब्दों को वापिस लें।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : Nothing un-parliamentary.

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि सब से पहले यह कहा गया ...

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि उन शब्दों को वापिस लिया जाय जो कि उन्होंने कहा कि इस प्रकार से निम्न स्तर का भाषण दिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : स्तर कैसा है, यह मुख्य मन्त्री द्वारा सारा एक्सप्लेनेशन देने के बाद निर्णय दिया जा सकेगा। I will assess the position then.

**श्री विशम्भरनाथ जोशी** (बांदीकुई) : The member has a right to express his opinion as to what he thinks of it.

**श्री भैरोंसिंह** : एक्सप्लेनेशन तो दे दिया गया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order ! Order !! I don't treat it as un-parliamentary.

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, जिन शब्दों का प्रयोग मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा किया गया है उसके सम्बन्ध में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इस तरह से जो निम्न स्तर का भाषण दिया जाता है मैं समझता हूं....

**श्री विशम्भरनाथ जोशी** : इसको अनपार्लियामेन्ट्री नहीं कहा जा सकता, यह तो उन्होंने अपनी राय दी है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या इस प्रकार के शब्द प्रयोग करने की अनुमति है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान में कहा, वित्त मन्त्री महोदय ने एक थैली एक लाख रुपये की, उनके जन्म दिन के मौके पर भेंट की गई, इसके साथ साथ उन्होंने एक चिट्ठी इस सदन के समक्ष पेश की। इस सम्बन्ध में मैं इसके मैरिट्स और डीमैरिट्स में नहीं जाते हुए भी यह कह सकता हूँ कि एक लाख की थैली अगर वित्त मन्त्रीजी, वित्त मन्त्री के तौर पर प्रभाव डालकर नहीं, अगर व्यक्तिगत तौर से ग्रहण करते हैं, यह बात सामने न हो, और यह वित्त मन्त्री बने इसके पहले की घटना हो तो मैं समझता हूँ कि उसको यहां रखना कतई उचित नहीं था।

**श्री भैरोंसिंह** : क्यों ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इसलिये कि आज कई व्यक्ति हैं जिनको थैलियां बाहर भेंट होती हैं। तो किसी को बाहर थैली भेंट होती है तो सदन कहे कि थैली भेंट नहीं होनी चाहिये तो यह सदन की सीमा में नहीं आता। अगर माननीय सदस्य यह कहते कि वित्त मंत्री के तौर पर दबाव डालकर फिर एक लाख की थैली ले ली तो मैं समझता हूँ कि यह चर्चा का कारण बन सकता था। जो फैक्ट्स हमारे सामने नहीं हैं और जो पुराने समय के हैं उनको ट्विस्ट करके यहां पेश करना और उस व्यक्ति के लिये कहना, जो पुराना व्यक्ति है, जिन्होंने जिन्दगी भर देश की सेवा की, जिस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन राष्ट्र की सेवा में लगा दिया, मैं निवेदन करूं कि माननीय सदस्य को इतना ध्यान रखना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चाहिये। वे बड़े से बड़े प्रतिनिधि हो सकते हैं अपने क्षेत्र के, पर जिस व्यक्ति ने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में लगा रखा है उस पर इस तरह के गलत आक्रमण करना ठीक नहीं है। इस प्रकार का आरोप उच्च स्तर का नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : वित मन्त्रीजी....

(शोरगुल)

**श्री उपाध्यक्ष** : I would request the Hon. member not to interrupt the debate.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैंने डिस्टर्बेन्स नहीं किया था, जब वे बोल रहे थे तब उनको। मैं उम्मीद करता हूँ कि वे मुझे भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे।

तो ये बातें यहां पर रखना और इस प्रकार फैक्ट्स को ट्विस्ट करना गलत बात है।

अब वह रुपया मिला भी या नहीं मिला, उसमें जान–बूझकर नहीं जाना चाहता, गोकि यह जानकारी देना चाहता हूँ जो आपने मुझे कहा है; वह रुपया भी आपको भेंट नहीं हुआ। पर जैसा मैंने आपसे कहा, वह भेंट होता तब भी उसमें सदन के विचार का प्रश्न नहीं आता है क्योंकि थैली भेंट आज कइयों को होती हैं। हम करवाते हैं, दूसरे करवाते हैं। इसका प्रश्न यहां आता नहीं। वह सदन के कारण से, सदन के सदस्य के नाते या मन्त्री के नाते दबाव से करें तब तो प्रश्न आता है।

दूसरा प्रश्न आता है जो नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां उठाया कि ऊन पर टैक्स लगाया गया और ऊन पर टैक्स लगाने के बाद उस ऊन के टैक्स को हटाकर फिर ऊन को गांठे बांधने वालों से एक आना रुपया हड़ुन्डी के लिये तय कर लिया और इस प्रकार से चन्दा किया गया। यह इस प्रकार का विषय है जो, सही बात है, वित्त मन्त्री हैं आप। टैक्स लगाने के बाद रिलेक्सेशन की बात पर सोचने की बात आ सकती है। इसलिये सदन में बात आती है तो विचारने की बात बन जाती है कि उस पर विचार किया जाय। मैंने इस पर जानकारी की और मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं और सब जगह सेजानकारी नहीं कर पाया, पर ब्यावर के रेफेरेन्स से बात आई थी और ब्यावर खास तौर से ऊन की मंडी है जहां ज्यादा ऊन की गांठे बनती हैं और मुझे मालूम है कि जिस समय ऊन का टैक्स लागू हुआ था एक डेपुटेशन वहां से आया था, जो न सिर्फ वित्त मन्त्रीजी से मिला था, बल्कि मुझसे भी मिला था और मुझसे भी बातचीत की थी उसने और इस बातचीत के बाद जांच करने के लिये जो हमारे एक्साइज़ और टैक्सेशन डिपार्टमेंट के एडीशनल कमिश्नर हैं उनको भेजा गया कि उनकी सारी बातों की जांच पड़ताल की जावे। जो ऊन के व्यापारी थे, उनका यह कहना था कि जो कुछ ऊन हमारे पास यहां है इसमें से ८०—९० परसेन्ट एक्सपोर्ट होती है कन्ट्री के बाहर। हमारे इन्टरेस्ट का इसमें सवाल नहीं।

कन्ट्री के बाहर जब जाती है तो नैट रिज़ल्ट इस टैक्स का यह होगा। अभी मान लीजिये कि बम्बई ले जाकर एक्सपोर्ट करते हैं तथा और तरह से करते हैं, इसके बजाय

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

डाइरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, पर हमें रिटेन्शन और तरह से करना पड़ेगा और यह सब की जानकारी में है कि राजस्थान से ऊन जाती है उसका ८०—६० परसेन्ट बाहर जाता है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी से सौदा करना चाहता है तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के सैकड़ों-हजारों जो ऊन के व्यापारी हैं उन सबसे वित्त मन्त्री कहें कि हट्टून्डी को ग्रान्ट के लिये दोगे तो तुम्हें कन्सेशन देंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि उनसे यह बात कहे कि जिसमें सैकड़ों आदमी शरीक हों, एसोसियेशन्स जिनमें शरीक हों। पर फैक्ट्स क्या हैं, यह मैं आपको थोड़ा बता दूं। जो ब्यावर की ऊन की एसोसियेशन है वह आज से नहीं, बल्कि पिछले तीस साल से एक आना गांठ धर्मादा का निकालती आई हैं और इसके बाद ब्यावर के अन्दर पहले गर्ल्स स्कूल को वह दिया जाता था। सन् ५८ के अन्दर जो ब्यावर की गर्ल्स स्कूल थी वह टेक ओवर कर ली गई गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद हट्टून्डी ने भी और दूसरी संस्थाओं ने भी उनके सामने एप्रोच किया और कहा कि आप हमें फुटकर चन्दा देते हैं, तो अगर एसोसियेशन खुद रेगुलरली दे दे तो ठीक है। इस पर एसोसियेशन ने बाकायदा रिज़ोल्युशन पास किया और जुलाई में यह हुआ और माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा सदन को यह सूचित करना चाहता हूँ कि जो टैक्स के बारे में तरमीम की गई वह अक्टूबर में तय हुई। इधर जुलाई में फैसला कर दिया जो देना था। अक्टूबर में जांच होने के बाद अगस्त से देना चालू हुआ है।

**श्री भैरोंसिंह** : देना कब से चालू किया ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अगस्त से।

**श्री भैरोंसिंह** : रिलेक्स किया जुलाई में। रिलेक्सेशन के पहले वित्त मन्त्री जी बता सकते हैं कि इस धर्मादे की रकम का एक भी पैसा जमा हुआ हो ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : पहले व्यक्तिगत रूप से दिया जाता था।

**श्री भैरोंसिंह** : व्यक्तिगत का सवाल नहीं है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं और निवेदन कर दूं। आप सोचते होंगे कि कोई बहुत रकम मिल गई है इससे, यह आपका भ्रम है। कुल २० से २२ हजार गांठें ऊन की वहां बनती हैं साल भर में। अब चन्दे के हिसाब से भी लगावें, एक आना फी गांठ के हिसाब से, तो भी १,४००) रुपये होते हैं कुल।

**श्री भैरोंसिंह** : करप्शन के लिये तो यही काफी है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जिनके बारे में जोरों से प्रश्न खड़ा होता है तो हमें सारे तथ्यों पर से यह फैसला करना पड़ेगा कि जिस रूप में रखा जाता है उस रूप से भी अगर मान लें जब कि इन्डिविजुअल रूप से पहले से भी देते थे तो १४ सौ रुपयों के लिये कहते हैं कि वह भी करप्शन करने के लिये करते हैं तो वित्त मन्त्री की हैसियत के आदमी को १४ सौ के लिये टैक्सेशन का

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

सौदा करने की जरूरत पड़े तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे एक साधारणसा आदमी समझ सकता है।

दूसरा और निवेदन कर दूं। टैक्सेशन के मामले में यह समझा जाता है कि यह टैक्स हटा दिया गया है, ऐसा नहीं है। हमने और ऑफिसरों ने विचार किया और विचार करने पर यह भी प्रश्न रखा गया कि सदन से तो पास करवा लेते हैं और बाद में स्ट्रक्चर चेन्ज कर देते हैं। यह प्रश्न भी नहीं है। जो सेल्स टैक्स एक्ट है, जिसके अनुसार राज्य सरकार को अधिकार है कि सीधे टैक्स के जरिये वसूल कर सकती है या प्रोटेक्शन लिमिट करके एग्ज़ेम्शन सर्टीफिकेट दे सकती है। तो इसको अडॉप्ट करके भी दो लाख के करीब व्यापारियों से ऊन का टैक्स वसूल होता है। वित्त मन्त्री को तो चौदह सौ मिलते हैं जैसा आप कहते हैं, पर आज राज्य सरकार को दो लाख मिलते हैं। और विचार इस दृष्टि से भी किया गया कि हम इन टैक्स को लगावें और लगाने का परिणाम यह हो कि इस दो लाख के बजाय डाइरेक्ट एक्सपोर्ट के नाम यह भी नहीं मिले तो प्रोवीजनल तरीके पर ३१ मार्च तक यह लगाया गया। अब आगे क्या होगा, यह विचार करेंगे। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि इस बहस की वजह से आगे भी टैक्स लग ही जावेगा, ऐसा भी नहीं कहना चाहता। हम इस पर पूरा विचार करेंगे और दर असल क्या ठीक हो सकता है, उस प्रकार के कदम उठाये जावेंगे। बहस से निर्णय में परिवर्तन करने की बात नहीं जुड़ती, यह मुझे निवेदन करना है।

खादी बोर्ड में कई अनियमिततायें हो सकती हैं और मैं उसके अधिक विस्तार में जाना भी नहीं चाहता कि मैं हर संस्था के लिए कहूँ। उसके बारे में तो ज्यादा वित्त मन्त्री महोदय कह सकते हैं। मैं तो इसके सम्बन्ध में केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ। यहां पर जो चिरंजीलाल शर्मा के बारे में कहा गया तो वे उसके सेक्रेटरी थे और जिनके लिए यह कहा गया कि एन्टीकरप्शन के अन्दर इन्क्वायरी चलती थी और उस इन्क्वायरी को बाद में मिस्टर राय जो इन्डस्ट्रीज़ सेक्रेटरी हैं, उसको आगे नहीं चलाया गया और वह समाप्त कर दी गई। तो उसके बारे में मुझे सिर्फ यह निवेदन करना है कि जो इन्क्वायरी के चार्जेज़ बने थे, एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट की तरफ से जब रिपोर्ट गवर्नमेन्ट के पास आई तो चिरंजीलाल को चार्जशीट दी गई और उस चार्जशीट के जवाब में जो कुछ जवाब दिया उसके अन्दर कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता था और डिपार्टमेंट की तरफ से जो एन्टीकरप्शन के स्पेशल आई० जी०-पी० हैं उनके लिए लिखा गया और फाइनल ऑर्डर मिनिस्टर ने और जिनका आपने जिक्र किया वह नोट यह है :

"It is, therefore, suggested that we write to the Anti-Corruption Department that so far as the State Government are concerned, they have enquired into the complaints reported by the police and have found no irregularity in them. Unless, therefore, the Anti-Corruption Department have any such material from which they would be able to prove that Shri Chiranji Lal Sharma is guilty of

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

corrupt practices, the Anti Corruption Department should no longer hold up the papers of the Khadi Board."

यह लिख कर भेजा है। यह लेटेस्ट लैटर २८ फरवरी को राजस्थान सरकार की तरफ से लिख कर एन्टीकरप्शन को भेजा है कि उनके पास कोई सब्सटेन्शियल मैटर हो जिससे कि कार्यवाही की जा सकती हो तो वह कन्सीडर कर सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी से यह रिज़ल्ट निकला है। यह सारी केस की फेक्चुअल पोज़ीशन है, जो मुझे आपको निवेदन करनी थी। उसके बाद आशा करता हूँ कि जो बहुत सा भ्रम सदन में फैलाने का प्रयत्न किया गया वह खत्म हो गया होगा....

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : I Would like to ask just one question. When this Khadi Board is a statutory body, why did the Department consider it necessary to conduct a departmental enquiry ? Does it come under the Department ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इसलिए कि जो एक्ट यहां पर बनाया गया और एक्ट बनने के बाद उनको फण्ड देते हैं....

**श्री श्रीभानसिंह** : But the funds did not authorise the department to conduct a departmental enquiry. It is an autonomous Board.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : बोर्ड से मिलता है और उसके बाद में खिलाफ एक्शन लीगल नहीं हो सकता था। फिर तो इसके बाद में छोड़ देना ही था।

**श्री श्रीभानसिंह** : डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी तो उसके अगेन्स्ट कन्डक्ट कर सकते हैं जो कि डिपार्टमेन्ट का एम्प्लॉई हो।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : सेक्रेटरी का अपोइन्टमेन्ट करती है गवर्नमेन्ट और जब सेक्रेटरी बोर्ड में अपोइन्ट करते हैं तो गवर्नमेंट की रेस्पोन्सिबिलिटी आती है और ऐसी हालत में गवर्नमेन्ट अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी को अलग रख कर नहीं चल सकती है। इसीलिए उसकी इन्क्वायरी की गई और इन्क्वायरी करने के बाद में जो फैक्ट्स आये तो हमने कहा कि एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट इसको आगे एग्ज़ामिन करें।

**श्री भैरोंसिंह** : यह ऑर्डर वित्त मंत्रीजी के विभाग से ही लिखा हुआ है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जी हां।

**श्री भैरोंसिंह** : वित्त मन्त्रीजी ने दिये हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जी हां। मैं आशा करता हूँ कि जो सदन के समक्ष बजट के प्रपोज़ल्स इस वर्ष के लिए आये हैं उनका वैसे आम तौर से माननीय सदस्यों ने स्वागत किया है, इसकी मुझे खुशी है। मुझे आशा है कि यह जो हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसके लिए कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि पिछले वर्ष से कम रकम इस साल रखी गई है उसका कारण केवल मात्र यह है कि कम रकम हमारे रिसोर्सेज़ को देख कर सारे देश भर में १५ पर्सेन्ट थर्ड प्लान

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

में फर्स्ट इयर में रखी गई है और आशा है कि ज्यों ज्यों साल आगे जाता है वैसे ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्य और तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी रकम बढ़ती हुई चली जायगी जिससे हमारे जो टार्गेट्स हैं उनको एचीव कर सकें और एक एम्बीश्यस अच्छा प्लान राजस्थान सरकार बनाने वाली है उसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में दृढ़ता से आगे बढ़ाने में यह बजट कामयाब होगा। ऐसी मेरी पूर्ण मान्यता है।

**श्री भैरोंसिंह** ( श्रीमाधोपुर ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने इस सम्बन्ध में जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के स्तर के शब्द नहीं थे....

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं अपनी मान्यता इस सम्बन्ध में पहले दे चुका हूँ।

**श्री भैरोंसिंह** : तो मैं ऐसा समझूं कि....

**श्री उपाध्यक्ष** : Order ! Order please !!

**श्री भैरोंसिंह** : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझूं कि मुख्य मन्त्री महोदय चाहे जैसे शब्दों का प्रयोग करें और उन्हें फिर यहां संरक्षण दिया जाये....

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर ! ऑर्डर !! मैंने इस सम्बन्ध में अपनी मान्यता सदन के समक्ष रख दी है।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं इसी सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसके लिए मुझे आपत्ति है....

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर ! ऑर्डर !! मैं आशा करता हूँ.... I request the Hon'ble member to resume his seat.

( व्यवधान )

I request the Hon'ble member to please resume his seat.

( शोरगुल )

Order, please ! I would request the Hon'ble member to resume his seat, lest I shall have to name the Hon'ble member.

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का डेकोरम रखने के लिए यह आवश्यक है कि सदन में किसी के प्रति ऐसे शब्द प्रयोग में न लाये जायें और इसी....

**श्री उपाध्यक्ष** : I think the Hon'ble member will not give me an opportunity to take up an unpleasant task which is entrusted to me, to maintain the decorum of the House. I expect the co-operation of the House. Yes, Hon'ble Finance Minister.

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की कोई कार्यवाही इस प्रकार से....

**श्री उपाध्यक्ष** : I now name the Hon'ble member. There is no othear

Page No.111



( श्री उपाध्यक्ष )

remedy but to name the Hon'ble member. I would now request the Sergeant-at-arms ..

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि....

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : Order ! Order !! I would request the Hon'ble Member please to withdraw from the House.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** ( सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के शब्द प्रयोग में लाये जायें और मन्त्रियों को संरक्षण दिया जाये....

**श्री उपाध्यक्ष** : Order! Ord r!! pleare I would request the Hon'ble member please to withdraw from the House. Sergeant-at-arms please to take the charge of the Hon'ble members.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय को इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। यहां पर भ्रष्टाचारी मंत्रियों को संरक्षण मिलता है....

**श्री उपाध्यक्ष** : Order ! Order !! Mr. Satish Chandra, you happen to be a Chairman on the panel. I expect that as a Chairman you should have respect for the decorum of the House.

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सारी स्थिति में यही निवेदन करना चाहता हूँ कि चोरों का पक्ष लिया जाता है।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : Yes, Sergeant-at arms to please help the Hon'ble member in his with drawal. I expect the Hon'ble members not to create an un-pleasant scene on the floor of the House.

(व्यवधान)

Hon'ble members have the option to go out. You can safely withdraw from the House.

**श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : यदि ऐसा है तो विरोधी दल के सभी सदस्य सदन से वॉक आउट करते हैं।

(जनसंघ रामराज्य, परिषद् के विधान सभाई दल के सदस्यों द्वारा वॉक आउट)

**श्री उपाध्यक्ष** : बाहर जाना और यहां रहना, वह मेम्बर्स के ऑप्शन पर है। यह कोई परम्परा निश्चित नहीं करता कि माननीय सदस्य जायें या ठहरें। I don't worry about it. But at the same time I express my dis- approval of the actions and of the demonstration given the by Hon'ble Members in a way which has, to some extent, lowered the prestige and dignity of the House. I have expected and repeatedly pointed out that the Hon'ble members will maintain the decorum of the House, the dignity and

( श्री उपाध्यक्ष )

the prestige of the House which is not the function of the Chair only. It is with the co-operation of the Hon'ble members that the Chair has succeeded, in maintaining the decorum of the House and if the Hon'ble members continue to do it, it is for the House to look into the matter.

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट के दौरान में ३ दिन से जो बहस हो रही है उसमें....

**श्री उपाध्यक्ष** : Is it the sense of the House to extend the time ?

**कुछ ध्वनि** : Yes, Sir.

**श्री उपाध्यक्ष** : For how many minutes ?

**कुछ ध्वनि**: Ten minutes

15 minutes.

**श्री उपाध्यक्ष** : 15 minutes. Yes.

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय। बजट के दौरान में तीन दिन से जनरल बहस हो रही है। इस बारे में मैं बड़ी खुशी से कहना चाहता हूँ कि कुछ माननीय सदस्यों में वित्तीय दृष्टि से और बजट की दृष्टि से भी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं हुई हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।

बजट में जो सबसे बड़ी गम्भीर, राज्य की सरकार की दृष्टि से भी और माननीय सदस्यों की दृष्टि से भी जो बातें होती हैं वे होती हैं करारोपण की। लेकिन इस वर्ष जो कर, करारोपण की व्यवस्था की गई है, मैं यह कहना चाहता हूँ, और मुझे खुशी है कि ज्यादातर माननीय सदस्यों ने इस व्यवस्था को मंजूर किया है। अपने अपने दृष्टिकोण से उन्होंने इस पर रोशनी डाली है, इसकी आलोचना भी की है। लेकिन कुल मिला कर मुझे खुशी है कि इसका उन्होंने स्वागत किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब तक हम अन्ततोगत्वा करारोपण नहीं करेंगे तब तक हम अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ नहीं बना सकेंगे। इस दृष्टि से इस दफा जो एक्सप्रेशन किया गया उसकी मुझे खुशी है।

बजट के दौरान में जैसा होता है, कुछ प्रशंसा हुई, कुछ आलोचना हुई, कुछ चहल पहल रही, अभी भी चहल-पहल रही, जिससे यह सदन का अधिवेशन कुछ ज्यादा सजीव हो गया, उससे भी कुछ ज्यादा हो गया क्योंकि यह........

**श्री उपाध्यक्ष** : आप इसको चहल-पहल कहते हैं ! I have given my observation that this is disorder that has been created.

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जिस शब्द का प्रयोग किया उसको मैं स्वीकार करता हूँ।

अभी समय कम है इसलिए मैं बहुत सी बातों में न जाकर खास बातें पहले कह देता हूँ जो खादी बोर्ड और खादी कमीशन के सम्बन्ध में है।

( श्री हरिभाऊ उपाध्याय )

माननीय उपाध्यक्ष, मुझे ऐसा प्रतीत होता है दो दिन की बहस से कि खादी बोर्ड और खादी कमीशन के सम्बन्ध में या तो कम जानकारी है या जान-बूझ कर कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिनसे भ्रम फैला है। कुछ जानकारी की कमी है और कुछ भ्रम फैला है। इसलिए मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि वास्तविक जानकारी रख हूँ ताकि दूसरे पक्ष की भी बात सामने आ जाय और सही बात सामने आ जाय। मैं यह कहना चाहता हूँ कि खादी कमीशन जो भारत सरकार का है उसमें गड़बड़ियें हुई या राजस्थान के बारे में भी मैं नहीं कहता। राजस्थान के खादी बोर्ड का सवाल सामने आया था उसके बारे में कार्यवाही क्यों नहीं की? मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत सा मसाला साथ में लेकर आया हूँ लेकिन समय नहीं है; इसलिये संक्षेप में ही कहना चाहता हूँ कि जिन जिन संस्थाओं के बारे में शिकायतें आई हैं, उनके खिलाफ खादी कमीशन के टेक्निकल एक्सपर्ट्स की सहायता से उचित कार्यवाही की है। यहां का खादी बोर्ड है वह तो राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड है और इसी तरह से भारत सरकार द्वारा खादी कमीशन है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित है और जितनी खादी से सम्बन्धित संस्थाएं हैं, जो खादी सम्बन्धी काम करती हैं, गांधीजी के जमाने से करती आ रही हैं, उनको भी ग्रान्ट, लोन, सब्सिडी आदि जो मिलते हैं वे सीधे कमीशन से मिलते हैं, खादी बोर्ड से नहीं। इसके लिये सीधी जिम्मेदारी खादी कमीशन की है। यह मैंने इसलिये कहा, क्योंकि कभी कभी यह कहा जाता है कि खादी बोर्ड ने यह किया, वह किया; लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि खादी बोर्ड ज्यादातर ग्रामोद्योग के लिये देता है और बाकी कार्यों के लिये सीधा सम्बन्ध खादी कमीशन का है। मैं जब से इस बोर्ड का चेयरमैन हुआ हूँ तब से कोशिश करता रहा हूँ कि काम यहां होता है तो बोर्ड को मालूम होना चाहिये कि किसको किस तरह की सहायता दी गई और किसको नहीं दी गई। इसके लिये मैंने कोशिश करके यह सिद्धान्त स्वीकार कराया है कि खादी कमीशन राजस्थान में पैसा खादी बोर्ड के थ्रू देगा और कमीशन बोर्ड की सिफारिश पर देगा। जो भी शिकायतें आई हैं इससे पहले वे लोग हैं जिन्होंने गांधीजी के जमाने से काम किया है, जिन्होंने सारी जिन्दगी रचनात्मक काम से लगाई है त्याग से। ५ साल पहले जो रुपये दिये गये थे उस समय जो लोन देने के कायदे, नियम वगैरह बने हुए नहीं थे और न उन पर लागू किये गये थे इसलिये बाज बाज जगह यह हुआ कि लोन पूरा खर्च नहीं कर पाये और कठिनाई में फंस गये थे और उनको बड़ी मुश्किल हो रही थी। इसलिये बोर्ड ने अब इसके रूल्स पास करके गवर्नमेंट के पास भेजे हैं स्वीकृति के लिये। क्योंकि बोर्ड पर जिम्मेदारी आई है इसलिये बोर्ड ने नियम गवर्नमेंट के पास पेश किये हैं। मैं समझता हूँ, नियम स्वीकृत होने के बाद जो कठिनाइयां पेश आई हैं वे नहीं आयेंगी

एक बात कही गई मेरे बारे में कि मैं उस बोर्ड का चेयरमैन हूँ। यह सही स्थिति है। मैं ग्राम सेवा मण्डल, अजमेर का चेयरमैन हूँ। आप सब की जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूँ, शायद आपको मालूम न हो। इस बोर्ड की जब रचना हुई तब इस

( श्री हरिभाऊ उपाध्याय )

बोर्ड में खास कर उन लोगों को रखा गया जो खादी का काम करते थे और जिम्मेदार व्यक्ति थे। प्राणलाल भाई इसके मेम्बर-सेक्रेटरी थे और वे स्वयं बम्बई के पास कोरा खादी केन्द्र चला रहे थे, वे इसके भी सेक्रेटरी हैं और यहां पर जनरल सेक्रेटरी थे। यह परम्परा पहले से चली आई है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उसी परम्परा के अनुसार मैं भी उसका चेयरमैन हूँ और उसी परम्परा के अनुसार गोकुलभाई उसके उप चेयरमैन हैं....

**श्री जनार्दनराय नागर** ( मावली ) : लेकिन गोकुलभाई फाइनेन्स मिनिस्टर तो नहीं हैं।

**श्री चन्दनमल वैद** ( सरदारशहर ) : उधर बैठने वालों को क्या मालूम क्योंकि वे खद्दर थोड़े ही पहनते हैं।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : कोटा की संस्था के बारे में जिन्होंने कहा था वे शायद सदन से अभी रूठ कर चले गये, सवाई माधोपुर के बारे में और ग्राम सेवा मन्दिर, अजमेर के बारे में जिक्र किया था; वे तो हैं नहीं लेकिन माननीय सदस्य चाहें तो मैं इन पर रोशनी डाल दूं....

**श्री उपाध्यक्ष** : आपके पास मिनट केवल चार हैं, जितनी रोशनी डालना चाहें इन चार मिनट्स में डाल दें।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : माननीय मित्र मानते हैं कि उन पर काफी रोशनी पड़ चुकी है इसलिये मेरे पास ज्यादा रोशनी नहीं है। मैं अन्त में सब को धन्यवाद देता हूँ। बहस के दौरान में चाहे जैसा वातावरण रहा हो, लेकिन इस बजट की बहस के अन्तिम दिन में हमारे माननीय सदस्य रूठ कर चले गये हैं। लेकिन दूसरे जो सदस्य हैं, मुझे खुशी है, अच्छे वातावरण में इस बहस को समाप्त कर रहे हैं। मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष** : We now adjourn to meet to morrow at 11 A. M.

( तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५.१० बजे, दिनांक १६ मार्च, १९६१ को म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई )

## संक्षिप्त-विवरण

( बुधवार, १५ मार्च, १९६१ )

| | स्कम्भ |
|---|---|
| **तारांकित प्रश्नों के शीर्षक** | २६५४ |

कृषि विभाग द्वारा खाद पहुंचने का गलत स्थान अंकित करने से हुई हानि।

गंगापुर अस्पताल का नवनिर्मित भवन।

किशनगढ़ तहसील के सिंचाई विभाग के अधीनस्थ तालाबों की मरम्मत।

पंचायत समिति नासीती, मुख्यालय ग्रामनवास द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कैम्पों में मदिरा व मांस का प्रयोग।

सर्वसाधारण को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना।

रूपनगढ़ तहसील के सिंचाई के तालाबों की मरम्मत।

पंवार रैयत टीनेन्ट कृषि सहकारी समिति व मांगेसर रैयत टीनेन्ट सहकारी समिति, मांगेसर।

ग्राम पंचामत, रींगस के भूतपूर्व सरपंच तथा उप-सरपंच के विरुद्ध हुई शिकायतों पर कार्यवाही।

उदयपुर डिविज़न में दिये गये मछलियों के ठेके।

पाली पंचायत क्षेत्रान्तर्गत हुए विकास कार्य।

नायला हाउस के पीछे के प्लॉट का आवंटन।

रतनगढ़ कसबे के जनाने व मर्दाने अस्पतालों में इन्डोर पेशेन्ट्स के समुचित इलाज की व्यवस्था।

काश्तकारों को दी जाने वाली कोरोगेटेड आयरन शीट्स।

बाली व देसूरी तहसीलों में निर्मित होने वाले बांध।

पाली पंचायत समिति द्वारा वितरित तकावी ऋण।

तहसील भोपालसागर के तालाबों का निर्माण कार्य।

पाली नगरपालिका के चुनाव।

| | स्कम्भ |
|---|---|

जनता कोऑपरेटिव चिमनी भट्टा, रामगढ़ व जसाना।

जाशमा तालाब की पक्की नहर का निर्माण।

भूमि बन्धक बैंक।

परसुराम कुम्हार की सिक्योरिटी की रकम की अदायगी।

रानी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिला पाली।

बांसवाड़ा रेन्ज द्वारा खान्दू सर्किल में घास के बीड़ की जमीन का आवंटन।

भूपाल सागर की पक्की नहरों का निर्माण।

(स्थगित प्रश्न दि. २४–२–६०)

पंचायत मोटेर, तहसील नोहर द्वारा विभाग में बजट पेश नहीं किया जाना।

वक्तव्य २७०६

राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा आयोजित १९६१ की हाई स्कूल परीक्षा के प्रारम्भिक गणित (Elementary Mathematics) का प्रश्न पत्र आउट हो जाने के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह (१४) ने दिनांक १४ मार्च, १९६१ को जिस स्थगन–प्रस्ताव की सूचना दी थी उसके बारे में मुख्य मंत्री ने आज एक वक्तव्य दिया।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन २७०७

(१) श्री भोलानाथ, सभापति, प्राक्कलन समिति, १९६०–६१ ने समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया :—

(क) प्राक्कलन समिति, १९५६–५७ द्वारा प्रस्तुत कृषि विभाग से सम्बन्धित छठे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर प्राक्कलन समिति, १९६०–६१ का सत्रहवां प्रतिवेदन।

(ख) राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति, १९५६–५७ के पांचवे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर प्राक्कलन समिति, १९६०–६१ का अट्टारहवां प्रतिवेदन।

(२) श्री रामकिशोर व्यास, सभापति, प्रवर समिति, ने भिक्षा वृत्ति

निवारण विधेयक, १६५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

**आय-व्ययक, १६६१-६२**

**प्रथम अवस्था–सामान्य वाद-विवाद** २८०८

आय–व्ययक, १६६१–६२ पर सामान्य वाद-विवाद का आज अंतिम दिन था। बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री श्रीमानसिंह
२. श्री महेन्द्रसिंह पंवार
३. श्री घासीराम यादव
४. श्री अर्जनदास
५. श्री मोतीलाल
६. श्री मुरलीधर व्यास
७. श्री विशम्भरनाथ जोशी
८. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
९. श्रीमती सुमित्रा देवी
१०. श्री ब्रजसुन्दर शर्मा
११. श्री अपनूसिंह
१२. श्री हरिप्रसाद यादव
१३. श्री मुक्तिलाल मोदी
१४. श्री किशनाराम
१५. श्रीमती गंगादेवी डाटा
१६. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
१७. श्री मूलचन्द डागा।

सरकार की ओर से श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री एवं श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री ने बहस का उत्तर दिया।

सदन की बैठक ५-बज कर १० मिनट पर गुरुवार, दिनांक १६ मार्च, १६६१ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

**गुरुवार, दिनांक १६ मार्च, १६६१ की कार्य-सूची**

मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४३- उद्योग और प्रदाय।

————

## परिशिष्ट १

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६८ का उत्तर देखिये )

| नाम समिति | तारीख रजिस्ट्रेशन | नाम सदस्य | निवास स्थान | क्या यह समिति के कार्यक्षेत्र में रहते हैं |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १–भांगेसर रैयत टीनेन्ट कृषि सहकारी समिति लि०, भांगेसर | १०–६–६० | १–श्री रूपा | भांगेसर | जी हां, समिति के कार्यक्षेत्र में रहते हैं। |
| | | २–श्री लक्ष्मणसिंह | ,, | |
| | | ३–श्री छीतर | ,, | ,, |
| | | ४–श्री सूजीया | ,, | ,, |
| | | ५–श्री नाथीया | ,, | ,, |
| | | ६–श्री नरसिंह | ,, | ,, |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| | | ७—श्री दुर्गाराम | भांगेसर | जी हाँ, कार्यक्षेत्र में रहते हैं। |
| | | ८—श्री आयु | ,, | ,, |
| | | ९—श्री जोगीया | ,, | ,, |
| | | १०—श्री नारायण | ,, | ,, |
| | | ११—श्री सूजा | ,, | ,, |
| | | १२—श्री नीजा | ,, | ,, |
| | | १३—श्री भीमा | ,, | ,, |
| | | १४—श्री लादू | ,, | ,, |
| | | १५—श्री गमियां | ,, | ,, |
| २—पंवार भूमिहीन रैयत टोनेन्ट कृषि सहकारी समिति लि०, भांगेसर | ७—६—६० | १—श्री फूला | सोनियां की ढाणी | सोनियां की ढाणी व भांगेसर है। |
| | | २—श्री लछमण | ,, | जी हां, कार्यक्षेत्र में रहते हैं। |
| | | ३—श्री मोडो | ,, | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| | | ४–श्री हेमा | सोनियां की ढ़ांणी । | जी हाँ, कार्यक्षेत्र में रहते हैं । |
| | | ५–श्री वोरा | ,, | ,, |
| | | ६–श्री दीना | ,, | ,, |
| | | ७–श्री भंवर | ,, | ,, |
| | | ८–श्री लच्छो | ,, | ,, |
| | | ९–श्री पीरो | ,, | ,, |
| | | १०–श्री कोजा | ,, | ,, |
| | | ११–श्री सुन्दर | ,, | ,, |
| | | १२–श्री धुल्ला | ,, | ,, |
| | | १३–श्री महन्ता | ,, | ,, |
| | | १४–श्री भीका | ,, | ,, |
| | | १५–श्री मंगा | ,, | ,, |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| | | १६–श्री थाना | सोनियां की ढ़ाणी । | जी हां, कार्यक्षेत्र में रहती हैं । |
| | | १७–श्री जेठा | ,, | ,, |
| | | १८–श्री प्रताप | ,, | ,, |
| | | १९–श्री गहरजी | ,, | |

## परिशिष्ट २

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३०२ का उत्तर देखिये )

**पाली पंचायत समिति में २ अक्टूबर, १९५९ से आज तक किये गये विकास कार्यों व उनके लिए दी गई धन-राशि की सूची**

| क्र०सं० | नाम पंचायत | नाम गांव | नाम कार्य | धनराशि | कार्य पूर्ण | कार्य अपूर्ण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| १ | मण्डिया | मंडली | स्कूल भवन | ५०० | पूर्ण | — |
| | ,, | कान्परा | ,, ,, | ७५० | — | अपूर्ण |
| २ | कुरना | कानलाव | ,, ,, | ५०० | पूर्ण | — |
| | ,, | वाला | ग्राम जल योजना | ५०० | — | अपूर्ण |
| | ,, | कानलाव | सेनिटरी वैल | १००० | पूर्ण | — |
| ३ | धानियावास | धानियावास | पीच के | ५०० | — | अपूर्ण |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | धानियावास | पड़ावला कलां | पीच के | ३१५० | — | अपूर्ण |
| ४ | रूपावास | रूपावास | स्कूल भवन | १००० | — | अपूर्ण |
| | ,, | केरला | ,, ,, | २५० | — | अपूर्ण |
| ५ | धूपावड़ा | धूपावड़ा | ,, ,, | ५०० | — | अपूर्ण |
| | ,, | ,, | पीच के | ४०० | — | अपूर्ण |
| | ,, | उसवन | ,, ,, | ५०० | — | अपूर्ण |
| | ,, | बालेलाव | सेनिटरी वैल | ५७५ | — | अपूर्ण |
| | ,, | आकेली | ग्राम जल योजना | १००० | — | अपूर्ण |
| ६ | लाम्बिया | लाम्बिया | स्कूल भवन | ७५० | — | अपूर्ण |
| | ,, | ,, | पीच के | १००० | — | अपूर्ण |
| ७ | डिगाई | जैतपुरा | स्कूल भवन | ५०० | — | अपूर्ण |
| ८ | गिरपारा | गिरापरा की ढाणी | पीच के | ६०० | — | अपूर्ण |

परिशिष्ट

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ९ | खेतावास | सोवनिया | ग्राम जल योजना | ५०० | — | अपूर्ण |
| १० | टेवाली | टेवाली | स्कूल भवन | ७५० | — | अपूर्ण |
| | ,, | ,, | ग्राम जल योजना | १००० | — | अपूर्ण |
| ११ | सोडावास | सोडावास | स्कूल भवन | ७५० | — | अपूर्ण |
| | ,, | टाकुरला | ,, ,, | ५०० | — | अपूर्ण |
| १२ | हेमावास | हेमावास | ,, ,, | १००० | — | अपूर्ण |
| | ,, | मानपुरा | ,, ,, | १७०० | पूर्ण | — |
| | ,, | हेमावास | पंचायत भवन | १००० | — | अपूर्ण |
| | ,, | ,, | पीच के | ७५० | — | अपूर्ण |
| १३ | खैरवा | खैरवा | स्कूल भवन | १००० | — | अपूर्ण |
| | ,, | शिवपुरा (खैरवा) | पीच के | ५०० | — | अपूर्ण |
| | ,, | खैरवा | ,, | ५०० | — | अपूर्ण |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | खैरवा | खैरवा | तालाब की मरम्मत | २५० | — | अपूर्ण |
| | ,, | ,, | रास्ता ठीक कराने. | ६१.७५ | पूर्ण | — |
| | ,, | ,, | पटयानी नाडी | ३१७ | पूर्ण | — |
| १४ | डेन्डा | डेन्डा | रास्ता ठीक कराने | ५०० | — | अपूर्ण |
| १५ | गुडाएन्दला | गुडा एन्दला | पीच के | १,३५० | — | अपूर्ण |
| | ,, | ,, | ग्राम जल योजना | ५०० | — | अपूर्ण |
| | ,, | ,, | स्कूल पुलिया (दोपुलियें) | २,७०० | — | अपूर्ण |
| | ,, | ,, | सेनीटरी वैल | ८५० | — | अपूर्ण |
| १६ | गुन्दोज | गुन्दोज | कन्या पाठशाला | ६०० | — | अपूर्ण |
| | ,, | ,, | पंचायत भवन | ५०० | पूर्ण | — |
| | ,, | ,, | पक्का रास्ता बनाना | १००० | पूर्ण | — |
| १७ | मनिहारी | मनिहारी | स्कूल भवन | ७५० | — | अपूर्ण |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मनिहारी | मनिहारी | पीच के | ६७५ | — | अपूर्ण |
| १८ | भांवरी | भांवरी | स्कूल भवन | २००० | — | अपूर्ण |
| | ,, | ,, | ,, ,, | २००० | — | अपूर्ण |
| | ,, | ,, | पानी के पीच के | ८०० | — | अपूर्ण |
| १९ | दयालपुरा | दयालपुरा | स्कूल भवन | १००० | — | अपूर्ण |
| | ,, | पापड़ी | पीच के | २५० | — | अपूर्ण |
| २० | सोनाईमाजी | सोनाईमाजी | स्कूल भवन | १५० | पूर्ण | — |
| | ,, | ,, | पीच के | ११५० | — | अपूर्ण |
| | ,, | रामासिया | ,, | ५०० | — | अपूर्ण |
| २१ | डरी | डरी | ,, | १००० | — | अपूर्ण |

# परिशिष्ट ३

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३०७ का उत्तर देखिये )

## तहसील बाली व देसूरी तहसीलों के स्वीकृत बांधों की सूची

| क्रमांक | नाम बांध | तहसील | टेन्डर मांग गये या नहीं | टेन्डर की मंजूरी हुई या नहीं | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | दांतीवाड़ा | बाली | हां | हां | |
| २ | ऊंगटी | बाली | ,, | ,, | |
| ३ | राजपुरा | देसूरी | ,, | नहीं | |
| ४ | मुथाना | देसूरी | ,, | हां | |
| ५ | काना | देसूरी | ,, | नहीं | |

## परिशिष्ट ४

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३०८ का उत्तर देखिये )

### अक्टूबर, १६५६ के बाद से अब तक पाली पंचायत समिति द्वारा तकावी के रूप में वितरित की गई रकम की सूची

| क्र०सं० | नाम व्यक्ति | रकम |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| १ | श्री भैरूंलाल, जालोर | ४,००० रु० |
| २ | ,, मोहना | ६०० ,, |
| ३ | ,, वैद्यनाथ | १,३५० ,, |
| ४ | ,, ताजमोहम्मद | १,५०० ,, |
| ५ | ,, जयनारायण | ७०० ,, |
| ६ | ,, घीसूलाल | ७०० ,, |
| ७ | ,, हुकमाराम | ४०० ,, |
| ८ | ,, देवा हीर | ७५० ,, |
| ९ | ,, गेरा किसना | ७५० ,, |
| १० | ,, बेना | १,४०० ,, |
| ११ | ,, चिमना | १,००० ,, |
| १२ | ,, रूंगा | १,००० ,, |
| १३ | ,, केसिया वल्द फूला | १,२०० ,, |
| १४ | ,, प्रेमपुरी | ५०० ,, |
| १५ | ,, डूंगरदान | १,००० ,, |
| १६ | ,, जेठा | १,००० ,, |
| १७ | ,, हदीया | ५०० ,, |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| १८ | ,, खीमला | १,४०० रु० |
| १६ | ,, पालिखां | ५०० ,, |
| २० | ,, गेना | ८०० ,, |
| २१ | ,, ब्रीसमचन्द | ५०० ,, |
| २२ | ,, दीपसिंह | ७०० ,, |
| २३ | ,, हैमसिंह | ८०० ,, |
| २४ | ,, चौकलसिंह | ७५० ,, |
| २५ | ,, भगनाथसिंह | १,००० ,, |
| २६ | ,, मुखीया | १,००० ,, |
| २७ | ,, विजयसिंह | १,४०० ,, |
| २८ | ,, जगीयां | १०० ,, |
| २६ | ,, बेना | ३०० ,, |
| ३० | ,, रावतियां | २५० ,, |
| ३१ | ,, जसियां | १०० ,, |
| ३२ | ,, भूरसिंह | ७५० ,, |
| ३३ | ,, धनियां | २०० ,, |
| ३४ | ,, जयसिंह | ८०० ,, |
| ३५ | ,, राजू | २५० ,, |
| ३६ | ,, मेगसिंह | ४०० ,, |
| ३७ | ,, अमरसिंह | १,२०० ,, |
| ३८ | ,, रामा बल्द बना | ५०० ,, |
| ३६ | ,, भूरसिंह | ४,००० ,, |
| ४० | ,, बिरदा | १००० ,, |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| ४१ | ,, रतना | १०० रु० |
| ४२ | ,, चिमना | ३०० ,, |
| ४३ | ,, धन्ना | २५० ,, |
| ४४ | ,, काना | ३०० ,, |
| ४५ | ,, हीरा | १०० ,, |
| ४६ | ,, भोपाल सिंह | २५० ,, |
| ४७ | ,, सरदार सिंह | ५०० ,, |
| ४८ | ,, धन्ना | १५० ,, |
| ४९ | ,, बीरदा चिमना | २०० ,, |
| ५० | ,, सैरीयां | १५० ,, |
| ५१ | ,, नारायण | ३०० ,, |
| ५२ | ,, डूगरदास | १०० ,, |
| ५३ | ,, पृथ्वी सिंह | १५० ,, |
| ५४ | ,, दैवाराम | १५० ,, |
| ५५ | ,, बना | १५० ,, |
| ५६ | ,, नरसिंह | १५० ,, |
| ५७ | ,, हनुमान | ५०० ,, |
| ५८ | ,, छैला | १,२५० ,, |
| ५९ | ,, चुनीलाल | ५०० ,, |
| ६० | ,, देवीसिंह | ४,००० ,, |
| ६१ | ,, पैमा | १,००० ,, |
| ६२ | ,, लालाराम | ६०० ,, |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| ६३ | ,, लालकंवर | १,००० रु० |
| ६४ | ,, ओंकार लाल | ५०० ,, |
| ६५ | ,, उम्मेद | ५०० ,, |
| ६६ | ,, हुक्माराम | ४०० ,, |
| ६७ | ,, सोकियां | ५०० ,, |
| ६८ | ,, घोगा | २५० ,, |
| ६९ | ,, नैमां | ८०० ,, |
| ७० | ,, काना | २०० ,, |
| ७१ | ,, तेजा | २०० ,, |
| ७२ | ,, राजू | ५०० ,, |
| ७३ | ,, अमीनखां | १,००० ,, |
| ७४ | ,, जहूरखां | ७०० ,, |
| ७५ | ,, नत्थूखां | १,००० ,, |
| ७६ | ,, अजीजखां | १,००० ,, |
| ७७ | ,, जीवनखां | १,००० ,, |
| ७८ | ,, नेतासर खां | १,००० ,, |
| ७९ | ,, सालगराम | ४०० ,, |
| ८० | ,, मोहनलाल | १,००० ,, |
| ८१ | ,, अमरसिंह | २,००० ,, |
| ८२ | ,, ओमसिंह | ३०० ,, |
| ८३ | ,, केसरसिंह | ४,००० ,, |
| ८४ | ,, चीमनाराम | ६०० ,, |

# Page No.132



| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| ८५ | ,, चतरीया | ३०० रु० |
| ८६ | ,, कुकला | ६०० ,, |
| ८७ | ,, मीहकियां | ६०० ,, |
| ८८ | ,, दुदियां | ३०० ,, |
| ८९ | ,, हीरा | ३०० ,, |
| ९० | ,. पुखियां | ५०० ,, |
| ९१ | ,, आदियां | ४०० ,, |
| ९२ | ,, जगा | ४०० ,, |
| ९३ | ,, देविया | ५०० ,, |
| ९४ | ,, भैरा | ३०० ,, |
| ९५ | ,, नैनाराम | २०० ,, |
| ९६ | ,, नरखां | २०० ,, |
| ९७ | ,. भगवानदास | ३०० ,, |
| ९८ | ,, भूरसिंह | ४,००० ,, |
| ९९ | ,, डुगा | ५०० ,, |
| १०० | ,, नेका | ४०० ,, |
| १०१ | ,, नरसियां | ५०० ,, |
| १०२ | ,, चीमनसिंह | ५०० ,, |
| १०३ | ,, भादियां | ३०० ,, |
| १०४ | ,, दिपसिंह | ७५० ,, |
| १०५ | ,, नगी | १,००० ,, |
| १०६ | ,, सीताराम | १,००० ,, |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| १०७ ,, | भैरूलाल | ५०० रु० |
| १०८ ,, | मीठालाल | ५०० ,, |
| १०६ ,, | शंकरलाल | २५० ,, |
| ११० ,, | कनिया | ७०० ,, |

# परिशिष्ट ५

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३१४ का उत्तर देखिये )

| क्र० सं० | नाम जिला | नाम भूमि बंधक बैंक | तारीख पंजीयन | कितने किसानों को ऋण वितरित किया गया | रकम | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| १ | अजमेर | अजमेर कोआ० लैन्ड मोर्टगेज बैंक लि० | ८-६-१९२४ | १३ | ३४,१५० | |
| २ | ,, | ब्यावर कोआ० लैन्ड मोर्टगेज बैंक लि० | २६-५-१९२२ | २८ | ५६,७०० | |
| ३ | ,, | केकड़ी कोआ० लैन्ड मोर्टगेज बैंक लि० | १८-१२-१९५७ | २८ | ४०,२५० | |
| ४ | जयपुर | जयपुर प्राथमिक सहकारी भू० बं० बैंक लि० | २५-१२-१९५९ | १४ | १६,२५० | |
| ५ | अलवर | अलवर ,, ,, | २४-१२-१९५९ | | | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ६ | भरतपुर | भरतपुर प्राथमिक सहकारी भू० बं० बैंक लि० | २०–१–१९६० | | | |
| ७ | सीकर | सीकर ,, ,, | २–६–१९६० | | | |
| ८ | सवाईमाधोपुर | सवाई माधोपुर ,, | २०–११–१९६० | २६ | ४४,५५० | |
| ९ | टौंक | टौंक ,, ,, | ११–१–१९६० | १९ | ४०,७२० | |
| १० | जोधपुर | बिलाड़ा प्राइमरी कोआ० लैन्ड मो० बैंक लि० | २१–९–१९५९ | १ | २,१०० | |
| ११ | सिरोही | सिरोही सहकारी भू० बं० बैंक लि० | १५–१२–१९५९ | २ | ४,२०० | |
| १२ | पाली | पाली ,, ,, | २–१–१९६० | ४ | १४,६४० | |
| १३ | नागौर | नागौर प्राथमिक सहकारी भू० बं० बैंक लि० | २४–८–१९६० | | | |
| १४ | बाड़मेर | बालोत्रा प्राथमिक सहकारी भू० बं० बैंक लि० | ४–१०–१९६० | | | |
| १५ | जालोर | जालोर ,, ,, | | | | |
| १६ | उदयपुर | उदयपुर ,, ,, | ३–६–१९६० | ११ | १२,८१० | |
| १७ | भीलवाड़ा | भीलवाड़ा प्राथमिक सहकारी भू० बं० बैंक लि० | १७–२–१९६० | २ | ४,००० | |

परिशिष्ट

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १८ | चित्तोड़गढ़ | चित्तोड़गढ़ प्राथमिक सहकारी भू० बं० बैंक लि० | ३०–६–१९६० | – | – | |
| १९ | श्री गंगानगर | गंगानगर प्राइमरी कौ० लैन्ड मोर्टगेज बैंक लि० | २७–१२–१९५९ | | | |
| २० | ,, | रायसिंह नगर प्रा० कोआ० ,, | १३–७–१९५९ | ३ | ११,२०० | |
| २१ | चूरू | चूरू प्राथमिक सहकारी भू०बं० बैंक लि० | २४–६–१९६० | | | |
| २२ | कोटा | कोटा सहकारी भू०बं० बैंक लि० | ३१–१२–१९५९ | १ | ३,००० | |
| २३ | ,, | बारां सहकारी भू०बं० बैंक लि० | ९–१२–१९५८ | ६४ | १,३९,१५० | |
| २४ | बूंदी | बूंदी सहकारी भूमि बंधक बैंक लि० | २७–६–१९६० | | | |
| २५ | झालावाड़ | झालावाड़ प्राथमिक सहकारी भू०बं० बैंक लि० बूंदी | ३१–८–१९६० | | | |

# परिशिष्ट ६

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३१६ का उत्तर देखिये )

| तारीख मिलने परमिट | नाम वस्तु जिसका परमिट मिला। | कितने माल का परमिट मिला | किस विभाग से परमिट मिला | माल समिति के रजिस्ट्रों में दर्ज है कि नहीं | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| २२–८–५६ | नालीदार पत्रे | ८० बंडल | एग्रीकल्चर | दर्ज है | |
| २–१२–५८ | ,, | ५० | ,, | ,, | |
| २–१२–५८ | ,, | ५५ | ,, | ,, | |
| ३०–३–५७ | ,, | १०० | ,, | ,, | |

Page No.138



| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| २५–७–५६ | नालीदार पत्रे | २० | एग्रीकल्चर | दर्ज है | |
| १५–६–५६ | ,, | ६ | ,, | ,, | |
| १३–३–६० | ,, | ५ | ,, | ,, | |
| १–४–६० | ,, | १६ | ,, | ,, | |
| २३–५–६० | ,, | १६ | ,, | ,, | |
| १६–३–५६ | लोहसरिये | | | | |
| १२–४–५८ | गाडर | | | | |
| | १२ ५ | १२३ फुट | ,, | ,, | |
| २४–३–५६ | १२ ६ | ४४ ,, | ,, | ,, | |
| १४–२–५६ | १२ ५ | ४४ ,, | ,, | ,, | |

## परिशिष्ट

| १ | २ | | ३ | | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गाडर | | | | | | | |
| ३०-४-५६ | ८ | ४ | ४६४ | फुट | एग्रीकल्चर | दर्ज है | |
| ,, | ६ | ३ | १७० | ,, | ,, | ,, | |
| ,, | १० | ५ | १६३ | ,, | ,, | ,, | |
| ,, | ६ | ४ | ४२ | | ,, | ,, | |

परिशिष्ट

| क्र० सं० | नाम सदस्य जिसे माल दिया गया | किस्म माल | कितना माल दिया गया | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १ | मोती बख्शा जी | पत्रे | बंडल ३ | |
| २ | चौधरी आसानी बूम्बा जी | ,, | ,, ३ | |
| ३ | सरमल आटो सादा | ,, | ,, २ | |
| ४ | चौधरी बनागर जी | ,, | ,, ३ | |
| ५ | चौधरी हरलाल जी | ,, | ,, १ | |
| | | | पत्रा ३ | |
| ६ | एस० के० भाटिया | ,, | बंडल ३ | |
| ७ | मोतीलाल जी सुथार | ,, | ,, ३ | |
| | सुथार सायजी | ,, | ,, ३ | |
| ६ | जोरसिंह जी | ,, | ,, ३ | |
| १० | रामनिवास जी | ,, | १ | |
| ११ | ,, | ,, | २ | |
| १२ | जागीरसिंह जी, नारायणसिंह जी | ,, | ३ | |
| १३ | रामनिवास जी | ,, | २ | |
| १४ | करनराम जी | ,, | ३ | |
| १५ | ,, | ,, | ६ | |
| १६ | ,, | ,, | १ | |
| १७ | आत्माराम जी | ,, | ४ | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| १८ | जयदेव जी | पत्रे | ३ | |
| १९ | माली चिमनलाल जी | ,, | २ | |
| २० | अचलाराम जी | ,, | ६ | |
| २१ | अचलाराम जी | ,, | ४ | |
| २२ | चौधरी पनाराम | ,, | ३ | |
| २३ | चुन्नीलाल जी | ,, | ३ | |
| २४ | मंघवीसिंह फालना | ,, | ३ | |
| २५ | घीसूलाल जी | ,, | ३ | |
| २६ | श्री गणेशलाल जी | ,, | २ | |
| २७ | बिरधीचन्द जी | ,, | २ | |
| २८ | माली प्रताप पदमा | ,, | ४ | |
| २९ | गोमाराम जी नेती श्रीमाली | ,, | २ | |
| ३० | सघन क्षेत्र योजना समिति | ,, | १८ | |
| ३१ | मूलसिंह जी हीरालालजी सुनार | ,, | ३ | |
| ३२ | तेजराम कीसना जी रानी | ,, | २ | |
| ३३ | छोगा मूला कुम्हार | ,, | ३ | |
| ३४ | हमीरमल जी हजारीमल जी | ,, | ४ | |
| ३५ | श्री वल्लभ जी | ,, | ३ | |
| ३६ | मोहनलाल जी मिस्त्री | ,, | ३ | |
| ३७ | आत्माराम जी | ,, | ३ | |
| ३८ | हजारीसिंह जी पिसोयगी | ,, | ३ | |
| ३९ | नेरुति गोरधन तिवारी | ,, | ३ | |

# Page No.142



| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ४० | बादरभाई मनोहर भाई | पत्रे | ३ | |
| ४१ | चतराभाई लालभाई | ,, | ३ | |
| ४२ | मणीलाल जी मगनभाई | ,, | २ | |
| ४३ | कमठे पर दिया | ,, | १ | |
| ४४ | जोरसिंह जी | ,, | १–२ | |
| ४५ | सघन क्षेत्र योजना | ,, | ५ | |
| ४६ | नाम नहीं | ,, | ६ | |
| ४७ | मूला जमना जी ब्राह्मण | ,, | २ | |
| ४८ | मूला कनाणी | ,, | २–२ | |
| ४९ | घीसूलाल जी | ,, | १ | |
| ५० | सावरधाना के कमेटो | ,, | १ | |
| ५१ | ठाकुरसाहब सावनसिंह जी | ,, | ५ | |
| ५२ | कुनणमजी देवली | ,, | १ | |
| ५३ | मोहनराज जी ब्रहास | ,, | ३ | |
| ५४ | माणकराम जी मदनरामजी | ,, | ३ | |
| ५५ | कुनणमल जी गूजर | ,, | ३ | |
| ५६ | लालसिंह मोतीलाल जी | ,, | २ | |
| ५७ | मदनराजजी मेहता | ,, | ३ | |
| ५८ | दुर्गाशंकर जी श्रोमाली | ,, | ३ | |
| ५९ | धनपजी कुनणमलजी सीयाद | ,, | ३ | |
| ६० | विश्वाबादी पींजल | ,, | ३ | |
| ६१ | मालो चिमना मुला जी फालना | ,, | २ | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ६२ | महोनद हनीफजी अब्दुलरहमाजी | ,, | ३ | |
| ६३ | मूलमल जी अणतराम जी | ,, | २ | |
| ६४ | महोमद एमीमजी अब्दुलरहमानजी | | १ | |
| ६५ | हफतर | ,, | ७ | |
| ६६ | मालूमसिंह जी | ,, | १ | |
| ६७ | कुनमल जी धनरूप जी | | | |
| ६७ | कुनरामजी धनरुपजी सीमाण | ,, | ३ | |
| ६८ | चुनीलालजी चिकाजी सुमेरपुरावास | ,, | ५ | |
| ६९ | कुनणमलजी गुप्ता | ,, | १ | |
| ७० | गणेशमलजी | ,, | ४ | |
| ७१ | मोहनरामजी | ,, | २ | |
| ७२ | पेपारजजी गुडारामजी | ,, | १–३ | |
| ७३ | शंकरलालजी मांगीलालजी | ,, | १ | |
| ७४ | इनूफ करीमजी चूडीगर | ,, | १ | |
| ७५ | शंकरलालजी गुलाबचन्द | ,, | ३ | |
| ७६ | | ,, | १२ | |
| ७७ | रणजीतसिंहजी पदमपुरा | ,, | ३ | |
| ७८ | रावराचंदजी देवीचन्दजी | ,, | ३ | |
| ७९ | मदनराजजी बदन राजजी मन्दिर | ,, | ३ | |
| ८० | बजरंग बली के ठेकेदार चुनवारी | ,, | २–१ | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ८१ | अध्यक्ष | पत्र | ३ | |
| ८२ | माणकरामजी सिंघी | ,, | ४ | |
| ८३ | गोमारामजी आटिया बीसलपुर | ,, | ४ | |
| ८४ | उहमादा सवीयजी | ,, | ३ | |
| ८५ | बिरधीचन्दजी माथुर | ,, | ३ | |
| ८६ | दोसासिरजी पंजाबी | ,, | ३ | |
| ८७ | प्रेमचन्दजी तिलोकचन्दजी | ,, | ३ | |
| ८८ | चंपालालजी गुलाबचन्दजी | ,, | ३ | |
| ८९ | गुमानचन्दजी | ,, | ३ | |
| ९० | केसाजी हरजी | ,, | ३ | |
| ९१ | बादराजसिंह हीरामलजी | ,, | २ | |
| ९२ | सघन क्षेत्र योजना | ,, | १० | |
| ९३ | पुखराजजी | ,, | ९ | |
| ९४ | केदारकेलाल गोरधनजी | ,, | ७ | |
| ९५ | गणीभाई मगनभाई | ,, | ३ | |
| ९६ | पुखराजजी लुहार | ,, | ३ | |
| ९७ | फतहमोहम्मदजी | ,, | ३ | |
| ९८ | जीयामी घाटाव | ,, | ३ | |
| ९९ | झुम्मसिंह सानसिंह | ,, | ३ | |
| १०० | जैसारामजी दीपाजी | ,, | ३ | |
| १०१ | मदनलालजी मूना | ,, | ३ | |
| १०२ | बिरधीचन्दजी माथुर | ,, | १ | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| १०३ | प्रोहित हजारी | ,, | १ | |
| १०४ | चमनाजी माली फलना | ,, | १–३ | |
| १०५ | अमरचन्दजी ठेकेदार | ,, | २–६ | |
| १०६ | रेवाशंकरजी पटवारी | ,, | २ | |
| १०७ | छगनलालजी स्टेशन मास्टर | ,, | २ | |
| १०८ | बृजमोहनलालजी ,, | ,, | २ | |
| १०९ | छूटेखां मास्टर | ,, | १ | |
| ११० | ग्राम पंचायत देसूरी | ,, | २ | |
| १११ | मोहनलालजी जुहारमलजी सायली | ,, | २ | |
| ११२ | धनराज भीमालजी | ,, | २ | |
| ११३ | | ,, | २ | |
| ११४ | मोतीबाबाजी | ,, | २ | |
| ११५ | अमरचन्दजी | ,, | २ | |
| ११६ | सुदर्शन कुमारजी भाटिया | ,, | २ | |
| ११७ | ए० पी० डब्लू० आहर एरनपुरा | ,, | ४ | |
| ११८ | पुखराजजी चनणमलजी देसूरी | ,, | २ | |
| ११९ | सोनचन्दजी देसूरी | ,, | १ | |
| १२० | अमरचन्दजी | ,, | १ | |
| १२१ | ग्राम पंचायत रानी | ,, | ४ | |
| १२२ | श्रीनपी चौधरी | ,, | १ | |

# Page No.146



| १ | | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| १२३ | घनराज मन्नाचौधरी | ,, | १ | |
| १२४ | शंकरलालजी | ,, | ४ | |
| १२५ | असिस्टेन्ट इंजिनियर शोशियल वेटा आमेर | ,, | ५ | |
| १२६ | सिवाड़ मरम्त | ,, | १ | |
| १२७ | आलीसिंहजी | ,, | १ | |
| १२८ | दुर्गारामजी | ,, | १ | |
| १२९ | गमनारामजी | ,, | २ | |
| १३० | मानारामजी | ,, | २ | |
| १३१ | रामप्रतापजी | | १ | |
| १३२ | दौलतसिंहजी | ,, | १ | |
| ... | भीमालजी घाटे | ,, | २ | |
| १३४ | वारदुधजी छुटनजी बोस | ,, | २ | |
| १३५ | नमतिरजी आइदानजी | ,, | २ | |
| १३६ | संस्कजी कोआ | ,, | ५ | |
| १३७ | उलारामजी चौधरी राणी गांव पत्र | | २ | |
| १३८ | कीमा श्री मगाचौधरी | ,, | २ | |
| १३९ | सरपंच आलराई | ,, | ३ | |
| ४० | आधारामजी | ,, | ११ | |
| १४१ | सरपंचजी आलराई | ,, | ६ | |
| १४२ | सरपंचजी | ,, | ५ | |
| १४३ | मतनेदान | ,, | | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| १४४ | मोतीबाबाजी | ,, | ६ | |
| १४५ | पुखराजजी फाकमलजी राणी | ,, | २ | |
| १४६ | तेजरामजी उम्मेदमलजी | ,, | २ | |
| १४७ | बनेसिंहजी परकार | ,, | ३ | |
| १४८ | सोमरामजी आवाजी भिजोवा | ,, | १ | |
| १४९ | भोरारामजी औराजी भिनोवा | ,, | १ | |
| १५० | पनस्पेनाणी चौधरी | ,, | १ | |
| १५१ | स्टेशन मास्टर बृजमोहनलालजी | ,, | १ | |
| १५२ | आलवादजी | ,, | २ | |
| १५३ | सुवैरया | ,, | १ | |
| १५४ | केदार खां | ,, | १ | |
| १५५ | रतनलालजी टेलर | ,, | १ | |
| १५६ | चेयरानी | ,, | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १ | सघन क्षेत्र योजना | लोह सरिये | ४०)। |
| २ | ग्राम पंचायत रानी | ,, | १०।)८। |
| ३ | गमनारामजी चौधरी | ,, | १।)१॥। |
| ४ | सघन क्षेत्रीय योजना | ,, | २१॥।) ३। |
| ५ | मदनलालजी मूथा | ,, | १०) |
| ६ | रामनिवासजी | ,, | २।)२। |

Page No.148



| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ७ | मुंशीलालजी | ,, | १४॥)३- | |
| ८ | जोसिंहजी ढालोप | ,, | ।)६॥। | |
| ६ | कल्याणमलजी अग्रवाल सुमेरपुर | ,, | २॥)॥। | |
| १० | मुंशीलालजी | ,, | १५) | |
| ११ | कनेट पर | ,, | ३८ | |
| १२ | माणकरावी सीधी सुमेरपुर | ,, | १)। | |
| १३ | घनारामजी | ,, | २॥।)४॥ | |
| १४ | कुनणमलजी गुलाबचन्दजी | ,, | ६॥)२॥। | |
| १५ | उपकाननन्दजी | ,, | ॥।)५॥। | |
| १६ | ,, | | १॥)६॥ | |
| १ | सरपंच ग्राहवी गरडर | फि ४० | | |
| २ | सोजनविंडीओं | ,, | ६ | |
| ३ | ,, | ,, | ४५ | |
| ४ | छायागा स्कूल भवन | ,, | १६ | |
| ५ | दलीचन्दजी ताराचन्दजी | ,, | १०४–११ | |
| ६ | जगदेवजी मोदी सोजतरोड़ | ,, | ११–१ | |
| ७ | रामानीदजी | ,, | १७ | |
| ८ | | ,, | ४४ | |
| ६ | जवानवाली शान्तीलालजी | ,, | २४ | |
| १० | पंचनावोर्ड मगरालाल | ,, | २० | |
| ११ | | ,, | १५ | |
| १२ | पिरथीचन्दजी माथुर | ,, | ५८ | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| १३ | दौलतरामजी | ,, | १३–४ | |
| १४ | स्टेशन मास्टर | ,, | २६ | |
| १५ | कल्याणमलजी अग्रवाल | ,, | ३२ | |
| १६ | अमरचन्दजी | ,, | ३६ | |
| १७ | कल्याणमलजी अग्रवाल सुमेरपुर | ,, | १८ | |
| १८ | लालखांजी खमातलाजी | ,, | २८ | |
| १९ | त्रिरधीचन्दजी माथुर | ,, | ३० | |
| २० | ग्राम पंचायत राणीखुर्द | ,, | १३ | |
| २१ | स्टेशन मास्टर | ,, | २७–३ | |
| २२ | चरण सिंहजी | ,, | १७ | |
| २३ | कमटा | ,, | ६० | |
| २४ | ग्राम पंचायत अणी | ,, | ३४ | |
| २५ | कदेना दीयायी चौधरी | ,, | १४–४ | |
| २६ | ,, | ,, | १२–४ | |
| २७ | जीवराजी मलजी राणीगांव | ,, | ३७–८ | |
| २८ | ग्राम पंचायत रली खुर्द | ,, | ६१ | |
| २९ | प्रेमचंद जी | ,, | १२ | |
| ३० | जमनारामजी चौधरी | ,, | १६–६ | |
| ३१ | त्रानमलजी देवली | ,, | १२–९ | |
| ३२ | छगनमलजी राणीगांव | ,, | ३८–६ | |
| ३३ | हस्तीमलजी | ,, | १२ | |

# Page No.150



| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ३४ | चुनीलालजी | ,, | १२ | |
| ३५ | सांमरामजी चुनीलाल जी | ,, | २३ | |
| ३६ | जीवराजजी नथमलजी राणीगांव | ,, | १२ | |
| ३७ | ,, | ,, | ३६ | |
| ३८ | ग्राम पंचायत धाना | ,, | १५ | |
| ३९ | असिस्टेन्ट इन्जीनियर सोशियल वेल फेयर | ,, | ५४ | |
| ४० | वंशीधरजी अरोड़ा | ,, | १७ | |
| ४१ | जवानलजी शान्तीलालजी राणी | ,, | २३ | |
| ४२ | असिस्टेन्ट इन्जीनियर सोशियल वेल फेयर | ,, | ४२ | |

## परिशिष्ट ७

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६४ का उत्तर देखिये )

### तहसील किशनगढ़ के आधीन सिंचाई विभाग के तालाबों की सूची

| क्रम संख्या | तालाब का नाम | गांव का नाम |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| १ | जल थमन | किशनगढ़ |
| २ | राम सागर | ठिकावड़ा |
| ३ | खैरा वाला | खैरा |
| ४ | लाम्बा | सरगांव |
| ५ | परवत सागर | ,, |
| ६ | मदन सागर | डिडवाड़ा |
| ७ | जय सागर | ,, |
| ८ | राम सरोवर | बांदरसिंदरी |
| ९ | खातोलाय | ,, |
| १० | उमेद सागर | ,, |
| ११ | धोबी घाटा | ,, |
| १२ | जुत्रली सागर | मुहौती |
| १३ | राम सागर | रामपूरा |
| १४ | करणी सागर | रारी |

| १ | २ | ३ |
| --- | --- | --- |
| १५ | नया तालाब | बरणा |
| १६ | हनुमान सागर | ,, |
| १७ | भैरु सागर | ,, |
| १८ | बालजी का नाडा | ,, |
| १६ | गोवरधन सागर | ,, |
| २० | रण खंभा | नया गांव |

## परिशिष्ट ८

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३०१ का उत्तर देखिये )

**तालिका जलाशय जो मछली मारने के लिए १६६०–६१ में नीलाम द्वारा दिये गये**

| नम्बर शु० | नाम ठेकेदार | नाम जलाशय | ठेके की रकम | कब से | कब तक |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १ | श्री रहमतुल्ला | बन्ध मेजा | ३३५०) | २३–६–६० से | ३०–६–६१ |
| २ | श्री अहमदसइदखां | बन्ध भराइ उदयपुर | ३५०) | २४–६–६० से | ३०–६–६१ |
| ३ | श्री अहमदसइदखां | बन्ध सरेरी | ११३०) | २४–६–६० से | ३०–६–६१ |
| ४ | श्री अहमदसइद खां | देवरिया (भीलवाड़ा) | ६००) | २४–६–६० से | ३०–६–६१ |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| ५ | श्री रियाजुद्दीन | नदी भेंड़च (उदयपुर) | ९२०) | ६–१०–६० से | ३०–६–६१ |
| ६ | श्री इकरामुद्दीन | अरवर बन्ध (भीलवाड़ा) | २०११) | ६–१०–६० से | ३०–६–६१ |
| ७ | श्री मुहम्मदरफीक | बन्ध महार (उदयपुर) | १८०) | ११–१०–६० से | ३०–६–६१ |
| ८ | श्री दयाराम सुखराम | नदी सोमीसागर (डूंगरपुर) | १८०) | २७–१०–६० से | ३०–६–६१ |
| ९ | श्री दयाराम सुखराम | नदी सोम (डूंगरपुर) | ३०६) | २७–१०–६० से | ३०–६–६१ |
| १० | श्री रामलाल कालादीन | नदी वाकल (उदयपुर) | २८१) | २७–१०–६० से | ३०–६–६१ |

परिशिष्ट

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| ११ | श्री यासीन खां | डिग्री का तालाब (उदयपुर) | १७०) | ५–११–६० से | ३०–६–६१ |
| १२ | श्री भूरे खां | कनेछन का तुरकीया (भीलवाड़ा) | १५०) | २२–११–६० से | ३०–६–६१ |
| १३ | श्री पम्मनदास | नदी बनास (उदयपुर) | २०००) | २२–११–६० से | ३०–६–६१ |
| १४ | श्री रहमतुल्ला | डाबमपुरा | १८१०) | २४–११–६० से | ३०–६–६१ |
| १५ | श्री ए. एम. खां | बन्ध गंभीरी (चित्तौड़) | ४४६४) | २५–११–६० से | ३०–६–६१ |
| १६ | श्री पम्मनदास | बन्ध बोरदा (चित्तौड़) | २१००) | २८–११–६० से | ३०–६–६१ |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| १७ | श्री अहमदसइदखां | अन्ध भाडोल | ४३०) | ५—१२—६० से | ३०—६—६१ |
| १८ | श्री अहमदसइदखां | खारी प्रोजेक्ट (भीलवाड़ा) | २४२४) | ६—१२—६० से | ३०—६—६१ |
| १६ | चौधरी खैराती | नदी गोमती (उदयपुर) | ६१०) | ६—१२—६० से | ३०—६—६१ |
| २० | श्री टहलराम | बंध रूपारेल (चित्तौड़) | ३२५) | १६—१२—६० से | ३०—६—६१ |
| २१ | श्री टहलराम | बंध अंगूचा (चित्तौड़) | ३००) | १६—१२—६० से | ३०—६—६१ |
| २२ | श्री अनवरखां | बंध पुलिया (भीलवाड़ा) | १७५) | २०—१२—६० से | ३०—६—६१ |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| २३ | श्री द्वारकाप्रसाद | बंध गोयटा (भीलवाड़ा) | १६४०) | २३—१२—६० से | ३०–६–६१ |
| २४ | श्री रहमतुल्ला | बन्ध काई | ३०१) | २–१–६१ से | ३०–६–६१ |
| २५ | श्री सुन्दरलाल टी. सी. (वांस) | उदयसागर (उदयपुर) | ७७७७) | ६—१—६१ से | ३०–६–६१ |
| २६ | श्री अब्दुलवहीद | बन्ध ऊंचा (भीलवाड़ा) | १६०) | ६–१—६१ से | ३०—६–६१ |
| २७ | श्री रहमुतुल्ला | उम्मेदसागर (भीलवाड़ा) | ६८१०) | १६–१—६१ से | ३०—६—६१ |

परिशिष्ट

| लाइसैन्स नं० | जलाशय का नाम | रकम | ठेकेदार का नाम | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १४८ | बन्ध उदयसागर (उदयपुर) | ५६००) | श्री गनी | २५–४–५८ |
| १५० | ,, रैध (भीलवाड़ा) | ३६०) | श्री गनी | २८–४–५८ |
| १७८ | ,, भड़ैंच (उदयपुर) | १३०५) | श्री किशनसिंह | २१–११–५८ |
| १७६ | ,, अरवर (भीलवाड़ा) | १७०) | श्री टहलराम | २१–११–५८ |
| १८० | ,, काई (भीलवाड़ा) | ३०१) | श्री टहलराम | २१–११–५८ |
| १८१ | ,, उम्मेदसागर (भीलवाड़ा) | २०००) | श्री टहलराम | २१–११–५८ |
| १८२ | नदी बनास (उदयपुर) | २१५०) | श्री रानामल | २१–११–५८ |
| १८६ | नदी माही (बांसवाड़ा) | ४७६) | श्री अहमद सईद | |
| १८७ | नदी बांकल (कोटा) | ४२५) | श्री अहमद सईद | २४–११–५८ |
| १८८ | बंध बगडेरा (उदयपुर) | ४३०) | श्री अहमद सईद | २४–११–५८ |

| १ | | २ | | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| २०४ | बन्ध | चंडेवाला | (डूंगरपुर) | २६०) | श्री विश्वनाथ | ६–१२–५८ |
| २०५ | ,, | भंडारी | (डूंगरपुर) | २२३७) | श्री विश्वनाथ | ६–१२–५८ |
| २२१ | ,, | बरखेरा | (चित्तौड़) | २३२) | श्री नन्दलाल गांधी | २०–१२–५८ |
| २२५ | ,, | गम्भीरी | (चित्तौड़) | २१५) | श्री भूरे खां | २६–१२–५८ |
| २२६ | ,, | मेजा | (भीलवाड़ा) | २१३) | श्री भूरे खां | २६–१२–५८ |
| २५८ | ,, | सरूपा | (चतौड़) | २१०) | श्री बी. एल. अमरनाथ | २८–३–५६ |
| २६१ | ,, | बरौदा | (चित्तौड़) | २८५) | श्री बी. एल. अमरनाथ | २८–३–५६ |
| २७० | ,, | नाहर सागर | (भीलवाड़ा) | १५५६) | श्री ए. एच. खान | २६–४–५६ |
| | | | | १९५९–१९६० | | |
| २६० | ,, | नवलपुर | (भीलवाड़ा) | २२५०) | श्री पमनदास | १६–६–५६ |
| ३०१ | नदी | भड़ौच | (उदयपुर) | ३८५) | श्री अहमद सईद | १६–६–५६ |

| १ | २ | | | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३०२ | नदी | गन्जू | (चित्तौड़) | २२१) | श्री अहमद सईद | १६–६–५६ |
| ३१७ | नदी | गोमती | (उदयपुर) | ५००) | श्री अहमद सईद | २४–६–५६ |
| ३२४ | बन्ध | सरेरी | (भीलवाड़ा) | २७१०) | श्री बसीर खां | १४–१०–५६ |
| ३३७ | नदी | बनास | (उदयपुर) | १४४५) | श्री भूरे खां | २१–१०–५६ |
| ३३८ | बन्ध | सगम्भीरी | (चित्तौड़) | ३४०) | श्री भूरे खां | २१–१०–५६ |
| ३४१ | ,, | अरवर | (भीलवाड़ा) | ३५०) | श्री अब्दुल सकूर | २३–१०–५६ |
| ३४४ | ,, | उम्मेदसागर | (भीलवाड़ा) | ४७०) | श्री अब्दुल सजीद | २६–१०–५६ |
| ३५३ | ,, | मेजा | (भीलवाड़ा) | ४२१) | श्री रियाजुद्दीन | २७–१०–५६ |
| ३५७ | ,, | दानी की कोठी | (भीलवाड़ा) | ५२०) | श्री रियाजुद्दीन | २७–१०–५६ |
| ३६२ | ,, | नाहरसागर | (भीलवाड़ा) | २७७) | श्री ए. एच. खां | २८–१०–५६ |
| ३७० | नदी | चांकल | (उदयपुर) | ५००) | श्री अहमद सईद | ११–११–५६ |

| १ | २ | | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|---|
| ३७३ | बन्ध रोहदबचखेरा | (भीलवाड़ा) | १६२) | श्री भूरे खां | १३–११–५६ |
| ३६१ | नदी महीसागर | (डूंगरपुर) | १५०) | श्री पुतुमल | १८–१२–५६ |
| ३६७ | नदी बनास | (भीलवाड़ा अजमेर, टोंक) | ५५०००) | श्री ए. एच. खान | २३–१२–५६ |
| ४०३ | बन्ध दन्ता | (भीलवाड़ा) | २०) | श्री अहमद सईद | ३–३–६० |
| ४०४ | ,, सिवरती | (भीलवाड़ा) | २३५) | श्री अहमद सईद | ३–३–६० |
| ४२१ | ,, काकटा | (भीलवाड़ा) | ६६०) | श्री पमनदास | १०–३–६० |
| ४२५ | ,, रूगरचारी | (भीलवाड़ा) | १४०) | श्री अब्दुल वहीद | ११–३–६० |
| ४२६ | ,, भूपालसागर | (चित्तौड़) | २६०) | श्री टहलराम | ११–३–६० |
| ४३१ | ,, बरदा | (चित्तौड़) | ६७५) | श्री अमरनाथ | १६–३–६० |

Page No.162



परिशिष्ट

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ४३८ | नदी गोमतीअपर (उदयपुर) | ६००) | श्री चौधरीखेराती | १८–१२–५६ |
| ४३६ | अन्ध. सरूपा (उदयपुर) | २४०) | श्री टहलराम | २२—४—६० |
| ४४० | ,, उदयसागर (उदयपुर) | १०२६) | श्री विश्वनाथ | १८—४—६० |
| ४४२ | ,, रसनी (चित्तौड़) | ६००) | श्री भूरे खां | ११—५—६० |

## शुद्धि–पत्र

(बुधवार, १५ मार्च, १६६१)

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| २६५८ | अन्तिम से ४ | ट्र | ट्र् |
| २६६३ | ७ | मंख्या | संख्या |
| २६६४ | ५ | प्रात | प्राप्त |
| ,, | अन्तिम से २-१ | डिस्ट्रिक्टस | डिस्ट्रिक्ट्स |
| २६७२ | ७ | विज्ञति | विज्ञप्ति |
| २६८५ | १५ | को | के |
| २६८८ | ४ | । डेमरेज | है । डेमरेज |
| २६६६ | ५ | कॉन्ट्रेक्ट | कॉन्ट्रेक्ट |
| २७०० | १० | एक्ससाइज़ | एक्सर्साइज़ |
| २७०३ | अन्तिम से २ | है म्युनिसिपैलिटी | है कि म्युनिसिपैलिटी |
| २७०६–<br>२७०७ | शीर्षक | स्थगन–प्रश्न | स्थगन–प्रस्ताव |
| २७०७ | शीर्षक | २७० | २७०७ |
| २७११ | २७ | sabs tax | sales tax |
| २७१३ | १६ | incame | income |
| ,, | अन्तिम से ४ | hweto | have to |
| २७१४ | ७ | budge | budget |
| ,, | १४ | nacessity. | necessity |
| २७१७ | २६ | admission | admissions |
| २७१८ | ११ | एक्सलेनेटरी | एक्सप्लेनेटरी |
| ,, | २४ | जिसका | जिनका |
| २७२२ | शीर्षक | १६६१–६१ | १६६१–६२ |
| ,, | १३ | ६६.५५ | ३६६.५५ |
| २७२४ | १४ | चीजे है। | चीज है। |
| २७२५ | अन्तिम से २ | स्थिति | स्थिति का |
| २७२६ | अन्तिम पंक्ति | समय साति | समय-समाप्ति |
| २७२८ | २६ | पंचवर्षीय | पंचवर्षीय |
| २७३० | ६ | सन्जेक्ट | सब्जेक्ट |
| २७३१ | अन्तिम से ४ | में साबित | से साबित |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| २७३३ | ६ | Bat | But |
| ,, | ३२ | epartments | Departments |
| ,, | ३३ | Whcn | when |
| २७३४ | १ | Council thereafter the, | Council. Thereafter, the |
| ,, | २१ | nbjection | objection |
| ,, | ३२ | encroachement | encroachment |
| ,, | अन्तिम से ३ | licenced | licensed |
| २७३५ | ५ | encorachments | encroachments |
| २७४३ | २२ | , जागीरदार | , जागीरदारी |
| २७४५ | ६ | मालूभ होती | मालूम होती |
| २७४६ | अन्तिम | के वेसेज़ | के केसेज़ |
| २७५० | ६ | गगादेवी | गंगादेवी |
| २७५१ | ६व२६ | प्रात | प्राप्त |
| २७७६ | १ | ओडावताग्ल्र्स | अड़ावता गर्ल्स |
| २७८१ | १६ | पोस्टस को | पोस्ट्स को |
| २७८४ | ४ | थी वह | थी वहां |
| २७८६ | २४ | करीइ | करीब |
| २७६१ | शीर्षक | अय व्ययक | आय–व्ययक |
| ,, | ७ | लिटिकेशन | लिटिगेशन |
| २७६२ | १६ | रेक्ट्रस है, केलिशियम | रेक्ट्स है, केल्शियम |
| २७६८ | शीर्षक | आव........१५ मार्च | आय........१५ मार्च |
| २७६६ | ६ | मे ब्योर्ड | मेच्योर्ड |
| २८०२ | अन्तिम से ३ | जिनके हमेशा | जिनका हमेशा |
| २८०५ | ८ | क्षेत्रय | क्षेत्रीय |
| ,, | १० | यहां सुगर | यहां शुगर |
| २८२० | ३ | हमारे मी | हमारे भी |
| ,, | अन्तिम | ये हैं पांच............आधारभूत कसौटी | ये पांच........आधार–भूत कसौटी हैं। |
| २८२४ | शीर्षक | १५, मार्च | १५ मार्च, |
| ,, | २२, २६; २६ व ३० | सर्वागीणा | सर्वांगीण |
| २८२६ | ८ | टैक्प लगाया | टैक्स लगाया |
| २८२७ | १६ | हैं। उन्हें | हैं उन्हें |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| २८२७ | २३ | pleasesit | please sit |
| ,, | अन्तिम | समात कर | समाप्त कर |
| २८२९ | ,, से ३ | निणय लिया | निर्णय लिया |
| २८३० | १ | कर्मचाक्यिों | कर्मचारियों |
| २८३१ | अन्तिम से २ | वह एक | उससे एक |
| २८३६ | १८ | है, यह | है, लेकिन यह |
| २८४४ | १० | भी है, | भी हो, |
| २८४८ | १० | 'गाल में | बंगाल में |
| २८५१ | ३ | जरूरी होता | जरूरी होता है |
| ,, | १७ | िलने वाली | मिलने वाली |
| ,, | २६ | ि वेदन करना | निवेदन करना |
| २८५२ | २०-२१ | केलिसम में, सीमेन्ट में से ज्यादा ज्यादा | केल्शियम में, सीमेंट में ज्यादा से ज्यादा |
| ,, | २१ | मैं निश्चि | मैं निश्चित |
| ,, | अन्तिम | लले | लगें |
| २८५६ | ११ | सद स्य | सदस्य |
| ,, | अन्तिम से ५ | चल कते | चल सकते |
| २८५७ | १४ | इ लिये सरकारी | इसलिये सरकारी |
| ,, | २० | उका क्या | उसका क्या |
| ,, | २८ | सहत हूँ | सहमत हूं |
| २८५८ | १ | या । छोड़ | या छोड़ |
| ,, | २ | होग । | होगा। |
| २८६२ | शीर्ष | मुखाड़ियां ) | मुखाड़िया ) |
| २८६४ | ,, | २८६४०] | २८६४ ] |
| २८६६ | ८ | ैकड़ों | सैकड़ों |
| २८७० | अन्तिम से २ | में खिलाफ | में उनके खिलाफ |
| २८७२ | ६ | होगा। ऐसी | होगा ऐसी |
| २८७४ | शीर्ष | ६१-६१ | ६१-६२ |
| ,, | १५ | Ordre please ! | Order please ! |
| ,, | अन्तिम से ७ | given the by Hon'ble | given by the Hon'ble |
| २८७७ | २२-२३ | ebservation | observation |
| २८७८ | १ | माननय | माननीय |
| ,, | १२ | हुई | हुई |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| २८८२ | अन्तिम | वाजे | बजे |
| २८८७ | २ | श्री अपनूसिंह | श्री अनूपसिंह |
| ,, | अन्तिम से ५ | स्थगत | स्थगित |
| २८८६ | १ | जी हां, कार्य क्षेत्र | जी हां, समिति के कार्य-क्षेत्र |
| २८६१ | १ | जी हां, कार्य क्षेत्र में रहती हैं। | जी हां, समिति के कार्य–क्षेत्र में रहते हैं। |
| २६१० | शीर्षक | — | २६१० |
| २६१६ | सीरियल १३७ | गांव पत्र | गांव पत्रा |
| ,, | सीरियल ३२ | १२–६ | १२–० |
| २६२० | सीरियल ४१ | जवानल जी | जवानमल जी |
| २६२१ | १ | संख्या ३६४ | २६४ |
| २६३० | सीरियल ३३८ | सगम्भीरी | गम्भीरी |
| ,, | सीरियल ३५३ | भेजा | में जा |

## अनुपूरक शुद्धि-पत्र

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| २७७२ | शीर्षक | आय–न्ययक | आय-व्ययक |
| २७६७ | ,, | वाद–विवाव | वाद–विवाद |
| २८७२ | शीर्ष | सुलाड़िया | सुखाड़िया |
| २६२४ | शीर्षक | २४ | २६२४ |